VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

जनवरी - 2020

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं संविधान (Polity & Constitution) 6

1.1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 (Article 131 of Indian Constitution) 6

1.2. अध्यक्ष का पद और दल-परिवर्तन का मुद्दा (Office of the Speaker and the Issue of Defection)....7

1.3. प्रतिबंधों को नियंत्रित करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय (SC's Verdicts on Curbing Restrictions) 9

1.4. आधार रिपोर्ट (Aadhar Report) 12

1.5. शत्रु संपत्ति (Enemy Properties) 14

1.6. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का विनियमन (Regulating Minority Educational Institutions) 15

1.7. राज्यों में 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' के लिए कोटा (EWS Quota in States)....17

1.8. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Services)....18

1.9. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (Fast Track Special Courts) 20

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 22

2.1. नई एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकी प्रभाग (New and Emerging Strategic Technologies Division) 22

2.2. दक्षिण चीन सागर (South China Sea)....23

2.3. इजरायल-फिलिस्तीन (Israel-Palestine) 25

2.4. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रोहिंग्या का मुद्दा (Rohingya Issue in ICJ)....27

2.5. संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ईरान के मध्य गतिरोध (IRAN-USA Standoff) 29

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 32

3.1. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट (Report of the 15th Finance Commission for F.Y. 2020-21) 32

3.2. वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति (National Strategy for Financial Inclusion) 35

3.3. दबावग्रस्त शहरी सहकारी बैंकों पर PCA जैसे प्रतिबंध (Stressed Urban Co-Operative Banks to Face PCA-Like Curbs) 37

3.4. भारत में ई-कॉमर्स (E-Commerce in India) 37

3.5. खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2020 {The Mineral Laws (Amendment) Ordinance 2020}....39

3.6. सड़क अवसंरचना वित्त-पोषण (Road Infrastructure Funding)....41

3.7. निजी रेल परिचालन के लिए मसौदा दिशा-निर्देश (Draft Guidelines For Private Trains) 42

3.8. 24x7 विद्युत आपूर्ति हेतु मसौदा योजना {Draft Scheme for Supply of Round-The-Clock (RTC) Power}....44

3.9. पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना (North-East Gas Grid Project)....45

VISION IAS

3.10. नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म विजन डॉक्यूमेंट (National Data and Analytics Platform Vision Document) 47

3.11. वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक (World Employment and Social Outlook: WESO) 48

4. सुरक्षा (Security) 50

4.1. बोडो शांति समझौता (Bodo Peace Accord) 50

4.2. ब्रू शरणार्थी संकट की समाप्ति के लिए समझौता (Pact to end BRU Refugee Crisis) 51

4.3. कूकी-नागा उग्रवादी समूहों के मध्य समझौता (KUKI- NAGA Militants Sign Pact) 53

4.4. भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre) 54

5. पर्यावरण (Environment) 56

5.1. हरित अर्थव्यवस्था (Green Economy) 56

5.2. प्रवाल पुनर्स्थापन (Coral Restoration) 59

5.3. आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश {Guidelines for Implementing Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017} 61

5.4. भारत में 10 नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल का दर्जा (10 New Ramsar Sites in India) 63

5.5. शहरी झील (Urban Lakes) 65

5.6. प्रतिपूरक वनीकरण: ग्रीन क्रेडिट योजना (Compensatory Afforestation: Green Credit Scheme) 67

5.7. अफ्रीकी चीता (African Cheetah) 68

5.8. राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक, 2019 (State Energy Efficiency Preparedness Index, 2019) 69

5.9. रेत खनन के प्रवर्तन और निगरानी संबंधी दिशा-निर्देश (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) 70

5.10. हाइड्रो-क्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFC)-141 B {Hydrochlorofluorocarbon (HCFC)-141 B} 72

5.11. नई मानसून तिथियां (New Monsoon Dates) 73

5.12. ऑस्ट्रेलियाई बुश फायर (Australian Bush Fire) 74

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 76

6.1. आय असमानता (Income Inequality) 76

6.2. वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक (Global Social Mobility Index) 77

6.3. गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020 {Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2020} 78

6.4. आँगनवाड़ी कर्मचारी (Anganwadi Workers) 79

6.5. भारत में दत्तक-ग्रहण (Adoption In India) 81

6.6. शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, 2019 (Annual Status Of Education Report: ASER) 83

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 86

VISION IAS

7.1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विनियमन (Regulating Artificial Intelligence) 86

7.2. ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी (Blockchain Technology) 88

7.3. 2019 नोवेल कोरोना वायरस {2019 Novel Coronavirus (2019-NCOV)}....................91

7.4. दुर्लभ रोग (Rare Diseases) 93

7.5. ड्रोन संबंधी विनियमन (Drone Regulation)....................94

8. संस्कृति (Culture) 98

8.1. गणतंत्र दिवस परेड 2020 (Republic Day Parade 2020) 98

8.2. अशफ़ाक़ुउल्ला ख़ाँ (Ashfaqullah Khan)....................98

8.3. सुर्ख़ियों में रहे सांस्कृतिक उत्सव (Cultural Festivals in News) 99

9. नीतिशास्त्र (Ethics) 101

9.1. मृत्युदंड (Death Penalty) 101

10. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Short) 103

10.1. पद्म पुरस्कार (Padma Awards) 103

10.2. पुलिस कमिश्नरी प्रणाली (Police Commissionerate System) 103

10.3. डाक मतपत्र (Postal Ballot) 104

10.4. आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा (INI Status to the Institute of Teaching and Research in Ayurveda) 104

10.5. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स-2019 (Corruption Perception Index 2019) 104

10.6. वूमन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट, 2020 (Women, Business & The Law Report 2020)....................105

10.7. रायसीना संवाद 2020 (Raisina Dialogue 2020) 105

10.8. ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019 (Global Risk Report 2020)....................105

10.9. ब्लू कॉर्नर नोटिस (Blue Corner Notice)....................106

10.10. लीबिया समिट (Libya Summit)....................106

10.11. ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स (Global Talent Competitiveness Index)....................107

10.12. वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट {World Economic Situation and Prospects (WESP) Report} 107

10.13. HSN कोड के बिना 'अन्य' श्रेणी में किसी भी आयात की अनुमति नहीं (No Imports in 'Others' Category Without HSN Code)....................107

10.14. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिस्किलिंग रिवोल्यूशन (WEF's Reskilling Revolution)....................108

10.15. ग्लोबल कंसोर्टियम फॉर गवर्नेंस ऑफ़ डिजिटल करेंसी (Global consortium for Governance of Digital Currency) 108

VISION IAS

10.16. NSE नॉलेज हब (NSE knowledge Hub) 108
10.17. ट्रैक एंड ट्रेस प्लेटफॉर्म फॉर बिजनस (Track and Trace Platform for businesses) 108
10.18. राष्ट्रीय स्टार्ट-अप सलाहकार परिषद (National Startup Advisory Council) 108
10.19. पूर्वोदय योजना (Purvodaya Scheme) 109
10.20. आरोग्य संजीवनी पॉलिसी (Arogya Sanjeevani Policy) 109
10.21. केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (Central Equipment Identity Register: CEIR) 110
10.22. यूथ को: लैब (Youth Co: LAB) 110
10.23. ऑपरेशन टर्टशील्ड (Operation Turtshield) 110
10.24. वन ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव (One Trillion Trees Initiative) 110
10.25. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एलायंस 2020 (Tropical Forest Alliance 2020) 111
10.26. हरगिला (Hargila) 111
10.27. पलाऊ प्रवाल भित्तियों के लिए विषाक्त सनस्क्रीम पर प्रतिबंध आरोपित करने वाला प्रथम राष्ट्र (PALAU Is First Country To Ban 'Reef Toxic' Sun Cream) 111
10.28. आर्किया (ARCHAEA) 112
10.29. भुवन पंचायत V 3.0 (Bhuvan Panchayat V 3.0) 112
10.30. DRDO की युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला (DRDO Young Scientists Laboratories) 112
10.31. स्वर्ण जयंती फैलोशिप (Swaran Jayanti Fellowships) 113
10.32. मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (Human Space Flight Centre: HSFC) 113
10.33. इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम (Indian Data Relay Satellite System: IDRSS) 113
10.34. गवर्नमेंट ओन्ड कांट्रेक्टर ऑपरेटेड मॉडल {Government Owned Contractor Operated (GOCO) Model} 113
10.35. सुखोई जेट्स (Sukhoi Jets) 114
10.36. सक्षम 2020 (Saksham 2020) 114
10.37. स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 (Swachh Survekshan League 2020: SS League 2020) 114
10.38. नारी शक्ति पुरस्कार (Nari Shakti Puraskar) 115
10.39. सुर्ख़ियों में रहे बौद्ध मठ (Buddhist Monastries in News) 115
10.40. ईरान की सांस्कृतिक धरोहर (Iran's Cultural Heritage) 116
10.41. शास्त्रीय भाषा (Classical Language) 116
11. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes in News) 118
11.1. एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (Scheme for Integrated Textile Park: SITP) 118
11.2. आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Program) 119

VISION IAS

1. राजव्यवस्था एवं संविधान (Polity & Constitution)

1.1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 (Article 131 of Indian Constitution)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **केरल और छत्तीसगढ़** ने भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 131** के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम (केरल) और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम (छत्तीसगढ़) जैसे विभिन्न केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है।

अनुच्छेद 131 के तहत इन राज्यों ने केंद्र को क्यों चुनौती दी है?

- **केरल:**
  - केरल सरकार ने **नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019** {Citizenship (Amendment) Act, 2019} को चुनौती देने के लिए एक याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि यह संशोधन अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता), 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) और 25 (धर्म की स्वतंत्रता) के उल्लंघन के साथ-साथ राष्ट्र के पंथनिरपेक्ष ढांचे के विपरीत है।
  - केरल सरकार ने **पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) संशोधन नियम, 2015** {Passport (Entry to India) Amendment Rules 2015} और **विदेशी विषयक (संशोधन) आदेश, 2015** {Foreigners (Amendment) Order, 2015} को भी चुनौती दी है। ये नियम और आदेश **31 दिसंबर 2014** से पूर्व भारत में प्रवेश करने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान के उन गैर-मुस्लिम प्रवासियों के निवास को नियमित करते हैं जिन्होंने स्वयं के देश में हुए धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में प्रवेश किया है।
- **छत्तीसगढ़:**
  - छत्तीसगढ़ सरकार का मानना है कि **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008** {National Investigation Agency (NIA) Act, 2008} इस आधार पर असंवैधानिक है कि यह "संसद की विधायी क्षमता से परे" है।
  - इसके द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि **'पुलिस' राज्यों के लिए आरक्षित एक विषय** है तथा एक केंद्रीय पुलिस एजेंसी की स्थापना करना केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि इसे (NIA) राज्य पुलिस पर अधिभावी शक्तियां प्राप्त होने के साथ-साथ इसके संचालन के लिए राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करने संबंधी कोई प्रावधान भी नहीं किया गया है।
  - इस प्रकार NIA, संविधान की संघीय भावना के विरुद्ध है।

अनुच्छेद 131 के बारे में

- संविधान का अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की **आरंभिक अधिकारिता** से संबंधित है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के मध्य; एक ओर भारत सरकार तथा किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के मध्य; एवं दो या अधिक राज्यों के मध्य के किसी विवाद का निस्तारण करता है।
- इसका तात्पर्य यह भी है कि कोई भी अन्य न्यायालय इस तरह के विवादों की सुनवाई नहीं कर सकता है।
- अनुच्छेद 131 के तहत किसी मामले को दायर करने के लिए उस मामले को केंद्र और राज्य के मध्य का विवाद होना चाहिए और उसमें आवश्यक रूप से विधि का या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न अंतर्वलित होना चाहिए जिस पर केंद्र और राज्य के विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है।
  - **कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ वाद (वर्ष 1978)** में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने कहा था कि अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी वाद को दायर करने हेतु, राज्यों को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है कि उनके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, बल्कि केवल यह प्रदर्शित करना है कि उक्त विवाद में विधिक प्रश्न निहित है।
  - इसका उपयोग विभिन्न दलों के नेतृत्व वाली राज्य और केंद्र सरकारों के मध्य राजनीतिक मतभेदों को समाप्त करने हेतु नहीं किया जा सकता है।
- **हालांकि, केंद्र के पास अपने कानूनों को लागू करवाने की अन्य शक्तियां हैं।**
  - संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार किसी राज्य को निर्देश जारी कर सकती है।
  - यदि राज्य केंद्र के निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हैं, तो केंद्र सरकार कानूनों का अनुपालन करवाने हेतु राज्यों के विरुद्ध एक स्थायी निषेधाज्ञा (permanent injunction) की मांग करने के लिए न्यायालय में अपील दायर कर सकती है।

VISION IAS

- **उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता निम्नलिखित तक विस्तारित नहीं है:**
    - उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद या वैसी ही अन्य लिखत से उत्पन्न हुआ है जो इस संविधान के प्रारंभ होने से पहले की गई थी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात् प्रवर्तन में है या जो यह उपबंध करती है कि उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा;
    - किसी अंतर्राज्यीय (inter-state) नदी या नदी-दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवाद;
    - भारत सरकार के विरुद्ध निजी व्यक्तियों (private individuals) द्वारा दायर की गई याचिका।

उच्चतम न्यायालय की अन्य अधिकारिता
- **सलाहकारी (Advisory):** सलाहकारी अधिकारिता के तहत, राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत शीर्ष अदालत से राय लेने का अधिकार प्राप्त है।
- **अपीलीय (Appellate):** अपनी अपीलीय अधिकारिता के तहत, उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई कर सकता है।
- **असाधारण आरंभिक अधिकारिता (Extraordinary original jurisdiction):** उच्चतम न्यायालय के पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों, ऐसे मामले जिसमें केंद्र एवं राज्य दोनों शामिल हैं और मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों का समाधान करने की अनन्य शक्ति है।

अनुच्छेद 131 का महत्व
- **भारत का अर्ध-संघीय संवैधानिक ढांचा:** अंतर-सरकारी विवाद असामान्य नहीं हैं और इसलिए, संविधान निर्माताओं द्वारा ऐसे मतभेदों की अपेक्षा भी की गई थी तथा इनके समाधान के लिए उच्चतम न्यायालय की अनन्य आरंभिक अधिकारिता को संविधान में शामिल किया गया था।
- **राज्यों के मध्य विवादों के समाधान हेतु:** व्यक्तियों के विपरीत, राज्य सरकारें मूल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत नहीं कर सकती हैं या अनुच्छेद 32 (भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार) के तहत न्यायालयों की शरण नहीं ले सकती हैं। इसलिए, संविधान में यह उल्लेख है कि जब भी किसी राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि उसके कानूनी अधिकार खतरे में हैं या उनका उल्लंघन किया गया है, तो वह उक्त "विवाद" को उच्चतम न्यायालय में ले जा सकती है।
    - राज्यों ने नदी जल बंटवारे और सीमा विवाद के संबंध में पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध अनुच्छेद 131 के तहत ऐसे मामले दर्ज किए हैं।

अनुच्छेद 131 के संबंध में अन्य वाद-विवाद

अनुच्छेद 131 के तहत किसी विधि को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति:
- वर्ष 2011 में, **मध्य प्रदेश राज्य बनाम भारत संघ वाद** में, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि केंद्रीय कानूनों की वैधता को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत चुनौती दी जा सकती है, न कि अनुच्छेद 131 के तहत।
- हालांकि, **बिहार और झारखंड** के मध्य वर्ष 2012 का एक विवाद वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की एक बड़ी बेंच के समक्ष विचाराधीन व लंबित है, जिसका निर्णय अनुच्छेद 131 के तहत किसी विधि की वैधता निर्धारित करने की न्यायालय की शक्ति को प्रभावित करेगा।

आगे की राह

उच्चतम न्यायालय को इस प्रश्न पर निर्णय करने हेतु एक बड़ी पीठ का गठन करना चाहिए कि क्या केंद्रीय कानूनों को चुनौती देने वाले मुकदमे अनुच्छेद 131 के तहत दायर करने योग्य हैं या नहीं। इस मामले में, यदि याचिका दायर की जाती है, तो उसी बेंच द्वारा ही इन विवादों पर अधिनिर्णय किया जा सकता है।

1.2. अध्यक्ष का पद और दल-परिवर्तन का मुद्दा (Office of the Speaker and the Issue of Defection)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने संसद को दल-परिवर्तन कानून के तहत किसी सदस्य की निरर्हता के मामले में विधान सभा के अध्यक्षों को उनके निर्णयन की अनन्य शक्ति से वंचित करने हेतु संविधान में संशोधन करने के लिए कहा है।

अन्य संबंधित तथ्य
- उच्चतम न्यायालय ने संसद को दसवीं अनुसूची के तहत निरर्ह ठहराए जाने से संबंधित विवादों पर लोक सभा और विधान सभाओं के अध्यक्ष की मध्यस्थता की भूमिका को **एक स्थायी अधिकरण** (जो उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश से मिलकर गठित होगा) से प्रतिस्थापित करने को कहा है।

VISION IAS

- उच्चतम न्यायालय ने राज्य विधान सभाओं के अध्यक्षों से निरर्हता संबंधी याचिका पर **चार सप्ताह में निर्णय करने का आदेश** दिया है।

दल-परिवर्तन विरोधी कानून के बारे में

- दल-परिवर्तन विरोधी कानून को पद संबंधी लाभ या इसी प्रकार के अन्य प्रतिफल के लिए होने वाले राजनीतिक दल-परिवर्तन को रोकने हेतु लाया गया था।
- इसके लिए, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई थी।
- यह उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिसके द्वारा विधायकों/सांसदों को सदन के किसी अन्य सदस्य द्वारा दायर याचिका के आधार पर विधायिका के पीठासीन अधिकारी द्वारा दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्ह ठहराया जा सकता है।
- इसके अंतर्गत किसी विधायक/सांसद को निरर्ह माना जाता है, यदि उसने-
  - या तो स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता त्याग दी है; या
  - सदन में मतदान के समय अपने राजनीतिक नेतृत्व के निर्देशों की अनुज्ञा की है।
    - इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई सदस्य किसी भी मुद्दे पर पार्टी के व्हिप के विरुद्ध (अर्थात् निदेश के विरुद्ध मतदान करता है या मतदान से विरत रहता है) कार्य करता है तो वह सदन की अपनी सदस्यता खो सकता है।
- यह अधिनियम संसद और राज्य विधान-मंडलों दोनों पर लागू होता है।
- **इस अधिनियम के तहत अपवाद:** सदस्य निम्नलिखित कुछ परिस्थितियों में निरर्हता के जोखिम के बिना दल-परिवर्तन कर सकते हैं।
  - यह अधिनियम एक राजनीतिक दल को अन्य दल में विलय की अनुमति देता है, यदि मूल राजनीतिक दल के दो-तिहाई सदस्य इस विलय का समर्थन करते हैं।
  - यदि किसी व्यक्ति को लोक सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्य सभा का उपसभापति या किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् का सभापति या उपसभापति चुना जाता है, तो वह अपने दल से त्यागपत्र दे सकता है या अपने कार्यकाल के पश्चात् अपने दल की सदस्यता पुनः ग्रहण कर लेता है।

पृष्ठभूमि

- विगत तीन दशकों से अध्यक्ष का पद सदस्यों (जो लाभ या राजनीतिक शक्ति के लिए दल-परिवर्तन करते हैं) की निरर्हता के संबंध में अपने निर्णयों के लिए विवादों में रहा है। ज्ञातव्य है कि लाभ या राजनीतिक शक्ति के लिए दल-परिवर्तन लोकतंत्र को कमजोर करता है। इस दीर्घकालिक समस्या के समाधान की मांग लंबे समय से की जा रही है।

हाल की घटनाएँ

- नवीनतम मामला **मणिपुर** के एक कांग्रेस विधायक की निरर्हता से संबंधित है, जो वर्ष 2017 के विधान सभा चुनाव के ठीक बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया था। कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर के विधान सभा अध्यक्ष को उस विधायक को निरर्ह घोषित करने के लिए कहा था, लेकिन अध्यक्ष इस मामले पर कार्रवाई करने में विफल रहे और याचिका को लंबित रखा गया।
- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय को **कर्नाटक** के कुछ विधायकों को अध्यक्ष द्वारा निरर्ह ठहराए जाने के मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि "जो अध्यक्ष अपने राजनीतिक दल के दबावों और इच्छाओं से मुक्त होकर कार्य नहीं कर सकता है, वह अध्यक्ष के पद पर आसीन होने के योग्य नहीं है"।
- **आंध्र प्रदेश** में, विगत तीन वर्षों में विपक्षी दल के 23 विधायक दल-परिवर्तन कर सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित हो गए। इस घटनाक्रम ने अध्यक्ष की भूमिका पर प्रश्नचिन्ह आरोपित किया है।
- वर्ष 2016 में **तेलंगाना** में, विधान सभा अध्यक्ष के समक्ष 119 सदस्यीय विधान सभा में TDP (तेलगु देशम पार्टी) के 15 में से 12 विधायकों के दल-परिवर्तन संबंधी निरर्हता के मामले प्रस्तुत किए गए थे।

अध्यक्ष की भूमिका में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है?

- **अध्यक्ष के पद की प्रकृति:** चूँकि अध्यक्ष के पद को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है, इसलिए अध्यक्ष पुन: निर्वाचित होने के लिए अपने राजनीतिक दल पर निर्भर रहता है। अत: यह स्थिति अध्यक्ष को स्वविवेक के बजाए सदन की कार्यवाही को राजनीतिक दल की इच्छा से संचालित करने का मार्ग प्रशस्त करती है।
- **पद से संबंधित अंतर्निहित विरोधाभास:** उल्लेखनीय है कि जब अध्यक्ष किसी विशेष राजनीतिक दल से या तो नाममात्र (डी ज्यूर) या वास्तविक (डी फैक्टो) रूप से संबंधित होता है तो उस स्थिति में एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के तौर पर उसे (अध्यक्ष) निरर्हता संबंधी याचिकाएं सौंपना युक्तिसंगत और तार्किक प्रतीत नहीं होता है।
- **दल-परिवर्तन विरोधी कानून के तहत निरर्हता के संबंध में अध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले निर्णय से संबंधित विलंब पर अंकुश लगाने हेतु:** अध्यक्ष के समक्ष लंबित निरर्हता संबंधी मामलों के निर्णय में विलंब के कारण, प्राय: ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां सदस्यों को अपने दलों से निरर्ह घोषित किए जाने पर भी वे सदन के सदस्य बने रहते हैं।

आगे की राह

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की **"शासन में नैतिकता"** नामक शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में और विभिन्न अन्य विशेषज्ञ समितियों द्वारा सिफारिश की गई है कि सदस्यों को दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्ह ठहराने के मुद्दों के संबंध में निर्णय **राष्ट्रपति/राज्यपाल** द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह पर किया जाना चाहिए।
- जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है, जब तक कि "असाधारण परिस्थितियां" उत्पन्न नहीं हो जाती हैं, दसवीं अनुसूची के तहत निरर्हता संबंधी याचिकाओं पर अध्यक्ष द्वारा तीन माह के भीतर निर्णय किया जाना चाहिए।
- संसदीय लोकतंत्र के अन्य मॉडलों/उदाहरणों का अनुसरण करते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अध्यक्ष तटस्थ रूप से निर्णय कर सके। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में यह परिपाटी रही है कि आम चुनावों के समय राजनीतिक दल अध्यक्ष के विरुद्ध निर्वाचन हेतु किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं करते हैं और जब तक अन्यथा निर्धारित नहीं हो जाता, अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। वहां यह भी परिपाटी है कि अध्यक्ष अपने राजनीतिक दल की सदस्यता से त्याग-पत्र दे देता है।
    - वर्ष 1951 और वर्ष 1953 में, भारत में **विधान-मंडलों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन** में इस ब्रिटिश मॉडल को अपनाने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया गया था।

निष्कर्ष

हालाँकि, पहले से ही विधायिका के पीठासीन अधिकारियों के मध्य इस बात पर चर्चा चल रही है कि विशेष रूप से सदस्यों के दल-परिवर्तन से संबंधित मामलों में, अध्यक्ष के पद की "गरिमा" को कैसे सुरक्षित किया जाए। इस संदर्भ में, लोकतांत्रिक परंपरा और विधि के शासन को बनाए रखने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा सुझाए गए उपायों को अपनाने की तत्काल आवश्यकता है।

उल्लेखनीय है कि एक सतर्क संसद, दक्षतापूर्ण कार्य करने वाले लोकतंत्र की नींव का निर्माण करती है और पीठासीन अधिकारी इस संस्था की प्रभावकारिता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं।

संबंधित तथ्य: उच्चतम न्यायालय द्वारा दल-परिवर्तन विरोधी कानून के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या	
'स्वेच्छा से अपनी सदस्यता त्यागना' वाक्यांश की व्याख्या	'त्यागपत्र' की तुलना में इस वाक्यांश का अधिक व्यापक अर्थ है। उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या की है कि सदस्य द्वारा दिए जाने वाले औपचारिक त्यागपत्र की अनुपस्थिति में, सदस्यता को त्यागने का अनुमान उसके आचरण से लगाया जा सकता है। जिन सदस्यों ने सार्वजनिक रूप से अपने दल के विरोध या किसी अन्य दल के समर्थन की घोषणा की है, तो इसे उनका त्यागपत्र समझा जाना चाहिए।
पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है	आरंभ में इस कानून के तहत यह निर्धारित किया गया था कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन नहीं होगा। लेकिन, वर्ष 1992 में उच्चतम न्यायालय ने इस प्रावधान को समाप्त कर दिया और पीठासीन अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान की। हालांकि, न्यायालय ने यह कहा कि इस संबंध में जब तक पीठासीन अधिकारी आदेश जारी नहीं कर देता, तब तक किसी भी प्रकार का न्यायिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता है।
पीठासीन अधिकारी को दल-परिवर्तन विरोधी मामलों पर निर्णय करने संबंधी समय-सीमा	इस कानून के अंतर्गत निरर्ह घोषित करने वाली याचिका पर निर्णय करने के संबंध में पीठासीन अधिकारी के लिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। इस संबंध में न्यायालय ने चिंता व्यक्त करते हुए यह कहा कि यदि अध्यक्ष द्वारा निरर्ह ठहराए जाने वाली याचिकाओं पर उचित समय-सीमा के भीतर निर्णय नहीं किया जाता है तो उच्च न्यायालय निर्देश दे सकता है।
दल-परिवर्तन विरोधी कानून सदस्यों (विधायकों) के निर्णय-निर्माण की क्षमता को प्रभावित करता है	प्राय: इस कानून ने एक विधायक/सांसद को अपने विवेक, निर्णय और मतदाताओं के हितों के अनुरूप मतदान करने से प्रतिबंधित किया है। सामान्यतया, राजनीतिक दल अधिकांश मुद्दों (उस मुद्दे की प्रकृति को दृष्टिगत रखे बिना) पर सांसदों/विधायकों को निर्देश जारी करते हैं कि मतदान किस प्रकार करना है। कई विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि यह कानून केवल उन मतों (वार्षिक बजट या अविश्वास प्रस्ताव पारित करना) के लिए वैध होना चाहिए जो सरकार की स्थिरता निर्धारित करते हैं।

1.3. प्रतिबंधों को नियंत्रित करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय (SC's Verdicts on Curbing Restrictions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय द्वारा जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं और लोगों की आवाजाही पर आरोपित प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्णय दिया गया।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के अधिकांश भागों के निरसन के उपरांत, जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में इंटरनेट और आवाजाही पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया गया था।
- केंद्र सरकार ने राज्य के अस्थिर इतिहास, विद्रोह के खतरे, कानून एवं व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकी गतिविधियों के प्रचार-प्रसार तथा आम जनता को उकसाने के लिए इंटरनेट के संभावित दुरुपयोग के आधार पर इन प्रतिबंधों को उचित ठहराया है।
- हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस तरह के पूर्ण प्रतिबंध से मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और साथ ही, यह असंवैधानिक भी है।
- इनके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा करके ही केवल तीन माह से अधिक समय के लिए इस प्रकार के व्यापक पैमाने पर प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure: CrPC) की धारा 144 के तहत जिला मजिस्ट्रेटों के आदेश के द्वारा इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं।
    - उल्लेखनीय है कि, अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा की संसद द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और इस प्रकार दुरुपयोग की संभावनाओं को नियंत्रित किया जाता है।

उच्चतम न्यायालय का अवलोकन

इंटरनेट शटडाउन (प्रतिबंध) पर:

- इंटरनेट के माध्यम से वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मूल अधिकार है।
- इंटरनेट पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 19(2) के तहत शामिल आनुपातिकता के सिद्धांतों (principles of proportionality) के अनुरूप होने चाहिए।
    - उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक कार्रवाई के मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए एक आधार के तौर पर विशिष्ट रूप से आनुपातिकता के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है।
    - यह सिद्धांत अनिवार्य रूप से यह वर्णित करता है कि दंड को अपराध या उसकी प्रकृति के सापेक्ष असंगत (disproportionate) नहीं होना चाहिए तथा किसी अधिकार का उपयोग करते समय राज्य के हस्तक्षेप की सीमा अनिवार्यतः इसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य के अनुपात में होनी चाहिए।
- इंटरनेट के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है।
- अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट का निलंबन अनुज्ञेय नहीं है। इसे केवल एक उचित अवधि के लिए ही प्रतिबंधित किया जा सकता है तथा साथ ही, इसकी आवधिक समीक्षा भी की जानी चाहिए। सरकार को इस प्रकार के निषेधाज्ञा (prohibition) से संबंधित सभी आदेशों को प्रकाशित करना चाहिए ताकि प्रभावित व्यक्ति इसे चुनौती देने में सक्षम हो सके।

CrPC की धारा 144 पर:

- धारा 144 के तहत प्राप्त शक्ति का उपयोग किसी भी विचार या शिकायत की वैध अभिव्यक्ति या लोकतांत्रिक अधिकार के उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु नहीं किया जा सकता है।
- जब धारा 144 को किसी भी आशंकित खतरे के संदर्भ में आरोपित किया जाता है, तो वह खतरा "आपात" (emergency) होना चाहिए।
- धारा 144 के आरोपण की स्थिति में अनिवार्यतः व्यक्ति के अधिकारों और राज्य की चिंताओं के मध्य संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए।
- धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग अनिवार्यतः युक्तियुक्त और प्रमाणिक रीति से किया जाना चाहिए तथा भविष्य में न्यायिक पुनर्विलोकन को ध्यान में रखते हुए ऐसे आदेश के सभी तथ्यों का अनिवार्यत: उल्लेख किया जाना चाहिए।

CrPC की धारा 144

- **इसके तहत शक्तियां:**
    - यह औपनिवेशिक युग का एक कानून है, जो जिला मजिस्ट्रेट, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को न्यूसेंस (उपद्रव) या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों के निवारण अथवा कार्यवाही करने हेतु आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है।
    - इसके तहत सामान्यतः आवाजाही, हथियार रखने और गैर-कानूनी रूप से संघ बनाने पर प्रतिबंध शामिल हैं। प्रायः यह माना जाता है कि धारा 144 के तहत तीन या अधिक लोगों के एकसाथ इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध होता है, लेकिन, इसका उपयोग किसी **एक व्यक्ति (अर्थात् किसी विशिष्ट व्यक्ति)** को भी प्रतिबंधित करने के लिए किया जा सकता है।
    - इसका उपयोग प्राय: दूरसंचार सेवाओं को प्रतिबंधित करने और इंटरनेट को बंद करने का आदेश जारी करने के लिए किया जाता

है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के परिप्रेक्ष्य में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था।

- **आदेश की अवधि:** धारा 144 के अधीन कोई आदेश, उस आदेश के जारी होने की तिथि से **दो माह** से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, परंतु यदि राज्य सरकार आवश्यक समझती है तो वह अधिसूचना द्वारा इसे अतिरिक्त अवधि तक प्रवृत्त रखने के लिए मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकती है। फिर भी, यह अवधि **छह माह से अधिक नहीं** हो सकती है।

इन मुद्दों पर विस्तृत जानकारी

इंटरनेट पर प्रतिबंध (Internet shutdowns)

- भारत वैश्विक स्तर पर इंटरनेट शटडाउन के मामले में शीर्ष स्थान पर है। **सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (SFLC)** के अनुसार, वर्ष 2012 के उपरांत इंटरनेट शटडाउन के 381 मामले दर्ज किए गए हैं तथा केवल वर्ष 2019 में शटडाउन के 106 मामले दर्ज हुए।
- ज्ञातव्य है कि कश्मीर में जारी शटडाउन किसी भी लोकतांत्रिक देश में अब तक का सबसे लंबे समय तक जारी रहने वाला इंटरनेट शटडाउन है।
- **विधायी प्रावधान:**
  - इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के संबंध में **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973** और **भारतीय तार अधिनियम, 1885** के तहत कार्यवाही की जाती है।
  - वर्ष 2017 से पूर्व, CrPC की धारा 144 के तहत इंटरनेट के निलंबन के आदेश जारी किए जाते थे। लेकिन, वर्ष 2017 में, केंद्र सरकार ने इंटरनेट के निलंबन को शासित करने के लिए **तार अधिनियम** के तहत 'दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017' को अधिसूचित किया।
    - हालांकि, वर्ष 2017 के उक्त नियम के बावजूद, सरकार ने प्राय: CrPC की धारा 144 के तहत व्यापक शक्तियों का उपयोग किया है।

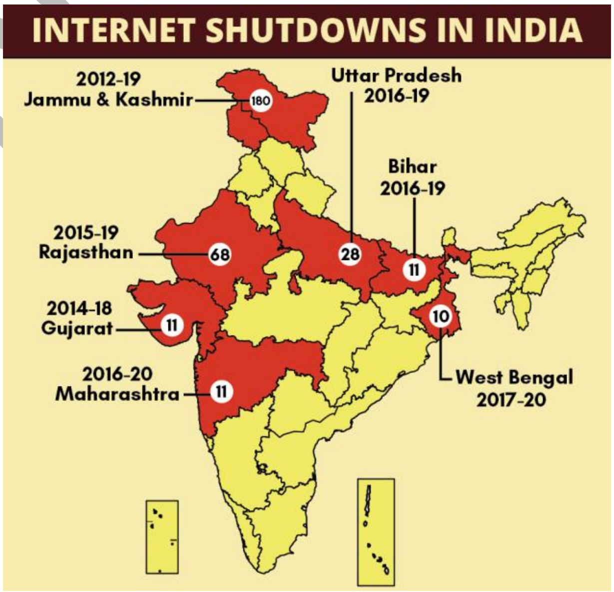

- **आर्थिक लागत:** भारत में वर्ष 2019 में संपूर्ण देश में इंटरनेट शटडाउन के कारण लगभग 1.3 बिलियन डॉलर से अधिक की हानि हुई थी। ज्ञातव्य है कि इस संदर्भ में भारत, इराक और सूडान के पश्चात् तीसरा सबसे अधिक आर्थिक रूप से प्रभावित देश बन गया है।
- **इंटरनेट शटडाउन के पक्ष में तर्क:**
  - खुफिया जानकारी के विश्लेषण के आधार पर इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंधित किया जाता है। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने हेतु प्रशासन द्वारा इसे एक निवारक उपाय के तौर पर उपयोग किया जाता है। सामूहिक विरोध प्रदर्शनों, नागरिक असंतोष जैसे मुद्दों से निपटने एवं शांति सुनिश्चित करने हेतु इसे अंतिम युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है।
  - कुछ ऐसी चरम स्थितियों में जहां व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित होने वाली अफवाहों के विघटनकारी प्रभाव हो सकते हैं, वहां इंटरनेट सेवाओं को बंद किया जाना आवश्यक हो जाता है।
- **इंटरनेट शटडाउन के विपक्ष में तर्क:**
  - कई इंटरनेट कार्यकर्ताओं, विधि विशेषज्ञों और मानवाधिकार एजेंसियों का यह मानना है कि इस बात के कोई वास्तविक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि इंटरनेट सेवाओं के बंद होने से वास्तविक रूप में सामूहिक विरोध प्रदर्शनों या नागरिक अशांति को रोकने में सहायता मिलती है।
  - **इंटरनेट शटडाउन मानव अधिकारों को कार्यपालिका के हाथों की कठपुतली बना देता है:** इससे वाक् एवं अभिव्यक्ति, व्यापार का संचालन करने, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, असंतोष व्यक्त करने और एक राज्य में लोगों की आवाजाही जैसे मूल अधिकारों का हनन होता है।
  - इंटरनेट सेवाओं को बंद करने से सूचनाओं का प्रवाह बाधित हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उन्माद, भय और अत्यधिक विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 (निलंबन नियम)

- इन नियमों का निर्माण **संचार मंत्रालय** द्वारा किया गया है और **भारतीय तार अधिनियम की धारा 5 (2)** द्वारा इन्हें शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस धारा में "भारत की प्रभुता और अखंडता" के हित में संदेशों को अंतरुद्ध या निरुद्ध करने के प्रावधान हैं।
- यह सरकार को लोक आपात या लोक सुरक्षा के हित में देश के किसी भी हिस्से में संदेशों के प्रसारण को प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदान करता है।
- इन नियमों के तहत इंटरनेट को निलंबित करने वाला कोई भी आदेश, केवल **निश्चित अवधि** के लिए ही जारी रह सकता है, **न कि अनिश्चित अवधि तक।**
- दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने के निर्देश **देश के गृह सचिव और किसी राज्य के गृह विभाग के सचिव** के अतिरिक्त कोई अन्य जारी नहीं कर सकता है तथा इस आदेश को पांच दिनों के भीतर एक समीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन ऑन इंटरनेट शटडाउन

- वर्ष 2016 में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा एक गैर-बाध्यकारी संकल्प का प्रकाशन किया गया था। इस संकल्प के माध्यम से सरकारों द्वारा इंटरनेट तक पहुँच में जान-बूझकर अवरोध उत्पन्न करने संबंधी किसी भी कदम की आलोचना की गयी है।
- यह प्रस्ताव इसकी पुष्टि करता है कि "लोगों को प्राप्त ऑफ़लाइन अधिकारों को ऑनलाइन रूप से भी संरक्षित किया जाना चाहिए"।

निष्कर्ष

- इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति ने समकालीन विश्व में प्रासंगिकता प्राप्त की है और यह सूचना के प्रसार का एक प्रमुख साधन बन गया है। इंटरनेट सेवाओं को ब्लॉक करने से पूर्व, आनुपातिकता और आवश्यकता के संबंध में परीक्षण करना आवश्यक है। इस बात पर अनिवार्यतः विचार किया जाना चाहिए कि क्या ऐसे उद्देश्य को अल्प हस्तक्षेप और अधिक प्रभावी समाधान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जैसे- पुलिस बल की तैनाती और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर परामर्श जारी करना।
- साथ ही, पारदर्शिता बनाए रखने हेतु, सरकारों को इसके कारणों, अवधि, विचार किए गए विकल्पों, निर्णयन अधिकारियों और जिन नियमों के तहत ये प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं, उन्हें प्रलेखित करना चाहिए तथा सार्वजनिक संवीक्षा के लिए इससे संबंधित दस्तावेजों को जारी करना चाहिए।

1.4. आधार रिपोर्ट (Aadhar Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आधार के लागू होने के दसवें वर्ष पर, एक डेवलपमेंट कंसल्टिंग फर्म **डालबर्ग** द्वारा 1,67,000 भारतीयों को कवर करते हुए **"स्टेट ऑफ़ आधार: ए पीपल्स पर्सपेक्टिव"** नामक रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट अन्य राष्ट्रों को भी सुभेद्य लोगों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के संबंध में मूल्यवान सीख प्रदान करती है।

इस रिपोर्ट के बारे में

- आधार के संबंध में डेटा-संचालित संवाद में योगदान देने हेतु वर्ष 2016 में "स्टेट ऑफ़ आधार" पहल की शुरुआत की गई थी।
- वर्ष 2019 के संस्करण में इस पहल के अंतर्गत देश भर के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1,67,000 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है।
- इस अध्ययन का उद्देश्य यह पहचान करना है कि आधार के कौन-से पहलू किस सीमा तक एवं किसके लिए कार्य कर रहे हैं और कौन-से कार्य नहीं कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि

- **आधार** भारत के सभी निवासियों के लिए **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)** द्वारा जारी **12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या** है।
  - आधार अधिनियम, 2016 {आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016} के प्रावधानों के तहत स्थापित UIDAI एक सांविधिक प्राधिकरण है। UIDAI, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत कार्य करता है।
- आधार में बायोमेट्रिक डेटा के साथ चार प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी, यथा- नाम, आयु, लिंग और पता को समाविष्ट किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, आधार में **वर्चुअल आई.डी.** जैसी नई विशेषताओं को शामिल किया गया है जो व्यक्ति की निजता को सुरक्षित रखने में सहायता करती है।

VISION IAS

- आधार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कल्याणकारी सेवाओं पर निर्भर देश के बहुसंख्यक निवासियों को कुशल, पारदर्शी और लक्षित तरीके से सेवा वितरण करने हेतु राज्य की क्षमता में सुधार करना रहा है।

इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- **आधार प्राप्त करना - नामांकन और अद्यतन:**
    - **सकारात्मक पक्ष:** वर्तमान में आधार भारत में पहचान (ID) हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय दस्तावेज है, जिसने अनुमानित 65-70 मिलियन व्यक्तियों को प्रथम पहचान दस्तावेज प्रदान किया है। कुछ राज्यों में 99% से अधिक आधार नामांकन स्तर प्राप्त कर लिया गया है। वहीं असम और मेघालय जैसे राज्यों में अपवादस्वरूप नामांकन स्तर 50% से भी कम बना हुआ है।
    - **चिंताएं:** वयस्कों और बच्चों के एक बड़ी संख्या को अभी भी आधार प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं आधार में नामांकित लोगों में से कुछ की आई.डी. में त्रुटियां विद्यमान हैं तथा अनेक लेन-देनों के संबंध में फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण विफल रहा है।
- **आधार का उपयोग:**
    - **सकारात्मक पक्ष:** भारत में आधार एक डिफ़ॉल्ट आई.डी. बन गया है। जिनके पास आधार है, वे नियमित रूप से और कई सेवाओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। वर्ष 2019 के इस संस्करण में 80% उत्तरदाताओं ने बताया कि आधार ने सरकार द्वारा वित्त पोषित कल्याणकारी सेवाओं की विश्वसनीयता में सुधार किया है।
    - **चिंताएं:** फिर भी, हाशिए पर स्थित समूहों द्वारा आधार-संबंधी समस्याओं के कारण सेवाओं से बहिष्करण का सामना किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, लगभग 34% भारतीयों ने अधिकाधिक सेवाओं से आधार को जोड़ने के संबंध में चिंताएं व्यक्त की हैं और इस प्रावधान के कारण उनमें किसी सेवा से वंचित होने का भय बना हुआ है। उदाहरण के लिए, प्रमुख कल्याणकारी सेवाओं (जैसे- सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मनरेगा, सामाजिक पेंशन) को आधार से जोड़े जाने के कारण लगभग 0.8% लोगों को बहिष्करण का सामना करना पड़ा है। उल्लेखनीय है कि आधार से पहले ये सेवाएँ उन्हें प्राप्त होती थी।
        - इसी प्रकार, अधिकांश स्कूलों में नामांकन के लिए न केवल एक परिवार के सदस्य के आधार की आवश्यकता होती है, बल्कि कुछ मामलों में, आधार ने बच्चों की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच को भी प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए, आधार संबंधी कठिनाइयों के कारण अनुमानित 15 मिलियन बच्चे मध्याह्न भोजन से वंचित हो गए थे।
- **धारणाएं, संतुष्टि और विश्वास:**
    - **सकारात्मक पक्ष:** 90% लोगों का विश्वास है कि उनका डेटा आधार प्रणाली में सुरक्षित है और कल्याणकारी योजनाओं के 61% लाभार्थियों का विश्वास है कि आधार ने अन्य लोगों को उनके लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने से रोका है।
    - **चिंताएं:** हालांकि, कुछ लोग अपने आधार के संभावित दुरुपयोग होने के संबंध में चिंतित हैं। उदाहरण के लिए, 2% लोगों द्वारा धोखाधड़ी का सामना किया गया है और इसके लिए उन्होंने आधार को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके कारण आधार के प्रति उनके विश्वास में कमी आई है।
- **विभिन्न राज्यों में उपयोगकर्ताओं का भिन्न-भिन्न अनुभव:** आधार का उपयोग और उपयोग की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति दोनों के संबंध में राज्यों में भिन्नताएं विद्यमान हैं। आधार का प्रदर्शन वस्तुतः कार्यान्वयन (जैसे- नामांकन केंद्रों की संख्या) और स्थानीय अवसंरचना (जैसे- मोबाइल डेटा कनेक्टिविटी) दोनों से संबंधित कारकों से प्रभावित होता है।

अन्य निष्कर्ष

- 95% वयस्कों और 75% बच्चों के पास आधार है।
- 8% लोगों (अनुमानित 102 मिलियन लोग) के पास आधार नहीं है।
- 80% लाभार्थियों का मानना है कि आधार ने PDS राशन, मनरेगा तथा सामाजिक पेंशन को और अधिक विश्वसनीय बना दिया है।

आगे की राह

- सेवाओं के संबंध में आधार को अनिवार्य करने संबंधी प्रत्येक निर्णय को सावधानीपूर्वक लिया जाना चाहिए, क्योंकि आधार को अनिवार्य बनाने से कल्याणकारी योजनाओं और अन्य सेवाओं से लोगों का बहिष्करण हो सकता है।
- आधार से संबंधित प्रक्रियाओं में सुधार समाज के सबसे सुभेद्य वर्गों को ध्यान में रखते हुए कुशल प्रणालियों को डिजाइन करके किया जाना चाहिए। जैसे-जैसे अधिक सेवाएं आधार से जुड़ती जाएँगी, वैसे ही आसान पहुँच के साथ-साथ बाधा रहित अद्यतन और प्रमाणीकरण कार्य अधिक महत्वपूर्ण होते जाएंगे।
- भिन्न-भिन्न राज्यों द्वारा आधार को भिन्न-भिन्न तरीकों से लागू किया गया है, जो एक-दूसरे की सफल प्रथाओं के आधार पर नवाचार करने और सीखने का अवसर प्रदान करती हैं।

इसलिए, सरकार, नागरिक समाज और निवासियों के संयुक्त प्रयास की सहायता से आधार को लोगों की परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए।

VISION IAS

1.5. शत्रु संपत्ति (Enemy Properties)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्तियों के विक्रय के संबंध में दो समितियों और एक मंत्री समूह के गठन की घोषणा की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह (Group of Ministers: GoM)** द्वारा 9,400 से अधिक शत्रु संपत्तियों के निपटान की निगरानी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इसके माध्यम से राजकोष में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये प्राप्त होनी की संभावना है।
- अचल शत्रु संपत्तियों के निपटान के लिए **दो अन्य उच्च-स्तरीय समितियां** भी गठित की जाएंगी।
    - शत्रु संपत्तियों के निपटान के लिए **एक अंतर-मंत्रालयी समूह** का भी गठन किया जाएगा और इसकी सह-अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव द्वारा की जाएगी।
    - परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर सचिवों के एक कोर ग्रुप (Core Group of Secretaries on Asset Monetisation: CGAM) का गठन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में किया जाएगा।

शत्रु संपत्तियों की स्थिति

- 1 लाख करोड़ रुपये मूल्य की 9,406 अचल शत्रु संपत्तियां, लगभग 272 करोड़ रूपए का शत्रु शेयर और 0.37 करोड़ रूपये मूल्य के स्वर्ण/आभूषण CEPI (कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ़ इंडिया) में निहित हैं।
- भारत में पाकिस्तानी नागरिकों की 9,280 और चीनी नागरिकों की 126 इस प्रकार की संपत्तियां विद्यमान हैं।
    - पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा भारत में छोड़ी गई कुल शत्रु संपत्तियों में से सर्वाधिक उत्तर प्रदेश (4,991) में स्थित हैं।
    - चीनी नागरिकों द्वारा भारत में छोड़ी गई संपत्तियों की सर्वाधिक संख्या मेघालय (57) में स्थित है।
- 2018-19 के दौरान लगभग 780 करोड़ रुपये के शत्रु शेयरों को बेच दिया गया था।

शत्रु संपत्ति

- जब एक राष्ट्र अन्य राष्ट्र/राष्ट्रों के साथ युद्ध में संलग्न होता है, तो उनके द्वारा प्रायः शत्रु देशों के नागरिकों की संपत्तियों और निगमों को जब्त कर लिया जाता है। इन परिस्थितियों में जब्त की गई संपत्तियों को 'विदेशी संपत्ति' या 'शत्रु संपत्ति' के रूप में संदर्भित किया जाता है।
    - इन संपत्तियों को जब्त करने के पीछे मूल विचार यह होता है कि एक शत्रु देश को युद्ध के दौरान दूसरे देश में स्थित अपनी संपत्ति से लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध तथा वर्ष 1965 और वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान केंद्र सरकार ने डिफेंस ऑफ़ इंडिया एक्ट (भारत रक्षा अधिनियम) के तहत भारत में स्थित चीन और पाकिस्तान के नागरिकों की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था।
    - शत्रु संपत्तियों के प्रशासन की ज़िम्मेदारी "भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक" (Custodian of Enemy Property for India: CEPI) को सौंपी गई है।
    - CEPI केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय है।

भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक (Custodian of Enemy Property for India: CEPI)

- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब्त की गई शत्रु संपत्तियों से निपटने के लिए CEPI के कार्यालय को वर्ष 1939 में स्थापित किया गया था।
- शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत CEPI के कार्यालय को सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया।
- वर्तमान में, CEPI का कार्यालय गृह मंत्रालय के **स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास प्रभाग** का अधीनस्थ कार्यालय है, जिसका मुख्य कार्यालय **नई दिल्ली** में है तथा इसकी तीन शाखाएं मुंबई, कोलकाता एवं लखनऊ में स्थित हैं।
- CEPI शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत एक **अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण** है तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक **दीवानी न्यायालय** के तौर पर कार्य करता है।

शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968

- डिफेंस ऑफ़ इंडिया एक्ट एक अस्थायी कानून था, जिसे युद्धों के समाप्त होने के पश्चात् स्थगित कर दिया गया था। युद्धों के दौरान जब्त की गई शत्रु संपत्ति के प्रबंधन के लिए, सरकार द्वारा वर्ष 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम को अधिनियमित किया गया था।
    - **"शत्रु संपत्ति"** से आशय ऐसी संपत्ति से है, जो तत्समय **शत्रु, शत्रु प्रजा (enemy subject) या शत्रु फर्म** की है या उसकी ओर से धारित या प्रबंधित है।

VISION IAS

- इस अधिनियम के अंतर्गत **"शत्रु"** शब्द से आशय एक ऐसे राष्ट्र (और उसके नागरिकों) से है, जिसने भारत के विरुद्ध बाह्य आक्रमण किया है (अर्थात्, पाकिस्तान और चीन)।
  - इस अधिनियम के तहत CEPI को शत्रु संपत्ति के निरंतर प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
  - यह अधिनियम शत्रु संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए CEPI की शक्तियां निर्धारित करता है।
- शत्रु संपत्ति अधिनियम द्वारा शत्रु नागरिकों को CEPI में निहित उनकी संपत्ति के संबंध में कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। लेकिन इन संपत्तियों को प्रशासित करने संबंधी CEPI के अधिकारों और शक्तियों के संबंध में विद्यमान अस्पष्टता के परिणामस्वरूप विवाद उत्पन्न हुए हैं, जैसे- शत्रु संपत्ति के वारिस या उत्तराधिकारी के अधिकार।

शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017

- शत्रु संपत्तियों पर नियंत्रण को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु, संसद द्वारा **"शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017"** {Enemy Property (Amendment and Validation) Act, 2017} अधिनियमित किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
  - यह अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात् वर्ष 1968 से CEPI को शत्रु संपत्तियों का स्वामी बनाता है। अभिरक्षक (CEPI), केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से व इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, शत्रु संपत्तियों का चाहे विक्रय द्वारा या अन्य किसी प्रकार से निपटारा/व्ययन कर सकता है।
    - हालांकि, केंद्र सरकार यह निर्देश जारी कर सकती है कि शत्रु संपत्ति का व्ययन (निपटान) अभिरक्षक के बजाए किसी अन्य प्राधिकरण या मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाएगा।
  - यह अधिनियम वर्ष 1968 से शत्रु द्वारा विक्रय की गयी शत्रु संपत्तियों की विधिक बिक्री को **शून्य** (अमान्य) घोषित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब इस प्रकार की बिक्री और खरीद कानूनी रूप से वैध थी, तब उस समय किसी व्यक्ति द्वारा नेक नीयत से खरीदी गई संपत्ति पर अब कोई अधिकार नहीं रहेगा।
  - यह अधिनियम शत्रुओं के विधिक वारिस भारतीय नागरिकों को उत्तराधिकार के रूप में शत्रु संपत्ति को प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है तथा उन्हें 'शत्रु' की परिभाषा के तहत शामिल करता है।
    - **"शत्रु प्रजा" और "शत्रु फर्म" शब्द की विस्तारित परिभाषा** के तहत एक शत्रु के विधिक वारिस और उत्तराधिकारी, चाहे वह भारत का नागरिक हो या शत्रु देश से इतर किसी अन्य देश का नागरिक हो; तथा एक शत्रु फर्म की उत्तरवर्ती फर्म (इनके सदस्यों या भागीदारों की राष्ट्रीयता पर विचार किए बिना) शामिल हैं।
  - यह अधिनियम सिविल न्यायालयों और अन्य अधिकारियों को शत्रु संपत्ति से संबंधित कुछ विवादों की सुनवाई करने से प्रतिबंधित करता है।

वर्ष 2017 के संशोधनों से संबंधित प्रमुख मुद्दे:

- वर्ष 1968 का अधिनियम, शत्रु संपत्ति के शत्रु से अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरण की अनुमति प्रदान करता है। जबकि, संशोधित अधिनियम ऐसे सभी हस्तांतरणों को शून्य घोषित करता है। यह कदम मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो सकता है।
- शत्रु संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद की सुनवाई करने से सिविल न्यायालयों को प्रतिबंधित करना, न्यायिक सहायता प्राप्त करने या पीड़ित व्यक्तियों की न्यायालयों तक पहुंच को सीमित करता है।
- यह कोई वैकल्पिक न्यायिक समाधान (जैसे- अधिकरण) प्रदान नहीं करता है।

वर्तमान कदम का महत्व

- इस निर्णय से शत्रु संपत्तियों का मुद्रीकरण किया जा सकेगा जो वर्ष 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम के लागू होने के पश्चात् से ही निष्क्रिय हैं।
- इसकी बिक्री से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए किया जा सकेगा।

1.6. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का विनियमन (Regulating Minority Educational Institutions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्य, राष्ट्र हित में अल्पसंख्यक संस्थानों को विनियमित कर सकते हैं।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- उच्चतम न्यायालय ने **पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008** की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्णय दिया। इस अधिनियम के द्वारा अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक आयोग का गठन किया गया था।
- इस अधिनियम की वैधता को बनाए रखते हुए, उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि "अल्पसंख्यक संस्थानों के हित को प्रभावित किए बिना यदि ऐसे कदम का उद्देश्य अल्पसंख्यक संस्थानों में उत्कृष्टता (शिक्षकों की नियुक्ति के मामले सहित) सुनिश्चित करना है, तो यह अनुमत है"।
- न्यायालय ने इस मामले पर निर्णय देने के क्रम में **टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य वाद** को भी संदर्भ के तौर पर प्रस्तुत किया।

टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य वाद, 2002

- इस वाद में, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि **अनुच्छेद 30 (1)** के तहत मूल अधिकार "न तो निरपेक्ष हैं और न ही विधि से ऊपर हैं"।
- इस वाद में, न्यायालय द्वारा निम्नलिखित सिद्धांत प्रस्तुत किए गए:
    - राष्ट्र हित में निर्मित कोई विनियमन अनिवार्यतः सभी संस्थानों पर लागू होना चाहिए, भले ही वे बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक द्वारा संचालित किए जा रहे हों, क्योंकि अनुच्छेद 30 (1) का सार बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ समान व्यवहार करना है।
        - हालाँकि, सरकार के विनियमन संस्था के अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट नहीं कर सकते हैं।
- यदि अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शैक्षणिक संस्थान के साथ प्रतिकूल व्यवहार किया जाता है, तो इस संबंध में आपत्ति दर्ज की जा सकती है।
- लेकिन, यदि शैक्षणिक संस्थानों में उत्कृष्टता सुनिश्चित करना एक नियामक व्यवस्था की स्थापना के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत है और शिक्षकों के चयन का तंत्र संस्थानों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो उस स्थिति में मामला पूरी तरह से भिन्न हो सकता है।

अल्पसंख्यक संस्थानों को विनियमित करने वाले संवैधानिक प्रावधान

- संविधान का **अनुच्छेद 30** अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 30 (1)** के तहत, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
- **अनुच्छेद 30 (2)** में यह उल्लेख है कि, शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक-वर्ग के प्रबंध में है।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान (Minority Educational Institutions: MEIs)

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (National Commission for Minority Educational Institutions: NCMEI) अधिनियम, MEI को वैसे कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान के रूप में परिभाषित करता है जो किसी अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित हैं।
- भारतीय संविधान में 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित **नहीं** किया गया है। ज्ञातव्य है कि NCMEI अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समुदाय को 'अल्पसंख्यक' के तौर पर परिभाषित किया गया है।
    - भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, भारत में कुल 6 अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हैं - **मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी** और **जैन।**
    - केंद्र सरकार द्वारा आज तक किसी भी भाषाई अल्पसंख्यक को अधिसूचित नहीं किया गया है। इस प्रकार, भाषाई अल्पसंख्यक NCMEI के दायरे से बाहर हैं।
- **पात्रता मापदंड:**
    - शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किया जाना चाहिए।
    - यदि इसका संचालन किसी ट्रस्ट/पंजीकृत सोसायटी द्वारा किया जाता है, तो इसके अधिकांश सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होने चाहिए।
    - इसकी स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए होनी चाहिए।
- ऐसे संस्थानों के मान्यता और प्रमाणन के संबंध में कुछ राज्यों ने स्वयं के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- एक बार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा दिए जाने के पश्चात्, आवधिक रूप से इसके नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

VISION IAS

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों (MEIs) को प्राप्त अधिकार

- प्रतिनिधियों पर नियंत्रण के संबंध में, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अन्य संस्थानों की तुलना में अत्यधिक शक्तियां प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षक और प्राचार्यों के चयन के संदर्भ में, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के पास एक सलाहकार समूह के गठन का विकल्प होता है, जिसमें विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता है।
- MEIs संविधान के **अनुच्छेद 15** के तहत आरक्षण नीति के दायरे से बाहर होते हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने MEIs का समर्थन करते हुए यह माना कि इन्हें पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है।
- छात्र के प्रवेश के मामले में, MEI में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए 50 प्रतिशत तक आरक्षण के प्रावधान किए जा सकते हैं।
- **अनुच्छेद 30** में यह उल्लेख है कि राज्य द्वारा ऐसे संस्थानों की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के मामले में, संस्था को उचित मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए।
- उल्लेखनीय है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 की धारा 12 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से 25% के आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन यह प्रावधान MEI पर लागू नहीं होता है। हालाँकि, SC ने यह निर्णय दिया है कि अल्पसंख्यक संस्थानों के तौर पर संचालित सभी विद्यालयों को RTE अधिनियम के तहत निर्धन बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित कर उन्हें मुफ्त प्रवेश देना होगा।
- ये संस्थान अपनी पृथक शुल्क संरचना रख सकते हैं, लेकिन इन्हें कैपिटेशन शुल्क प्रभारित करने की अनुमति नहीं है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (National Commission for Minority Educational Institutions: NCMEI)

NCMEI, एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, जो संपूर्ण भारत में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के प्रमाणन को विनियमित करता है।

- इसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है और इसके तीन सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।
- इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। इस तरह के मामलों में इसे आरंभिक और अपीलीय अधिकारिता प्राप्त हैं, जैसा कि **जोसेफ ऑफ़ क्लूनी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य वाद** में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है।
- आयोग को अधिनिर्णय और परामर्शी शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- यह एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के विश्वविद्यालय के रूप में प्रमाणन संबंधी विवादों का निर्णय करता है।
- इसे स्वत: संज्ञान के आधार पर अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने और प्रशासित करने संबंधी अल्पसंख्यकों के अधिकारों से उन्हें वंचित करने या उनके उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करने की शक्ति प्राप्त है।
- यह अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित अपनी पसंद के संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति और विशेषता को बढ़ावा देने तथा संरक्षित करने के उपायों को निर्दिष्ट करता है।
- यह अनुदान की शर्तों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को प्रदत्त अल्पसंख्यक दर्जे को भी निरस्त कर सकता है।

भाषाई अल्पसंख्यक संस्थानों (Linguistic minority institutions: LMIs) से संबंधित मुद्दे

- संविधान के **अनुच्छेद 350 (B)** के तहत स्थापित "राष्ट्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयोग" (NCLM) के पास NCMEI की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त हैं।
- यह केवल भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सुरक्षोपायों की समीक्षा कर सकता है और अपने निष्कर्षों के आधार पर संसद को सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है।

इस निर्णय का महत्व

- **कुप्रबंधन पर अंकुश:** कई निजी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार आदि से ग्रसित हैं। उदाहरण के लिए, गैर-अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को अल्पसंख्यक सीटें आवंटित करना।
- **दोहरे उद्देश्यों के मध्य संतुलन:** अर्थात् एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और दूसरी ओर अल्पसंख्यकों के अपने शैक्षणिक संस्थानों के संचालन के अधिकारों का संरक्षण।
    - इसके लिए, उच्चतम न्यायालय ने अग्रलिखित दो श्रेणियों में विभाजित शिक्षा के मध्य विभेद किया है- **प्रथम,** धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और **द्वितीय,** धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक की विशेषताओं को प्रत्यक्षत: संरक्षित करने वाली शिक्षा।
        - उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा प्रथम को विनियमित किया जा सकता है, जबकि द्वितीय मूल अधिकार को समर्थन प्रदान करती है।

1.7. राज्यों में 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' के लिए कोटा (EWS Quota in States)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि राज्य सरकारें यह निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू किया जाए या नहीं।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- तमिलनाडु और कर्नाटक में EWS कोटे के कार्यान्वयन के लिए दायर एक जनहित याचिका का उत्तर देते हुए, केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया है कि:
    - राज्य सरकार की आरक्षण नीति को निर्धारित करने में केंद्र की कोई भूमिका नहीं है।
    - राज्य सरकारें यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि क्या राज्य सरकार की नौकरियों और राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए EWS हेतु 10% आरक्षण लागू किया जाए या नहीं।
- **103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को अंतःस्थापित कर सामान्य वर्ग में EWS के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है।**
    - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित 50% आरक्षण नीति के तहत कवर न किए गए निर्धन लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु इसे अधिनियमित किया गया है।
    - सरकार को EWS की उन्नति के लिए विशेष उपाय करने में सक्षम बनाने हेतु अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया है।
    - शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु ऐसे वर्गों के लिए 10% तक सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में इस प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होगा।
    - नवीन अंतःस्थापित अनुच्छेद 16(6) सरकार को नागरिकों के "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" के लिए सभी पदों के 10% तक सीटों को आरक्षित करने की अनुमति प्रदान करता है।
    - EWS के लिए 10% तक का आरक्षण संबंधी प्रावधान SC, ST और OBCs के लिए 50% आरक्षण की मौजूदा आरक्षण सीमा के अतिरिक्त होगा।
    - केंद्र सरकार द्वारा पारिवारिक आय और प्रतिकूल आर्थिक स्थिति के अन्य संकेतकों के आधार पर EWS को अधिसूचित किया जाएगा।

1.8. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Services)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एक कानूनी थिंक टैंक **विधि** द्वारा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) के प्रस्ताव पर पुनः चर्चा की गयी।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1958 में विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट में सर्वप्रथम AIJS के सृजन का विचार प्रस्तुत किया गया था।
- वर्ष 1996 में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (न्यायमूर्ति जगन्नाथ शेट्टी आयोग) ने भी जिला न्यायाधीश-स्तर पर इसकी अनुशंसा की थी।
- वर्ष 1976 में **स्वर्ण सिंह समिति** की अनुशंसा के पश्चात्, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को शामिल करने के लिए संविधान के **अनुच्छेद 312** (अखिल भारतीय सेवाओं का गठन) में संशोधन किया गया था।
- वर्तमान में, जिला न्यायाधीशों और अधीनस्थ न्यायपालिका की नियुक्तियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती हैं।

AIJS की आवश्यकता क्यों?

- **रिक्त पदों को भरने के लिए:** यह भारत में जिला एवं अधीनस्थ न्यायपालिका के लगभग 5,000 रिक्त पदों को भरने में सहायता प्रदान करेगी, जैसा कि वर्ष 2013 में विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी।
- **न्याय की गुणवत्ता को समृद्ध करने के लिए:** चूंकि न्यायिक अकादमियां उचित प्रशिक्षण प्रदान करती हैं और उच्च न्यायालय उनके कार्यों में नवाचार हेतु चिन्हित मापदंडों के अंतर्गत स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, इसलिए इससे जिला न्यायाधीशों की दक्षता में पर्याप्त वृद्धि होगी तथा यह उनके निर्णयों से उत्पन्न होने वाली अपीलों की संख्या को कम करेगा।
- **राज्य तंत्र में विद्यमान अंतराल (कमियों) को दूर करने हेतु:** वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत उच्च न्यायालयों या राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा जिला न्यायपालिका हेतु न्यायाधीशों की भर्ती की जाती है तथा यह तंत्र विभिन्न कमियों, विलंब की समस्या और अक्षमता से युक्त है।
    - इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए इन सीमित नियुक्तियों को भी उच्चतर न्यायपालिका में चुनौती दी जाती है, जिसके कारण न्यायपालिका योग्य उम्मीदवार की सेवाओं से वंचित हो जाती है।
- **उच्च प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए:** यह पारदर्शी एवं कुशल नियुक्ति पद्धति के माध्यम से बेहतर प्रतिभाओं को जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करने में सहायता प्रदान करेगी। यह नौकरी में संतुष्टि और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को अधिक महत्वपूर्ण बनाता है जो युवा पुरुषों और महिलाओं को प्रेरित करता है तथा उनके भ्रष्ट होने की संभावना कम हो जाती है।
- **सहकारी संघवाद:** एक एकीकृत न्यायपालिका, समान विधियों और एक अखिल भारतीय न्यायपालिका के माध्यम से सहकारी संघवाद की अवधारणा को संस्थागत बनाने में सहायता प्रदान करती है।
- **बेहतर बार-पीठ संबंध (Better Bar-Bench relation):** उच्च गुणवत्ता वाले न्यायाधीश तथा अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध से न्यायपालिका को बेहतर बनाने में सहायता प्राप्त होती है। वर्तमान परिस्थिति में यह एक वांछनीय सुधार है।

VISION IAS

AIJS के बारे में

- इसका उद्देश्य जिला न्यायाधीश के पद के लिए एक केंद्रीकृत कैडर का गठन करना है, जिन्हें एक अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से केंद्र द्वारा भर्ती किया जाएगा और अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) के आधार पर प्रत्येक राज्य में नियुक्त किया जाएगा।
- इसे न्यायिक पदों में विद्यमान रिक्तियों, हाशिए पर स्थित समुदायों के अल्प प्रतिनिधित्व की समस्या और बेहतर प्रतिभा को आकर्षित करने में विफलता के समाधान के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भाषा में दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों की कार्यवाही संचालित की जानी चाहिए।
- केवल उच्च न्यायालयों को अपनी कार्यवाही का संचालन अंग्रेजी भाषा में करना आवश्यक है। हालांकि, कुछ उच्च न्यायालयों को विशेष छूट प्राप्त है, जो हिंदी भाषा में अपनी कार्यवाही का संचालन करते हैं।

AIJS से संबंधित मुद्दें

- **केंद्रीकरण और संघवाद को लेकर वाद-विवाद की आशंका:** AIJS के गठन के उपरांत, राज्य सरकारों द्वारा जिला न्यायाधीशों की भर्ती और नियुक्ति की शक्तियों (अनुच्छेद 233) को एक केंद्रीकृत प्रणाली (जैसा कि वर्तमान में अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के लिए व्यवस्था है) में हस्तांतरित किया जाएगा।
  - अनुच्छेद 233 के अनुसार, किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा।
- **भाषा की समस्या:** जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के स्तर तक स्थानीय भाषा में कार्यवाही आयोजित की जाती हैं एवं अधिनिर्णय स्थानीय भाषा में लिखे जाते हैं।
  - AIJS प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले न्यायाधीश राज्य की भाषा / रीति-रिवाजों से परिचित नहीं भी हो सकते हैं, जिसके कारण उन न्यायाधीशों द्वारा विभिन्न मामलों में प्रदत्त निर्णयों से स्थानीय आबादी की दृष्टि में न्यायिक प्रणाली की वैधता प्रभावित हो सकती है और इसकी दक्षता अत्यल्प हो सकती है।
- **न्यायपालिका की स्वतंत्रता:** वर्तमान में, जिला न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को गारंटी इस तथ्य से प्राप्त होती है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदच्युति में उच्च न्यायालय महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। AIJS के गठन से यह नियंत्रण विकृत या दुर्बल हो सकता है तथा इसके कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता में और अधिक ह्रास होगा।
  - इस तथ्य की भी आशंका व्यक्त की गई है कि भारतीय न्यायिक सेवा अधीनस्थ राज्य न्यायिक सेवा के सदस्यों के पदोन्नति के अवसर को काफी हद तक प्रभावित करेगी या अत्यल्प कर देगी।
- **आरक्षण और परीक्षा पद्धति को लेकर आशंका:** वर्तमान में अनेक समुदाय जो राज्य कोटा से लाभान्वित होते हैं, उनके द्वारा AIJS के सृजन का विरोध किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के रूप में मान्यता प्राप्त समुदायों को केंद्र सरकार द्वारा OBC के रूप में वर्गीकृत किया भी जा सकता है और नहीं भी।
  - जहाँ एक ओर AIJS को न्यायपालिका में हाशिए पर स्थित समुदायों के प्रतिनिधित्व की कमी के समाधान के तौर प्रस्तुत किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अनेक राज्य पहले से ही हाशिए पर स्थित समुदायों और महिलाओं के लिए पदों को आरक्षित कर रहे हैं।
  - एक "राष्ट्रीय परीक्षा" का विचार अल्प विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के लोगों का न्यायिक सेवाओं में प्रवेश अवरुद्ध कर सकता है।
  - **स्थानीय विधि:** इसके द्वारा स्थानीय विधियों, प्रथाओं और रीति-रिवाजों को अनदेखा किया जा सकता है, जबकि ये अलग-अलग राज्यों में बहुत हद तक भिन्न-भिन्न होते हैं। इसके कारण AIJS के माध्यम से चयनित किए गए न्यायाधीशों के लिए प्रशिक्षण की लागतों में अत्याधिक वृद्धि हो सकती है।

आगे की राह

- यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि AIJS द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा (नियुक्ति की प्रक्रिया से लेकर पदच्युति की प्रक्रिया तक) केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, दोनों के प्रभाव से ग्रसित न हो।
  - विधि आयोग की 116 वीं रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त और सेवारत न्यायाधीश, बार एसोसिएशन के सदस्यों और विधिक शिक्षाविदों से मिलकर गठित प्रस्तावित **राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग** द्वारा ही AIJS में नियुक्तियां, पदस्थापनाएं और पदोन्नति की जानी चाहिए।
- देश की न्यायिक व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन राज्यों और उच्च न्यायालयों के परामर्श से किया जाना चाहिए।
- निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों में बड़ी संख्या में रिक्तियों के कारणों और वजहों की जांच करना अधिक विवेकपूर्ण निर्णय हो सकता है।

VISION IAS

- AIJS में चयनित व्यक्तियों हेतु एक और भाषा के चयन के मामले में गहन प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। यह कदम निश्चित रूप से राज्य की स्थानीय भाषा की पर्याप्त समझ विकसित करने में सहायता प्रदान करेगा।

1.9. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (Fast Track Special Courts)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विधि और न्याय मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन (National Mission for Safety of Women: NMSW) के एक भाग के रूप में, बलात्कार और POCSO अधिनियम से जुड़े मामलों के निपटान हेतु 1,023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) स्थापित करने के लिए एक योजना प्रारंभ की है।

इस योजना से संबंधित अन्य तथ्य

- वर्तमान समय में देश में 389 ऐसे जिले हैं जहां "लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012" (Protection of Children from Sexual Offences: POCSO) के तहत लंबित मामलों की संख्या 100 से अधिक है। इस योजना के अंतर्गत उक्त प्रत्येक जिले में एक वर्ष हेतु एक स्पेशल POCSO कोर्ट (FTSC) की स्थापना की जाएगी।
- इस योजना का वित्तपोषण केंद्र प्रायोजित योजनाओं के आधार पर किया जाएगा, जहां योजना के 60% भाग का योगदान केंद्र सरकार तथा 40% भाग का योगदान राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा किया जाता है।
- बलात्कार और POCSO अधिनियम से जुड़े मामलों में सजा के प्रावधान को और अधिक कठोर करने तथा ट्रायल कार्य (त्वरित सुनवाई) एवं मामले के शीघ्र निपटान हेतु भारत सरकार ने दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 {Criminal Law (Amendment) Act, 2018} अधिनियमित किया है।
    - इसलिए, वर्ष 2018 के इस अधिनियम के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने के दृष्टिकोण से बलात्कार और POCSO अधिनियम के मामलों के समयबद्ध रूप से निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट्स का गठन एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है।
- ये 1,023 FTSCs विभिन्न अदालतों में लंबित बलात्कार और POCSO अधिनियम से जुड़े 1,66,882 मामलों का निपटारा करेंगे।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का विकास

- वर्ष 2000 में, 11वें वित्त आयोग ने निचली अदालतों में दीर्घावधि से लंबित मामलों (विशेष रूप से विचाराधीन मामलों) के शीघ्र निपटान हेतु 1,734 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स (FTCs) के गठन के लिए एक योजना की सिफारिश की।
- राज्य सरकारों द्वारा संबंधित उच्च न्यायालयों से परामर्श के पश्चात् प्रत्येक जिले में पाँच वर्षों (वर्ष 2000-05) के लिए औसतन 5 FTCs की स्थापना की जानी थी।
- इन FTCs के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति तदर्थ आधार पर की गई थी। उच्च न्यायालयों ने इन्हें उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, अर्ह न्यायिक अधिकारियों और बार एसोसिएशन के सदस्यों में से चयनित किया था।
- वर्ष 2005 तक केवल 1,562 FTCs कार्यरत थे। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के उपरांत यह योजना वर्ष 2010-11 तक संचालित हुई। लेकिन वर्ष 2011 के अंत तक, FTCs की संख्या घटकर केवल 1,192 रह गई थी।
- तदुपरान्त, केंद्र सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। हालाँकि, राज्य सरकारें अपने स्वयं के धन से FTCs की स्थापना कर सकती थीं।
- हालांकि, यदि राज्य सरकारें FTCs को जारी रखने का निर्णय लेती हैं तो उन्हें इसे एक स्थायी कोर्ट के रूप में गठित करना होगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों ने FTCs की स्थायी स्थापना के विकल्प का चयन किया है।
- वर्ष 2012 में दिल्ली में घटित एक सामूहिक बलात्कार के मामले के उपरांत, **वर्मा समिति** की रिपोर्ट में त्वरित न्याय की संकल्पना पर बल दिया गया तथा राज्यों से यौन उत्पीड़न के मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए FTSCs स्थापित करने का अनुरोध किया गया।

FTSCs से संबंधित मुद्दें

- **संस्थागत मुद्दे:** इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: अपर्याप्त कर्मचारी और आई.टी. अवसंरचना, अपर्याप्त कर्मियों से जूझ रहे फॉरेंसिक साइंस लैब से रिपोर्ट प्राप्त करने में विलंब, पीड़ितों की सहायता हेतु विभिन्न सेवाओं का अभाव, पीड़ितों/गवाहों के सुरक्षोपायों का अभाव, अव्यावहारिक कार्यस्थगन इत्यादि।
    - यौन अपराधों से जुड़े मामलों से निपटने के लिए न्यायाधीशों, अभियोजकों और अदालत के अन्य कर्मचारियों के मध्य प्रशिक्षण की कमी।
    - इसके कारण अत्यधिक संख्या में शिकायतकर्ताओं और गवाहों के प्रतिपक्षी (हॉस्टाइल) होने के उदाहरण सामने आते हैं।
- **न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या:** अधिकांशत: नई नियुक्तियां नहीं की जाती हैं और जब राज्य द्वारा वर्तमान व्यवस्था में कार्यरत न्यायाधीशों से कार्य निष्पादित कराया जाता है तो उनकी अनुपस्थिति से शेष न्यायाधीशों के कार्यभार में केवल वृद्धि होती है।
    - इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय की 'कोर्ट न्यूज' के डेटा से प्रकट होता है कि जब कर्नाटक में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई, तब भी लंबित मामलों की संख्या कम नहीं हुई। इसी प्रकार के रुझान महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में देखे गए।

VISION IAS

- **विधायी स्पष्टता का अभाव:** ऐसा कोई स्पष्ट विधायी आधार मौजूद नहीं है जो इन न्यायालयों के उद्देश्य या फास्ट ट्रैक पद्धति से इनके विशिष्ट कार्य-संचालन और इनके द्वारा अनुसरण की जाने वाली समयबद्ध प्रक्रियाओं को स्थापित करता हो।
    - इस प्रकार, वे तकनीकी रूप से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की तुलना में विशेष न्यायालय हैं।
- **प्रतिपुष्टि एवं अद्यतन का अभाव (Lack of feedback and updation):** लगभग एक दशक पूर्व इनकी स्थापना से लेकर अब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की अवधारणा में कोई उल्लेखनीय विकास नहीं हुआ है।

भारत में लंबित मामलें

- अगस्त 2019 तक, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में 3.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित थे।
- इनमें से 87.3% मामले अधीनस्थ न्यायालयों में और 12.5% मामले 24 उच्च न्यायालयों में लंबित थे।
- वर्ष 2017 तक, उच्च न्यायालयों में 1,079 न्यायाधीशों की अधिकृत संख्या की तुलना में 403 पद रिक्त थे, जबकि अधीनस्थ न्यायालयों में 5,706 न्यायाधीशों की अधिकृत संख्या की तुलना में 22,704 पद रिक्त थे।
- वर्ष 2006 और वर्ष 2017 के मध्य, उच्च न्यायालयों में रिक्तियों की संख्या 16% से बढ़कर 37% और अधीनस्थ न्यायालयों में 19% से बढ़कर 25% हो गई।

आगे की राह

- न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के अतिरिक्त, महानगरीय और दूर-दराज के गैर-महानगरीय दोनों क्षेत्रों पर समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।
- FTSCs के दैनिक कामकाज को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण संस्थागत मुद्दों (यथा- न्यायालय के अपर्याप्त कर्मचारी और अनुपयुक्त आधारभूत संरचना) पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- विशेष अदालतों की स्थापना के पश्चात्, उनके प्रदर्शन और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए आवधिक निगरानी और मूल्यांकन व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए।
- न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों का उनकी अभिवृत्ति, ज्ञान एवं कौशल के आधार पर चयन किया जाना चाहिए तथा उन्हें संवेदनशीलता संबधी विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- अन्य न्यायालयों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग के तंत्र को विकसित किया जाना चाहिए।
- व्यापक कानूनों के अंतर्गत पीड़ितों के लिए व्याख्याता, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य सेवाओं सहित पीड़ित सहायता सेवाओं, उन्हें सुरक्षा में गवाही देने तथा अनुभव होने वाले आघात को कम करने में सक्षम बनाने से संबंधित प्रावधान किए जाने चाहिए।

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. नई एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकी प्रभाग (New and Emerging Strategic Technologies Division)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विदेश मंत्रालय ने **नई एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकियों (New and Emerging Strategic Technologies: NEST)** के लिए एक **नए प्रभाग** की स्थापना करने की घोषणा की है।

NEST के बारे में

- यह नई एवं उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित मुद्दों के लिए विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक **नोडल प्रभाग** के रूप में कार्य करेगा।
- **उद्देश्य:**
  - उभरती हुई प्रौद्योगिकियों एवं प्रौद्योगिकी-आधारित संसाधनों के संदर्भ में विदेश नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी निहितार्थों का आकलन करना।
  - संयुक्त राष्ट्र, G-20 जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारतीय हितों की रक्षा के लिए विचार-विमर्श को सुगम बनाना।
  - तकनीकी आधारित कूटनीतिक कार्यों के लिए इस मंत्रालय के भीतर मानव संसाधन क्षमता का निर्माण करना।
  - 5G और कृत्रिम बुद्धिमता के क्षेत्र में विदेशी भागीदारों के साथ सहयोग स्थापित करना।

उभरती प्रौद्योगिकियाँ (Emerging Technologies)

- यह सामान्यतः उन प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करता है जिन्हें वर्तमान समय में विकसित किया जा रहा है, या जिनका अगले पांच से दस वर्षों के भीतर उपलब्ध होना अपेक्षित है। यह सामान्यतः उन प्रौद्योगिकियों को भी संदर्भित करता है जो महत्वपूर्ण सामाजिक या आर्थिक प्रभाव सृजन कर रही हैं, या सृजन करने हेतु अपेक्षित हैं।
- इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।

विदेशी संबंधों के संदर्भ में उभरती हुई प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलू

- **डिजिटल कूटनीति:** यह कूटनीति के संचालन में प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग, विशेष रूप से इंटरनेट और अन्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचारों को संदर्भित करता है। डिजिटल उपायों की राजनयिक गतिविधियों से संबंधित वार्ताओं, नीतिगत प्रक्रियाओं और संकट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं।
  - उदाहरण के लिए, वर्ष 2015 और वर्ष 2016 में जीका वायरस के प्रकोप का अनुभव करने के बावजूद, सोशल मीडिया का उपयोग करके ब्राजील की सरकार ने वर्ष 2016 के ओलंपिक के लिए अपनी तैयारियों के बारे में वैश्विक समुदाय का विश्वास अर्जित करने में सफलता प्राप्त की थी।
- **प्रौद्योगिकी और शक्ति-संतुलन:** उभरती प्रौद्योगिकियां मुख्य रूप से **सैन्य और आर्थिक साधनों के माध्यम से शक्ति-संतुलन को आकार प्रदान करती हैं।** युद्ध लड़ने और जीतने के लिए प्रौद्योगिकियाँ प्रत्यक्ष रूप से देशों की क्षमताओं को प्रभावित कर सकती हैं। वे अप्रत्यक्ष रूप से किसी देश की आर्थिक शक्ति को प्रभावित करके भी शक्ति-संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं।
- **सुरक्षा संबंधी खतरे:** गैर-राज्य अभिकर्ताओं, जैसे- आतंकवादी संगठनों, द्वारा भर्ती उद्देश्यों, वित्त-संबंधी लामबंदी, अवैध निगरानी आदि के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना चिंता का विषय है।
- **विज्ञान कूटनीति:** विज्ञान के लिए कूटनीति का आशय है कि द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अथवा वैश्विक स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने हेतु कूटनीति का उपयोग करना।
  - वैश्विक स्तर पर बढ़ती चुनौतियां, जैसे- सामूहिक विनाश के हथियार, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, बाह्य अंतरिक्ष आदि सभी को समझने तथा उनसे निपटने के लिए वैज्ञानिक इनपुट की आवश्यकता होती है। ये चुनौतियां भौगोलिक सीमाओं से स्वतंत्र हैं तथा इन्हें सामान्य कूटनीतिक प्रयासों से सुलझाने के अतिरिक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की आवश्यकता है।
- **प्रौद्योगिकी तक पहुंच: "प्राप्तकर्ता" और "अप्राप्तकर्ता" के मध्य का अंतराल** भविष्य में संघर्ष का कारण साबित हो सकता है। इन तकनीकियों तक अपर्याप्त पहुंच नवीन आर्थिक एवं सैन्य विषमता उत्पन्न कर सकती है।
- **सॉफ्ट पावर:** लोगों के निवास विकल्पों में वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक और सार्वजनिक कल्याण को बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकियों को साझा करना विदेश नीति में एक बहुत बड़ा लाभ प्रदान करता है।
- **आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप:** बिग डेटा एवं कृत्रिम बुद्धिमता के उपयोग के माध्यम से धारणात्मक हेरफेर (opinion manipulations) विश्व भर के लोकतंत्रों के समक्ष एक बड़ा खतरा है।
  - भारतीय चुनाव में कैम्ब्रिज एनालिटिका की कथित भूमिका और वर्ष 2016 के अमेरिकी चुनावों में कथित रूसी हस्तक्षेप इसके प्रमाण हैं।

भारत के समक्ष चुनौतियां

- **तकनीकी प्रतिनिधियों की कमी:** भारत के पास तकनीकी कूटनीति के क्षेत्र में विशेषज्ञों या मौजूदा राजनयिकों को प्रशिक्षित करने हेतु एक प्रभावी भर्ती और प्रशिक्षण तंत्र का अभाव है।
- **सौदेबाजी की निम्न शक्ति:** वैश्विक बाजार में उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों में भारत की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है तथा उच्च प्रौद्योगिकीय उत्पादों का आयात बढ़ रहा है। इससे इस क्षेत्र में सॉफ्ट पावर के तौर पर इसके विकसित होने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।
- **द्विपक्षीय समझौतों का अभाव:** उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सूचना-प्रौद्योगिकी क्षेत्र आदि से संबंधित मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों का अभाव।
- **नीतिगत अनिश्चितता एवं संरचनात्मक चुनौतियां:** भारत को कई नियामकों एवं विभागों के मध्य समन्वय की कमी, सुसंगत और व्यापक घरेलू नीति की अनुपस्थिति आदि जैसे विभिन्न मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की वार्ता शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
- **विदेशी नीति के साथ भारत के घरेलू हितों को समेकित करना:** जहाँ एक ओर भारत को अभिशासन, रक्षा, अनुसंधान आदि के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियों के उद्भव से काफी हद तक लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर इसे स्व-चालन के माध्यम से रोजगारों की क्षति, वैश्विक कंपनियों के तकनीकी एकाधिकार आदि जैसे मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है।
- **राजनीतिक प्रतिबंध और बौद्धिक संपदा से जुड़े नियम प्रौद्योगिकी के साझाकरण को प्रतिबंधित कर रहे हैं:** यह अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए आवश्यक जानकारी के प्रवाह को प्रतिबंधित करेगा।

निष्कर्ष

प्रौद्योगिकी को विदेशी मामलों और कूटनीतिक क्षेत्रों में शक्ति तथा वैधता दोनों के लिए एक चालक के रूप में देखा जाता है। इसलिए, विकासशील देशों के लिए इन उभरती प्रौद्योगिकियों से निपटने और अपने हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त रूप से तैयारी करना महत्वपूर्ण है।

- भारत को भविष्य की प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए विदेशी भागीदारों के साथ सहयोग करना चाहिए।
- उभरती प्रौद्योगिकियों की अनिश्चितताओं को कम करने हेतु एक सुदृढ़ विधिक ढांचा विकसित किया जाना चाहिए।
- भारत को इन तकनीकियों के जोखिम के बारे में वैश्विक मंच पर अपनी चिंताओं को बताना चाहिए।
- हानिकारक सैन्य प्रौद्योगिकियों के संबंध में अप्रसार की नीति का पालन किया जाना चाहिए।
- डिजिटल डिप्लोमेसी में विशेषज्ञता वाले कुशल राजनयिकों के एक दल को सृजित करने की आवश्यकता है।

2.2. दक्षिण चीन सागर (South China Sea)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चीन ने कथित रूप से दक्षिण चीन सागर (South China Sea: SCS) क्षेत्र में अन्य राष्ट्रों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, द्वारा की जाने वाली सैन्य गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक एयरशिप (एक प्रकार का हवाई जहाज या गुब्बारा) तैनात किया है।

दक्षिण चीन सागर का महत्व

- **रणनीतिक अवस्थिति:** यह एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाला एक प्रमुख व्यावसायिक मार्ग है।
- एक तिहाई वैश्विक जहाज (कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 3.37 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरते हैं।
  - ऐसा अनुमान है कि मलक्का जलडमरूमध्य से होकर गुजरने के बाद बीजिंग द्वारा आयातित तेल का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा दक्षिण चीन सागर के माध्यम से ही चीन में पहुँचता है।
  - भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 97 प्रतिशत भाग समुद्रों के माध्यम से ही संपादित होता है, जिसका आधा हिस्सा मलक्का जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। इसके अतिरिक्त, आसियान भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक है। ऐसे में SCS क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता से समुद्री व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा यह भारत की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेगा।
- **प्राकृतिक संसाधन:** इस सागर में प्राकृतिक संसाधनों के प्रमुख भंडार उपस्थित हैं, जैसे- प्राकृतिक गैस और तेल।

VISION IAS

- **मत्स्य पालन:** विश्व का लगभग 10 प्रतिशत मत्स्यपालन इसी क्षेत्र में होता है, जो इसे करोड़ों लोगों के लिए भोजन का प्रमुख स्रोत बनाता है।

दक्षिण चीन सागर से संबद्ध मुद्दे

- **क्षेत्रीय संघर्ष:** विभिन्न ऐतिहासिक और भोगौलिक विवरणों के आधार पर फिलीपींस, वियतनाम, चीन, ब्रुनेई, ताइवान और मलेशिया द्वारा अक्सर SCS के ऊपर **अतिव्यापी, क्षेत्रीय दावे किए जाते रहे हैं।**
  - चीन इस क्षेत्र के 80 प्रतिशत से अधिक भाग पर अपना दावा करता है। चीन की **"नाइन-डैश लाइन"** एक भौगोलिक सीमा (चिह्नक) है जिसका उपयोग वह अपने दावे की पुष्टि करने के लिए करता है। यह चीनी मुख्य भूमि से 2,000 कि.मी. दूर तक विस्तृत है तथा इंडोनेशिया और मलेशिया के निकटवर्ती समुद्रों को स्पर्श करती है।
  - चीन ने इस बात पर बल दिया है कि चीनी मछुआरे अपने "पारंपरिक मछली पकड़ने के क्षेत्र" में गतिविधियों का संचालन करने हेतु स्वतंत्र हैं, जो आंशिक रूप से **नटुना द्वीप समूह** के आसपास इंडोनेशिया के EEZ के साथ अतिव्यापन करता है।
  - **वियतनाम:** यह पार्सेल (Paracel) और स्प्रैटली (Spratly) द्वीप समूहों पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है।
  - **फिलीपींस:** यह स्प्रैटली द्वीप समूह और स्कारबोरो शोल (Scarborough Shoal) पर अपने स्वामित्व का दावा करता है।
  - **ब्रुनेई और मलेशिया:** ये राष्ट्र SCS के दक्षिणी हिस्सों और स्प्रैटली द्वीप समूह के कुछ भागों पर अपनी संप्रभुता का दावा करते हैं।

समुद्री कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UN Convention on the Law of the Sea: UNCLOS)

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे वर्ष 1982 में हस्ताक्षरित और अंगीकृत किया गया।
- यह विश्व के महासागरों और समुद्रों में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने हेतु एक व्यापक शासन-व्यवस्था की स्थापना करता है। वर्ष 1982 का यह अभिसमय महासागरों एवं महासागरीय संसाधनों के सभी उपयोगों को नियंत्रित करने वाले नियमों की स्थापना करता है।
- इस अभिसमय द्वारा निम्नलिखित तीन संस्थानों का सृजन किया गया है:
  - इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ़ द सी;
  - इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी; तथा
  - कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ़ कांटिनेंटल शेल्फ।
- चीन और भारत सहित 160 से अधिक सदस्य राष्ट्र इसके हस्ताक्षरकर्ता हैं।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी तक इस अभिसमय की अभिपुष्टि नहीं की है।

Maritime Zone and their Entitlements

Maritime zone	Extension seaward from baselines	Entitlements
Internal Water (ie historical bays)	Located landward side of baseline	Full sovereign authority
Territorial Water	12 nm	Set laws, regulate use, exploit resources, police zone. Foreign vessels permitted 'innocent passage'
Contiguous Zone	24 nm (overlaps territorial sea)	Enforce laws on pollution, smuggling, taxation, customs and immigration.
Exclusive Economic Zone (EEZ)	200 nm	Rights over all natural resources in the water column and seabed (ie fishing). Other states have rights of navigation, overflight, and the submarine pipes and cables
Continental Shelf	Up to 350 nm	Exploit resources in the seabed and subsoil(ie oil)

- **अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन:** वर्ष 2016 में, चीन ने UNCLOS आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के फैसले को अस्वीकृत कर दिया।
    - इस अधिकरण ने यह निर्णय दिया था कि चीन "नाइन-डैश लाइन"(जिसमें दक्षिण चीन सागर का अधिकांश भाग शामिल है) के माध्यम से उन समुद्री संसाधनों पर अपने ऐतिहासिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है, जहाँ ये समुद्री जल क्षेत्र अन्य तटीय राज्यों के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone: EEZ) के अंतर्गत शामिल हैं।
        - उल्लेखनीय है कि फिलीपींस द्वारा मध्यस्थता हेतु पहल की गई थी, जिसमें चीन की नाइन-डैश लाइन की वैधता, फिलीपींस के EEZ के भीतर चीन द्वारा द्वीपों के निर्माण, विवादित जल क्षेत्र में संसाधनों के दोहन तथा अन्य मुद्दों पर विचार किया गया था।
- **शक्ति संतुलन:** SCS से उन तीन राष्ट्रों (यथा- जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस) की सीमाएं संलग्न हैं, जो विभिन्न संधियों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोगी देश हैं। इसके अतिरिक्त, SCS से अन्य कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की भी सीमाएं संलग्न हैं, जो वर्तमान में अमेरिका के उभरते हुए या संभावित साझेदार देश हैं, जैसे- सिंगापुर, वियतनाम और इंडोनेशिया। ऐसे में SCS में चीन की बढ़ती उपस्थिति ने इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और अमेरिकी आधिपत्य को चुनौती दी है।
- **SCS का सैन्यीकरण:** SCS में चीन और अमेरिका दोनों की सैन्य उपस्थिति में वृद्धि हुई है। इन विकासक्रमों के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के साथ-साथ इस क्षेत्र से बाहर अवस्थित देशों के मध्य भी आशंका उत्पन्न हुई है, क्योंकि उन सभी का हित यह सुनिश्चित करने में है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं सैन्य पहुंच निर्बाध बनी रहे।

नौवहन संचालन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation Operations: FONOPs)

- नौवहन संचालन की स्वतंत्रता वस्तुतः अमेरिकी नौ सैना और वायु सेना के अभियान हैं, जो अत्यधिक समुद्री दावों या एकाधिकारों को चुनौती देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अधिकारों तथा स्वतंत्रता को सुदृढ़ करते हैं।
- इनमें से प्रत्येक अभियान का निर्धारण, उस विस्तृत समुद्री दावे के आधार पर किया जाता है जिसका विरोध किया जा रहा है।

वैश्विक प्रतिक्रिया

- **एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (ASEAN):** इस विवादित जल क्षेत्र में होने वाले संघर्ष से बचने हेतु **आसियान** और **चीन** साथ मिलकर एक आधिकारिक आचार संहिता (कोड ऑफ़ कंडक्ट) के विकास पर कार्य रहे हैं। इन सभी विवादों से राहत पाने के लिए वर्षों से दोनों एक बाध्यकारी समझौते पर परिचर्चा कर रहे हैं, जिसमें अत्यल्प प्रगति हुई है। हालांकि, अगस्त 2018 में यह खुलासा हुआ कि सभी पक्षों ने एकल मसौदे (सिंगल ड्राफ्ट) पर वार्ता के लिए सहमति व्यक्त की है।
    - चीन को छोड़कर, दक्षिण चीन सागर के अन्य पक्षकार (यथा- ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम) आसियान के सदस्य हैं।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधि और नौसैनिक उपस्थिति में वृद्धि की है, जिसमें FONOPs भी शामिल हैं।
- **भारत का दृष्टिकोण:** भारत हमेशा से समावेशिता और बहुलता का समर्थन करता आया है। भारत का मानना है कि सर्वसम्मति आधारित दृष्टिकोण के लिए संस्थानों और व्यवस्था को परामर्शी व गैर-निर्देशात्मक होने की आवश्यकता है, जहाँ SCS की प्राथमिकता को बल मिले।

आगे की राह

- वास्तविक चुनौती **चीन के वैध हितों के निर्धारण** में है, कि उन्हें किस हद तक समायोजित किया जा सकता है। इसके लिए एक सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। हालांकि, यह एक कठिन कार्य सिद्ध होगा क्योंकि बीजिंग अपने हितों के आकलन के आग्रह को स्वीकार नहीं करेगा।
- एक नवीन व्यवस्था के अनुपालन के लिए चीन को तैयार करने हेतु, एक अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से उसे पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करते हुए निवारक उपायों को अपनाना होगा, जिससे वह अंततः अंतर्राष्ट्रीय कानून और व्यवस्था के ढांचे को स्वीकार कर सके।
- **सुदृढ़ और अधिक गतिशील संस्थागत तंत्र:** यह समाधान प्राप्त करने का एक उपाय हो सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्य हितों के क्षेत्रों का पता लगाने की दिशा में प्रयास होने चाहिए, जिससे चीन रचनात्मक रूप से योगदान कर वैश्विक नियम-आधारित व्यवस्था से जुड़ सके और इससे लाभ उठाए।

2.3. इजरायल-फिलिस्तीन (Israel-Palestine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान पर केंद्रित मध्य-पूर्व संबंधी अपनी शांति योजना **'शांति से समृद्धि: फिलिस्तीनी और इजरायली जनता के जीवन में सुधार हेतु एक दृष्टिकोण'** (Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People) को प्रस्तुत किया।

इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष के बारे में

- प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1917 में, अंग्रेजों ने फ्रांस के साथ साइक्स-पिकॉट समझौता संपन्न कर ऑटोमन साम्राज्य से फिलिस्तीन को अधिग्रहित किया।

- बाद में **बालफोर घोषणा-पत्र** में, ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को यहूदियों के लिए राष्ट्रीय निवास के रूप में स्थापना की वचनबद्धता व्यक्त की।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, 3 लाख से अधिक यहूदियों का फिलिस्तीन में आव्रजन हुआ और उन्होंने एक नए राष्ट्र की मांग की। इसने अरबों और यहूदियों के मध्य श्रृंखलाबद्ध संघर्षों को उत्पन्न किया।
- **वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को अरब और यहूदियों के मध्य विभाजित करने हेतु मतदान हुआ।**
    - यहूदी निवासियों ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया तथा वर्ष 1948 में इज़रायल की स्वतंत्रता की घोषणा की, जबकि अरब वासियों ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया।

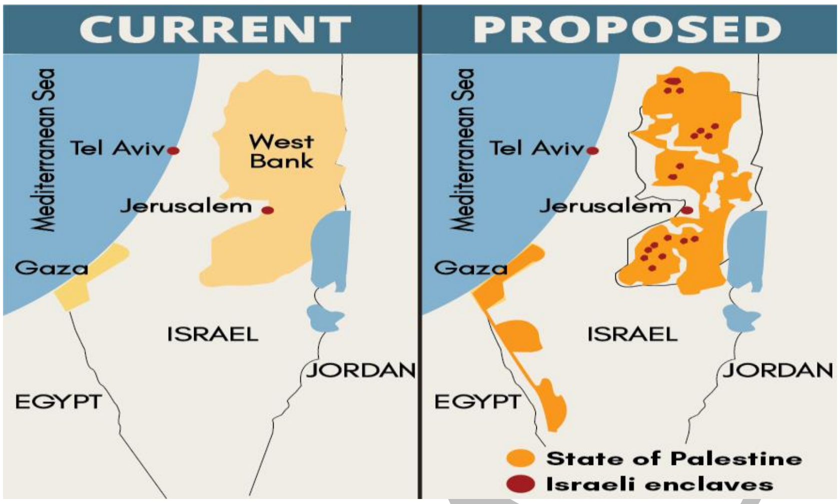

    - परिणामस्वरुप **मिस्र, जॉर्डन, इराक** और **सीरिया** जैसे अरब राज्यों ने इजरायल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की।
- इस युद्ध में इज़रायल की विजय हुई तथा इसने अपने अधिपत्य वाले क्षेत्र में विस्तार करते हुए फिलिस्तीन को केवल गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक तक सीमित कर दिया। इससे लाखों फिलिस्तीनी इजरायल से प्रवासित होने हेतु बाध्य हुए।
- इसके परिणामस्वरूप फिलिस्तीन शरणार्थी संकट की शुरुआत हुई, जिसने अंततः वर्ष 1964 में **फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (Palestine Liberation Organization: PLO)** के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।
- **जून 1967** में इज़रायल और पड़ोसी अरब राष्ट्रों के मध्य **छह दिवसीय युद्ध** हुआ था। इस दौरान, इजरायल ने गाजा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप (मिस्र से), वेस्ट बैंक (जॉर्डन से) और गोलन हाइट्स (सीरिया से) पर कब्ज़ा कर लिया।
- इसके उपरांत **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** द्वारा **"लैंड फॉर पीस"** नामक एक संकल्प अंगीकृत किया गया, जिसमें इजरायल को यह आदेश दिया गया कि उसे इन अधिकृत क्षेत्रों को पराजित राष्ट्रों को सौंप देना चाहिए।
- इन अधिकृत क्षेत्रों को वापस करने हेतु इजरायल की अनिच्छा के आलोक में, वर्ष 1973 में एक और अरब-इजरायल युद्ध हुआ (योम किपुर युद्ध), जिसमें उसे कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ा।
    - इसके पश्चात् इसने उत्तरवर्ती शांति प्रक्रिया संबंधी उपायों का मार्ग प्रशस्त किया।
- वर्ष 1978 में, इजरायल और मिस्र ने इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने हेतु **कैंप डेविड समझौते** पर हस्ताक्षर किए तथा इसके अंतर्गत इज़रायल ने वर्ष 1982 में मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप वापस कर दिया। हालाँकि, इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने में यह प्रयास विफल रहा।
- वर्ष 1987 में, जिहाद के माध्यम से फिलिस्तीन को मुक्त कराने हेतु **हमास** (एक आतंकी समूह) नामक एक आतंकी संगठन अस्तित्व में आया। इसने इजरायल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया।
- वर्ष 1993 में, अमेरिका और रूसी मध्यस्थता के परिणामस्वरुप PLO ने इज़रायल के साथ **ओस्लो समझौते** पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर शासन करने हेतु फिलिस्तीनी अंतरिम स्व-सरकार के गठन का प्रावधान किया गया। हालांकि, आगे इज़रायल इस समझौते से बाहर हो गया और फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया।
- वर्ष 2011 में, फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता प्राप्त करने हेतु एक राजनयिक अभियान शुरू किया। यद्यपि, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए फिलिस्तीनियों का संघर्ष अभी भी जारी है, तथापि उसी वर्ष उसे **यूनेस्को** में एक पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का पक्ष

- भारत ने द्वि-राष्ट्र समाधान के सिद्धांत में विश्वास प्रकट किया है तथा यह दोनों राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाए हुए है। भारत ने इजरायल के साथ बढ़ते संबंधों को बनाए रखने के साथ-साथ एक संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीन के एक व्यवहार्य राज्य की स्थापना का समर्थन किया है।

ट्रम्प द्वारा अपने पीस प्लान (शांति योजना) में दिए गए सुझाव

- **यरूशलम की स्थिति:** यरूशलम, इजरायल की संप्रभु राजधानी होगी। फिलिस्तीन की राजधानी विद्यमान सुरक्षा दीवार के पूर्व और उत्तर में स्थित क्षेत्रों में अर्थात् पूर्वी येरुशलम के भाग में होनी चाहिए, जिसका नाम अल कुद्स (Al Quds) होगा अथवा फिलिस्तीन द्वारा निर्धारित कोई अन्य नाम रखा जा सकता है।

- **अवधारणात्मक मानचित्र:** जारी किए गए मानचित्र में यह निरूपित किया गया है कि इजरायली और फिलिस्तीनी राज्य की संभावित सीमाएं क्या होंगी। इस योजना के अंतर्गत इन सीमाओं को स्वीकार करने के लिए इजरायल एवं फिलिस्तीनियों को चार वर्ष की समयावधि दी गई है।
- **आर्थिक पैकेज:** फिलिस्तीन और पड़ोसी अरब राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 50 बिलियन डॉलर की निवेश निधि का प्रावधान किया गया है। अमेरिका द्वारा फिलिस्तीनी प्राधिकरण के साथ मिलकर कार्य करते हुए अल कुद्स के लिए आर्थिक परियोजनाओं की पहचान की जाएगी और इन परियोजनाओं के माध्यम से **'शांति से समृद्धि' (पीस टू प्रॉस्पेरिटी)'** को सुनिश्चित किया जाएगा।
- **सुरक्षा:** इजरायल-फिलिस्तीन शांति समझौते पर हस्ताक्षर के उपरांत, इजरायल फिलिस्तीन के सुरक्षा दायित्वों को बनाए रखेगा। हालांकि, इस दृष्टिकोण के प्रावधानों के अधीन फिलिस्तीनी अपनी आंतरिक सुरक्षा हेतु अधिकाधिक उत्तरदायी होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलिस्तीन को उसके सुरक्षा मानदंड को स्थापित करने और बनाए रखने में सहायता प्रदान करेगा।
- **पत्तन सुविधाएं:** इजरायल द्वारा फिलिस्तीन को **हाइफा** और **अशदोद** दोनों पत्तनों पर निर्धारित सुविधाओं का उपयोग करने एवं उन्हें प्रबंधित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- **हमास की समाप्ति:** वर्तमान में गाजा पट्टी पर हमास का नियंत्रण है, अतः इसकी यहां से समाप्ति तटवर्ती पट्टी में महत्वपूर्ण रूपांतरण में सहायक होगी।

ट्रंप के इस योजना पर वैश्विक प्रतिक्रिया
- **फिलिस्तीन** ने तत्काल इस योजना को अस्वीकृत कर दिया।
- **इज़रायल** ने इस योजना की प्रशंसा करते हुए इसे "स्थायी शांति के लिए एक वास्तविक उपाय" कहा है।
- **भारत** ने इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान हेतु द्वि-राष्ट्र सिद्धांत संबंधी अपने दृष्टिकोण को पुनः दोहराया है तथा दोनों पक्षों से प्रत्यक्ष वार्ता के माध्यम से सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए आग्रह किया है।

यरूशलम इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
- यरूशलम इजरायल और वेस्ट बैंक के मध्य सीमा पर अवस्थित है। **यहूदी धर्म और इस्लाम दोनों के सर्वाधिक पवित्र स्थलों में से कुछ यहां अवस्थित है,** इसीलिए इजरायल एवं फिलिस्तीन दोनों ही इसे अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं।
- यह **ईसाइयों के लिए भी एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है,** क्योंकि उनका पवित्र **चर्च ऑफ़ सेपल्चर** यहाँ स्थित है।
  - इस चर्च में दो महत्वपूर्ण स्थल हैं, एक जहाँ ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था तथा दूसरा ईसा मसीह का एम्प्टी टॉम्ब। ऐसा विश्वास है कि यह उनकी समाधि एवं पुनर्जीवित होने दोनों घटनाओं को चिन्हित करता है।
- **इस्लाम धर्म से संबंधित तीसरा पवित्रतम स्थल अर्थात् 'डोम ऑफ द रॉक'** भी यहीं अवस्थित है, जो इस्लामी स्थापत्य कला के सर्वाधिक प्राचीनतम प्रसिद्ध कृत्यों में से एक है।
- **पश्चिमी दीवार या बुराक दीवार** इस शहर में स्थित प्राचीनतम चूना पत्थर की दीवार है। टेंपल माउंट से इसके जुड़े होने के कारण इसे भी पवित्र माना जाता है।
  - यह टेंपल माउंट क्षेत्र जब जॉर्डन के नियंत्रण में था तब यहां इजरायली यहूदियों को प्रार्थना करने की अनुमति नहीं थी। जब टेंपल माउंट क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध था, तब यह दीवार सर्वाधिक पवित्र स्थल बन गया था, जहां यहूदियों को प्रार्थना करने की अनुमति थी।

2.4. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रोहिंग्या का मुद्दा (Rohingya Issue in ICJ)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस (ICJ) ने अधिनिर्णय दिया कि म्यांमार को अपने रोहिंग्या मुसलमानों की सुरक्षा के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए, जिसमें नरसंहार के आरोपों से संबंधित साक्ष्यों का संरक्षण भी सम्मिलित है।

इस अधिनिर्णय के बारे में
- ICJ (अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय) ने रेखांकित किया कि उसके पास म्यांमार को रोहिंग्या अल्पसंख्यक के विरुद्ध नरसंहार करने से रोकने के लिए आपातकालीन उपायों की मांग करने वाले मामले की सुनवाई करने का अधिकार और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है।
- इसने म्यांमार को रोहिंग्या के विरुद्ध नरसंहार को रोकने के लिए अपनी शक्ति के अंतर्गत सभी उपाय करने का आदेश दिया।
- विभिन्न अंतरिम आदेश पारित करने के साथ, न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि जब तक एक अंतिम निर्णय पारित नहीं कर दिया जाता तब तक **म्यांमार चार माह के अंदर ICJ के इन निर्देशों को अमल में लाने हेतु किए जा रहे सभी उपायों पर और उसके पश्चात प्रति छह माह में उसे एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।**

पृष्ठभूमि

- नवंबर 2019 में, रिपब्लिक ऑफ़ गैम्बिया ने **नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर अभिसमय** (**Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide**) के कथित उल्लंघन को लेकर म्यांमार के विरुद्ध ICJ का रुख किया था।
    - गैम्बिया और म्यांमार दोनों इस अभिसमय के पक्षकार हैं। इस अभिसमय का अनुच्छेद 9, एक पक्षकार को इसके उल्लंघन के मामले में ICJ का रुख करने की अनुमति प्रदान करता है।
    - गैम्बिया को 57 सदस्यों वाले ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन (OIC) द्वारा समर्थन प्रदान किया गया था।
- म्यांमार की नेता **आंग सान सू की** ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हो सकता है कि यहाँ की सेना द्वारा कुछ आतंकवादी समूहों के विरुद्ध अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया हो, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि सेना किसी समुदाय को नष्ट करने का प्रयास कर रही है।

ICJ के इस अधिनिर्णय के निहितार्थ

- ICJ के इस अधिनिर्णय का आशय यह है कि, पहली बार एक वैश्विक कानूनी निकाय द्वारा आधिकारिक रूप से रोहिंग्या के विरुद्ध किए जा रहे दुर्व्यवहार के वास्तविक खतरों को मान्यता प्रदान की गई।
- हालांकि, म्यांमार के विरुद्ध यह अधिनिर्णय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी छवि को नुकसान पहुंचाएगा, भले ही इस अंतरिम आदेश में म्यांमार के विरुद्ध साक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई हो। इसके लिए ICJ को यह पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है कि म्यांमार ने इस अभिसमय का उल्लंघन किया है या नहीं।
- जब मामला न्यायालय में लंबित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतरिम उपाय अनिवार्य रूप से एक राज्य के विरुद्ध एक निषेधाज्ञा आदेश होता है। हालाँकि, न्यायालय का यह अधिनिर्णय म्यांमार के लिए बाध्यकारी है तथा इसमें अपील भी नहीं की जा सकती है, जबकि इसके प्रवर्तन के लिए न्यायालय के पास कोई भी साधन उपलब्ध नहीं हैं।

रोहिंग्या संकट के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा रोहिंग्याओं को म्यांमार के विभिन्न नृजातीय अल्पसंख्यकों में से एक और **"विश्व के सर्वाधिक दमित समुदायों में से एक"** के रूप में वर्णित किया गया है।
- रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में मुस्लिम जनसंख्या के सबसे बड़े प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें से अधिकांश इसके तटीय राज्य **'रखाइन'** में निवास करते हैं।
- रोहिंग्या को **म्यांमार राष्ट्रीयता कानून, 1982** के अंतर्गत नागरिकता से वंचित कर देने के कारण, ये विश्व की सबसे बड़ी राज्य-विहीन आबादी बन गए हैं।
    - यह अधिनियम इस समुदाय (रोहिंग्या) को अपने नागरिकों के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है तथा उन्हें बांग्लादेश से आए "अवैध आप्रवासी" मानता है।
- एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2017 में म्यांमार सेना द्वारा रोहिंग्या बहुल क्षेत्र में की गई आक्रामक कार्रवाई के कारण लगभग 7.3 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों में शरण लेने हेतु विवश हुए हैं।
- अगस्त 2019 में, UN द्वारा कहा गया था कि सेना की कार्रवाई "नरसंहार के उद्देश्य" से प्रेरित थी। साथ ही, UN ने रोहिंग्याओं के विरुद्ध हिंसा को "नृजातीय संहार का उदाहरण" बताया था।
- म्यांमार ने अपनी सेना के विरुद्ध नरसंहार, सामूहिक बलात्कार, हत्या और आगजनी के सभी आरोपों का दृढ़तापूर्वक खंडन किया है तथा स्पष्ट किया कि इसके सैनिकों ने केवल वैध आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के बारे में

- यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक अंग है।
- यह राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करता है तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे संदर्भित किए जाने वाले मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार परामर्श प्रदान करता है।।
- उल्लेखनीय है कि ICJ, परमानेंट कोर्ट ऑफ़ इंटरनेशनल जस्टिस (PCIJ) की उत्तराधिकारी संस्था है, जिसे वर्ष 1920 में लीग ऑफ नेशंस द्वारा स्थापित किया गया था।
- ICJ में नौ वर्षीय कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा चयनित 15 न्यायाधीशों का एक पैनल सम्मिलित होता है।
- इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में पीस पैलेस में अवस्थित है।

VISION IAS

नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर अभिसमय (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocid)

- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1948 में इस अभिसमय को सर्वसम्मति से अपनाया गया तथा यह वर्ष 1951 से अस्तित्व में आया।
- अभी तक 152 राज्यों द्वारा इस संधि को स्वीकृत (अभिपुष्टि) या अनुमोदित किया जा चुका है, जिसमें हाल ही में वर्ष 2019 में मॉरीशस भी सम्मिलित हुआ है।
- **यह कानूनी रूप में नरसंहार को परिभाषित करता है।** किसी राष्ट्रीय, नृजातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह के संपूर्ण या आंशिक भाग को समाप्त करने के उद्देश्य से किए गए निम्नलिखित प्रकार के उद्देश्यपूर्ण कृत्य इसमें शामिल किए गए हैं:
    - किसी समूह के सदस्यों की हत्या करना।
    - किसी समूह के सदस्यों को गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाना।
    - किसी समूह की जीवन स्थितियों को जानबूझकर पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त करना, ताकि उन्हें भौतिक क्षति हो।
    - किसी समूह की जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से उपाय करना।
    - किसी समूह के बच्चों को बलातपूर्वक दूसरे समूह में स्थानांतरित करना।
- भारत द्वारा वर्ष 1959 में इस संधि की अभिपुष्टि की गयी।

निष्कर्ष

- ICJ के 'इंटेंट रिक्वायरमेंट क्लॉज' के अंतर्गत उच्च मानदंडों के कारण नरसंहार के कृत्य को सिद्ध करना एक कठिन कार्य रहा है - जिसमें दिखाया जाना चाहिए कि नरसंहार का कृत्य संबंधित लोगों को उनकी विशिष्ट नृजातीयता के आधार पर उन्हें समाप्त करने के विशिष्ट इरादे से किया गया था।
- द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् से अब तक विश्व भर में नरसंहार के रूप में केवल तीन परिघटनाओं को मान्यता प्रदान की गई है: **कंबोडिया** (1970 के दशक के अंत में), **रवांडा** (वर्ष 1994), तथा **स्रेब्रेनिका, बोस्निया** (वर्ष 1995)। ऐसे में ICJ का रोहिंग्या मुद्दे पर दिया गया वर्तमान अधिनिर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है।

2.5. संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ईरान के मध्य गतिरोध (IRAN-USA Standoff)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिकी सैन्य बल द्वारा जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के पश्चात् अमेरिका और ईरान के मध्य तनाव मे अत्यधिक वृद्धि हो गयी।

अन्य संबंधित तथ्य

- हाल ही में, अमेरिका द्वारा ईरान के **क़ाड फ़ोर्स** के प्रमुख कासिम सुलेमानी की इराक के बगदाद हवाई अड्डे पर एक हवाई हमले में हत्या कर दी गई थी।
    - अमेरिका का आरोप है कि जनरल सुलेमनी द्वारा इराक और इस संपूर्ण क्षेत्र में अमेरिकी राजनयिकों एवं सैन्य बलों के सदस्यों पर हमला करने के लिए सक्रिय रूप से योजनाएं बनाई जा रही थी।
- इस हत्या को ईरान के विरुद्ध प्रत्यक्ष हमले के रूप में माना जा रहा है। ईरान द्वारा कठोर जवाबी कार्यवाही करते हुए इराक स्थित दो अमेरिकी सैन्य अड्डों पर श्रृंखलाबद्ध मिसाइल हमले किए गए।
- हाल ही में, ईरान ने **संयुक्त व्यापक कार्य योजना (Joint Comprehensive Plan of Action: JCPOA)** के अंतर्गत निर्धारित परमाणु समझौते की सीमाओं को अस्वीकार कर दिया है।

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC)

- IRGC, जिसे **पासदरान** (Pasdaran) भी कहा जाता है, ईरानी सशस्त्र बलों की एक शाखा है तथा ईरान की नियमित सेना से स्वतंत्र है।
    - इसका उद्देश्य इस्लामिक रिपब्लिक ईरान और वर्ष 1979 की क्रांति के आदर्शों का संरक्षण करना है।
- IRGC, ईरान की क्रांति की विचारधारा के विश्वव्यापी प्रचार हेतु ईरान का प्राथमिक उपकरण है। यह ईरान के अभिजात वर्ग के प्रति अत्यधिक निष्ठावान है।
- **क़ाड फ़ोर्स:** यह IRGC की एक शाखा है जो प्रमुख रूप से इसके विदेशी अभियानों के लिए उत्तरदायी है।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के पश्चात् से ही अमेरिकी-ईरान संबंध अधिकांशत: प्रतिकूल बने हुए हैं। अमेरिकी अधिकारियों और इसके आधिकारिक रिपोर्टों द्वारा पश्चिम एशिया क्षेत्र में आतंकवादी सशस्त्र समूहों को ईरान द्वारा दिए जाने वाले समर्थन की निरंतर पुष्टि की गई है, जो कि अमेरिका और इसके सहयोगियों के हितों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है।

- वर्ष 2002 के पश्चात् ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विकास के साथ ही, अमेरिका द्वारा इसे बाधित करने के प्रयासों को अपनी नीति में प्रमुखता प्रदान की गई।
- वर्ष 2015 में, तेहरान (ईरान की राजधानी) के परमाणु कार्यक्रम पर **ईरान और P5+1 समूह {अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एवं चीन (P5) और जर्मनी}** के मध्य JCPOA या ईरान परमाणु समझौता सम्पन्न हुआ था।
    - JCPOA को वस्तुतः ईरान को परमाणु हथियार निर्मित करने से प्रतिबंधित करने तथा ईरान के लिए यूरेनियम संवर्द्धन संबंधी मात्रा और डिग्री की सीमा निर्धारण करने वाले एक फ्रेमवर्क को निर्मित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- हालांकि, ईरान द्वारा JCPOA के गैर-अनुपालन के कारण वर्ष 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस परमाणु समझौते से हटने तथा उस पर दूसरे दौर के आर्थिक प्रतिबंध आरोपित करने की घोषणा की।
- वर्ष 2019 के मध्य में, इस क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की बढ़ती उपस्थिति की प्रतिक्रिया में ईरानी बलों ने अमेरिकी सैन्य ड्रोन को मार गिराया था।

वैश्विक निहितार्थ

- **नवीन छद्म युद्धों के उभरने तथा वर्तमान संघर्षों में वृद्धि** इस सुभेद्य क्षेत्र को और अधिक अस्थिर बना सकती है।
- **अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव:** निरंतर संघर्ष की स्थिति के कारण व्यापक आर्थिक और वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो इस क्षेत्र के परिचालन एवं वित्त-पोषण की स्थिति को काफी विकृत कर सकती है।
- **होर्मुज जलसंधि के माध्यम से वैश्विक तेल व्यापार पर प्रभाव:** विश्व के तेल टैंकर यातायात का एक तिहाई भाग इस जलसंधि से होकर गुजरता है। ईरान द्वारा की गयी कोई भी नाकाबंदी दैनिक वैश्विक तेल निर्यात में 30 प्रतिशत तक की गिरावट का कारण बन सकती है जिसके कारण तेल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना है।
- **नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था में असंतुलन:** अमेरिका ने विदेशी भूमि पर दूसरे राष्ट्रों के सरकारी अधिकारियों की हत्या करने की भयप्रद प्रथा की शुरुआत की है।

भारत पर प्रभाव

- **तेल की कीमतों में अस्थिरता और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव:** मई 2019 तक, भारत ईरान से कच्चे तेल का आयात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश था। किसी भी प्रकार की कीमत वृद्धि या आपूर्ति में किसी भी प्रकार का व्यवधान, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आरोपित व्यापार प्रतिषेध ने भारत को ईरान से तेल खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया है।
- **ईरान और मध्य पूर्व में भारतीय प्रवासियों पर प्रभाव:** पूर्ण रूप से युद्ध की स्थिति निर्मित होने पर खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासियों की विशाल संख्या की सुरक्षा और संरक्षण प्रभावित हो सकता है।
- **विप्रेषण:** विगत वर्ष भारत द्वारा प्राप्त कुल विप्रेषण का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से प्राप्त हुआ था। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के असंतुलन से वर्तमान विप्रेषण में गिरावट आ सकती है।

VISION IAS

- **व्यापार:** भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होर्मुज जलसंधि पर अत्याधिक निर्भर है तथा इसकी नाकाबंदी से इसके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, चाबहार बंदरगाह की स्थिति भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है।
- **सुरक्षा:** अमेरिका ने अपनी व्यापक पश्चिम एशिया रणनीति के अंतर्गत पाकिस्तान में अपने सैन्य प्रशिक्षण को पुनः प्रारंभ करने का आदेश दिया है। क्योंकि, इसे उसने वर्ष 2018 में पाकिस्तान पर आतंकवादी समूहों का सामना करने के लिए पर्याप्त कार्यवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए निलंबित कर दिया था। इसके कारण पश्चिम एशिया की संपूर्ण सुरक्षा प्रभावित हो सकती है क्योंकि इस क्षेत्र में विभिन्न आतंकवादी संगठन सक्रिय हो सकते हैं।

निष्कर्ष

अमेरिका और ईरान के मध्य संबंध दशकों से तनावपूर्ण रहें हैं। इस प्रकार, अमेरिका-ईरान के मध्य व्याप्त इस गतिरोध का समाधान करने हेतु दोनों देशों को कुशल राजनीतिज्ञता को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।

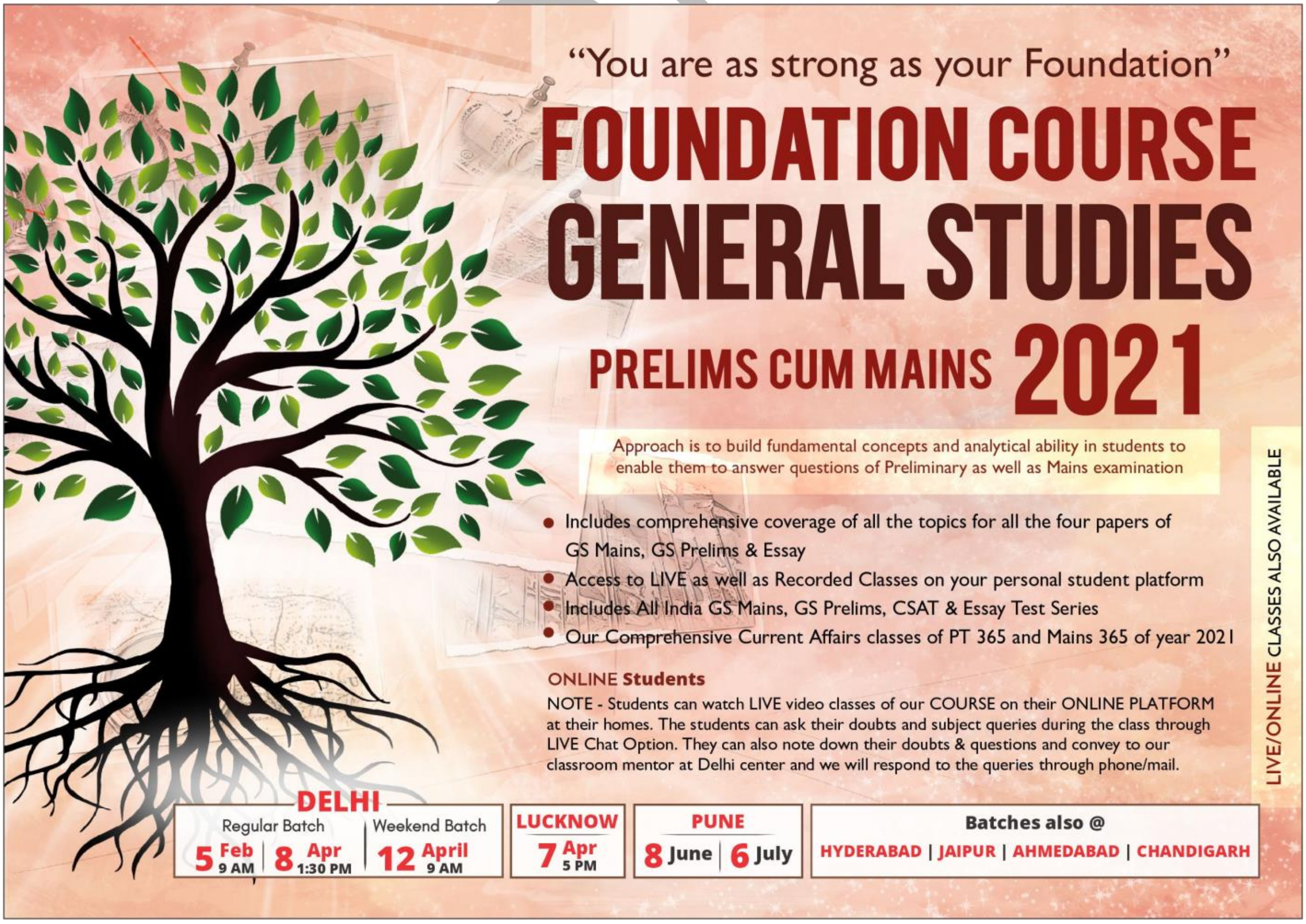

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट (Report of the 15th Finance Commission for F.Y. 2020-21)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 15वें वित्त आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1 अप्रैल 2020 से आरंभ होने वाले पांच वर्ष की अवधि के लिए संस्तुति करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया था।
- वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए संस्तुतियों के साथ वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर 2020 तक प्रस्तुत की जाएगी।

इस अवधि में हुए विकासक्रम

- **जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का अधिनियमन:** इसके फलस्वरूप दो नए केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ।
- **अप्रत्याशित वैश्विक परिदृश्य:** अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, अस्थिर भू-राजनीतिक स्थिति व तेल राजनीति की पृष्ठभूमि में विश्व एक समग्र स्लोडाउन का अनुभव कर रहा है।
  - **भारत में आर्थिक स्लोडाउन (गिरावट):** कमजोर निवेश, निर्यात और उपभोक्ता विश्वास में ह्रास जैसे कारकों के कारण।
- **बढ़ता राजकोषीय संकट:** जैसे वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अंतर्गत निम्न राजस्व संग्रह तथा कॉर्पोरेट कर की दरों में कमी के कारण राजस्व की बड़ी मात्रा की हानि।
- **अल्पकालीन माध्यमिक (transitional) कठिनाइयां:** सरकार द्वारा अपनाए गए संरचनात्मक सुधारों के कार्यान्वयन के कारण, (जैसे- GST संग्रहण में **इनपुट टैक्स रिफंड** की गति मंद होने से) कई लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) का विकास प्रभावित हुआ है।
- **राजकोषीय चर कारकों (variables) में उच्च अनिश्चितता:** इसके लिए मूल पूर्वानुमान की तुलना में पर्याप्त संग्रहण का अभाव, संग्रहण में उच्च अस्थिरता, एकीकृत GST क्रेडिट का अत्यधिक संचय, इनवॉइस एवं इनपुट टैक्स मिलान में गड़बड़ तथा रिफंड में विलंब आदि जैसी चुनौतियां उत्तरदायी हैं।

वित्त आयोग की रिपोर्ट में प्रमुख संस्तुतियां

<table>
<tr><th colspan="2">अंतरण का मानदंड (Criteria of Devolution)</th></tr>
<tr><td>लंबवत अंतरण (Vertical Devolution)</td><td>

निवल केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का सकल हिस्सा वर्ष 2020-21 में 41 प्रतिशत होगा।
वर्तमान (42%) की तुलना में 1 प्रतिशत की कमी नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख) के को अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने के लिए की गई है।

<table>
<tr><th></th><th>FC-XI (2000-05)</th><th>FC-XII (2005-10)</th><th>FC-XIII (2010-15)</th><th>FC-XIV (2015-20)</th></tr>
<tr><td>States' share in divisible pool</td><td>29.5</td><td>30.5</td><td>32.0</td><td>42.0</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>क्षैतिज अंतरण (Horizontal Devolution)</td><td>

आवश्यकता-आधारित मानदंड (Need-based Criteria)

जनसंख्या: इस आयोग के विचारार्थ विषयों (Terms of Reference: TOR) में किए गए उल्लेख के अनुसार, इसने अनुशंसा करते समय 2011 के जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग किया है। इसका भारांश 15 प्रतिशत निर्दिष्ट किया गया है।
क्षेत्रफल: 15 प्रतिशत के विगत भारांश को जारी रखा गया है।
वन और पारिस्थितिकी: सभी राज्यों के कुल सघन वनों में प्रत्येक राज्य के सघन वनों के हिस्से की गणना करके इस मानदंड को स्थापित किया गया है। इसके भारांश को बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया है।

समता-आधारित मानदंड (Equity-based Criteria)

आय अंतराल: किसी राज्य की आय एवं उच्चतम आय वाले राज्य की आय के मध्य का अंतर आय-अंतराल कहलाता है।

सभी राज्यों के लिए GSDP से तुलनीय प्रति व्यक्ति तीन वर्ष का औसत (2015-16 से 2017-18) लिया गया है।

</td></tr>
</table>

VISION IAS

- राज्यों के मध्य समता बनाए रखने के लिए कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को उच्च हिस्सा दिया जाएगा।
- इसके भारांश को कम कर **45 प्रतिशत** कर दिया गया है।

- **निष्पादन-आधारित मानदंड (Performance-based Criteria)**
  - **जनसांख्यिकी प्रदर्शन:** पिछले आयोग के दौरान कई राज्यों, विशेषकर दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद कम अंतरण होने के कारण दंडित किए जाने की शिकायत की थी।
    - ऐसे में यह मानदंड, ऐसे राज्यों के जनसंख्या को नियंत्रित करने के प्रयासों को पुरस्कृत करने में सहायक होगा।
    - इसकी गणना 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार, प्रत्येक राज्य की कुल जनन दर (TFR) के व्युत्क्रम के आधार पर की जाएगी। इस मानदंड पर कम TFR वाले राज्यों को अधिक स्कोर दिया जाएगा।
    - इसके लिए कुल **12.5 प्रतिशत** का भारांश निर्दिष्ट किया गया है।
- **कर-प्रयास (Tax Effort)**
  - कई राज्यों ने कर संग्रह की उच्च दक्षता वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कर प्रदर्शन मानदंडों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। उच्च कर संग्रह दक्षता वाले राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए आयोग ने कुल **2.5 प्रतिशत** का भारांश निर्दिष्ट किया है।

पिछले वित्त आयोगों द्वारा प्रयुक्त मानदंड निम्नलिखित हैं:

Criteria	FC-XI (2000-05)	FC-XII (2005-10)	FC-XIII (2010-15)	FC-XIV (2015-20)
Population (1971)	10.0	25.0	25.0	17.5
Population (2011)				10.0
Area	7.5	10.0	10.0	15.0
Forest cover				7.5
Index of infrastructure	7.5			
Income distance	62.5	50.0		50.0
Fiscal capacity distance			47.5	
Tax effort	5.0	7.5		
Fiscal discipline	7.5	7.5	17.5	
	100.0	100.0	100.0	100.0

सहायता अनुदान (Grants-in-aid)

वित्त वर्ष 2020-21 में, राज्यों को निम्नलिखित अनुदान प्रदान किए जाएंगे: (i) राजस्व घाटा अनुदान, (ii) स्थानीय निकायों को अनुदान तथा (iii) आपदा प्रबंधन अनुदान। इस आयोग ने क्षेत्रक-विशिष्ट एवं प्रदर्शन-आधारित अनुदान के लिए एक रूपरेखा भी प्रस्तावित की है। अंतिम रिपोर्ट में राज्य-विशिष्ट अनुदान प्रदान किए जाएंगे।

राजस्व घाटा अनुदान

- वित्त वर्ष 2020-21 में, 14 राज्यों में अंतरण के पश्चात् भी 74,340 करोड़ रुपये का कुल राजस्व घाटा होने का अनुमान है। आयोग ने इन राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान की संस्तुति की है।

विशेष अनुदान

- तीन राज्यों **(कर्नाटक, मिजोरम, एवं तेलंगाना)** के मामले में, वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में **कुल अंतरण एवं राजस्व घाटा अनुदान** में कमी होने का अनुमान है। इस आयोग ने इन राज्यों को 6,764 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान की संस्तुति की है।

क्षेत्रक-विशिष्ट अनुदान

- इस आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 में पोषण के लिए 7,375 करोड़ रुपये के अनुदान की संस्तुति की है।
- अंतिम रिपोर्ट में निम्नलिखित क्षेत्रकों के लिए क्षेत्रक-विशिष्ट अनुदान प्रदान किए जाएंगे: स्वास्थ्य, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, न्यायपालिका, ग्रामीण संपर्क, रेलवे, सांख्यिकी, पुलिस प्रशिक्षण एवं आवास।

निष्पादन आधारित प्रोत्साहन

- **इसके लिए निम्नलिखित क्षेत्रकों की पहचान की गई है:** कृषि सुधारों का कार्यान्वयन, आकांक्षी जिलों एवं उपखंडों का विकास, विद्युत क्षेत्रक में सुधार, निर्यात सहित व्यापार को बढ़ावा, शिक्षा को प्रोत्साहन तथा घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना।

स्थानीय निकायों का सशक्तीकरण (Empowering Local Bodies)

प्रस्तावित परिवर्तन

- पंचायती राज के सभी स्तरों को अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि गांवों एवं उपखंडों में संसाधनों के पारस्परिक उपयोग को सक्षम बनाया जा सके एवं टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्ति तैयार की जा सके तथा उनकी कार्यात्मक व्यवहार्यता में सुधार हो सके।

VISION IAS

	• पांचवीं एवं छठी अनुसूची के क्षेत्रों तथा छावनी बोर्डों (Cantonment Boards) को अनुदान। • सैनिटेशन व पेयजल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों को सशर्त अनुदान। • स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले अनुदान में शहरी स्थानीय निकायों का हिस्सा मध्यम अवधि के दौरान धीरे-धीरे बढ़ाकर 40 फीसदी तक किया जाना चाहिए। • देश के 50 मिलियन से भी अधिक जनसंख्या वाले शहरों के साथ सकारात्मक विभेदित व्यवहार की आवश्यकता है, ताकि वायु प्रदूषण, भौम जल अवक्षय (depletion) एवं सैनिटेशन की चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके।
सहायता अनुदान	• स्थानीय निकायों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कुल 90,000 करोड़ रुपये का अनुदान निर्धारित किया गया है, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए **कुल विभाज्य पूल (धनराशि) का 4.31 प्रतिशत** है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में यह विभाज्य पूल का **3.54 प्रतिशत** था। • ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों के मध्य अनुदान का अनुपात **67.5:32.5** होगा। • इस अनुदान को जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर 90:10 के अनुपात में राज्यों के मध्य विभाजित किया जाएगा।
आपदा जोखिम प्रबंधन (Disaster Risk Management)	
शमन निधि (Mitigation fund)	• आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुरूप, राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (National Disaster Mitigation Fund: NDMF) एवं राज्य आपदा शमन निधि (State Disaster Mitigation Funds: SDMF) के रूप में राष्ट्रीय तथा राज्य, दोनों स्तरों पर शमन निधि स्थापित की जाएगी। • मौजूदा आपदा अनुक्रिया कोष (NDRF व SDRF) के साथ-साथ, अब इन्हें राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (National Disaster Risk Management Fund: NDRMF) तथा राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (State Disaster Risk Management Funds: SDRMF) कहा जाएगा। • उनका उपयोग उन स्थानीय एवं समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों के लिए किया जाएगा, जो जोखिम को कम करते हैं तथा पर्यावरण के अनुकूल बस्तियों व आजीविका प्रणालियों को बढ़ावा देते हैं। • हालांकि, बृहत स्तर वाले शमन हस्तक्षेपों, जैसे- तटीय दीवारों का निर्माण, बाढ़ तटबंधों, सूखा क्षेत्रों के लचीलेपन को समर्थन आदि लक्ष्यों को नियमित विकास योजनाओं के माध्यम से पूर्ण किया जाना चाहिए, न कि शमन निधि से। • केंद्र एवं राज्यों के मध्य लागत-साझाकरण का स्वरूप सभी राज्यों के लिए (i) 75:25, तथा उत्तर-पूर्वी व हिमालयी राज्यों के लिए (ii) 90:10 है।
विशिष्ट आबंटन	• अग्निशामक सेवाओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण। • जिला-स्तरीय सूखा शमन योजना निर्मित करने के लिए बारह सर्वाधिक सूखा-प्रवण राज्यों को उत्प्रेरक सहायता। • दस पहाड़ी राज्यों में भूकंपीय एवं भूस्खलन जोखिमों का प्रबंधन। • सात सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहरों - मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद एवं पुणे - में शहरी जनसंख्या की अधिकता के जोखिम को कम करना। • तटीय एवं नदी अपरदन को रोकने के लिए शमन उपाय। • तटीय एवं नदी अपरदन से प्रभावित विस्थापित लोगों का पुनर्वास।
राजकोषीय रूपरेखा (Fiscal Roadmap)	
राजकोषीय घाटा एवं ऋण का स्तर	• अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता के कारण एक विश्वसनीय राजकोषीय एवं ऋण प्रक्षेपपथ (trajectory) की रूपरेखा चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। • केंद्र एवं राज्य, दोनों सरकारों को ऋण समेकन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा अपने संबंधित राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियमों के अनुसार राजकोषीय घाटे तथा ऋण के स्तरों का अनुपालन करना चाहिए।
बजट के अतिरिक्त (Off-budget) उधारियां	• केंद्र एवं राज्य, दोनों सरकारों को अतिरिक्त बजटीय उधारी को पूर्ण रूप से उजागर करना चाहिए। • बजट से इतर बकाया देनदारियों की स्पष्ट रूप से पहचान करते हुए इन्हें एक समयबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए।
सार्वजनिक वित्तीय	• इस आयोग ने एक स्वस्थ **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली** के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करने हेतु कानून

VISIONIAS

प्रबंधन के लिए वैधानिक ढांचा	का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह के गठन की संस्तुति की है। • एक व्यापक विधिक राजकोषीय ढांचे की आवश्यकता है, जो सरकार के सभी स्तरों पर पालन किए जाने वाली बजट प्रक्रिया, लेखांकन एवं लेखा परीक्षा मानकों का प्रावधान करेगा।
कर क्षमता	• कर आधार को व्यापक बनाने, कर दरों को सुव्यवस्थित करने तथा सरकार के सभी स्तरों पर कर प्रशासन की क्षमता एवं दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
GST कार्यान्वयन	• आयोग ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन में आने वाली कुछ चुनौतियों को रेखांकित किया है, जिनमें सम्मिलित हैं: मूल पूर्वानुमान की तुलना में संग्रह में होने वाली कमी, संग्रह में उच्च अस्थिरता, एकीकृत GST क्रेडिट का अत्यधिक संचय, इनवॉइस एवं इनपुट टैक्स मिलान में गड़बड़ तथा रिफंड में विलंब। • आयोग के अनुसार, राजस्व घाटे की भरपाई के लिए राज्यों (वित्त वर्ष 2018-19 में 29 राज्यों में से 21 राज्य) की केंद्र सरकार से मुआवजे पर निरंतर निर्भरता एक चिंता का विषय है। • आयोग ने यह सुझाव दिया कि कम उपभोग वाले राज्यों के लिए GST के संरचनात्मक प्रभावों पर विचार करने की आवश्यकता है।

सुरक्षा-संबंधी व्यय का वित्तपोषण (Financing of security-related expenditure)

- इस आयोग के विचारार्थ विषयों (ToR) के अनुसार उसके लिए यह परीक्षण करना आवश्यक है कि क्या रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा हेतु एक पृथक वित्तपोषण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
- इस संबंध में, आयोग ने एक विशेषज्ञ समूह के गठन का प्रस्ताव रखा है, जिसमें रक्षा, गृह मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, जो इस संबंध में रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित उपायों का अध्ययन करेगा।

3.2. वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति (National Strategy for Financial Inclusion)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2019-2024 की अवधि के लिए वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति (National Strategy for Financial Inclusion: NSFI) जारी की।

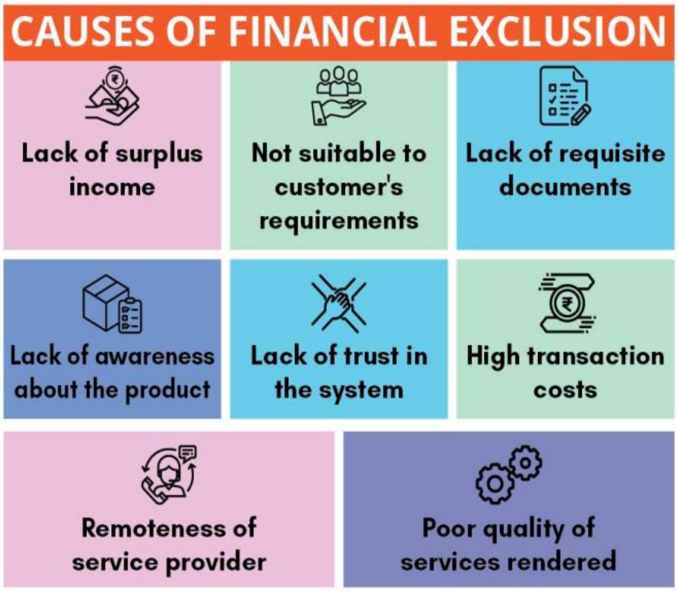

भारतीय संदर्भ में वित्तीय समावेशन

- “वहनीय लागत पर कमजोर वर्गों एवं निम्न आय समूहों जैसे सुभेद्य समूहों को समयपूर्वक और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया” को वित्तीय समावेशन कहा जाता है।

2019-2024 के लिए वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय रणनीति

- यह वित्तीय क्षेत्र में सभी हितधारकों को सम्मिलित करते हुए, एकीकृत कार्यवाही के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को विस्तारित करने और संधारणीय बनाने में सहायता करने के लिए भारत में वित्तीय समावेशन की नीतियों के ध्येय और प्रमुख उद्देश्यों को निर्धारित करती है।
- वित्तीय रणनीति का उद्देश्य वहनीय तरीके से औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना, वित्तीय समावेशन को व्यापक और विस्तृत करना तथा वित्तीय साक्षरता एवं उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना है।

वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति के रणनीतिक स्तंभ

स्तंभ	उद्देश्य	अनुशंसाएँ
वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच	• प्रत्येक गाँव की **5 कि.मी. के दायरे में औपचारिक वित्तीय सेवा प्रदाता तक पहुंच होनी चाहिए।** • ग्राहकों के लिए **सरल और निर्बाध डिजिटल प्रक्रिया** का उपयोग सुनिश्चित करना।	• ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं में दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सहकारी बैंकों एवं अन्य विशिष्ट बैंकों के साथ-साथ अन्य गैर-बैंक निकायों, जैसे- उचित मूल्य की दुकानों, कॉमन सर्विस सेंटर्स आदि के लिए **डिजिटल वित्तीय अवसंरचनाओं का विस्तार करना।**
आधारभूत	• **ऐसा प्रत्येक वयस्क व्यक्ति, जो प्राप्त करने का इच्छुक**	• यह बैंकों द्वारा **अनुकूलित वित्तीय उत्पादों को डिजाइन**

वित्तीय सेवाओं का समूह प्रदान करना	**और इसके लिए योग्य है,** को आधारभूत वित्तीय सेवा समूह प्रदान करना, जिसमें एक बुनियादी बचत बैंक जमा खाता, क्रेडिट, माइक्रो लाइफ और गैर-जीवन बीमा उत्पाद, पेंशन उत्पाद और उपयुक्त निवेश उत्पाद सम्मिलित हों।	**और विकसित करके तथा वित्तीय तकनीक एवं बैंकिंग अभिकर्ता नेटवर्क** के माध्यम से उसके कुशल वितरण को सुनिश्चित करके प्राप्त किया जा सकता है।
आजीविका और कौशल विकास तक पहुँच	• **वित्तीय प्रणाली में नए प्रवेशकों को वर्तमान में चल रहे सरकारी आजीविका कार्यक्रमों के बारे में प्रासंगिक जानकारी दी जानी चाहिए,** जिससे उन्हें अपने कौशल को बढ़ाने और सार्थक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने तथा आय बढ़ाने में सहायता मिल सके।	• अभिसरित उपायों के माध्यम से, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM), प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) और अन्य राज्य स्तरीय कार्यक्रमों, जैसे- विभिन्न रोजगार सृजन और कौशल विकास कार्यक्रमों के उद्देश्यों को एकीकृत रूप से पूर्ण करना।
वित्तीय साक्षरता और शिक्षा	• उत्पाद और प्रक्रियाओं को समझने के लिए ऑडियो-वीडियो/पुस्तिकाओं के रूप में, विशिष्ट लक्षित श्रोताओं की अभिरुचि वाले सुगम वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल उपलब्ध कराए जाने चाहिए।	• जमीनी स्तर पर वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए RBI, पंचायत, स्वयं सहायता समूह, किसान क्लब आदि द्वारा समन्वित प्रयास किए जाने चाहिए।
ग्राहक सुरक्षा और शिकायत निपटान	• ग्राहकों को उनकी शिकायतों के समाधान के लिए उपलब्ध उपायों के बारे में जागरूक किया जाएगा। • ग्राहक के बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा के भंडारण और साझाकरण के संबंध में ग्राहक की गोपनीयता की सुरक्षा हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।	• बैंकिंग प्रणाली की मौजूदा ग्राहक शिकायत निपटान प्रणाली, अर्थात् आंतरिक लोकपाल योजना की गुणात्मक दक्षता का आकलन करने के लिए **आंतरिक लेखापरीक्षा** की जानी चाहिए।
प्रभावी समन्वय	• प्रमुख हितधारकों, अर्थात् सरकार, नियामक, वित्तीय सेवा प्रदाता, दूरसंचार सेवा नियामक, कौशल प्रशिक्षण संस्थान आदि के मध्य एक केंद्रित और निरंतर समन्वय होना चाहिए, जिससे सुनिश्चित हो सके कि ग्राहक संधारणीय तरीके से सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम हैं।	• उभरती हुई प्रौद्योगिकी के माध्यम से समन्वय को बढ़ावा देना चाहिए। • स्थानीय स्तर पर वित्तीय समावेशन में तेजी लाने में सहायता के लिए अलग से छोटे फ़ोरम बनाकर योजना और विकास के लिए एक विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

NSFI, वित्तीय समावेशन की प्रगति के मापन की निगरानी के माध्यम से वित्तीय समावेशन नीतियों के आवधिक मूल्यांकन की भी अनुशंसा करता है।

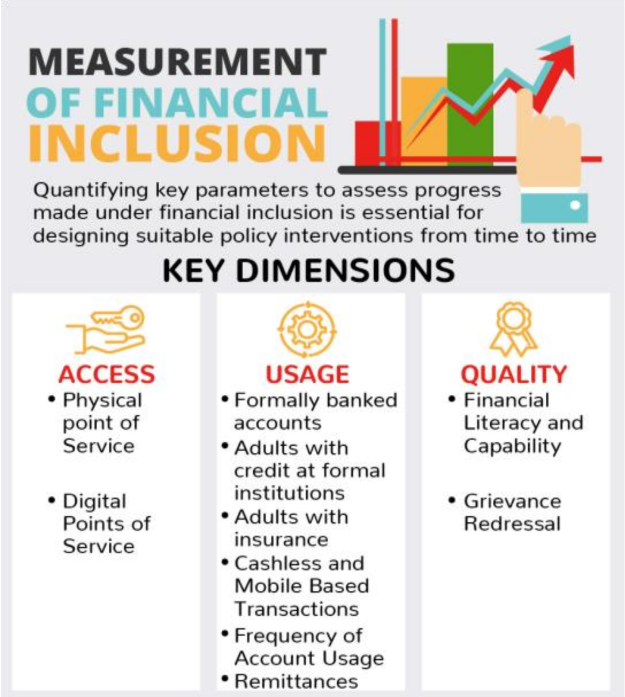

- NSFI, वित्तीय समावेशन के मापदंडों, यथा- **पहुँच, उपयोग** और **गुणवत्ता** की निगरानी के माध्यम से वित्तीय समावेशन नीतियों के आवधिक मूल्यांकन की भी अनुशंसा करता है।
- यह नीति निर्माताओं और हितधारकों को देश की उपलब्धियों को समझने तथा समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से समस्याओं एवं चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।

आगे की राह

- **सहमति और गोपनीयता के सिद्धांतों** को सम्मिलित करके सुरक्षित वातावरण बनाने हेतु पर्याप्त उपाय करने की आवश्यकता है।
- **डिजिटल वित्तीय समावेशन और वित्तीय-तकनीक** की भूमिका को नीतिगत मामलों में सार्थक रूप से **एकीकृत किया जाना चाहिए।**
- कवरेज पर समग्र दृष्टिकोण तैयार करने के लिए ग्राहकों से सर्वेक्षण और फीडबैक प्राप्त करना, बिग डेटा सेट का लाभ उठाना तथा महत्वपूर्ण रूप से विखंडित डेटा की प्राप्ति और विश्लेषण करना एवं वित्तीय सेवाओं का उपयोग आवश्यक है।

3.3. दबावग्रस्त शहरी सहकारी बैंकों पर PCA जैसे प्रतिबंध (Stressed Urban Co-Operative Banks to Face PCA-Like Curbs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) की खराब होती वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए **पर्यवेक्षी कार्रवाई रुपरेखा (Supervisory Action Framework: SAF)** को **संशोधित करने** का निर्णय किया है, जो वाणिज्यिक बैंकों पर लागू त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action: PCA) ढांचे के अनुरूप होगा।

संशोधित SAF

- इसके अंतर्गत UCBs को निम्नलिखित **3 मापदंडों के खराब होने की स्थिति में** प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा:
  - निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के निवल अग्रिम राशियों (net advances) से 6 प्रतिशत से अधिक होने पर।
  - लगातार दो वित्तीय वर्षों में घाटा या उनके तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में समग्र हानि होने पर।
  - पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio: CAR) के 9 प्रतिशत से नीचे आने पर।
- यदि अभिशासन से संबंधित **गंभीर मुद्दे** विद्यमान हैं, तब भी कार्रवाई की जा सकती है।
- **RBI द्वारा लगाए जा सकने वाले संभावित प्रतिबंध/की जाने वाली कार्रवाई**
  - CAR के 9 प्रतिशत से कम होने पर उक्त UCB का किसी अन्य बैंक में विलय करने या उसे क्रेडिट सोसाइटी में परिवर्तित करने के लिए, यह (RBI) बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव की मांग कर सकता है।
  - यह किसी भी जोखिम सीमा (अर्थात् उपर्युक्त 3 मापदंड) के उल्लंघन की स्थिति में, बगैर पूर्व अनुमति के लाभांश के भुगतान या दान पर प्रतिबंध लगा सकता है।
  - कुछ अन्य प्रतिबंधों में एक निश्चित सीमा से अधिक पूंजीगत व्यय और तुलन पत्र के विस्तार पर तथा 100 प्रतिशत से अधिक जोखिम होने पर नए ऋणों और अग्रिमों पर प्रतिबंध लगाना सम्मिलित है।
  - उनके बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने जैसी कार्रवाइयों पर भी विचार किया जा सकता है।

PCA के बारे में

- यह एक ऐसा फ्रेमवर्क है, जिसके तहत कमजोर वित्तीय स्वास्थ्य वाले बैंकों को **RBI द्वारा निगरानी में रखा जाता है।**
- RBI ने वर्ष 2002 में उन बैंकों के लिए एक **संरचित प्रारंभिक-हस्तक्षेप तंत्र** (अर्थात् आरंभ में ही हस्तक्षेप करने हेतु) के तौर पर PCA फ्रेमवर्क को प्रस्तुत किया था, जो परिसंपत्ति की खराब गुणवत्ता या लाभप्रदता न होने के कारण कमजोर हो जाने के परिणामस्वरूप अल्प-पूंजीकृत हो गए थे।
- इसका उद्देश्य भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की समस्या पर रोक लगाना** है।
- PCA फ्रेमवर्क के तहत निम्नलिखित मामलों में चूक की स्थिति में एक बैंक जोखिमग्रस्त हो जाता है: **जोखिम भारित परिसंपत्तियों से पूँजी का अनुपात (Capital to Risk weighted Assets Ratio: CRAR), निवल NPA, परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (Return on Assets: RoA) और टियर 1 लीवरेज अनुपात।**

नोट: शहरी सहकारी बैंकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए अक्टूबर 2019 की मासिक समसामयिकी देखें।

3.4. भारत में ई-कॉमर्स (E-Commerce in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India: CCI) ने **'भारत में ई-कॉमर्स पर बाजार अध्ययन: महत्वपूर्ण निष्कर्ष एवं अवलोकन'** (Market Study on E-commerce in India: Key Findings and Observations) नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

भारत में ई-कॉमर्स पारितंत्र की प्रमुख विशेषताएँ

- **विश्व में सर्वाधिक तेजी से बढ़ता बाजार:** भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र से प्राप्त होने वाले राजस्व के वर्ष 2017 के 39 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020 में 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचना अपेक्षित है, **जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 51 प्रतिशत है जो कि विश्व में सर्वाधिक है।**
- **वित्तीयन:** वर्ष 2009 के पश्चात् से, ई-कॉमर्स क्षेत्र को विश्व भर से लगभग 13,338 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है।

- **MSMEs की भागीदारी:** संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO) के एक वर्किंग पेपर के अनुसार, भारत में विनिर्मित उत्पादों का लगभग आधा भाग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) से आता है तथा 43 प्रतिशत MSMEs भारत में ऑनलाइन बिक्री में भाग लेते हैं।
- **गतिशील मूल्य निर्धारण:** ऑनलाइन व्यापार से मूल्य पारदर्शिता में वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप ग्राहकों के लिए मूल्यों की तुलना करना आसान हो गया है। इससे विक्रेताओं को भी प्रतिस्पर्धियों की कीमतों पर नज़र रखने तथा अपनी कीमतें निर्धारित करने में इसको इनपुट के रूप में उपयोग करने में सहायता प्राप्त होती है।
- **ई-कॉमर्स के प्रति रणनीतिक अनुक्रिया:** कुछ लघु खुदरा विक्रेता ऑनलाइन उपभोक्ताओं तक पहुँचने के लिए, मुख्य रूप से, तृतीय पक्ष के मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। कुछ विक्रेताओं ने प्रत्यक्ष बिक्री के पूरक के रूप में, स्वयं अपनी वेबसाइटें लॉन्च कर ली हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे विक्रेता भी हैं जो बिना किसी दुकान के विशिष्ट रूप से केवल ऑनलाइन माध्यम से ही बिक्री करते हैं।
- **ऑनलाइन मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म की भूमिका:** इस अध्ययन से पता चलता है कि तृतीय पक्ष के ऑनलाइन मार्केटप्लेस भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। भारत में अनुमानित 64 प्रतिशत डिजिटल खुदरा व्यापार ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से होता है।
- **वृद्धि के कारक:** ई-कॉमर्स क्षेत्र की वृद्धि के लिए निम्नलिखित कारक सहायक हैं: स्मार्टफोन का बढ़ता उपयोग और इंटरनेट तक पहुँच में वृद्धि, मार्केटप्लेस द्वारा डिलीवरी के समय नकद में मूल्य चुकाने की सुविधा, मार्केटप्लेस द्वारा दी जानी वाली छूट और मूल्य प्रणाली, त्वरित डिलीवरी (जिसमें एक दिन में डिलीवरी शामिल है), उत्पादों की व्यापक रेंज की उपलब्धता (जिससे टियर II और टियर III शहरों में भी इसकी मांग बढ़ी है, क्योंकि वहां पर पहले विकल्प सीमित थे) आदि।

ई-कॉमर्स क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियाँ

- **निम्न ग्राहक आधार:** भारत में कुल इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार, वर्ष 2019 के 665 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2021 तक 829 मिलियन हो जाएगा, फिर भी ई-कॉमर्स की पहुँच अत्यंत कम अर्थात् केवल 50 मिलियन खरीदारों तक ही है।
- **खुदरा बिक्री में अल्प भागीदारी:** विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुल खुदरा बिक्री में ऑनलाइन बिक्री की भागीदारी मात्र 1.6 प्रतिशत थी, जबकि चीन के लिए यह आँकड़ा 15 प्रतिशत और वैश्विक स्तर पर लगभग 14 प्रतिशत है।
- **नवीन उपभोक्ता आधार की माँगों को पूर्ण करना:** भारत में टियर-2 और टियर-3 शहरों से भावी उपभोक्ता के उभरने की संभावना है। विविध भाषाएँ, डिजिटल सिस्टम की जानकारी न होना और सूक्ष्म बाजारों में उत्पादों की एक ग्रहणशील प्राथमिकताएँ इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं।
- **लॉजिस्टिक संबंधी चुनौती:** अवसंरचनात्मक अक्षमता के अतिरिक्त, डिलीवरी की उच्च लागत व उच्च वापसी दर, डिलीवरी के समय नकद भुगतान वाले ऑर्डर (COD) की अधिकता आदि इस संबंध में प्रमुख चुनौतियां हैं।
- **ई-कॉमर्स नीति का मसौदा:** यह नीति वालमार्ट-फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे ऑनलाइन बड़े खुदरा विक्रेताओं पर ऐसे डेटा के संग्रह एवं भंडारण के लिए स्थानीय डेटा केंद्र स्थापित करने का अतिरिक्त दायित्व डालती है।
- **ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से संबंधित समस्याएँ:**
    - **प्लेटफ़ॉर्म तटस्थता:** मार्केटप्लेस अपने पसंदीदा विक्रेता या निजी लेबलों के पक्ष में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण डेटा का उपयोग करते हैं, जैसे- प्रतिस्पर्धी उत्पादों का मूल्य, उपभोक्ता वरीयताएँ आदि।
    - **प्लेटफ़ॉर्म-टु-बिजनेस अनुबंध की शर्तें:** सभी व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए प्लेटफ़ॉर्म का कोई मानक अनुबंध उपलब्ध नहीं है। विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अनुबंधों को अनुकूलित किया जाता है, जो समान रूप से लागू नहीं होते।
    - **अत्यधिक छूट की प्रथा** के साथ-साथ अलग-अलग छूट संरचना के कारण पक्षपातपूर्ण स्थिति और/या भेदभाव, रैंकिंग में गिरावट, लाभप्रदता में गिरावट और ब्रांड इक्विटी में नुकसान आदि जैसी समस्याएँ होती हैं।
    - **विशेष व्यवस्था** जैसे कि किसी विशेष प्लेटफ़ॉर्म पर किसी उत्पाद को लॉन्च करने या उत्पाद श्रेणी में केवल एक ब्रांड को सूचीबद्ध करने से आमतौर पर कीमतें बढ़ती हैं तथा उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों की कमी हो जाती है।
    - **प्लेटफ़ॉर्म मूल्य समता अनुच्छेद,** विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर कम कीमतों पर अपने माल या सेवाओं की पेशकश करने से रोकता है।
    - इनमें से कुछ प्लेटफॉर्मो की उपयोगकर्ता समीक्षा (user review) तथा रेटिंग नीति में **पारदर्शिता और साख की कमी से जुड़ी समस्याएँ भी मौजूद हैं।**

आगे की राह

- **सरकार की भूमिका:** नागरिकों की औपचारिक बैंकिंग एवं आसान ऋण सुविधाओं तक पहुँच को विस्तृत करना, विशेष रूप से औद्योगिक गलियारों, लॉजिस्टिक पार्क और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के माध्यम से 'मेक इन इंडिया' पहल के लिए सरकार द्वारा सहयोग बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
- **सुदृढ़ डेटा संरक्षण ढांचे का प्रोन्नयन:** सीमा-पारीय ई-कॉमर्स लेनदेन पर अप्रत्यक्ष कराधान और प्रतिबंधों में रियायतों के संदर्भ में स्थानीय ऑफ़लाइन और ऑनलाइन प्रतिभागियों के मध्य समानता लाना।

VISION IAS

- **आधुनिक लॉजिस्टिक्स साझेदार** और **प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई नवीन खोज,** जैसे- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) आदि वर्तमान समस्याओं का समाधान प्रदान करते हैं, जिससे ई-कॉमर्स कंपनियाँ स्रोत पर लौटाने (Return to Origin: RTO) और COD दरों में कमी ला सकती हैं।
    - RTO तब होता है, जब ऑर्डर डिलीवर नहीं किए जा सकते और उन्हें वापस गोदाम में भेजना पड़ता है।
- **स्व-नियमन:** प्लेटफ़ॉर्म निम्नलिखित पहलुओं के नियंत्रण के लिए ऐसे तरीके विकसित कर सकते हैं, जिससे अनुबंध के सभी पक्षों के हितों का संरक्षण हो सके -i) अनुबंध की आधारभूत शर्तों हेतु तोलमोल की रूपरेखा ii) छूट नीति iii) आर्थिक दंड और iv) विवाद समाधान।
- **प्रकरण-दर-प्रकरण विश्लेषण: प्लेटफ़ॉर्म मूल्य समानता अनुच्छेद** से संबंधित समस्याओं, विशेष व्यवस्था और अत्यधिक छूट की प्रथाओं का समाधान करने तथा हितधारकों के **हितों में टकराव को संतुलित करने के लिए** CCI द्वारा विशिष्ट मामले का विश्लेषण किया जाना चाहिए।

ई-कॉमर्स क्षेत्र और संबंधित शब्दावली
- **ई-कॉमर्स** का आशय, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पादों सहित वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद-बिक्री से है।
- **ई-कॉमर्स मॉडल के प्रकार:**
    - **इन्वेंट्री आधारित मॉडल:** इस ई-कॉमर्स गतिविधि में माल और सेवाओं की इन्वेंट्री (वस्तु-सूची) का स्वामित्व ई-कॉमर्स निकाय के पास ही होता है तथा वह इन्हें सीधा उपभोक्ताओं को बेचता है, उदाहरण- ग्रोफर्स।
    - **मार्केटप्लेस आधारित मॉडल:** इसमें ई-कॉमर्स निकाय द्वारा एक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म प्रदान किया जाता है तथा उक्त निकाय खरीदार और विक्रेता के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, उदाहरण- अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि।
- **FDI प्रावधान:**
    - ई-कॉमर्स के मार्केटप्लेस मॉडल में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।
    - ई-कॉमर्स के इन्वेंट्री आधारित मॉडल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है।

नोट: ड्राफ्ट ई-कॉमर्स पॉलिसी के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया फरवरी 2019 की समसामयिकी देखिए।

3.5. खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2020 {The Mineral Laws (Amendment) Ordinance 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **'खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2020'** प्रख्यापित किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य
- यह अध्यादेश **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR Act)** और **कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 (CMSP Act)** में संशोधन करता है।
- वर्ष 2014 में, उच्चतम न्यायालय ने कोयला घोटाले पर CAG की रिपोर्ट के पश्चात् कोयला खदानों का आवंटन रद्द कर दिया था।
- CMSP अधिनियम 2015, उन खदानों की नीलामी और आवंटन का प्रावधान करता है, जिनका आवंटन उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था।
    - **अनुसूची I:** ऐसी सभी खदानों की सूची प्रदान करती है;
    - **अनुसूची II और III:** इनमें अनुसूची I में सूचीबद्ध खदानों के उप-वर्ग शामिल हैं।
        - अनुसूची II में उन खदानों को शामिल किया गया है जहां उत्पादन पूर्व में ही आरंभ हो चुका है तथा अनुसूची III में वे खदानें शामिल हैं जिन्हें निर्दिष्ट अंतिम-उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है।
- हालांकि, 204 कोयला ब्लॉकों में से केवल 29 ब्लॉकों की ही नीलामी की जा सकती थी क्योंकि इनमें से कुछ खदानों का अंतिम उपयोग प्रतिबंधित था।

खनन उद्योग की वर्तमान स्थिति
- **देश की ऊर्जा और कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण:** खनन उद्योग विद्युत क्षेत्रक के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में, भारत में लगभग 72 प्रतिशत विद्युत का उत्पादन कोयले के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, खनिज विनिर्मित उत्पादों और कई कृषि-आदानों के महत्वपूर्ण आधार के रूप में कार्य करते हैं।
- **अत्यधिक आयात:** उल्लेखनीय है कि, भारत में विश्व का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार है, फिर भी विगत वर्ष 235 मिलियन टन (mt) कोयले का आयात किया गया था, जिसमें से 135mt (1,71,000 करोड़ रूपए मूल्य) आवश्यकता की पूर्ति घरेलू भंडार से की जा सकती थी।

- **विदेशी निवेश के अंतर्वाह में कमी और सकल घरेलू उत्पाद में घटता योगदान:**
    - भारत की GDP (वास्तविक संदर्भ में) में इस उद्योग की हिस्सेदारी 2011-12 के 3.1 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 2.6 प्रतिशत हो गई थी।
    - इस क्षेत्रक में FDI अंतर्वाह 2014-15 के 2.1 प्रतिशत (भारत के कुल FDI अंतर्वाह का) से घटकर 2018-19 में 0.5 प्रतिशत रह गया।
- **अपनी विशाल संभाव्यता के सापेक्ष अल्पविकसित:** पारंपरिक स्रोतों से विद्युत की मांग में कमी, सीमेंट, लोहा और इस्पात क्षेत्रों की संवृद्धि में कमी; और अनुमोदन प्रक्रियाओं ने ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया है जिसमें खदानों को आवंटित किए जाने के बावजूद, खनिजों के निष्कर्षण को सीमित करने के साथ-साथ खानों के विकास को भी बाधित किया है।

प्रमुख संशोधन

- **पूर्वेक्षण और खनन के लिए संयुक्त लाइसेंस:**
    - वर्तमान में, कोयला और लिग्नाइट के पूर्वेक्षण और खनन के लिए पृथक-पृथक लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टा कहा जाता है।
        - पूर्वेक्षण में खनिज का अन्वेषण, अवस्थिति या खनिज निक्षेपों की खोज की जाती है।
    - यह अध्यादेश एक नवीन प्रकार के लाइसेंस को प्रस्तावित करता है, जिसे **पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टा (license-cum-mining lease)** कहा जाएगा। यह पूर्वेक्षण और खनन दोनों गतिविधियों का प्रावधान करने वाला एक संयुक्त लाइसेंस होगा।
- **कोयले के अंतिम उपयोग से प्रतिबंध की समाप्ति:**
    - वर्तमान में नीलामी के माध्यम से कंपनियां अनुसूची II और अनुसूची III में शामिल कोयला खदानों का अधिग्रहण करके उत्पादित कोयले को केवल विद्युत उत्पादन तथा इस्पात उत्पादन जैसे निर्दिष्ट अंतिम उपयोगों के लिए प्रयोग कर सकती हैं। इसे **कैप्टिव खनन** के रूप में भी जाना जाता है।
    - यह अध्यादेश इस प्रतिबंध को समाप्त करता है। ऐसे में कंपनियां उत्खनित खनिज का अंतिम उपयोग संयंत्रों (विद्युत, इस्पात, सीमेंट आदि) के **कैप्टिव उपयोग और खुले बाजार में वाणिज्यिक बिक्री के लिए उपयोग करने हेतु स्वतंत्र होंगी।**
- **कोयला एवं लिग्नाइट ब्लॉकों की नीलामी के लिए पात्रता:**
    - यह अध्यादेश स्पष्ट करता है कि जिन कंपनियों के पास भारत में कोयला खनन का कोई पूर्व अनुभव नहीं है, लेकिन जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और जिनके पास अन्य खनिजों या अन्य देशों में खनन का अनुभव है, वे अब कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों की नीलामी में भाग ले सकती हैं।
        - इससे **निवेश आकर्षित करने** में सहायता मिलेगी तथा कोयले की बिक्री के लिए स्वचालित मार्ग से **100 प्रतिशत FDI के कार्यान्वयन की अनुमति प्राप्त होगी।**
- **आवंटन की समाप्ति के बाद पुनः आवंटन:**
    - CMSP अधिनियम कुछ मामलों में कोयला खानों का आवंटन आदेश समाप्त करने का प्रावधान करता है।
    - इस अध्यादेश के अनुसार इस प्रकार की खानों का नीलामी या आवंटन के माध्यम से पुनः आवंटन किया जा सकता है तथा जिस आवंटिती का आवंटन समाप्त कर दिया गया है, उसके लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
- **केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन:**
    - MMDR अधिनियम के अंतर्गत, राज्य सरकारों को कोयला और लिग्नाइट के लिए आवीक्षण परमिट (reconnaissance permit), पूर्वेक्षण लाइसेंस (prospecting license), या खनन पट्टा प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है।
    - यह अध्यादेश प्रावधान करता है कि कोयला और लिग्नाइट के लिए **कुछ मामलों** में इन लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए **केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।** इनमें ऐसे मामले सम्मिलित हैं जहां: (i) आवंटन केंद्र सरकार द्वारा किया गया हो, और (ii) खनिज संरक्षण के लिए केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा खनन ब्लॉक आरक्षित किए गए हों।
- **गैर-अनन्य आवीक्षण परमिट (Non-exclusive reconnaissance permit: NERP) धारक लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं:**
    - वर्तमान में, NERP (अर्थात कुछ विशेष सर्वेक्षणों के माध्यम से कुछ निर्दिष्ट खनिजों का अन्वेषण) धारक पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।
    - यह अध्यादेश प्रावधान करता है कि इस प्रकार के परमिट धारक पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टे के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह प्रावधान अध्यादेश में यथा निर्धारित कुछ लाइसेंसधारियों के लिए लागू होगा।
- **नीलामी के लिए अग्रिम कार्रवाई:**
    - MMDR अधिनियम के अंतर्गत, निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर निर्दिष्ट खनिजों (कोयला, लिग्नाइट, और परमाणु खनिजों से भिन्न खनिज) के लिए खनन पट्टों की नीलामी की जाती है।

VISION IAS

- यह अध्यादेश प्रावधान करता है कि राज्य सरकारें अवधि समाप्त होने से पूर्व ही खनन पट्टे की नीलामी के लिए अग्रिम कार्रवाई की शुरुआत कर सकती हैं।

- **नए बोली लगाने वालों (bidders) को सांविधिक मंजूरी प्रदान करना:**
    - वर्तमान में, नए पट्टेदारों के लिए खनन कार्य आरंभ करने से पूर्व सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और इससे विलंब होता है। इसके कारण देश में खनिज उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप इस्पात, सीमेंट आदि जैसे महत्वपूर्ण अनुषंगी उद्योग प्रभावित होते हैं।
    - यह अध्यादेश प्रावधान करता है कि पिछले पट्टेदार को प्रदान की गई विभिन्न स्वीकृतियां, लाइसेंस और मंजूरियां दो वर्ष की अवधि के लिए सफल बोली लगाने वालों को प्रदान की जाएंगी।

निष्कर्ष

- हालांकि, परिचालन दक्षता प्रदान करने की दिशा में यह अध्यादेश एक सकारात्मक कदम है। संबंधित नियमों और बोली-प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देशों का विस्तार से मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि अध्यादेश के अनुरूप प्रगतिशील क़दमों के अनुसरण को सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन्हें पूर्ण रूप से लागू किया जा सके।
- यह उदारीकृत नीति वैश्विक प्रतिभागियों को निवेश के अवसरों की तलाश करने की अनुमति प्रदान करेगी जो बदले में देश को बड़े पैमाने पर लोगों के लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग हेतु अपनी तकनीकी क्षमताओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी।

3.6. सड़क अवसंरचना वित्त-पोषण (Road Infrastructure Funding)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने **अवसंरचना निवेश न्यास (Infrastructure Investment Trust: InvIT) रोडमैप** जारी किया है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highway Authority of India: NHAI)

- यह **NHAI अधिनियम, 1988 द्वारा स्थापित भारत सरकार की एक स्वायत्त एजेंसी** है।
- यह **राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन** तथा इनसे जुड़े मामलों के लिए उत्तरदायी है।
- NHAI को **राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (National Highways Development Project: NHDP)** को कार्यान्वित करने हेतु अधिदेशित किया गया है। ज्ञातव्य है कि यह चरणबद्ध तरीके से विकसित होने वाली भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- दिसंबर 2019 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **NHAI को InvIT की स्थापना करने के लिए** अधिकृत किया था।
    - NHAI, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा जारी InvIT दिशा-निर्देशों के अनुसार, संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों को मुद्रीकरण करने के लिए InvIT स्थापित करने हेतु अधिकृत है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों का टोल संग्रह ट्रैक रिकॉर्ड कम से कम एक वर्ष का होना चाहिए और जो अपनी वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करता हो। NHAI के पास पहचान किए गए राजमार्गों पर टोल लगाने का अधिकार सुरक्षित है।
- अब, **NHAI आरंभ में अपने प्रथम InvIT प्रस्ताव (ऑफर) के माध्यम से 15,000-20,000 करोड़ रुपये** का संग्रहण करेगा तथा तत्पश्चात आगे बड़ी राशि संग्रहित की जाएगी।
- **निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण (Build, Operate and Transfer: BOT) मॉडल** (जिसमें प्रारंभिक लागत निजी क्षेत्रक द्वारा वहन की जाती है) में निजी क्षेत्रक की कम होती रूचि के मध्य यह सड़क और अवसंरचना क्षेत्रक में सार्वजनिक व्यय को बढ़ावा देने के लिए वित्त-पोषण के वैकल्पिक स्रोतों का दोहन करने की सरकार की योजनाओं का भाग है।
- हाल ही में, आगामी पांच वर्षों के लिए **1 ट्रिलियन रूपए की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP)** का भी अनावरण किया गया। साथ ही, निवेश के 19 प्रतिशत अंश को सड़क क्षेत्रक हेतु रखा जाएगा।
- NHAI द्वारा वर्तमान में अपनी वित्तपोषण की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए **TOT (टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर), NIIF (राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष) से साझेदारी, LIC को बॉण्ड निर्गमन और केंद्रीय बजटीय आवंटन** आदि का उपयोग किया जा रहा है।

सड़क अवसंरचना वित्त-पोषण में समस्याएं

- **सरकार से वित्तीय समर्थन का अभाव:** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को किया गया बजटीय आवंटन, **सरकार की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने में विफल** रहा है। जिसने इस क्षेत्रक को अन्य साधनों से अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बाध्य किया है।
- **अवसंरचना क्षेत्रक में निजी निवेश में गिरावट:** इस क्षेत्र में बढ़ती दबावग्रस्त आस्तियों और बाजार की अस्थिरता के कारण निवेशकों का विश्वास कम हुआ है तथा यह अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू निवेशकों में अरुचि का कारण भी बना है।
    - **वित्त-पोषण के वर्तमान मॉडलों,** जैसे- BOT मॉडल में निजी क्षेत्र की रुचि में कमी हुई है।

VISION IAS

- **वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तपोषण में कमी:** क्षेत्रक संबंधित जोखिम और परिसंपत्ति-दायित्व परिपक्वता असंतुलन के संदर्भ में बैंकों में जोखिमों/दबावग्रस्त आस्तियों के बढ़ते स्तर के कारण वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किए जाने वाले वित्त-पोषण में कमी आई है।
  - लघु बैंकों के पास बड़ी परियोजनाओं का स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन करने और इन ऋणों से क्रेडिट जोखिम का सामना करने की क्षमता का आकलन करने का अभाव है।

आगे की राह

- सरकार द्वारा संभाव्य परियोजनाओं में पूँजी या परिसंपत्तियों का पुनर्निवेश करने के लिए **'परिसंपत्ति के पुन: उपयोग'** (जिसे पूँजी पुनर्चक्रण कहा जाता है) की सहायता ली जा सकती है।
- **सड़क अवसंरचना परियोजना कोष:** वित्तपोषण को सुचारु बनाने के लिए सरकार इसकी स्थापना कर सकती है।
  - व्यापक स्तर पर इसके निष्पादन की गारंटी प्रदान करने हेतु इसका सशक्त प्रशासन, स्वायत्त रिपोर्टिंग और किसी स्वतंत्र अंकेक्षक द्वारा अनुमोदित सुपरिभाषित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक होने चाहिए।
- **प्रतिभूतियों का निर्गमन:** सरकार द्वारा 30 से 50 वर्ष की अवधि के लिए इस विकल्प की खोज की जा सकती है। बैंक एवं बॉण्ड वित्तपोषण परस्पर पूरक हो सकते हैं; यह वित्तीय दुर्बलता को कम करता है तथा पूंजी आवंटन की प्रभावशीलता को उन्नत बनाता है।
- **सुविकसित बॉण्ड बाजार:** यह आर्थिक सहायता प्रदान करने के आधार को व्यापक बनाता है, जोखिम प्रबंधन के लिए उपाय प्रदान करता है, कॉर्पोरेट प्रशासन को सुदृढ़ बनाता है तथा बैंकों पर उधारकर्ताओं के प्रभाव को सीमित करके अनुशासन को उन्नत बनाता है।

NHAI के लिए अवसंरचना निवेश न्यास (Infrastructure Investment Trust: InvIT)

- InvIT वस्तुतः म्यूचुअल फंडों की भांति ही एक निवेश योजना होते हैं। यह अवसंरचना परियोजनाओं में व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों को उनके निवेश के बदले में प्रतिफल के रूप में आय का एक भाग अर्जित करने की अनुमति प्रदान करता है।
- InvIT, **भारतीय न्यास अधिनियम, 1882** तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित एक न्यास है।
- **मुख्य रूप से अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश के उद्देश्य** से InvIT न्यास का गठन किया जाएगा तथा InvIT प्रत्यक्ष या स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) या होल्डिंग के माध्यम से परिसंपत्ति धारण कर सकता है।
- **यह NHAI को उन राष्ट्रीय राजमार्गों का मुद्रीकरण करने में सक्षम बनाएगा,** जिनके पास कम से कम एक वर्ष के टोल संग्रह का अनुभव (ट्रैक रिकॉर्ड) है।

InvIT का महत्व

- InvIT मार्ग के माध्यम से, NHAI के पास अब अपनी पूर्ण हो चुकी और परिचालनरत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के मुद्रीकरण करने के लिए **पूँजी बाजारों से अतिरिक्त संसाधन** जुटाने हेतु वित्तपोषण का **एक और मार्ग उपलब्ध** होगा।
  - NHAI द्वारा कम से कम एक वर्ष के टोल संग्रह के ट्रैक रिकॉर्ड वाली या ऐसी परियोजनाओं का मुद्रीकरण करने की संभावना है जहां NHAI के पास पहचाने गए राजमार्ग पर टोल संग्रहण का अधिकार सुरक्षित है।
- यह **भारतमाला परियोजना** जैसी ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए नवीन निवेश को दिशा देने में सहायक होगा।
- यह देखते हुए कि निवेशक **निर्माण जोखिम के प्रति सुभेद्य** होते हैं तथा **दीर्घकालिक स्थायी प्रतिफल** प्रदान करने वाली परिसंपत्तियों में निवेश करने में रुचि रखते हैं, इस स्थिति में InviT द्वारा **भारतीय राजमार्ग बाजार के लिए आवश्यक पूंजी (अर्थात् 20-30 वर्षों के लिए)** आकर्षित करने से NHAI को सहायता प्राप्त होगी।
- InvIT द्वारा **विदेशी निवेशकों, विशेष रूप से पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड और बीमा कंपनियों को आकर्षित करने** की अत्यधिक संभावना है।
- InvIT से संबंधित विनियामकीय ढाँचा अनिवार्य वितरण नियमों, कम जोखिम, उच्च गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियों और आय वितरण पर कर लाभ के कारण **कॉर्पोरेट गवर्नेंस और स्थिर दीर्घकालिक प्रतिफल** प्रदान करता है।

3.7. निजी रेल परिचालन के लिए मसौदा दिशा-निर्देश (Draft Guidelines For Private Trains)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रेल मंत्रालय एवं नीति आयोग ने **यात्री रेल परिचालन में निजी भागीदारी पर चर्चा के लिए मसौदा दस्तावेज़ जारी किया है** ताकि उन पर हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त की जा सकें।

प्रमुख अनुशंसाएं

- **निजी इकाइयों की भूमिका:** निजी इकाइयां रेल के वित्तपोषण, खरीद, संचालन एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी होंगी। निजी इकाइयों द्वारा परिचालन के लिए भारतीय रेलवे को पूर्व निर्धारित प्रभार और अनुबंध में निर्दिष्ट अन्य सभी भुगतान किए जाएंगे।
- **रूट (मार्ग):** मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली, नई दिल्ली-पटना, इलाहाबाद-पुणे और दादर-वडोदरा सहित 100 मार्गों की पहचान की गई है, जिन्हें 10-12 संकुलों में विभाजित किया जाएगा।

VISION IAS

- **किराये का निर्धारण:** निजी इकाइयों को यात्रियों से वसूल किए जाने वाले किराये का निर्धारण करने की स्वतंत्रता होगी।
- **संचालन एवं रखरखाव:** रेलों का रखरखाव निजी इकाई का उत्तरदायित्व होगा। यात्री रेलों के संचालन एवं रखरखाव का कार्य **अनुसंधान अभिकल्प तथा मानक संगठन (Research Design and Standard Orgnisation: RDSO)** द्वारा निर्धारित मानकों द्वारा शासित होगा।
- **रॉलिंग स्टॉक (रेल के डिब्बे, इंजन आदि) का डिज़ाइन:** निजी इकाई अपनी वरीयता के स्रोत से ट्रेनों एवं लोकोमोटिव की खरीद के लिए स्वतंत्र होगी, बशर्ते ऐसी ट्रेनें एवं लोकोमोटिव रियायत समझौते में निर्दिष्ट विनिर्देश और मानकों के अनुरूप हों। ये ट्रेनें लोकोमोटिव अथवा विद्युत चालित हो सकती हैं।
- **गैर-निष्पादन पर अर्थदंड:** निर्धारित निष्पादन मानकों और परिणामों को पूरा करने में विफलता के लिए पूर्व-निर्दिष्ट दंड रियायतग्राही (Concessionaire) से वसूल किया जाएगा।
- **बोली-प्रक्रिया:** इसमें द्वि-चरणीय बोली प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा गया है अर्थात् अर्हता हेतु अनुरोध (Request for Qualification: RFQ) और प्रस्ताव हेतु अनुरोध (Request for Proposal: RFP)।
    - RFQ प्रक्रिया बोली लगाने वालों (bidders) की तकनीकी और वित्तीय क्षमता के आधार पर उनकी पूर्व-योग्यता एवं शॉर्टलिस्टिंग के लिए होगी, जिन्हें परियोजना आरंभ करने के लिए RFP चरण में एक निश्चित मूल्य की बोली का प्रस्ताव रखने की आवश्यकता होगी।
    - उच्चतम राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर सफल बोली लगाने वालों का चयन।
    - ऑपरेटर घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हो सकती हैं।

रेलवे का निजीकरण

लाभ	चुनौतियां
• **बेहतर दक्षता:** एक निजी कंपनी की प्रवृत्ति लाभ अर्जन की होती है, अतः लागत में कटौती एवं कार्यकुशलता में वृद्धि होने की संभावना है। • **राजनीतिक हस्तक्षेप का अभाव:** सरकारों द्वारा किया जाने वाला आर्थिक प्रबंधन प्रायः ख़राब रहा है, क्योंकि प्रबंधक आर्थिक एवं व्यावसायिक समझ के बजाय राजनीतिक दबाव से प्रेरित होते हैं। • **दीर्घकालिक योजना:** एक सरकार केवल अगले चुनाव के संदर्भ में ही विचार करती है और इस प्रकार फर्म को दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से अवसंरचनात्मक सुधारों के लिए निवेश करने में अनिच्छुक हो सकती है। इसे निजी उद्यमों द्वारा सुसाध्य बनाया जा सकता है। • **शेयरधारक:** निजी अभिकर्ताओं पर कुशलतापूर्वक निष्पादन के लिए शेयरधारकों का दबाव बना रहेगा। • **बेहतर प्रतिस्पर्धा:** इससे किराए के साथ-साथ सेवा की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित होगा। • **सरकारी हानि को रोकना:** भारतीय रेलवे द्वारा सृजित राजस्व कम है, जिससे सरकारी व्यवस्था को हानि उठानी पड़ती है। • **सेवा की बेहतर गुणवत्ता:** भारतीय रेलवे को अपनी सेवा की गुणवत्ता, विशेष रूप से खानपान और समयबद्ध संचालन के संदर्भ में अत्यधिक आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। • **नवीनतम तकनीक:** निजीकरण से रेल कोच, स्टेशन सुविधाओं, ऑनलाइन सेवाओं आदि में नवीनतम तकनीक को समायोजित करने में सहायता प्राप्त होगी। • **दुर्घटनाओं में कमी:** निजी स्वामित्व को बेहतर रखरखाव का पर्याय माना जाता है, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी तथा इसके परिणामस्वरूप लंबे समय में सुरक्षित यात्रा और उच्च मौद्रिक बचत होगी। • **माँग-आपूर्ति अंतराल में कमी:** चूंकि प्रतीक्षा सूची (waitlisted passengers) वाले यात्रियों की संख्या कुल आरक्षित यात्रियों की संख्या का लगभग 15% होती है। • **क्षमता निर्माण में वृद्धि करना:** चूंकि क्षमता संबंधी बाध्यताओं के कारण हवाई यात्रा जैसे अन्य तरीकों से यात्री व्यवसाय को हानि होती है।	• **स्वाभाविक एकाधिकार:** रेलवे में निजीकरण से निजी एकाधिकार को बढ़ावा मिल सकता है, जिसके कारण अधिक मूल्य निर्धारण से उपभोक्ताओं का शोषण होगा। • **सार्वजनिक हित:** चूंकि एक निजी उद्यम में लाभ अर्जन सर्वोपरि होता है, ऐसे में यह किराए में वृद्धि कर सकता है। इस प्रकार रेलवे सेवा निम्न आय वर्ग के पहुंच से बाहर हो सकती है। • **इसका विस्तार लाभप्रद क्षेत्रकों तक ही सीमित होगा:** निजीकरण के मामले में जो मार्ग (रूट्स) कम लोकप्रिय हैं, उन पर संचालन को समाप्त किया जा सकता है, जिसका कनेक्टिविटी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और यह देश के कुछ हिस्सों को लगभग अगम्य बना सकता है। • **जवाबदेही:** निजी कंपनियों का व्यवहार अप्रत्याशित होता है तथा ये अन्य क्षेत्रों के साथ संचालन गतिविधियों संबंधी तरीकों को साझा नहीं करती हैं। ऐसी परिस्थिति में, किसी गतिरोध के मामले में किसी विशिष्ट इकाई की जवाबदेही सुनिश्चित कर पाना कठिन होगा। • **रेलवे उद्योग में विखंडन:** ब्रिटेन में रेलवे के निजीकरण के फलस्वरूप, रेल नेटवर्क अवसंरचना और रेल परिचालन कंपनियों के मध्य विभाजित हो गया। इसने उन परिस्थितियों को उत्पन्न किया है, जिसमें उत्तरदायित्व निर्धारण करना स्पष्ट नहीं था। • **विनियामक संबंधी भार:** उच्च लागत और निम्न लाभ, नीतिगत अनिश्चितता, एक समान अवसर प्रदान करने हेतु नियामक का अभाव, निवेशकों के लिए प्रोत्साहन का अभाव तथा प्रक्रियात्मक/परिचालनात्मक मुद्दों, जैसे- भूमि अधिग्रहण में विलंब आदि ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को अत्यधिक सीमित किया है।

VISION IAS

आगे की राह

- रेलवे भारत सरकार के लिए रणनीतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है। इसके निजीकरण और इसके प्रभाव पर समग्र रूप से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। निहितार्थों के अध्ययन के लिए निजी रूप से संचालित तेजस एक्सप्रेस के प्रदर्शन का विश्लेषण किया जा सकता है।
- रेलवे क्षेत्रक में प्रशुल्कों के निर्धारण के लिए एक सुदृढ़ नियामक तंत्र तथा एक सशक्त विवाद निवारण तंत्र स्थापित किया जाना आवश्यक है।

3.8. 24x7 विद्युत आपूर्ति हेतु मसौदा योजना {Draft Scheme for Supply of Round-The-Clock (RTC) Power}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने "नवीकरणीय ऊर्जा आधारित (सौर, पवन या लघु जलविद्युत) पॉवर प्रोजेक्ट्स से प्राप्त और थर्मल (कोयला) विद्युत परियोजनाओं द्वारा पूरित ऊर्जा से 24x7 (राउंड-द-क्लॉक: RTC) विद्युत आपूर्ति हेतु एक मसौदा योजना" तैयार की है।

पृष्ठभूमि

- ग्रिड से संबद्ध (कनेक्टेड) सौर ऊर्जा के विकास एवं परिनियोजन की सुविधा प्रदान करने के लिए **जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन** के प्रथम चरण में **"बंडलिंग"** की एक योजना आरंभ की गई थी, जिसमें अपेक्षाकृत महंगी सौर ऊर्जा को सस्ती ताप विद्युत ऊर्जा के साथ संबद्ध (बंडल) किया गया था।
- समय के साथ, प्रौद्योगिकियों की प्रगति और इकोनॉमी ऑफ स्केल ने सौर एवं पवन ऊर्जा के प्रशुल्क को 3 रुपये/यूनिट के स्तर तक पहुंचा दिया है, जो समकालीन ताप विद्युत संयंत्रों से प्राप्त होने वाली विद्युत की लागत से कम है।
- हालांकि, नवीकरणीय ऊर्जा (RE) क्षेत्रक में RE की **असतत एवं अप्रत्याशित प्रकृति** तथा संप्रेषण प्रणाली के **निम्न क्षमता उपयोग** से संबंधित कई मुद्दे विद्यमान हैं।
- विद्युत की अस्थिर प्रकृति का प्रबंधन करने के लिए, विद्युत वितरण कंपनियां (DISCOM) ग्रिड स्थिरता प्रदान करने और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा वितरण की अवधि के दौरान इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य स्रोतों से ऊर्जा की खरीद कर रही हैं। इससे वितरण कंपनियों की लागत में वृद्धि हो रही है।
- उपर्युक्त मुद्दों का समाधान करने के लिए यह **मसौदा योजना "रिवर्स बंडलिंग"** संबंधी उपाय प्रस्तुत करती है, जिसमें उच्च लागत वाली ताप विद्युत ऊर्जा को सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा के साथ बंडल करने की अनुमति प्रदान की गयी है तथा वितरण कंपनियों को 24x7 विद्युत प्रदान की जानी है।
- ताप विद्युत ऊर्जा (थर्मल पावर) के साथ RE विद्युत की बंडलिंग से निम्नलिखित में सहायता प्राप्त हो सकती है:
    - उपयोगिताओं की खरीद के लिए आपूर्ति की जाने वाली विद्युत की समग्र लागत को कम करने में;
    - नवीकरणीय ऊर्जा की पैठ में वृद्धि करने में;
    - RE विद्युत की असततता की समस्या को नियंत्रित करने में;
    - वितरण कंपनियों की 24x7 विद्युत आपूर्ति आवश्यकता की पूर्ति करने में।

इस मसौदे की प्रमुख विशेषताएं

- विद्युत उत्पादक, वार्षिक आधार पर कम से कम 80% उपलब्धता बनाए रखते हुए 24x7 आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा (ताप विद्युत ऊर्जा से पूरित) की आपूर्ति करेंगे।
    - वार्षिक ऊर्जा आपूर्ति का कम से कम 51% नवीकरणीय ऊर्जा से जनित होना चाहिए तथा शेष ताप विद्युत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त किया जाना चाहिए।
- नवीकरणीय ऊर्जा में सौर, पवन या लघु जलविद्युत अथवा किसी भी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ESS) के साथ या उसके बिना इनका सम्मिश्रण शामिल हो सकता है।
- ताप विद्युत ऊर्जा से पूरित नवीकरणीय ऊर्जा के लिए संयुक्त एकल टैरिफ (composite single tariff) बोलीदाताओं (जैसे- वितरण कंपनियों) द्वारा उद्धृत (quote) किया जाना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत खरीद किए गए RE घटक (नवीकरणीय स्रोतों के साथ प्रभारित ESS घटक सहित) **"नवीकरणीय क्रय दायित्व (Renewable Purchase Obligations: RPO) अनुपालन" हेतु पात्र होंगे।**

इस योजना के लाभ

- DISCOMs अपने नवीकरणीय क्रय दायित्वों को पूरा कर सकेंगी। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अपनी कुल खपत का एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त करना कुछ निश्चित विद्युत उपभोक्ताओं, जैसे- वितरण कंपनियों का दायित्व है।
    - **राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति (NTP), 2006** के अनुसार, राज्य विद्युत नियामक आयोग (SERC) को प्रत्येक राज्य की परिवर्तित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के आधार पर RPO के न्यूनतम प्रतिशत को निर्धारित करना आवश्यक है।
    - विद्युत अधिनियम, 2003 RPO का निर्धारण SERC द्वारा किए जाने का प्रावधान करता है।

VISION IAS

- DISCOMs कमी पूर्ति के लिए या फिर महंगी विद्युत के स्थान पर **प्रतिस्पर्धी दरों** पर स्थिर ऊर्जा की खरीद कर सकेंगी।
- DISCOMs को **RE विद्युत को ग्रिड से एकीकृत करने का कार्य नहीं करना होगा** क्योंकि इनका कार्य विद्युत उत्पादक का होगा।
- स्रोतों के मध्य विद्युत के इष्टतम निर्धारण के कारण DISCOMs को भविष्य में बचत हो सकती है, जिसमें नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन और एकीकरण वास्तविक समय की मांग के आंकड़ों पर निर्भर करता है।
- यह **भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (IEGC)** की समीक्षा करने वाले एक विशेषज्ञ समूह द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों को "मस्ट-रन" (अवश्य चलने वाले) के रूप में माना जाएगा।
    - यहां **'मस्ट-रन'** का अर्थ है कि संबंधित विद्युत संयंत्र को प्रत्येक परिस्थिति में ग्रिड को विद्युत की आपूर्ति करनी होगी।

3.9. पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना (North-East Gas Grid Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने **नार्थ-ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड** की स्थापना के लिए, इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को **व्यवहार्यता अंतराल निधियन (Viability Gap Funding: VGF)** के रूप में **पूंजीगत अनुदान** देने को स्वीकृति प्रदान की है।

संबंधित जानकारी

- VGF के रूप में कुल 5,559 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
- इस योजना के अनुसार, 1,656 कि.मी. लंबे इस गैस पाइपलाइन ग्रिड से पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को संबद्ध किया जाएगा।
- यह **"पूर्वोत्तर भारत के लिए हाइड्रोकार्बन विजन-2030"** का एक भाग है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र का लाभ उठाने संबंधी कदमों को रेखांकित करता है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शहरी गैस वितरण (City Gas Distribution: CGD) नेटवर्क पर एक नीतिगत मसौदा जारी किया है।

इस मसौदा नीति के प्रमुख प्रावधान

- यह **मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति** के गठन का सुझाव प्रदान करती है, जो नीतियां बनाने और CGD अवसंरचना विकसित करने के लिए **विभिन्न अनुमतियां प्राप्त करने** की प्रक्रियाओं का निर्धारण करने में सहायता करेगी।
    - इसके अंतर्गत CGD अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देने और इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस के लिए राज्य में उपयुक्त **सिंगल-विंडो क्लीयरेंस तंत्र** स्थापित किए जाएंगे।
    - यह समिति राज्य के पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन विभागों, NHAI, रेलवे आदि से अनुमतियां प्राप्त करने की उपयुक्त विधि निर्धारित करेगी।
- राज्य परिवहन निगम नई बसों की खरीद और वर्तमान वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों में रेट्रोफिटिंग करते समय CNG/LNG बसों को प्राथमिकता प्रदान करेंगे।
- इस मसौदा नीति में कहा गया है कि CNG/LNG के लिए VAT दरों की समीक्षा की जा सकती है और इसे 5% **तक सीमित** किया जा सकता है।
- यह राज्यों को विद्युत चालित वाहनों के साथ ही CNG से चलने वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स को तर्कसंगत बनाने के लिए प्रावधान करता है।

राष्ट्रीय गैस ग्रिड (National Gas Grid)

- गैस पाइपलाइन अवसंरचना वस्तुतः **प्राकृतिक गैस के परिवहन का एक वहनीय और सुरक्षित तरीका** है जो गैस स्रोतों को गैस की खपत वाले बाजारों से जोड़ता है। गैस पाइपलाइन ग्रिड गैस बाजार की संरचना और इसके विकास को निर्धारित करता है। इसलिए, देश के सभी भागों में प्राकृतिक गैस की पर्याप्त उपलब्धता और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक **अंतर्संबद्ध (interconnected) राष्ट्रीय गैस ग्रिड की परिकल्पना की गई है।**
- वर्तमान में, देश में लगभग **16,800 किलोमीटर लंबा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क** संचालित है। देश भर में प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने के लिए, लगभग **14,300 किलोमीटर अतिरिक्त पाइपलाइन को विकसित करके राष्ट्रीय गैस ग्रिड को पूरा करने की परिकल्पना की गई है** और इनका विकास कई चरणों में किया जाना है।
- यह सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और समान आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में संभावित रूप से सहायक होगा।

राष्ट्रीय गैस ग्रिड के लक्ष्य और उद्देश्य

- प्राकृतिक गैस की पहुंच के संबंध में देश में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और संपूर्ण देश में स्वच्छ एवं पर्यावरण-अनुकूल ईंधन उपलब्ध कराना।

VISION IAS

- गैस स्रोतों को प्रमुख मांग केंद्रों से जोड़ना और विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- CNG और PNG की आपूर्ति के लिए विभिन्न शहरों में शहरी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क का विकास।

केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित प्रमुख गैस पाइपलाइन परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

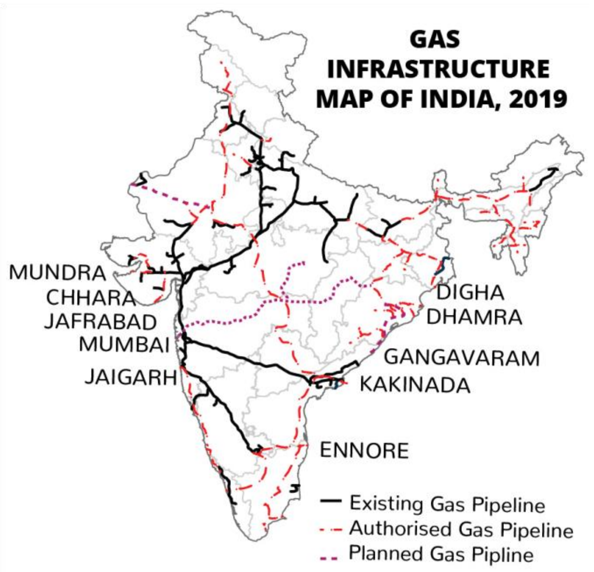

- **जगदीशपुर-हल्दिया/बोकारो-धामरा पाइपलाइन परियोजना (JHBDPL):** GAIL इस 2,655 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन परियोजना पर कार्य कर रहा है। दिसंबर 2020 तक इस परियोजना के पूर्ण होने की संभावना है। JHBDPL उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे पाँच राज्यों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
    - इसे पूर्वी भारत में **प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना** के नाम से भी जाना जाता है।
- **बरौनी-गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना (BGPL):** इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने के लिए **JHBDPL परियोजना के एक अभिन्न अंग** के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस पाइपलाइन की अनुमानित लंबाई 729 कि.मी. है। इस परियोजना को दिसंबर 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) गैस ग्रिड:** यह 5 तेल एवं गैस CPSEs अर्थात् GAIL, IOCL, OIL, ONGC और NRL का एक संयुक्त उपक्रम है। इसे **"इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड" (IGGL)** नाम दिया गया है। इसे पूर्वोत्तर के सभी राज्यों, अर्थात् असम, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चरणबद्ध तरीके से ट्रंक पाइपलाइन कनेक्टिविटी विकसित करने का कार्य सौंपा गया है।
- **कोच्चि-कूटानाड-बेंगलुरु-मंगलौर (चरण-II) पाइपलाइन परियोजना (KKBMPL):** इसके चरण-I में 41 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन पर कार्य किया गया और चरण-II में 887 किलोमीटर के दो खंडों में कार्य चल रहा है। GAIL द्वारा कोच्चि-कूटानाड-मंगलौर खंड (444 किलोमीटर) का निर्माण कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही पूरा होने की अपेक्षा है।
- **एन्नोर-तिरुवल्लूर-बेंगलुरु-पुडुचेरी-नागापत्तनम-मदुरै-तूतीकोरिन नेचुरल गैस पाइपलाइन (ETBPNMTL):** IOCL, इस 1,385 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन पर कार्य कर रहा है। यह पाइपलाइन न्यू एन्नोर LNG टर्मिनल को क्षेत्र के विभिन्न माँग केंद्रों से जोड़ेगी।

शहरी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत, PNGRB, निकायों को देश के किसी निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में CGD नेटवर्क (PNG नेटवर्क सहित) विकसित करने का प्राधिकार प्रदान करता है।
- **CGD क्षेत्र के चार अलग-अलग खंड हैं-** कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) का उपयोग मुख्य रूप से वाहनों के ईंधन के रूप में और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का उपयोग घरेलू, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक खंडों में किया जाता है।
- वर्ष 2018 में शहरी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क के प्राधिकार/निविदा से संबंधित विनियमों में संशोधन किया गया। PNGRB ने देश भर में 407 जिलों को कवर करते हुए CGD नेटवर्क का विकास करने के लिए 229 भौगोलिक क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया है।
    - इसमें देश के क्षेत्रफल का लगभग 53% और देश की जनसंख्या का 70% भाग शामिल है। यह पर्यावरण अनुकूल ईंधन अर्थात् CNG/PNG को जनता के लिए बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराएगा।
- CGD नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने PNG (घरेलू) और CNG (परिवहन) खंडों में घरेलू गैस आवंटन को प्राथमिकता प्रदान की है। CNG (परिवहन) और PNG (घरेलू) क्षेत्रों में गैस की 100% आवश्यकता को घरेलू गैस की आपूर्ति के माध्यम से पूरा करने का निर्णय लिया गया है, जो आयातित गैस की तुलना में सस्ता है।
- वर्तमान में, CNG (परिवहन) और PNG (घरेलू) के रूप में CGD क्षेत्रक घरेलू गैस का लगभग 14.36 MMSCMD (मिलियन मीट्रिक स्टैण्डर्ड क्यूबिक मीटर पर डे) का उपभोग कर रहा है।

निष्कर्ष

गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करने और देश के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु सरकार विशेष कदम उठा रही है। इसमें गैस अवसंरचना तक मुक्त पहुंच प्रदान करके घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाना, पाइपलाइन, शहरी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क और पुन: गैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (R-LNG) टर्मिनल सहित गैस अवसंरचनाओं के त्वरित विकास और गैस के बाजार विकसित करना शामिल है।

3.10. नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म विजन डॉक्यूमेंट (National Data and Analytics Platform Vision Document)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म (NDAP) के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है।

संक्षिप्त विवरण

- **भारत में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा अत्यधिक व्यापक है।** सरकारी विभागों ने विभिन्न प्रक्रियाओं और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को डिजिटलीकृत कर दिया है, जो प्रबंधन सूचना प्रणाली और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड को समृद्ध करता है।
    - इस डेटा का उपयोग प्रगति की निगरानी करने तथा जमीनी स्तर पर निरंतर सुधार करने के लिए किया जा रहा है।
- **हालांकि, इस डेटा परिदृश्य में सुधार किया जा सकता है,** जो वर्तमान में **निम्नलिखित चुनौतियों** का सामना कर रहा है:
    - **डेटा को उपयोगकर्ता-केंद्रित रीति से प्रकाशित नहीं किया जाता है।** वर्तमान डेटा प्रारूप प्रायः अनुसंधान और नवाचार के अनुकूल नहीं होते हैं।
    - विभिन्न मानकों के कारण डाटा तंत्र असंगत बना हुआ है। कई मंत्रालय और विभाग सामान्य संकेतकों के लिए भी साझा मानकों का उपयोग नहीं करते हैं।
        - क्षेत्र और समयावधि जैसी विशेषताओं को अलग-अलग रीति से परिभाषित किया गया है। इससे डेटासेट्स में सामंजस्य और एक सुसंगत प्रारूप प्रस्तुत करना कठिन हो जाता है।
        - विभिन्न डेटासेट्स भी अलग-थलग होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्रॉस-सेक्टोरल अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं हो पाती है।
    - वर्तमान में, डेटा प्रबंधन और उनके उपयोग के संदर्भ में **उत्कृष्टता के विभिन्न पैमाने** प्रचलित हैं। हालांकि, उदाहरणों और सर्वोत्तम प्रथाओं को समान रूप से लागू नहीं किया जाता है।

नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म (NDAP)

- यह व्यापक पहुँच और डेटा के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु **नीति अयोग** की एक प्रमुख पहल है।
- NDAP का लक्ष्य कई सरकारी स्रोतों के डेटा को मानकीकृत (standardize) करना, लचीला विश्लेषण प्रदान करना और अनुसंधान, नवाचार, नीति-निर्माण एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए इन्हें अनुकूल प्रारूप में सुलभ बनाना है।

NDAP की प्रमुख विशेषताएं

- **डेटा के स्रोत:**
    - केंद्र सरकार के 50 से अधिक मंत्रालयों और विभागों की वेबसाइट्स और data.gov.in से प्राप्त डेटा।
    - राज्य सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों की वेबसाइट्स, (250 से अधिक नहीं)।
- **उपयोगकर्ता-केंद्रित:** इस प्लेटफॉर्म को **उपयोगकर्ता अनुकूल सर्च इंजन** द्वारा संचालित किया जाएगा, जो विश्वस्तरीय यूज़र इंटरफेस के साथ, निर्बाध नेविगेशन द्वारा समर्थित होगा। ऐसे डेटा को, कस्टमाइजेबल एनालिटिक्स के साथ **मशीन द्वारा पठनीय रूप** में प्रदान किया जाएगा।
    - यह **विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन हेतु साधन** भी प्रदान करेगा।
- **अनुकूलनीयता (Coherency):** साझे भौगोलिक और सामयिक पहचानों के प्रयोग के माध्यम से एक मानकीकृत ढांचे (standardized schema) का प्रयोग करके विविध डेटा सेट प्रस्तुत किए जाएंगे।
- **नियमित रूप से अद्यतन:** डेटा को नियमित रूप से अपडेट करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) बनाई जाएगी। इन SOP के अनुपालन की नियमित निगरानी भी की जाएगी।
- **शासी संरचना:**
    - निर्देश देने, प्रगति की निगरानी करने, डेटा स्रोतों के संबंध में मार्गदर्शन करने और डेटा एकत्रण संबंधी विभिन्न अंतर-मंत्रालयी मुद्दों के समाधान के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक **हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमिटी** की स्थापना की जाएगी।
    - **विशेषज्ञ परामर्श** प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र और प्रौद्योगिकी से जुड़े विशेषज्ञों की सदस्यता वाले **तकनीकी सलाहकार समूह** की स्थापना की जाएगी। यह इस प्लेटफॉर्म के विकास, डेटा के प्रबंधन और प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
    - **विभिन्न हितधारकों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने** और NDAP के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन के लिए नीति आयोग के तत्वावधान में एक **परियोजना प्रबंधन इकाई** गठित की जाएगी।
    - **टेक्नॉलॉजी वेंडर,** NDAP के विकास और परिचालन संबंधी कार्यों को सम्पादित करेंगे।
- **समयसीमा:** इस प्लेटफॉर्म का पहला संस्करण वर्ष 2021 में लॉन्च होना अपेक्षित है।

VISION IAS

महत्व

- यह विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ मंचों, जैसे- 'datausa.io' और 'data.gov.sg' से प्रेरणा लेने के लिए अभिप्रेत है।
- यह वर्तमान भारतीय डेटा प्लेटफॉर्मों की सफलता दर में वृद्धि करेगा। उदाहरण के लिए, data.gov.in 165 विभागों के डेटा तक पहुंच प्रदान करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित DISHA, 20 मंत्रालयों की 42 योजनाओं से संबंधित डेटा तक पहुंच प्रदान करता है।
    - विभिन्न राज्यों में 'मुख्यमंत्री डैशबोर्ड' भी स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार की पहल NDAP के लिए डेटा का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करती है।
- यह राष्ट्र कल्याण हेतु समय-समय पर प्रकाशित व अद्यतित एवं नवीनतम डेटा तक त्वरित पहुँच और उनकी सरल उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
- इसका उद्देश्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सरकारी डेटा तक लोकतांत्रिक पहुंच प्रदान करना है।
- यह डेटा-संचालित विमर्श और निर्णयण को बढ़ावा देकर भारत की प्रगति में सहायता करेगा।
    - यह भारत की गतिशील अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिस्थितियों की समझ में वृद्धि करेगा तथा सरकार के कार्यों को अधिक वैज्ञानिक और डेटा-संचालित बनाकर, जनसंख्या के एक बड़े भाग के जीवन को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करेगा।
- यह उन प्रारूपों के मानकीकरण को बढ़ावा देगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रकों के डेटा प्रस्तुत किए जाते हैं।

निष्कर्ष

NDAP, नीति आयोग की एक अखिल भारतीय पहल है। इस विजन को निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त करने के लिए विभिन्न हितधारकों, जैसे- केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों द्वारा अत्यंत समर्थन और सहयोग व विशेषज्ञों के मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

3.11. वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक (World Employment and Social Outlook: WESO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने "वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक: ट्रेंड्स 2020" नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

इस वार्षिक रिपोर्ट में श्रम बाजार के प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें बेरोजगारी, श्रम का अल्प-उपयोग, वर्किंग पावर्टी (श्रमिक निर्धनता), आय असमानता, लेबर इनकम शेयर और उचित (decent) कार्यकलापों से लोगों के वंचित होने वाले कारकों को सम्मिलित किया गया है।

- **निम्न आय वाले देशों में आर्थिक संवृद्धि की धीमी गति और अकुशल संरचना:** यह निर्धनता को कम करने और कार्य की दशाओं में सुधार करने के प्रयासों को अप्रभावी बनाता है।
    - विगत 18 वर्षों में, निम्न आय वाले देशों में औसत प्रति व्यक्ति वृद्धि केवल 1.8 प्रतिशत रही है।
    - वर्ष 2000 और 2018 के मध्य, निम्न आय वाले देशों में कृषि एवं प्राथमिक व्यवसायों की, रोजगार में हिस्सेदारी में केवल 6 प्रतिशत तक की गिरावट हुई है।
- **श्रम का अल्प-उपयोग:** श्रम आपूर्ति और मांग के मध्य असंतुलन के विस्तार के कारण वर्ष 2019 में विश्व भर में बेरोजगारों की संख्या 188 मिलियन से अधिक अधिक हो गयी थी।
    - इस प्रकार विश्व भर में 470 मिलियन से कहीं अधिक लोगों के पास वैतनिक श्रम तक पर्याप्त पहुंच का अभाव है या वे कार्य के घंटों की वांछित संख्या के अवसर से वंचित हैं।
- **रोजगार की कमी जारी रहने की संभावना:** वर्ष 2020 में वैश्विक बेरोजगारी में लगभग 2.5 मिलियन वृद्धि का अनुमान है।
    - वैश्विक बेरोजगारी दर वर्ष 2019 में 5.4 प्रतिशत थी और अगले दो वर्षों में अनिवार्य रूप से यही रहने का अनुमान है।
    - इस संबंध में यह अनिश्चितता विद्यमान है कि आगामी वर्षों में व्यापार और भू-राजनीतिक तनाव किस प्रकार व्यवसाय एवं उपभोक्ता विश्वास तथा तत्पश्चात रोजगार सृजन को प्रभावित करेंगे।
- **उचित कार्य पाने का मुद्दा:** सवैतनिक रोजगार का तात्पर्य यह नहीं है कि इससे व्यक्ति को उचित कार्य परिस्थितियों में नियोजन का अवसर मिल जाता है अथवा यह वर्ष 2019 में विश्व भर में नियोजित 3.3 बिलियन लोगों में से अनेक लोगों के लिए पर्याप्त आय की गारंटी प्रदान नहीं कर पाया।
    - वर्तमान में वर्किंग पावर्टी से 630 मिलियन से अधिक श्रमिक या वैश्विक कार्यशील जनसंख्या का पांच में से एक व्यक्ति प्रभावित है।
    - इसे क्रयशक्ति समता के संदर्भ में प्रति दिन 3.20 अमेरिकी डॉलर से कम अर्जन के रूप में परिभाषित किया जाता है।
    - इसके अतिरिक्त, 165 मिलियन लोगों के पास पर्याप्त भुगतान वाला रोजगार नहीं है और 120 मिलियन ने या तो सक्रिय रूप से रोजगार खोजना छोड़ दिया है या श्रम बाजार तक उनके पहुंच का अभाव है।

VISION IAS

- **असमानता में वृद्धि:** लिंग, आयु और भौगोलिक स्थिति से संबंधित असमानताओं में वृद्धि के कारण रोजगार बाजार निरंतर प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। इन कारकों द्वारा व्यक्तिगत अवसर और आर्थिक वृद्धि दोनों को सीमित किया जा रहा है।
    - निम्न आय वाले देशों में जनसंख्या-रोजगार अनुपात (68 प्रतिशत) सर्वाधिक है, क्योंकि अनेक सुभेद्य श्रमिक अपने गुणवत्ता से निरपेक्ष किसी भी रोजगार को ग्रहण करने के लिए विवश हैं।
    - वैश्विक स्तर पर, कार्यशील आयु वर्ग की रोजगार दर शहरी क्षेत्रों (56 प्रतिशत) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में (59 प्रतिशत) से अधिक है।
- **महिलाओं और युवा वर्ग के समक्ष बाधाएं:** वर्ष 2019 में, महिला श्रम बल भागीदारी दर सिर्फ 47 प्रतिशत थी, जो पुरुष भागीदारी दर (74 प्रतिशत पर) से 27 प्रतिशत कम थी। रोजगार तक पहुंच के संदर्भ में लैंगिक असमानताओं में व्यापक क्षेत्रीय भिन्नता विद्यमान हैं।
    - विश्व भर में 15 से 24 वर्ष के लगभग 267 मिलियन युवा (या इस आयु समूह के 22 प्रतिशत युवा) रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण से बाहर हैं।
- **भावी जोखिम:** व्यापार प्रतिबंधों और संरक्षणवाद में वृद्धि, जो रोजगार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, को संभावित रूप से चिंताजनक प्रवृत्ति के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि उत्पादन के अन्य रूपों की तुलना में मजदूरी के रूप में राष्ट्रीय आय की हिस्सेदारी में काफी गिरावट हुई है।
    - वृद्धि के प्रकारों के संदर्भ में, कम मूल्य वर्धन से उच्च मूल्य वर्धन वाली गतिविधियों की ओर रोजगार को स्थानांतरित करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन, तकनीकी उन्नयन और विविधीकरण की आवश्यकता होगी।

4. सुरक्षा (Security)

4.1. बोडो शांति समझौता (Bodo Peace Accord)

सुर्ख़ियों में क्यों?

27 जनवरी 2020 को असम के बोडो प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में स्थायी शांति लाने के लिए **केंद्र सरकार, असम सरकार** और असम के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन **नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB)** ने त्रिपक्षीय समझौते के रूप में **तृतीय बोडो शांति समझौता** पर हस्ताक्षर किया।

बोडो विवाद (Bodo Dispute)

- बोडो असम का **सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय** है, जिसकी आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 5-6 प्रतिशत भाग है। बोडो लोगों की अलगाववादी मांगों का एक लंबा इतिहास रहा है, जो सशस्त्र संघर्ष द्वारा चिन्हित है।
- असम के चार जिले - कोकराझार, बक्सा, उदलगुरी और चिरांग - जिनको मिलाकर **बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला (Bodoland Territorial Area District: BTAD)** का गठन किया गया है, कई अन्य नृजातीय समूहों के साथ बोडो जनजाति के निवास स्थान हैं।
- **बोडो द्वारा एक पृथक राज्य की मांग,** असम राज्य के प्रशासनिक और विकास संबंधी उदासीनताओं जैसे कारणों में निहित हैं। साथ ही, बोडो लोगों का मानना है कि उनकी पहचान, संस्कृति और भाषा को असमिया भाषी एवं प्रवासी लोगों द्वारा खतरा है।
- **बोडोलैंड नामक एक पृथक राज्य की मांग** की शुरुआत वर्ष 1966-67 में एक राजनीतिक संगठन प्लेन्स ट्राइबल्स कॉउन्सिल ऑफ़ असम (PTCA) द्वारा की गई थी।
- **ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU)** ने वर्ष 1987 में इस मांग को नवीनीकृत किया। ABSU के तत्कालीन नेता द्वारा "डिवाइड असम फिफ्टी-फिफ्टी" की मांग की गई।
- **वर्ष 1985 के असम समझौते के परिणामस्वरूप बोडो क्षेत्र** में अपनी पहचान की रक्षा के लिए शुरू हुए एक आंदोलन ने अशांति को जन्म दिया, क्योंकि इस समझौते में "असमिया लोगों" के लिए संरक्षण और सुरक्षा उपायों की मांग को संबोधित किया गया था।
- **प्रथम शांति समझौता (1993):** इसके द्वारा बोडोलैंड, संविधान की **छठी अनुसूची** के अंतर्गत एक स्वायत्त प्रशासनिक इकाई बन गया, जिसे **बोडोलैंड स्वायत्त परिषद (Bodoland Autonomous Council)** द्वारा प्रशासित किया जाना था।
- **द्वितीय शांति समझौता (2003):** इसके माध्यम से **बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (Bodoland Territorial Council: BTC)** का गठन किया गया, जिसमें 46-सदस्य (40 निर्वाचित और 6 गवर्नर द्वारा नामित) होते हैं तथा यह BTAD में विकास कार्यों की देखरेख के लिए एक विधान परिषद के रूप में कार्य करता है।
- **तृतीय शांति समझौता (2020):** इसके तहत अधिक प्रशासनिक और राजकोषीय शक्तियां प्रदान करने के साथ BTC का नाम परिवर्तित कर **बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (Bodoland Territorial Region: BTR)** कर दिया गया है।

इस समझौते के प्रमुख बिंदु

- **बोडो बहुल गांव:** वर्तमान में BTAD से बाहर स्थित बोडो बहुल गांवों को BTR में शामिल किया जाएगा तथा गैर-बोडो जनसंख्या को इससे बाहर रखा जाएगा।
- **अनुसूचित पर्वतीय जनजाति:** पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले बोडो लोगों को यह दर्जा प्रदान किया जाएगा।
- **बोडो भाषा:** देवनागरी लिपि के साथ बोडो संपूर्ण असम के लिए **आधिकारिक भाषा** होगी।
- **BTR:** BTAD को अब BTR कहा जाएगा तथा इसमें अधिक कार्यकारी, प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय शक्तियां निहित होंगी।
- **बोडो हिंसक समूहों** के 1,500 से अधिक सदस्य हिंसक गतिविधियों को छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होंगे।
- **विशेष विकास पैकेज:** तीन वर्षों में **1,500 करोड़ रुपये का एक विशेष पैकेज** प्रदान किया जाएगा।

वर्तमान बोडो शांति समझौते के प्रमुख परिणाम

- **BTAD में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करना:** यह पूर्वोत्तर में प्रथम शांति समझौता है जिसके तहत एक विशेष क्षेत्र के सभी मौजूदा विद्रोही समूहों ने हिंसा को समाप्त करने के लिए एक संयुक्त प्रतिबद्धता के साथ हस्ताक्षर किए हैं।

- NDFB के विभिन्न गुटों के 1,615 से अधिक विद्रोहियों ने अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया तथा वे समझौते पर हस्ताक्षर करने के दो दिनों के भीतर मुख्यधारा में शामिल हो गए।

- **बोडो लोगों की भावनाओं का सम्मान करना:** BTAD, अब **BTR** के रूप में जाना जाएगा। असम से पृथक हुए बिना, **असम राज्य के भीतर बोडो मातृभूमि** को स्वीकार करने के साथ-साथ जिलों से लेकर क्षेत्र तक होने वाले परिवर्तन के लिए यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- **सभी की आकांक्षाओं को संतुलित करना:** नए समझौते में BTR की **सीमा का सीमांकन** करने का निर्णय किया गया है। इससे **इस क्षेत्र के बाहर निवास करने वाली जनजाति** के साथ-साथ वर्तमान में इसके भीतर निवास करने वाले गैर-जनजातियों दोनों के **मुद्दों का समाधान करने की अपेक्षा** है।
  - इस प्रयोजन के लिए, **राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक आयोग** इस आशय की जांच करके अनुशंसा प्रदान करेगा कि क्या BTAD से संलग्न गांवों और बहुसंख्यक जनजाति जनसंख्या वाले गाँवों को BTR में शामिल किया जा सकता है अथवा नहीं।
- **BTC को सशक्त बनाना:** इस समझौते के अंतर्गत BTC को अधिक **विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां** प्रदान की गई हैं तथा इसके लिए संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन प्रस्तावित है।
- **बोडो संस्कृति का संरक्षण और कल्याणकारी उपाय:** इस समझौते के अंतर्गत बोडो परिषद क्षेत्र के बाहर स्थित बोडो बाहुल्य गाँवों के विकास के लिए **'बोडो-कछारी कल्याण परिषद'** की स्थापना की जाएगी।
  - असम सरकार द्वारा देवनागरी लिपि में बोडो भाषा को राज्य में सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।
  - **इसके अतिरिक्त,** इस समझौते में उच्च और तकनीकी शिक्षा के कई संस्थानों की स्थापना के संबंध में भी प्रावधान किया गया है।

विद्यमान चिंताएँ

- **गैर-बोडो की चिंताएं:** आलोचकों ने आरोप लगाया है कि इस समझौते में क्षेत्र के अन्य नृजातीय समुदायों के हितों की उपेक्षा की गई है। इन जिलों में गैर-बोडो लोगों, मुख्य रूप से बंगाली भाषी मुस्लिमों, जनजातियों और प्रवासियों, जिन पर विगत कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में हमला किया गया और उन्हें मार दिया गया, की चिंताओं का भी समाधान करना चाहिए।
- **कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे:** सरकार सहित सभी हितधारकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती नए शांति-समझौते में प्रदत्त प्रतिबद्धताओं को लागू करके इन्हे स्थायी बनाने से संबंधित है।
- **अन्य श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रियाओं की संभावना:** यह समझौता असम के अन्य हिस्सों, जैसे- कार्बी आंग्लोंग, दीमा हसाओ और कछार, जिसमें गैर-अहोम नृजातीय समूह भी शामिल हैं, के मध्य भी समान मांगों को प्रेरित कर सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, यह वर्तमान में चल रही **नागा शांति प्रक्रिया** को भी प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण नागा विद्रोही **मणिपुर के नागा बाहुल्य क्षेत्रों** में क्षेत्रीय और प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग कर सकते हैं, जो नागाओं और मेइती (मणिपुर में सबसे बड़ा नृजातीय समूह) के मध्य राजनीतिक एवं नृजातीय तनावों में वृद्धि कर सकता है।

निष्कर्ष

- असम में लगभग पांच दशकों से बोडो जनजाति द्वारा पृथक राज्य की मांग की जा रही है, जिसके कारण आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, हिंसा और कई लोगों की मृत्यु हुई हैं। ऐसे में, यदि सभी विकासक्रम शांति समझौते के अनुसार संचालित किए जाते हैं तो तृतीय बोडो शांति समझौता राज्य के लोगों के लिए एक नए युग का सूत्रपात करने का वादा करता है।

4.2. ब्रू शरणार्थी संकट की समाप्ति के लिए समझौता (Pact to end BRU Refugee Crisis)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 23 वर्षों से चले आ रहे ब्रू-रियांग शरणार्थी संकट को समाप्त करने के लिए एक चार-पक्षीय समझौते पर केंद्र सरकार, मिजोरम सरकार, त्रिपुरा सरकार और ब्रू समुदाय के नेताओं के द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

पृष्ठभूमि

- ब्रू समुदाय, जिसे रियांग (Reang) के रूप में भी जाना जाता है, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी असम के कुछ भागों में निवास करने वाला एक जनजातीय समूह है तथा यह मिज़ोरम के मिज़ो से नृजातीय रूप से अलग है।
- मिजोरम के चार जिलों में 40,000 से अधिक ब्रू समुदाय के लोग निवास करते हैं। वर्तमान में, 30,000 से अधिक ब्रू समुदाय के लोग त्रिपुरा में शरणार्थी शिविरों में निवास कर रहे हैं। ये लोग वर्ष 1997 में मिजो जनजाति के साथ नृजातीय संघर्ष के पश्चात् मिजोरम से पलायन कर त्रिपुरा आ गए थे।
- **त्रिपुरा में रियांग** को **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह** (Particularly Vulnerable Tribal Group: PVTG) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

VISION IAS

- ब्रू और मिज़ो दोनों समुदायों के मध्य **प्रथम बार संघर्ष** वर्ष 1995 में आरंभ हुआ, जब मिज़ो संगठनों, यथा- यंग मिज़ो एसोसिएशन एवं मिज़ो स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा मांग की गई कि **ब्रू समुदाय के लोगों को मिजोरम की मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाना चाहिए** क्योंकि वे एक स्थानिक जनजाति नहीं थे।
- ब्रू लोगो ने प्रतिकार करते हुए एक सशस्त्र संगठन, **ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट** तथा एक राजनीतिक निकाय, **ब्रू नेशनल यूनियन** का गठन किया। दोनों ने मिजोरम के ब्रू समुदाय के लिए अधिक राजनीतिक स्वायत्तता और मिजोरम के पश्चिमी क्षेत्रों में **संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत ब्रू स्वायत्त जिला परिषद के गठन** की मांग की, जहां उनकी जनसांख्यिकी पर्याप्त संख्या में थी। हालाँकि, इन क्षेत्रों में भी मिज़ो समूह बाहुल्य में था।
- वर्ष 1997 में, मिजोरम में एक घटना पर नृजातीय तनाव के पश्चात्, 30,000 से अधिक ब्रू जनजातियों के लगभग 5,000 परिवार राज्य से पलायन करने और त्रिपुरा में शरण लेने के लिए बाध्य हुए, जहां उन्हें उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर में अस्थायी शिविरों में रखा गया।

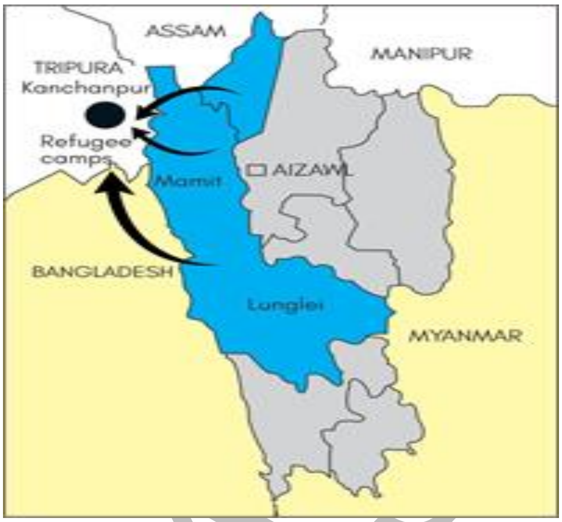

मिजो
- "मिज़ो" एक सामान्य शब्द है, जिसका उपयोग मिज़ोरम में निवास करने वाले लोगों के लिए किया जाता है।
- मिज़ोरम में निवास करने वाली लुशाई, लाई, हमार और मारा जनजाति को मिज़ो समूह के अंतर्गत माना जाता हैं। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में मणिपुर, असम और त्रिपुरा में निवास करने वाली **ज़ो (Zo) जनजाति** भी इसमें शामिल हैं।

पूर्व में शांति के लिए किए गए प्रयास
- भारत सरकार **वर्ष 2010** से इन **आंतरिक रूप से विस्थापित ब्रू लोगों** को स्थायी रूप से पुनर्वासित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। शरणार्थियों की देखभाल के लिए केंद्र सरकार दोनों राज्य सरकारों की सहायता कर रही है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2014 तक, 1,622 ब्रू-रियांग परिवार अलग-अलग समूहों में मिजोरम लौट आए।
- 3 जुलाई 2018 को, केंद्र सरकार, दोनों राज्य सरकारों और ब्रू-रियांग शरणार्थियों के प्रतिनिधियों के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणामस्वरूप इन परिवारों को प्रदत्त सहायता में पर्याप्त वृद्धि की गई।
  - इस समझौते के पश्चात् 1,369 व्यक्तियों के 328 परिवार वापस मिजोरम लौट आए।
- अधिकांश ब्रू-रियांग परिवारों द्वारा निरंतर यह मांग की जाती रही है कि उनकी सुरक्षा से संबंधित आशंकाओं को देखते हुए उन्हें त्रिपुरा में बसने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

हालिया समझौते की प्रमुख विशेषताएं
- **आंतरिक रूप से विस्थापित ब्रु समुदाय के लगभग 34,000 लोगों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा** तथा उनके पुनर्वास और सर्वांगीण विकास में सहायता करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा **लगभग 600 करोड़ रुपये के पैकेज** के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।
- इन लोगों को राज्य के सामान्य निवासियों को मिलने वाले **सभी अधिकार प्राप्त होंगे** तथा वे अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की **सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ** उठा सकेंगे।
  - त्रिपुरा में ब्रू शरणार्थियों को उनके पुनर्वास के लिए सहायता दी जाएगी तथा उन्हें **जनजातीय समुदाय का दर्जा प्रदान किया** जाएगा और उन्हें **राज्य की मतदाता सूची** में शामिल किया जाएगा।
- प्रत्येक विस्थापित ब्रू परिवार को उनके सावधि जमा खाते में 4 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक परिवार को आजीविका हेतु अगले दो वर्षों तक प्रतिमाह 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता, त्रिपुरा में एक आवासीय भूखंड तथा अगले दो वर्षों तक नि:शुल्क राशन प्रदान किया जाएगा।
- **त्रिपुरा सरकार इस समझौते के अनुसार भूखंड उपलब्ध** कराएगी।

कार्यान्वयन में चुनौतियां
- यह संदेहपूर्ण है कि त्रिपुरा में ब्रू लोगों को जो भूखंड आवंटित किया जाना है, क्या उसे त्रिपुरा के मूल जनजातियों द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
- इस समझौते के सम्पन्न होने के पूर्व तक, त्रिपुरा सरकार ब्रू को मिजोरम में वापस भेजने के लिए उत्सुक थी। जबकि नया समझौता ब्रू समुदाय को त्रिपुरा में ही बसने की अनुमति प्रदान करता है, ऐसे में ब्रू समुदाय के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने हेतु त्रिपुरा सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति की अति आवश्यकता होगी।

VISION IAS

- मिजोरम में अभी भी निवास कर रहे ब्रू परिवारों को कुछ मिजो नृजातीय संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में मुख्य संघर्ष स्थल पर किसी समझौते का लागू नहीं होना एक और पलायन का कारण बन सकता है।

निष्कर्ष

इस समझौते को पूर्वोत्तर की जनजातियों के मध्य 2 दशक से अधिक समय से चली आ रही नृजातीय अशांति की समस्या के समाधान तथा एक शांतिपूर्ण पूर्वोत्तर भारत के लिए एक निरंतर दृष्टिकोण के रूप में रेखांकित किया गया है। यह आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की समस्या से निपटने के लिए एक मॉडल भी प्रदान करता है।

4.3. कूकी-नागा उग्रवादी समूहों के मध्य समझौता (KUKI- NAGA Militants Sign Pact)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स (NNPGs)** और **कूकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन (KNO)** ने पहली बार एक साथ कार्य करने के लिए एक संयुक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उल्लेखनीय है कि, इससे पूर्व अपने राजनीतिक मुद्दों के समाधान हेतु वे भारत सरकार के साथ पृथक-पृथक वार्ता में संलग्न थे।

कूकी-नागा संघर्ष

- मणिपुर में विविध प्रकार के नृजातीय समूह विद्यमान हैं, इस तरह की भिन्नता ने कई पारस्परिक संघर्षों को उत्पन्न किया है। कूकी-नागा संघर्ष इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं।
- कूकी-नागा संघर्ष, मुख्य रूप से **भूमि** एवं **पहचान** के मुद्दों पर आधारित है।
    - **पहचान का मुद्दा:** पिछले कुछ दशकों में, नागा और कूकी जनजातीय समूह नृजातीय **पुन:समेकन और पुन:समूहन** के प्रमुख विषय रहे हैं।
        - **उदाहरण के लिए:** विभिन्न जनजातियाँ, जैसे- अनल, चिरु आदि जिन्हें कभी प्राच्य-कुकी (एक विशिष्ट पहचान रखने के कारण) के रूप में माना जाता था, अब वे नागा जनजातियों के साथ आत्मसात हो गए हैं।
        - इसी तरह, कूकी जनजातियों के मध्य प्राच्य जनजातियों से पृथक पहचान रखने के लिए आंदोलन हुए। (जैसे- थडाऊ जनजाति, जो इस क्षेत्र में अपना सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास में संलग्न है।)
    - **भूमि का मुद्दा:** नागाओं और कूकियों के मध्य संघर्ष औपनिवेशिक समय से ही चला आ रहा है। इन दोनों के मध्य संघर्ष 1990 के दशक में, सीमावर्ती कस्बे मोरेह से प्रारंभ होकर मणिपुर के दक्षिणी भागों तक विरोध एवं प्रति विरोध के रूप में विस्तारित हो गया।
        - **यह संघर्ष मुख्य रूप से भूमि पर स्वामित्व को लेकर था-** मणिपुर के पहाड़ियों के एक बड़े भू-खंड पर कूकी जनजाति अपनी "मातृभूमि" के रूप में दावा करती रही है, जिसे नागा संगठनों द्वारा एक संप्रभु नागा मातृभूमि के रूप में ग्रेटर नागालैंड या नागालिम के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।
        - **नागालिम** के प्रस्तावित मानचित्र में नागालैंड और असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार अर्थात् म्यांमार के "सभी संलग्न नागा अधिवासित क्षेत्रों" को शामिल किया गया है।
- **इन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप कुकी जनजाति** ने अपने हितों की रक्षा के लिए **स्वयं को संगठित** करने की आवश्यकता महसूस की, जो **मुख्यतः दो पहलुओं पर केंद्रित** थीं-
    - नागाओं के प्रति; और
    - मणिपुर के बहुसंख्यक मेइती समुदाय के प्रति पारस्परिक अविश्वास/घृणा।
- **इसी तरह,** इस संघर्ष ने दूसरी ओर आक्रामक कुकी जनजातियों के प्रति नागाओं को आत्मरक्षा हेतु **नागा लिम गार्ड (NLG)** को गठित करने के लिए प्रेरित किया।

नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स (NNPGs) और कूकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन (KNO) के बारे में

- **NNPGs,** सात नागा उग्रवादी संगठनों का एक अम्ब्रेला निकाय है, जो वर्ष 2017 से केंद्र के साथ वार्ता प्रकिया में संलग्न है। वर्ष 2019 में इस समूह द्वारा घोषणा की गई कि वे भारत सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं।
    - NNPGs के अंतर्गत, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (युनिफिकेशन), NSCN (रिफॉर्मेशन), NSCN (खांगो), नागा

नेशनल काउंसिल और इसके दो गुट, तथा फ़ेडरल गवर्नमेंट ऑफ़ नागालैंड शामिल हैं।

- **KNO, 17 कुकी उग्रवादी संगठनों** के दो अम्ब्रेला निकायों में से एक है, जो वर्तमान में भारत सरकार के साथ शांति वार्ता में संलग्न है।
  - इस समूह की एक प्रमुख मांग मणिपुर में कूकीलैंड हेतु एक पृथक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना करना है।

कूकी जनजाति

- इस नृजातीय समूह की आबादी भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा उत्तर-पश्चिम बर्मा और बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय मार्गों के निकटवर्ती क्षेत्रों तक विस्तृत है।
- ये जनजाति पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में विद्यमान हैं।
- **महत्वपूर्ण त्यौहार:** चवांग कुट, चापचर कुट आदि।

नागा जनजाति

- ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों (नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं असम) और उत्तर पश्चिमी म्यांमार में अधिवासित नृजातीय समूह हैं।
- **प्रमुख नागा जनजातियाँ** अंगामी, एओ, चखेसंग, कोन्याक हैं।
- ये **हेड हंटिंग (head hunting) अनुष्ठानिक प्रथा के लिए** विशिष्ट रूप से जाने जाते हैं, जो कि नागालैंड में जनजातीय योद्धाओं के मध्य प्रचलित थी।
- नागा पुरुषों के परिधान विशिष्ट होते हैं: शंक्वाकार लाल रंग के हेडगियर (टोपी के सदृश्य) को जंगली सूअर के धारधार दांतों और सफेद-काले हॉर्नबिल के पंखो के साथ अलंकृत किया जाता है।
- **महत्वपूर्ण त्योहार:** सेकेरनी, मोत्सु या मोत्सु मोंग, हॉर्नबिल फेस्टिवल आदि।

4.4. भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने **भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र** (Indian Cyber Crime Coordination Centre: I4C) का शुभारंभ किया तथा **राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग** नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है।

I4C के बारे में

- व्यापक और समन्वित तरीके से सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने हेतु दो वर्षों (2018-2020) की अवधि के लिए **I4C की स्थापना की योजना को अक्टूबर 2018 में अनुमोदित** किया गया था।
- यह **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013** के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित कंप्यूटिंग वातावरण के निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में पर्याप्त भरोसा एवं विश्वास को बनाए रखने हेतु सुविधा प्रदान करना है तथा साइबरस्पेस की सुरक्षा के लिए हितधारकों के प्रयासों को मार्गदर्शन प्रदान करना है।
- यह केंद्र **नई दिल्ली** में अवस्थित होगा।
- **नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP)** इस योजना के विभिन्न घटकों में से एक है:
  - **इसके अन्य घटक निम्नलिखित हैं:** नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, प्लेटफॉर्म फॉर जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टीगेशन टीम, नेशनल साइबर क्राइम फॉरेन्सिक लैब्रटॉरी इकोसिस्टम, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल साइबर रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर।
- NCRP एक नागरिक-केंद्रित पहल है जो **नागरिकों को पोर्टल के माध्यम से साइबर अपराधों की ऑनलाइन** रिपोर्ट करने में सक्षम बनाएगा। यह निम्नलिखित पर विशेष ध्यान केन्द्रित करेगा:
  - महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर, विशेष रूप से चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण तथा बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार से जुडे मामले।
  - वित्तीय अपराध या इनको बढ़ावा देने वाले तथा इनसे प्रेरित ऑनलाइन सामग्री से संबंधित रिपोर्टिंग।
- सभी साइबर अपराध संबंधी **शिकायतों पर कानूनी कार्रवाई करने हेतु संबंधित राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस पोर्टल तक पहुँच** होगी।
- **क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र** राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों में स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में अब तक 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इन्हें स्थापित करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

साइबर अपराध

- साइबर अपराध एक व्यापक पद है, जिसका उपयोग उन **आपराधिक गतिविधियों** को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जिसमें (साइबर) अपराध हेतु कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क को एक उपकरण, आपराधिक गतिविधि के लक्ष्य या आपराधिक गतिविधि के केंद्र के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक क्रैकिंग के जरिए कंप्यूटर आधारित सेवाओं को बाधित करना भी शामिल है। इसमें उन पारंपरिक अपराधों को भी शामिल किया जाता है जिसमें कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग अवैध गतिविधियों को संपादित करने के लिए किया जाता है।
- **भारत में साइबर कानून कोई पृथक कानूनी ढांचा नहीं** है। बल्कि, इसमें अनुबंध, बौद्धिक संपदा, डेटा संरक्षण और गोपनीयता कानून आदि सभी सम्मिलित हैं।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** नए-पुराने अपराधों के सारे पहलुओं को संबोधित करता है। साथ ही, ऐसे अपराधों के माध्यम और लक्ष्य दोनों के रूप में प्रयुक्त कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, मोबाइल उपकरण, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट को शामिल करता है।
- चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि और क्षति आदि जैसी सभी पारंपरिक आपराधिक गतिविधियाँ साइबरस्पेस के अंतर्गत सम्मिलित हैं, जिन्हें **भारतीय दंड संहिता** द्वारा पहले ही संबोधित कर दिया गया था।
- पुलिस और 'लोक व्यवस्था' भारत के संविधान के अनुसार राज्य सूची के विषय हैं। इस प्रकार, **राज्य/संघशासित प्रदेश अपने कानून प्रवर्तन मशीनरी के माध्यम से अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और मुकदमा चलाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं।**

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. हरित अर्थव्यवस्था (Green Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रसिद्ध पर्यावरण अर्थशास्त्री **पवन सुखदेव** को हरित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए **'टायलर पुरस्कार-2020'** से सम्मानित किया गया।

पर्यावरणीय उपलब्धियों हेतु टायलर पुरस्कार (Tyler Prize) से संबंधित तथ्य:

- वर्ष 1973 में स्थापित, यह सर्वाधिक प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार वैज्ञानिक ज्ञान तथा सार्वजनिक नेतृत्व के माध्यम से उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों के प्रयासों (वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए) को मान्यता प्रदान करता है।
- पर्यावरण नीति, स्वास्थ्य, वायु और जल प्रदूषण, पारिस्थितिक तंत्र में व्यवधान, जैव-विविधता और ऊर्जा संसाधनों की हानि आदि से संबंधित बहुआयामी पर्यावरणीय मुद्दों पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
- यह **अंतर्राष्ट्रीय टायलर पुरस्कार कार्यकारी समिति** द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ़ सदर्न कैलिफ़ोर्निया के प्रशासनिक सहयोग से प्रदान किया जाता है।

हरित अर्थव्यवस्था से संबंधित तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के अनुसार- "हरित अर्थव्यवस्था वह है जो मानव कल्याण में सुधार करती है और सामाजिक समता का निर्माण करती है तथा साथ ही पर्यावरणीय जोखिमों एवं पारिस्थितिक संकटों को कम करती है"।
- यह वर्तमान की प्रमुख आर्थिक प्रणाली के विकल्प के रूप में उभरी है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रणाली के परिणामस्वरूप विषमता में वृद्धि, अपशिष्ट का सृजन, निरंतर संसाधनों का अभाव, पर्यावरणीय एवं मानव स्वास्थ्य के लिए व्यापक खतरे आदि जैसी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं।
    - इसका लक्ष्य निम्न-कार्बन, संसाधन दक्ष और सामाजिक रूप से समावेशी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है।
    - यह गुणात्मक विकास की अवधारणा पर आधारित है, जहां निम्न-कार्बन एवं पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं।
- UNEP की मेजबानी में पवन सुखदेव की वर्ष 2008 की **"द इकोनॉमिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड बायोडायवर्सिटी" (TEEB)** नामक रिपोर्ट, हरित अर्थव्यवस्था का आधार है।
- वर्ष 2008 में, UNEP द्वारा वैश्विक शोध और राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन के लिए **"ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव" (GEI)** नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसे नीति निर्माताओं को पर्यावरणीय निवेश का समर्थन करने के लिए प्रेरित करने हेतु अभिकल्पित किया गया था।
- हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण का वैश्विक महत्व है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों के लिए इसके संबंधित लाभों एवं लागतों के संदर्भ में यह अधिक महत्वपूर्ण है।

हरित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता

- मौजूदा अर्थव्यवस्था कुछ गंभीर दोषपूर्ण अवधारणाओं पर आधारित है, जैसे कि-
    - मनुष्यों को प्रकृति का दोहन करने और अपने लिए आवश्यक संसाधनों के निष्कर्षण का अधिकार है। अतः 'बाह्यताओं' के रूप में होने वाले किसी भी प्रकार की प्राकृतिक क्षति की गणना नहीं की जाती है।
    - सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के रूप में केवल "संपत्ति" और "संवृद्धि" को मापा जा सकता है, जबकि अधिकांश लोग कई प्रकार से संपत्ति का अर्जन करते हैं और निर्णय करते समय एक को दूसरे के विरुद्ध संतुलित करते रहते हैं।
- **पर्यावरण की कीमत पर आर्थिक संवृद्धि:** औद्योगिक क्रांति ने सकल घरेलू उत्पाद को प्रोत्साहित करने में सहायता की है और साथ ही अधिकांश लोगों को आजीविका प्रदान की है। हालांकि, वैश्विक तापन और पर्यावरणीय ह्रास ने लगभग सभी को प्रभावित किया है।
    - जबकि, जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप चरम मौसम और बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रति निर्धन लोग अधिक सुभेद्य होते हैं।
- **हरित अर्थव्यवस्था जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनम्यता (resilience) प्रदान कर सकती है,** क्योंकि यह मूल रूप से सभी प्रक्रियाओं और सेवाओं का एक एकीकरण है जो पर्यावरणीय ह्रास को कम करने में सहायता करती है।
- **हरित अर्थव्यवस्था कराधान और विनियमन** के अन्य उपायों के माध्यम से प्रकृति का मूल्य निर्धारण करती है।
    - यह प्राकृतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी और बौद्धिक पूंजी तथा साथ ही वित्तीय पूंजी को अधिकतम करने में सहायता करेगी।

VISION IAS

हरित अर्थव्यवस्था से संबंधित चुनौतियाँ

- इसके कारण आरंभिक कुछ वर्षों के दौरान आर्थिक विकास की दर धीमी हो सकती है और यह निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों एवं औद्योगिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।
  - इस तरह के रुपांतरण के लिए आवश्यक अवसंरचना और क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध होना चाहिए।
- **रोजगार हानि:** देश के मुख्य उद्योगों का बाजार से ध्यान विमुख करने से कोयला खनन जैसे उन उद्योगों में रोज़गार की हानि हो सकती है जिन्हें पर्यावरण अनुकूल नहीं माना जाता है।
- **सरकार पर अत्यधिक लागत:** ऊर्जा कुशल हरित उत्पादों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी के रूप में सरकार पर अत्यधिक लागत में वृद्धि हो सकती है।
- हरित प्रौद्योगिकी और संबंधित कौशल की उपलब्धता के संदर्भ में जानकारी का अभाव।
- **विकसित देशों को स्वभाविक लाभ:** विकसित देशों द्वारा बाजार तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अपने तकनीकी लाभ और पर्यावरण का उपयोग करके हरित अर्थव्यवस्था मॉडल का दोहन किया जा सकता है।
  - विकसित देशों के पास निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों के संबंध में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने हेतु अपनी फर्मों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए संसाधन उपलब्ध हैं। इसके परिणामस्वरूप विकसित और विकासशील देशों के मध्य असंतुलन उत्पन्न हो सकता है।
  - विकासशील देश निर्यात उत्पादों से संबंधित आवश्यक पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनका आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है।

हरित अर्थव्यवस्था के संबंध में वैश्विक दृष्टांत

- **साउथ कोरिया:** साउथ कोरिया द्वारा वर्ष 2009-2013 की अवधि के लिए हरित विकास को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय रणनीति और पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया था तथा नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और जल जैसे कई हरित क्षेत्रों में निवेश हेतु GDP का 2 प्रतिशत आवंटित किया गया था।
- **नामीबिया:** देश भर के स्थानीय समुदायों को "सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों" की सीमाओं के अंतर्गत वन्यजीवों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों द्वारा प्राप्त लाभ का **उपयोग और पूंजीकरण करने का अधिकार (right to use and capitalize)** प्रदान किया गया है।

हरित अर्थव्यवस्था के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- भारत द्वारा अपने **'अभिप्रेत राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान'** (Intended Nationally Determined Contribution: INDC) की घोषणा की गई है।
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan on Climate Change: NAPCC) के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (SAPCC) के अंगीकरण द्वारा क्रमशः राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विकास प्रक्रियाओं में जलवायु परिवर्तन को मुख्यधारा में रखा गया है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अपने विज़न में हरित विकास को मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें हरित विकास के साथ "निर्धनता उन्मूलन" को केंद्र में रखा गया है।
- 14वें वित्त आयोग ने एक अग्रगामी कदम उठाते हुए मध्यम और अति सघन वन आवरण वाले राज्यों को पुरस्कृत करने हेतु प्रोत्साहन-आधारित अनुदान आरंभ किया है।
  - 15वें वित्त आयोग द्वारा भी इसे जारी रखा गया है तथा इसने वन आवरण संबंधी भारांश को और बढ़ा दिया है।
- भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

हरित अर्थव्यवस्था के लिए मार्ग

हरित अर्थव्यवस्था में रूपांतरण के लिए, विशिष्ट सक्षमकारी परिस्थितियों की आवश्यकता होगी। इन परिस्थितियों के अंतर्गत राष्ट्रीय विनियम, नीतियां, सब्सिडी और प्रोत्साहन के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार और विधिक अवसंरचना, व्यापार एवं तकनीकी सहायता शामिल हैं।

- **सुदृढ़ पर्यावरणीय नीतियों को लागू करना:** यह उन फर्मों और उद्योगों को समाप्त कर अर्थव्यवस्था में अक्षमताओं को दूर कर सकती है, जिन्हें कम मूल्य पर संसाधन उपलब्ध कराया जाता है अथवा सब्सिडीकृत संसाधन प्रदान किए जाते हैं।
- **संसाधन मूल्य निर्धारण (Resource pricing):** यह न केवल प्राकृतिक पूंजी और सेवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि एक अर्थव्यवस्था के भीतर अन्य सभी आगतों के मूल्य निर्धारण के लिए भी आवश्यक है। किसी अर्थव्यवस्था में सापेक्षिक कीमतों के अनुसार प्रयास और व्यय किए जाते हैं, इस परिस्थिति में कम कीमत पर संसाधन उपलब्ध कराने से अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **अनुसंधान और विकास तथा नवाचार में निवेश (Investments into R&D and Innovation):** संसाधन मूल्य निर्धारण के कारण अनुसंधान और विकास तथा नवाचार में निवेश को बढ़ावा मिलता है। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि महंगे संसाधनों के उपयोग में

VISION IAS

कमी करने से उत्पादन के नए तरीकों के संबंध में शोध और अन्वेषण किया जा सकता है। इसमें सभी कारकों (मानव पूंजी और ज्ञान) तथा सभी गतिविधियों (शोध एवं नवाचार) में निवेश शामिल होता है।

- इन निवेशों के माध्यम से **इनोवेशन रेंट** का सृजन हो सकता है। इससे स्थानीय स्तर पर चिन्हित संसाधन की कमी की समस्या का समाधान संभव होगा। स्थानीय स्तर पर इनकी लोकप्रियता के उपरांत इनके वैश्विक विपणन को भी बढ़ावा मिल सकता है।
- **आक्रामक पर्यावरण विनियमन** भविष्य में होने वाली व्यापक कमी का पूर्वानुमान कर सकते हैं और अन्य क्षेत्राधिकार द्वारा अनुपालन योग्य ढांचा प्रदान कर सकते हैं। इस तरह का नीतिगत नेतृत्व ऊपर वर्णित नवाचार, निवेश, विनियमन और संसाधन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया की दिशा में प्रथम कदम हो सकता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार, हरित विकास पथ का अंगीकरण न केवल समाज में कल्याणकारी सुधार प्राप्त करने का निश्चित रूप से एक प्रभावी साधन है, बल्कि यह भविष्य की संवृद्धि में सुधार लाने का भी एक उपाय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि निष्कर्षण और खपत आधारित विकास के बुनियादी उत्पादन साधनों की बजाय विकास के अधिक उन्नत तरीकों को अपनाना, विकास के लिए एक बेहतर दीर्घकालिक रणनीति हो सकती है।

द इकोनॉमिक्स ऑफ़ एनवायरनमेंट एंड बायोडायवर्सिटी (TEEB)

- वर्ष 2007 में, G8+5 देशों द्वारा जैव विविधता के वैश्विक आर्थिक लाभ, जैव विविधता क्षति के प्रभाव तथा प्रभावी संरक्षण आधारित लाभ बनाम सुरक्षात्मक उपाय करने में विफलता के संबंध में एक विश्लेषण प्रक्रिया को आरंभ करने हेतु प्रस्ताव रखा गया था।
- इसकी अनुक्रिया स्वरूप, पवन सुखदेव के नेतृत्व में जर्मनी और यूरोपीय आयोग द्वारा एक वैश्विक अध्ययन की शुरुआत की गई, जिसके फलस्वरूप TEEB की स्थापना हुई।
- जेनेवा (स्विट्जरलैंड) स्थित इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हाउस में TEEB कार्यालय की UNEP द्वारा मेजबानी की जाती है।
- TEEB एक वैश्विक पहल है जो "प्रकृति के मूल्यों को प्रकट करने" पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी स्तरों पर निर्णयन में जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यों को मुख्यधारा में शामिल करना है।
- अक्टूबर 2010 में इसके द्वारा ***"मेनस्ट्रीमिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ नेचर: ए सिंथेसिस ऑफ द एप्रोच, कॉनक्लूजन एंड रिक्रूटमेंट्स ऑफ TEEB"*** नामक रिपोर्ट जारी की गई तथा अपने निष्कर्षों को आम जनता तक प्रसारित करने के लिए **बैंक ऑफ़ नेचुरल कैपिटल** लॉन्च किया।
- यह तीन मुख्य सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है-
    - **पारिस्थितिक तंत्र के मूल्य की पहचान (Recognizing value in ecosystems):** इसके माध्यम से संरक्षण और संधारणीय उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, जैसे- कुछ संस्कृतियों में पवित्र वनों के अस्तित्व ने प्राकृतिक क्षेत्रों और इनमें मौजूद जैव विविधता को सुरक्षित रखने में सहायता की है।
    - **आर्थिक संदर्भों में प्रभावकारी मूल्य (Demonstrating value in economic terms):** पारिस्थितिकी तंत्र की पूर्ण लागतों तथा लाभों से संबंधित निर्णयन में नीति निर्माताओं और व्यवसायों के लिए प्राय: ये उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। उदाहरण के लिए- बाढ़ बचाव संबंधी निर्माण कार्यों/प्रयासों की तुलना में, आर्द्रभूमि द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं (बाढ़ नियंत्रण हेतु) के संरक्षण की लागत और लाभों को शामिल करना।
    - **मूल्य अभिग्रहण (value Capturing):** इसके अंतर्गत ऐसी प्रणालियों की शुरूआत करना शामिल है जो प्रोत्साहन और मूल्य संकेतों के माध्यम से निर्णयन प्रक्रिया में पारिस्थितिक तंत्र के मूल्यों को शामिल करती हैं। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान, पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक सब्सिडी में सुधार या संरक्षण के लिए टैक्स ब्रेक (tax breaks) सम्मिलित हो सकते हैं।

प्राकृतिक पूंजी (Natural Capital) क्या है?

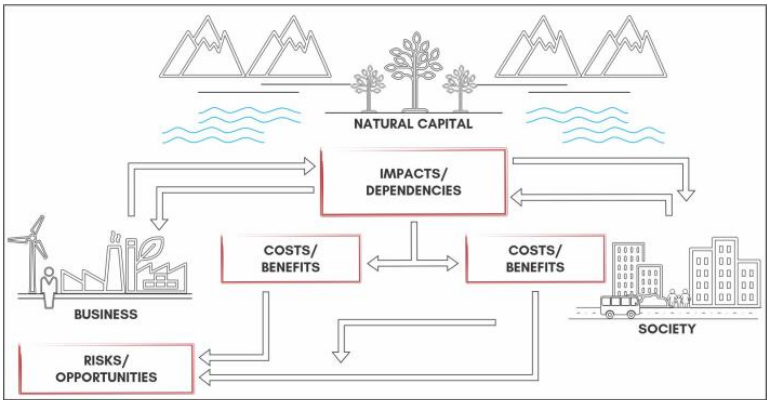

- यह **नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय संसाधनों** (जैसे- पादप, जंतु, वायु, जल, मृदा, खनिज) के भंडार (स्टॉक) को संदर्भित करता है। ये एकीकृत रूप में लोगों को लाभ पहुंचाते हैं।
    - यह संसाधन, पर्यावरण, अधिवास या पारिस्थितिकी तंत्र (जिसे कभी-कभी **'स्टॉक'** कहा जाता है) को वर्णित करने का एक तरीका है, जो पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के लाभों {कभी-कभी इसे **'प्रवाह (फ्लो)'** कहा जाता है} में वृद्धि करता है।

- उदाहरण- एक परागणकर्ता के पर्यावास को भी प्राकृतिक पूंजी के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि परागण करने वाले कीट भी स्वयं इसमें निहित होते हैं।
- यह इस अवधारणा पर आधारित है कि प्रकृति सामान्यतः मानवीय जीवन के सभी आयामों (स्वास्थ्य, संपत्ति, संस्कृति, पहचान और खुशी) में वृद्धि करती है।।

- **प्राकृतिक पूंजी दृष्टिकोण** इस मूल्य को आलोकित करने के लिए कार्य करता है और निर्णय निर्माताओं को उन जटिल तरीकों को समझने में सहायता करता है जिनमें प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रणालियां एक दूसरे से अंतक्रिया करती हैं, प्रभाव डालती हैं और निर्भर होती हैं।

5.2. प्रवाल पुनर्स्थापन (Coral Restoration)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (Zoological Survey of India: ZSI) ने गुजरात के वन विभाग की सहायता से, पहली बार बायो रॉक तकनीक का उपयोग कर प्रवाल भित्तियों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। उल्लेखनीय है कि, गुजरात के **मीठापुर तट** से एक नॉटिकल मील की दूरी पर कच्छ की खाड़ी में एक बायो रॉक संरचना को स्थापित किया गया है।

बायो रॉक तकनीक के बारे में

- बायोरॉक, इस्पात संरचनाओं पर समुद्री जल में विलेयित खनिजों के विद्युत संचय से निर्मित पदार्थ हैं। इन इस्पात संरचनाओं को समुद्रतल पर स्थापित किया जाता है और ये ऊर्जा स्रोत से जुड़े होते हैं।
- यह तकनीक, जल में इलेक्ट्रोड के माध्यम से अल्प मात्रा में विद्युत को प्रवाहित करने का कार्य करती है।
- जब एक धनावेशित एनोड और ऋणावेशित कैथोड को समुद्रतल पर स्थापित कर उनके मध्य विद्युत प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम आयन एवं कार्बोनेट आयन परस्पर संयोजित होते हैं तथा संरचना (कैथोड) से संलग्न हो जाते हैं।
- इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। कोरल लार्वा कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) की उपस्थिति में तेज़ी से वृद्धि करते हैं।
- टूटे हुए प्रवालों के टुकड़े बायो-रॉक संरचना से संबद्ध होते हैं, जहां वे अपनी वास्तविक वृद्धि की तुलना में कम से कम चार से छह गुना तेजी से वृद्धि करने में सक्षम होते हैं क्योंकि उन्हें अपने स्वयं के कैल्शियम कार्बोनेट संरचना के निर्माण में अपनी ऊर्जा व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती है।

प्रवाल-भित्तियाँ

- प्रवाल भित्तियाँ, पृथ्वी पर जैविक रूप से सर्वाधिक विविध समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं।
- पारिस्थितिक दृष्टि से, प्रवाल भित्तियाँ महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि उन्हें महासागरों में प्रजातियों की विविधता और जैविक उत्पादकता के मामले में **उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के समान** माना जाता है।
    - प्रवाल-भित्तियाँ संबद्ध पारिस्थितिक तंत्रों के निर्माण में सहायक होती हैं जो आवश्यक पर्यावास, मत्स्य पालन और आजीविका संबंधी विकास में उपयोगी होते हैं।
- इसके अतिरिक्त, प्रवाल भित्तियां जलवायु दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि वे जलवायु परिवर्तन के संबंध में सटीक दीर्घकालिक रिकॉर्ड प्रदान करती हैं और कई दूरस्थ उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्रों में मौसमी जलवायु परिवर्तनशीलता से संबंधित समझ/ज्ञान विकसित करने में सहयोग करती हैं।
- भारत में, प्रवाल-भित्तियाँ **कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप द्वीप समूह और मालवन (महाराष्ट्र)** के क्षेत्रों में पायी जाती हैं।

प्रवाल के समक्ष उत्पन्न प्रमुख खतरे

विगत कुछ दशकों से, इसकी पारिस्थितकीय संरचना और आनुवांशिक वंशानुक्रम में योगदान करने वाली जन्तुओं और पादपों की प्रजातियों की विशाल विविधता के समक्ष निरंतर खतरा उत्पन्न हो रहा है।

- **प्राकृतिक:** जलवायु परिवर्तन, अवसादों का निक्षेप, लवणता, pH आदि।
- **मानवजनित:** खनन, गहन सागरीय मत्स्यन, पर्यटन, प्रदूषण आदि।

प्रवाल विरंजन के परिणाम

- यह **समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र** को प्रभावित करेगा, क्योंकि प्रवाल भित्तियां सर्वाधिक जैव-विविधता वाले और उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक हैं।
- प्रवाल भित्तियां **तटरेखा पर प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य** करती हैं, क्योंकि ये तीव्र गति से प्रवाहित होने वाले सागरीय जल (जैसे-

VISION IAS

चक्रवात आदि) के प्रभावों से तटों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। हालाँकि, प्रवाल विरंजन की स्थिति में, तटरेखाएं तूफानों, हरिकेन और चक्रवातों के परिणामस्वरूप उत्पन्न बाढ़ तथा क्षति के प्रति अत्यधिक सुभेद्य हो जाती हैं।

- प्रवाल भित्तियों की अनुपस्थिति में, महासागरों की CO_2 अवशोषण क्षमता बाधित हो जाएगी, फलतः वातावरण में CO_2 की सांद्रता में वृद्धि होगी।
- प्रवाल भित्तियों की क्षति के परिणामस्वरूप **उष्णकटिबंधीय देशों की अर्थव्यवस्था,** खाद्य आपूर्ति और उनके तटीय समुदायों की सुरक्षा आदि नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी।

प्रवाल विरंजन (Coral bleaching)

- जब तापमान, प्रकाश या पोषक तत्वों की स्थिति में परिवर्तन के कारण प्रवालों पर दबाव बढ़ता है तो वे अपने ऊतकों में निवास करने वाले सहजीवी सूक्ष्म शैवालों (zooxanthellae) को त्याग देते हैं, जिसके कारण वे पूर्ण रूप से विरंजित (पूरी तरह सफेद) हो जाते हैं।
- प्रवाल प्रजातियां अपेक्षाकृत कम तापमान वाले उथले सागरीय क्षेत्रों में पायी जाती हैं, इसलिए निम्न और उच्च समुद्री तापमान प्रवाल विरंजन में वृद्धि कर सकते हैं।
- रासायनिक संदूषक या रोगजनकों की उच्च सांद्रता की स्थिति में भी प्रवाल विरंजन होता है।
- प्रवाल विरंजन हेतु उत्तरदायी कुछ सामान्य कारक निम्नलिखित हैं:
  - **कृषि भूमि से वाहित जल और रासायनिक प्रदूषण के कारण** सुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा तत्पश्चात ऑक्सीजन की कमी होने लगती है।
  - **अत्यधिक मत्स्यन और नौका विहार क्रियाएं,** प्रवाल भित्तियों के पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश एवं विघटन को बढ़ावा देते हैं।
  - **समुद्री प्रदूषण:** समुद्री परिवहन में वृद्धि, तेल रिसाव आदि जैसी घटनाएं प्रवाल भित्तियों को नष्ट कर देती हैं।
  - **अनियंत्रित पर्यटन गतिविधियों** के कारण प्रवाल कॉलोनियां विनष्ट हो जाती हैं जो ऊत्तक क्षति को बढ़ावा देती हैं।
  - **तटीय निर्माण और तटरेखाओं के विकास** के परिणामस्वरूप अवसादों के निक्षेपण में अत्यधिक वृद्धि होती है, जिससे प्रवाल भित्तियां विनष्ट हो जाती हैं।
  - मनुष्यों द्वारा समुद्र में आक्रामक प्रजातियों का प्रवेश भी प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन का कारण बनता है।
  - **प्रवाल खनन:** भित्तियों का ईंटों आदि के रूप में उपयोग किए जाने से जीवित प्रवाल समाप्त हो जाते हैं।
  - **महासागरीय अम्लीकरण:** बढ़ते प्रदूषण के साथ ही, कार्बन डाइऑक्साइड को महासागरों द्वारा अवशोषित किया जाता है जिससे जल में कार्बोनिक एसिड में वृद्धि होती है। चूंकि प्रवाल का मुख्य घटक कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कार्बोनिक एसिड के साथ अभिक्रिया करते हुए धीरे-धीरे विलेयित होने लगता है।
  - एक अध्ययन के अनुसार, भारत में वर्ष 1982 के बाद वृहद स्तर पर तीन बार विरंजन की घटनाएं (वर्ष 1998, 2010 और 2016) हुई हैं।

प्रवाल पुनर्स्थापन हेतु किए गए उपाय

वैश्विक उपाय

- **"एजेंडा 21" का अध्याय 17,** 'संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UN Convention on the Law of the Sea: UNCLOS)' के संदर्भ में समुद्री और तटीय पर्यावरण के संरक्षण तथा सतत विकास को संबोधित करता है।
- **इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव (ICRI):** यह राष्ट्रों और संगठनों के मध्य एक अनौपचारिक साझेदारी है जो वैश्विक स्तर पर प्रवाल भित्तियों तथा संबंधित पारिस्थितिकी प्रणालियों को संरक्षित करने का प्रयास करता है।
  - इसने वर्ष 2018 को **तीसरे "इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ दी रीफ" (IYOR)** के रूप में घोषित किया था, ताकि प्रवाल भित्तियों और संबंधित पारिस्थितिक तंत्रों के मूल्य तथा खतरों के संबंध में वैश्विक स्तर पर जागरूकता का व्यापक प्रसार किया जा सके। प्रवाल भित्तियों तथा संबंधित पारिस्थितिकी तंत्रों (जैसे- विश्व में स्थित मैंग्रोव और सागरीय घास) पर बढ़ते खतरों को देखते हुए **वर्ष 1997** को **प्रथम IYOR** घोषित किया गया था।
- **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम-विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र (UN Environment World Conservation Monitoring Centre: UNEP-WCMC):** यह लोगों और हमारे ग्रह के संबंध में सूचित विकल्पों को सक्षम बनाने हेतु विश्व भर के वैज्ञानिकों एवं नीति निर्माताओं के साथ कार्य करते हुए पर्यावरण और विकास संबंधी निर्णयन में जैव-विविधता को केन्द्रीय स्थान प्रदान करता है।

भारत में किए गए उपाय

- भारत सरकार द्वारा तटीय महासागरीय मॉनिटरिंग और पूर्वानुमान प्रणाली (Coastal Ocean Monitoring and Prediction system: COMAPS), तटीय क्षेत्रों में भूमि-महासागरीय संपर्क (Land Ocean Interactions in Coastal zones: LOICZ) तथा एकीकृत तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन (Integrated Coastal and Marine Area Management: ICMAM) के तहत प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु प्रयास किए गए हैं।

VISION IAS

- प्रवाल भित्तियों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा **तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zones: CRZ)** को अधिसूचित किया गया है तथा **'राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण'** एवं **'राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण'** की भी स्थापना की गई है।
- **कोरल ब्लीचिंग अलर्ट सिस्टम (CBAS):** यह भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (Indian National Centre for Ocean Information Services: INCOIS) द्वारा प्रारंभ की गई एक सेवा है, जिसमें प्रवाल भित्तियों के पर्यावरण पर पड़ने वाले संचित तापीय दबावों का आकलन करने हेतु सैटेलाइट आधारित समुद्र सतह तापमान (Sea Surface Temperature: SST) का उपयोग किया जाता है।
- **कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट:** यह 'वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया' और 'गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट' का एक संयुक्त कार्यक्रम {टाटा केमिकल्स लिमिटेड (TCL) द्वारा समर्थित} है।
    - मीठापुर में, इस परियोजना के तहत प्रवाल पुनर्स्थापन और प्राकृतिक संवर्धन आदि गतिविधियों के माध्यम से क्षतिग्रस्त प्रवालों की पुनर्स्थापना हेतु वैश्विक मानदंडों पर आधारित 'अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित सार्वजनिक-निजी-प्रबंधित प्रवाल पारिस्थितिक तंत्र मॉडल' के निर्माण की अभिकल्पना की गई है।
- **रीफवॉच इंडिया:** यह एक NGO (स्वयं सहायता समूह) है, जिसके द्वारा प्रवालों के संरक्षण हेतु दो परियोजनाओं, यथा- **'Re (ef) बिल्ड'** और **'Re (ef) ग्रो'** को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।
    - **'Re (ef) बिल्ड'** के तहत प्राकृतिक रूप से विखंडित प्रवाल भित्तियों को संरक्षित (ऐसा न करने से ये या तो रेत में दब जाते या इनकी मृत्यु हो जाती) करके तथा पुनः इन्हें एक मजबूत आधार पर स्थापित कर अंडमान में इनका जीर्णोद्धार और पुनर्वास किया जाएगा।

5.3. आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश {Guidelines for Implementing Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने "आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017" के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया है।

पृष्ठभूमि

- MoEF&CC ने भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए **आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 (वेटलैंड्स रूल्स)** को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया है।
- **वर्तमान दिशा-निर्देशों** को नियमों के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के प्रशासनों को समर्थन प्रदान करने हेतु तैयार किया गया है।

इन दिशा-निर्देशों की विशेषताएं

- **विनियमित की जाने वाली आर्द्रभूमियां**
    - **रामसर अभिसमय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में** नामित आर्द्रभूमियां।
    - केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन के नियमों के तहत अधिसूचित आर्द्रभूमियां।
    - **सभी आर्द्रभूमियों** (यद्यपि वे अवस्थिति, आकार, स्वामित्व, जैव विविधता अथवा पारिस्थितिक तंत्र सेवा मूल्य के सन्दर्भ में भिन्न-भिन्न हों) को आर्द्रभूमि नियमों के अंतर्गत अधिसूचित किया जा सकता है, जिनमें नदी चैनल; धान के खेत; और मानव निर्मित जलीय निकाय की कुछ श्रेणियां आदि **शामिल नहीं है।**
    - **संरक्षित क्षेत्रों और CRZ के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्रों** को आर्द्रभूमि नियमों के तहत अधिसूचना से **बाहर** रखा गया है।
- **आर्द्रभूमि प्राधिकरण (Wetlands Authorities)**
    - **राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण (State Wetland Authority):** राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग के प्रभारी मंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे (केन्द्र शासित प्रदेश के मामले में केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासक अथवा मुख्य सचिव अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे)। इसके अन्य सदस्यों में आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी विज्ञान, जल विज्ञान आदि से संबंधित विशेषज्ञ शामिल हैं।
    - प्रत्येक आर्द्रभूमि प्राधिकरण में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:
        - **तकनीकी समिति:** संक्षिप्त दस्तावेज़ों और प्रबंधन सम्बन्धी योजनाओं की समीक्षा करने तथा आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी तकनीकी विषय पर परामर्श प्रदान करने हेतु।
        - **शिकायत समिति:** चार सदस्यों से मिलकर गठित एक समिति, जो प्राधिकरण को की गयी जन शिकायतों की सुनवाई करने के लिए एक कार्यतंत्र उपलब्ध कराती है।

राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के कार्य

- राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश की सभी **आर्द्रभूमियों की सूची तैयार करना।**
- अधिसूचित आर्द्रभूमियों और उनके प्रभावित क्षेत्र के भीतर अनुमत/अनुमोदित और **विनियमित गतिविधियों की एक व्यापक सूची को तैयार करना;**
- अपने क्षेत्राधिकार में शामिल **आर्द्रभूमियों के संरक्षण और युक्तियुक्त उपयोग के लिए रणनीतियों को परिभाषित करना;**
- आर्द्रभूमियों के युक्तियुक्त उपयोग के सिद्धांत पर आधारित **एकीकृत प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन** के संबंध में समन्वय प्रदान करना; तथा
- राज्य या संघ शासित क्षेत्रों के भीतर स्थित सभी आर्द्रभूमियों से संबंधित **विशिष्ट प्राधिकरणों** के लिए एक **नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करना।**

उचित उपयोग से संबंधित गतिविधियां

- पारिस्थितिक पुनर्वास और प्रकृति की पुनर्स्थापना;
- आर्द्रभूमि सूची, मूल्यांकन और निगरानी;
- शोध;
- संचार, पर्यावरण शिक्षा और सहभागिता संबंधी गतिविधियां;
- प्रबंधन नियोजन;
- आर्द्रभूमि पर निर्भर प्रजातियों के पर्यावास का प्रबंधन और संरक्षण; तथा
- समुदाय-आधारित पारिस्थितिक पर्यटन।

- **एकीकृत प्रबंधन योजना (Integrated Management Plan):** यह योजना एक ऐसे दस्तावेज को संदर्भित करती है जिसमें आर्द्रभूमि के **'बुद्धिमतापूर्ण उपयोग' के लिए कार्यनीतियों और कार्रवाइयों** को वर्णित किया गया है तथा इस योजना में स्थल प्रबंधन के उद्देश्य; उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रबंधन कार्रवाइयाँ; विभिन्न स्थल विशिष्टाओं को प्रभावित करने वाले अथवा प्रभावित कर सकने वाले कारक; पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तनों का पता लगाने और प्रबंधन की प्रभाविता के मापन के लिए अपेक्षित निगरानी; और प्रबंधन कार्यान्वयन के लिए संसाधन शामिल हैं।
- **आर्द्रभूमि की सूची तैयार करना:** यह सूची **रामसर अभिसमय की आर्द्रभूमि परिभाषा** के आधार पर तैयार की गई है। भारत द्वारा अनुमोदित यह अभिसमय, 'कच्छ भूमि, पंकभूमि, पीटभूमि, जलीय क्षेत्र जो प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी एवं इनकी प्रकृति स्थिर अथवा प्रवाहित, ताजा, खारा या लवणीय हो सकती है, तथा समुद्री जल जिसकी गहराई, निम्न ज्वार की स्थिति में, छह मीटर से अधिक न हो' को आर्द्रभूमि के रूप में परिभाषित करता है।
- **आर्द्रभूमि को निरूपित करना:** प्रत्येक आर्द्रभूमि को अधिसूचित करने के लिए, **प्रभावित जोन (zone of influence)** को परिभाषित किया जाना आवश्यक है। आर्द्रभूमि का प्रभावित जोन एक ऐसा भाग होता है, जिस पर विकासात्मक गतिविधियों के कारण आर्द्रभूमि पारितंत्र संरचना और पारितंत्र प्रणाली पर प्रतिकूल परिवर्तन उत्पन्न होने की संभावना होती है।
- **आर्द्रभूमियों का युक्तियुक्त उपयोग और पारिस्थितिक स्वरूप:** अधिसूचित आर्द्रभूमि के प्रबंधन में बुद्धिमतापूर्ण उपयोग (wise use) आधारित दृष्टिकोण को अपनाने की अनुशंसा की गई है। **रामसर अभिसमय के अंतर्गत** "पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के माध्यम से आर्द्रभूमियों के पारिस्थितिकी स्वरूप/विशेषताओं के संधारणीय विकास को बनाए रखने को" **'बुद्धिमतापूर्ण उपयोग'** के रूप में परिभाषित किया गया है"।
    - **पारितंत्र दृष्टिकोण** के अंतर्गत 'पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों तथा भूमि, जल और जीवित संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन को बढ़ावा देने' के मध्य जटिल संबंध पर विचार किया जाता है।
    - **पारिस्थितिक स्वरूप** "पारिस्थितिक तंत्र के घटकों, प्रक्रियाओं और सेवाओं का संयोजन है जो किसी दिए गए बिंदु पर आर्द्रभूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं"। पारिस्थितिक तंत्र घटक वस्तुतः आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक (biotic) और अजैविक (abiotic) घटक होते हैं।
- **प्रतिबंधित गतिविधियां:** आर्द्रभूमि का रुपांतरण जिसमें किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, किसी भी उद्योग की स्थापना एवं मौजूदा उद्योगों का विस्तार; साथ ही ठोस अपशिष्ट की डंपिंग, उद्योगों से बहि:स्राव और अनुपचारित अपशिष्ट का प्रवाह, तथा अवैध शिकार आदि शामिल हैं।
    - **अधिसूचित आर्द्रभूमि के भीतर किसी भी प्रतिबंधित गतिविधि** को संचालित करने की अनुमति केवल **MoEF&CC** द्वारा आर्द्रभूमि प्राधिकरण की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किए गए एक विशेष अनुरोध पर प्रदान की जा सकती है।

- **विनियमित गतिविधियां:** इसके अंतर्गत जीवन निर्वाह स्तर की बायोमास उत्पादन (पारंपरिक प्रथाओं सहित), संधारणीय मत्स्य पालन पद्धति, गैर-मोटर चालित नौकाओं का संचालन; अस्थायी प्रकृति का निर्माण कार्य आदि शामिल हैं।
- **अधिसूचित आर्द्रभूमि में पूर्व से विद्यमान अधिकारों और विशेषाधिकारों का विवरण:** प्रत्येक आर्द्रभूमि को पूर्व-विद्यमान अधिकारों और विशेषाधिकारों की श्रेणी के साथ संबद्ध किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह के अधिकार और विशेषाधिकार 'युक्तियुक्त उपयोग' दृष्टिकोण के साथ संरेखित हों।
    - **'विशेषाधिकार'** को एक विशेष आधार पर सीमित समूह या व्यक्तियों को प्रदत्त एक विशेष पात्रता के रूप में परिभाषित किया गया है और इसे समाप्त किया जा सकता है। दूसरी ओर, **'अधिकार'** अपरिवर्तनीय और स्वाभाविक रूप से किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।
- **उल्लंघन और दांडिक प्रावधान:** आर्द्रभूमि नियमों का उल्लंघन करने पर **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के अनुसार दंड संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
- **सूचना साझाकरण के लिए पोर्टल:** आर्द्रभूमि नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में सूचना साझाकरण के लिए MoEF&CC द्वारा एक वेब-पोर्टल का निर्माण किया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को अपने अधिकार क्षेत्र में आर्द्रभूमि से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी और दस्तावेज को अपलोड करने की आवश्यकता होती है।
- **राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति:** नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु केन्द्रीय आर्द्र भूमि नियामक प्राधिकरण (Central Wetlands Regulatory Authority: CWRA) को इस समिति के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5.4. भारत में 10 नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल का दर्जा (10 New Ramsar Sites in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रामसर अभिसमय के अंतर्गत **भारत की 10 नई आर्द्रभूमियों** को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

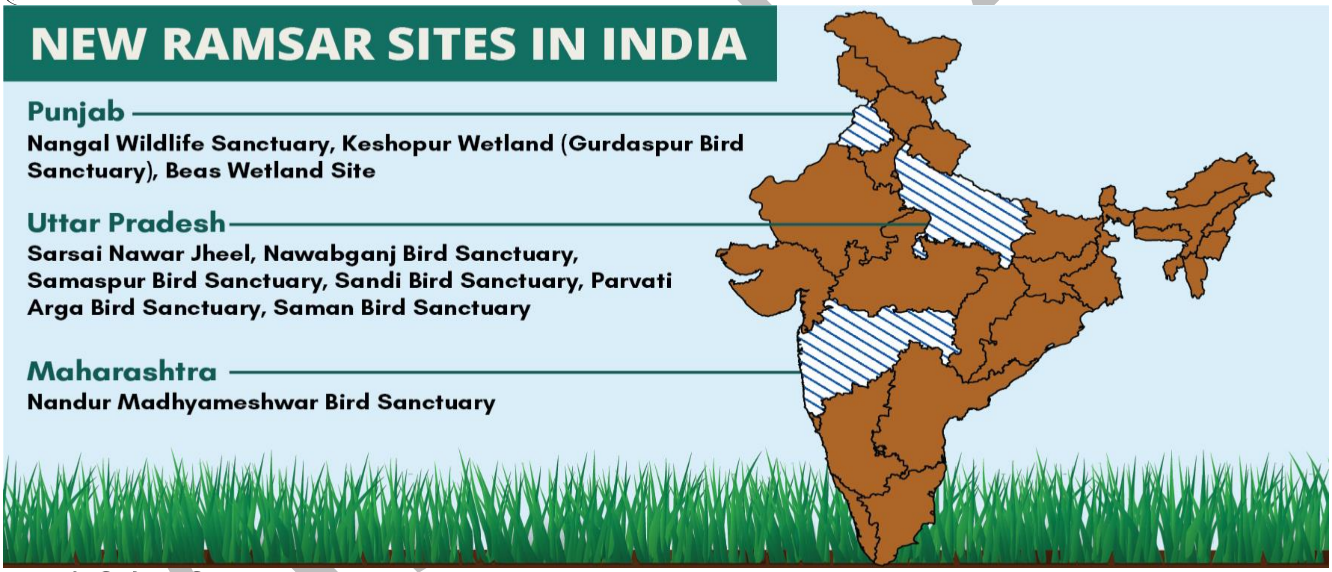

इन आर्द्रभूमियों का विवरण

इसके परिणामस्वरूप भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या वर्तमान में 27 से बढ़कर **37** हो गई है। इन नवीन आर्द्रभूमियों का विवरण निम्नलिखित है:

- **नंदुर मदमहेश्वर (Nandur Madhameshwar)**
    - **यह महाराष्ट्र का प्रथम रामसर स्थल है।**
    - यह दक्कन के पठार पर स्थित झीलों, कच्छ भूमियों और तटीय वन (riparian forest) का एक सम्मिलन स्थल है। इस समृद्ध आर्द्रभूमि का विकास, **गोदावरी और कडवा नदियों** के संगम पर नंदुर मदमहेश्वर बांध के निर्माण के परिणामस्वरूप हुआ है।
    - इसका संपन्न पर्यावास इसके निकटवर्ती स्थित **अर्ध-शुष्क परिस्थितियों** (पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला के वृष्टि छाया क्षेत्र के कारण निर्मित) **से विपरीत हैं।**
    - यह अनेक **क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियों** के लिए पर्यावास आधार प्रदान करता है, जिसमें **दिओलाली माइनोव** (एक मछली), इंडियन वल्चर और व्हाइट रंप्ड वल्चर शामिल हैं।
- **समान पक्षी अभ्यारण्य (मैनपुरी, उत्तर प्रदेश)**
    - यह गंगा के बाढ़ के मैदान में स्थित एक **मौसमी गोखुर झील (oxbow lake)** है।

- यह अभ्यारण्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण **ग्रे लेग गूज** सहित कई प्रवासी पक्षियों के लिए एक **शीतकालीन स्थल** प्रदान करता है जहां शीतकाल के दौरान इन पक्षियों की मौजूदा दक्षिण एशियाई आबादी के लगभग 1% से अधिक द्वारा प्रवास किया जाता है।

- **नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य (उन्नाव, उत्तर प्रदेश):**
  - यह एक **उथली दलदली भूमि** है। मानसूनी वर्षा से इस विविधतापूर्ण आर्द्रभूमि की जल की आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं और साथ ही, शारदा नहर द्वारा भी अतिरिक्त जल की आपूर्ति की जाती है। इस अभ्यारण्य द्वारा मनोरंजन और पर्यटन जैसी गतिविधियों के साथ-साथ स्थानीय जैव-विविधता को समर्थन प्रदान किया जाता है।
  - उल्लेखनीय है कि वनों से वृक्षों की कटाई किए जाने के कारण अत्यधिक आक्रामक सामान्य जलकुंभी के कारण इस अभ्यारण्य के समक्ष जोखिम उत्पन्न हुआ है।
  - यह शीत ऋतु के दौरान यहां आने वाले प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के प्रवास के लिए भी जाना जाता है।
- **समसपुर पक्षी अभ्यारण्य (रायबरेली, उत्तर प्रदेश)**
  - यह उत्तर प्रदेश में स्थित सिंधु-गंगा के मैदानी क्षेत्रों का एक तराई क्षेत्र है, जो वर्ष भर जलमग्न रहता है।
  - इसकी छह संबद्ध झीलें मानसूनी वर्षा पर अत्यधिक निर्भर हैं।
  - यह अभ्यारण्य इजिप्शियन वल्चर **(इंडेंजर्ड)** और पलाश फिश ईगल **(इंडेंजर्ड)** तथा कॉमन पोचार्ड **(वल्नरेबल)** जैसी प्रजातियों का निवास स्थल है।
  - **"सरपत"** नामक एक लंबी घास भी प्रत्येक स्थान पर समूहों (गुच्छों) के रूप में पाई जाती है।
- **सांडी पक्षी अभ्यारण्य (हरदोई, उत्तर प्रदेश)**
  - यह एक अलवणीय कच्छ क्षेत्र है, जिसे **बर्डलाइफ इंटरनेशनल (BI)** द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
  - सांडी पक्षी अभ्यारण्य को इसके प्राचीन नाम **"दहर झील"** के नाम से भी जाना जाता है।
  - इस पक्षी अभ्यारण्य के निकट से **गर्रा नदी** (जिसे पहले गरुड़ गंगा के नाम से भी जाना जाता था) प्रवाहित होती है।
  - यह अभ्यारण्य कॉमन टील, रेड-क्रेस्टेड पोचार्ड और फेरुजिन डक की दक्षिण एशियाई आबादी का 1% से अधिक प्रजातियों का निवास स्थल है, जबकि इस अभ्यारण्य के भीतर सारस क्रेन **(वल्नरेबल)** की आबादी केवल 200 है।
  - इस अभ्यारण्य के शुष्क हो जाने के कारण वर्ष 2014 से 2015 तक यहां प्रवास करने वाले जल पक्षियों की आबादी में कमी हुई थी।
- **पार्वती अरगा पक्षी अभ्यारण्य (उत्तर प्रदेश)**
  - यह एक स्थायी अलवणीय जल क्षेत्र है जिसमें दो गोखुर झीलें स्थित हैं।
  - ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के गंगा के मैदान के एक गहन प्राकृतिक अवदाब क्षेत्र में स्थित वर्षा-सिंचित झीलें हैं।
  - यह अभ्यारण्य भारत की कुछ संकटग्रस्त (threatened) गिद्ध प्रजातियों का निवास स्थल है: इसमें **क्रिटिकली इंडेंजर्ड** व्हाइट रंप्ड वल्चर एवं इंडियन वल्चर और **इंडेंजर्ड** इजिप्शियन वल्चर प्रजातियां पाई जाती हैं।
  - इस अभ्यारण्य के समक्ष सड़क और रेलवे के विकास के साथ सामान्य जल जलकुंभी जैसी आक्रामक प्रजातियां महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न कर रही हैं।
- **सरसई नावर झील (इटावा, उत्तर प्रदेश)**
  - यह उत्तर प्रदेश में सिंधु-गंगा बाढ़ के मैदान में स्थित एक विशिष्ट आर्द्रभूमि है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा से जल प्राप्त होता है।
  - यह मानव और वन्यजीवों के सह-पर्यावास का एक उदाहरण है: इस स्थल के अधिकांश भागों में की जाने वाली कृषि पद्धतियां जलीय पक्षी आवासों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
  - यहाँ सारस क्रेन (वल्नरेबल) भी पाई जाती है। इनकी आबादी लगभग 400 है, जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रजाति समूह है। वर्तमान में पाई जाने वाली अन्य संकटग्रस्त प्रजातियों में व्हाइट रंप्ड वल्चर **(क्रिटिकली इंडेंजर्ड)** और वुली नेक्ड स्टोर्क **(इंडेंजर्ड)** शामिल हैं।
  - इसे **बर्डलाइफ इंटरनेशनल** द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- **ब्यास संरक्षण रिजर्व (पंजाब)**
  - इसमें पंजाब में प्रमुख रूप से ब्यास नदी के 185 किलोमीटर तक के भाग को शामिल किया गया है। यह नदी द्वीपों, बालू रोधिका और गुंफित नदियों से विछिन्न है, जो जैव-विविधता को समर्थन प्रदान करने वाले जटिल परिवेश का निर्माण करते हैं।
  - इस रिज़र्व में भारत में **सिंधु नदी डॉल्फ़िन (इंडेंजर्ड)** की एकमात्र ज्ञात प्रजाति पायी जाती है। साथ ही यहाँ इंडेंजर्ड महाशीर एवं हॉग डियर के साथ-साथ वल्नरेबल स्मूथ-कोटेड ऑटर भी पाए जाते हैं।
  - क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल के पुनरुद्धार हेतु यहाँ एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।
- **नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य (पंजाब)**
  - यह पंजाब के शिवालिक गिरिपद में स्थित है जो एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (eco-sensitive) है।
  - यह वर्ष 1961 में सतलज नदी पर भाखड़ा-नांगल परियोजना के एक भाग के रूप में मानव निर्मित जलाशय है।
  - यह ऐतिहासिक महत्व का स्थल है क्योंकि भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों द्वारा यहाँ वर्ष 1954 में "शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों" को औपचारिक रूप प्रदान किया गया था।

- **केशोपुर-मियां सामुदायिक रिजर्व (पंजाब)**
    - यह वार्षिक वर्षा जल द्वारा अपवाहित प्राकृतिक दलदल भूमि, जलीय कृषि तालाबों (aquaculture ponds) और कृषि आर्द्रभूमियों का एक सम्मिलन स्थल है।
    - यह मानवीय हस्तक्षेप द्वारा अत्यधिक प्रभावित है और यहां पर अनेक फिशपॉन्ड निर्मित किए गए हैं तथा कमल एवं शाहबलूत (chestnut) की पैदावार की जाती हैं।
    - यह स्थल समुदाय द्वारा प्रबंधित आर्द्रभूमि के बेहतर उपयोग का एक उदाहरण है, जो लोगों को भोजन और स्थानीय जैव-विविधता को समर्थन प्रदान करती है।
    - यहां पाई जाने वाली संकटग्रस्त प्रजातियों में कॉमन पोचर्ड (वल्नरेबल) और स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल (इंडेंजर्ड) शामिल हैं।

रामसर अभिसमय के बारे में

- यह एक **अंतर-सरकारी संधि** है जो आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके बुद्धिमतापूर्ण उपयोग हेतु स्थानीय एवं राष्ट्रीय कार्यवाहियों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु एक ढांचा उपलब्ध कराती है।
- रामसर अभिसमय को वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में हस्ताक्षरित किया था। यह आर्द्रभूमि की पारिस्थितिक विशेषताओं के संरक्षण हेतु सबसे पुराने अंतर-सरकारी समझौतों में से एक है।
- इस अभिसमय के "तीन स्तंभों" के अंतर्गत अनुबंध करने वाले पक्षकार निम्नलिखित के संबंध में प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं:
    - सभी आर्द्रभूमियों के बुद्धिमतापूर्ण उपयोग की दिशा में कार्य करना;
    - अंतर्राष्ट्रीय महत्व ("रामसर सूची") की आर्द्रभूमियों की सूची के लिए उपयुक्त आर्द्रभूमि क्षेत्र को निर्दिष्ट करना और उनका प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना; तथा
    - सीमा-पार आर्द्रभूमियों, साझा आर्द्रभूमि प्रणाली और साझा प्रजातियों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- इसके पक्षकारों की कुल संख्या 171 है।
- **मोंट्रेक्स रेकॉर्ड (Montreux Record):** यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की ऐसी सूची है, जिसके अंतर्गत उन आर्द्रभूमियों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी तकनीकी विकास, प्रदूषण अथवा अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण पारिस्थितिक विशेषताओं में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं या होने की संभावना है।
- निम्नलिखित 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन रामसर अभिसमय के भागीदार हैं:
    - **बर्डलाइफ़ इंटरनेशनल;**
    - **इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ़ नेचर (IUCN);**
    - **इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (IWMI);**
    - **वेटलैंड्स इंटरनेशनल;**
    - **वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF); तथा**
    - **द वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट (WWT)।**

5.5. शहरी झील (Urban Lakes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal: NGT) ने हैदराबाद के हुसैन सागर झील में प्रदूषण को नियंत्रित करने संबंधी प्रयासों में विफल रहने के कारण तेलंगाना सरकार को फटकार लगाई है।

शहरी झील क्या है?

- **राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (National Lake Conservation Plan: NLCP)** के अनुसार, तीन मीटर की न्यूनतम गहराई वाला एक जल निकाय, जो 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है और उसमें किसी भी प्रकार की जलीय वनस्पति का विकास नहीं हुआ है उसे झील माना जाता है।
    - शहरी झील ऐसी झीलों को संदर्भित करती है, जो पूर्ण रूप से शहर की सीमा (सेन्सस टाउन) के भीतर और प्रत्यक्षतः शहरी अधिवासों के मध्य स्थित होती है, जहाँ कुछ मनोरंजक सुविधाएँ तटीय क्षेत्र (पार्क, खेल के मैदान) तक ही सीमित होती हैं।

शहरी झीलों का महत्व

ऐतिहासिक रूप से, अधिकांश शहरों का विकास जलमार्गों या झीलों के निकटवर्ती या संलग्न क्षेत्रों में हुआ है। ऐसे में ये जलमार्ग या झील शहरी क्षेत्रों के विकास को प्रभावित करते हैं। ये पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक सेवाएं प्रदाता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- **ये जल भंडारण के माध्यम से बाढ़ और सूखे के प्रभाव को कम करते हैं।**

- ये **भूजल स्तर के पुनर्भरण में भी सहायता करते हैं क्योंकि ये भूजल पुनर्भरण हेतु आवश्यक संग्राहक के रूप में कार्य करते हैं,** जो प्राकृतिक जल स्रोतों की जल गुणवत्ता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं तथा आसपास के क्षेत्र की जैव विविधता एवं प्राकृतिक पर्यावास को भी संरक्षण प्रदान करते हैं।
- झीलें **कूलिंग एजेंट** के रूप में कार्य करती हैं तथा ये शहर की सूक्ष्म जलवायु के लिए आवश्यक होती हैं।
- ये **मनोरंजन, पर्यटन और घरेलू आवश्यकताओं के लिए प्रमुख अवसर प्रदान करती हैं।**
- ये **कई स्थानों पर जल आपूर्ति के प्राथमिक स्रोत** होती हैं।

शहरी झीलों से संबंधित जोखिम

- **प्रदूषण:** शहरी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप शहरी झीलों में अनुपचारित स्थानीय मल-जल (सीवेज) और ठोस अपशिष्टों के अपवाह में वृद्धि हुई है तथा कई स्थानों पर ये जल निकाय अंततः भूमि-भराव (लैंडफिल) के रूप में परिवर्तित हो गए हैं।
- **सुपोषण (Eutrophication):** झीलों और तालाबों में अनुपचारित सीवेज द्वारा पोषक तत्वों के प्रवेश के परिणामस्वरूप, जल में खरपतवारों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है जो झीलों में विभिन्न क्षयकारी परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। अंततः इससे जलीय निकाय की पारिस्थितिकी बाधित एवं संदूषित हो जाती है तथा उसमें स्थित जीवों की मृत्यु हो जाती है।
- **अतिक्रमण (Encroachment):** तीव्र आर्थिक वृद्धि के इस दौर में शहरी क्षेत्रों में स्थित भूमि के छोटे हिस्से का भी उच्च आर्थिक मूल्य होता है। इसलिए, इन शहरी जल निकायों को सामान्यतः पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के रूप में स्वीकार न करके अचल संपत्ति (real estate) के रूप स्वीकार किया जाता है, जो इन जल निकायों पर अत्यधिक अतिक्रमण को बढ़ावा देता है।
- **अवैध खनन गतिविधियाँ:** निर्माण सामग्री (झील के किनारों और नितल से रेत एवं पत्थर का) हेतु अवैध खनन संबंधी गतिविधियों के जलीय निकाय पर अत्यधिक हानिकारक प्रभाव होते हैं।
- **अनियोजित पर्यटन गतिविधियाँ:** सुव्यवस्थित नियोजन एवं नियमन तथा अपशिष्ट निपटान सुविधाओं के अभाव के कारण कई जलीय निकायों (विशेषकर अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित झीलों में, उदाहरण के लिए- श्रीनगर स्थित डल झील) का अत्यधिक निम्नीकरण हुआ है।
- **सांस्कृतिक दुरुपयोग:** स्थानीय समुदायों द्वारा अपने सांस्कृतिक या धार्मिक त्योहारों जैसे मूर्तियों के विसर्जन (जो विशेष रूप से इन झीलों के लिए गंभीर प्रदूषण के स्रोत होते हैं) हेतु इन जलीय निकायों का दुरुपयोग किया जाता है।

भारत में झीलों के संरक्षण हेतु संस्थागत व्यवस्था

- **सरकारी संस्थान:** शहरी क्षेत्रों में जलीय निकाय, भूमि स्वामित्व वाली एजेंसियों के अधीन होते हैं। उनका स्थायित्व और संरक्षण कई अन्य संस्थानों/एजेंसियों की भूमिका पर निर्भर करता है, जैसे- जल संसाधन मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, मत्स्यपालन मंत्रालय और अन्य स्थानीय प्राधिकरण, अर्थात् नगर निगम, विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग, जल आपूर्ति बोर्ड आदि।
    - राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, 'पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' के तहत संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश में झीलों की जल गुणवत्ता और पारिस्थितिकी का पुनरुद्धार करना है।
- **स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPVs):** देश के कई हिस्सों में झील प्रबंधन और संरक्षण हेतु SPVs की स्थापना की गई है। उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि के पुनरुद्धार और प्रबंधन के लिए भोज वेटलैंड प्राधिकरण, उड़ीसा में चिल्का झील के लिए चिल्का विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है।
- **गैर-सरकारी संगठन:** अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन, जैसे- विश्व वन्यजीव कोष (WWF), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), एशियाई विकास बैंक (ADB), विश्व बैंक तथा कई अन्य छोटे स्थानीय संगठन/नागरिक समूह, यथा- दिल्ली स्थित नीला हौज सिटीजन ग्रुप तथा बंगलुरु स्थित सेव अवर अर्बन लेक्स इत्यादि भी झील संरक्षण और पुनरुद्धार हेतु प्रयासरत हैं।
- **न्यायपालिका और कानूनी तंत्र:** विगत कुछ दशकों में कई सार्वजनिक समूहों द्वारा कई जनहित याचिकाएं (PILs) दायर की गई हैं, जो कई अत्यधिक प्रदूषित और पर्यावरण की दृष्टि से निम्नीकृत झीलों के संदर्भ में सफलतापूर्वक परमाधिदेश जारी करवाने में सफल रहे हैं। झील संरक्षण हेतु अतिक्रमण के विरुद्ध हुए इन महत्वपूर्ण संघर्षों में मुंबई की पवई और चारकोप झीलें भी शामिल हैं।

आगे की राह

- एक ऐसी झील प्रबंधन योजना पर बल देना चाहिए जो:
    - संबंधित नागरिकों, विशेष हित समूहों, सरकारी निकाय और जल संसाधन प्रबंधन कर्मियों के मध्य भागीदारी को प्रोत्साहित करती हो।
    - झील के जलग्रहण/जल-संभरण क्षेत्र से संबंधित मुद्दों की पहचान करती हो।
    - वास्तविक लक्ष्यों, उद्देश्यों और कार्यवाईयों (लघु, मध्यम और दीर्घकालिक) को निर्धारित करती हो।
    - आवश्यक धन और कर्मियों की पहचान करती हो।
- योजना प्रक्रिया में संबंधित झील के संधारणीयता को ध्यान में रखते हुए संसाधनों के उचित उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- केंद्र, राज्य और शहरी स्थानीय निकायों के साथ-साथ विभिन्न हितधारकों की भी भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

VISION IAS

- एक सामान्य विनियामक ढांचे के साथ-साथ एक एकीकृत और बहु-विषयक दृष्टिकोण की सहायता से झीलों तथा आर्द्रभूमि का संरक्षण किया जा सकता है।

5.6. प्रतिपूरक वनीकरण: ग्रीन क्रेडिट योजना (Compensatory Afforestation: Green Credit Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee: FAC) ने ग्रीन क्रेडिट योजना को प्रारंभ कर, प्रतिपूरक वनीकरण प्रक्रिया में समग्र सुधार करने हेतु अनुशंसा की है।

वन सलाहकार समिति (FAC)

- यह केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के अधीन संचालित एक निकाय है, जो वन क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन के विनियमन हेतु उत्तरदायी है।
- इसमें वानिकी प्रभाग के आधिकारिक सदस्य और स्वतंत्र विशेषज्ञ अर्थात् गैर-आधिकारिक सदस्य शामिल होते हैं।

प्रस्तावित ग्रीन क्रेडिट योजना

- यह एजेंसियों को **उपयुक्त गैर-वन भूमि की पहचान करने और वृक्षारोपण हेतु** अनुमति प्रदान करेगी।
  - इन एजेंसियों के अंतर्गत निजी कंपनियां, ग्रामीण वन समुदाय या गैर-सरकारी संगठन सम्मिलित हैं।
- तीन वर्ष पश्चात्, यदि संबंधित वनभूमि, वन विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूर्ण कर लेती है, तो उस वनभूमि को **प्रतिपूरक वन भूमि के रूप में माना जाएगा।**
- ऐसे उद्योग जिन्हें प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वन भूमि की आवश्यकता है, वे एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं और ऐसी वन भूमि के लिए भुगतान कर सकते हैं तथा तत्पश्चात इस भूमि को **वन विभाग** को हस्तांतरित किया जाएगा और इसे वन भूमि के रूप में दर्ज किया जाएगा।
- FAC का मानना है कि इससे **पारंपरिक वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण को बढ़ावा मिलेगा।** यह देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं, जैसे- सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (Nationally Determined Contributions: NDCs) को पूरा करने में सहायता करेगा।
- हालांकि, इस योजना के संबंध में **विभिन्न चिंताएं** उत्पन्न हुई हैं:
  - यह वन विभाग के पुनर्वनीकरण उत्तरदायित्वों को गैर-सरकारी एजेंसियों को **आउटसोर्स** करने की अनुमति प्रदान करती है।
  - यह **"वनों"** को एक **कमोडिटी** के रूप में कारोबार करने की अनुमति प्रदान कर सकती है। यह बहुउद्देशीय वनों के स्थान पर **मोनोकल्चर (एकल-कृषि)** वृक्षारोपण के माध्यम से **निजीकरण** को बढ़ावा दे सकती है तथा साथ ही यह वनों के निम्नीकरण, **जैव विविधता की हानि** तथा **भूमि अधिकारों के उल्लंघन** को भी प्रेरित कर सकती है।
  - यदि इन वृक्षारोपणों का आर्थिक मूल्य लाभप्रद हो जाए, तो यह कृषि भूमि (इन भूमियों की वृक्षारोपण वाली भूमि में परिवर्तित होने की संभावना) के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर सकता है।
  - यदि वृक्षारोपण करने वाली एजेंसी का उद्देश्य व्यापार करना नहीं है, तो वह ईमारती लकड़ी (टिम्बर) हेतु वृक्षारोपण कर सकती है। यह प्रतिपूरक वनीकरण के पुनरुद्धार सिद्धांत के विरुद्ध है जोकि पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने पर बल देता है।
  - **इससे वनों का विखंडन** और **मानव-पशु संघर्ष** का संकट उत्पन्न होगा।

भारत में प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation: CA) प्रक्रिया

- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत जब भी खनन या अवसंरचना विकास जैसे गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग किया जाता है तो प्रतिपूरक वनीकरण के लिए समान गैर-वन भूमि की पहचान कर प्रतिपूरक वनीकरण को बढ़ाने हेतु फंड अधिरोपित किया जाता है।
- सरकार ने प्रतिपूरक वनीकरण मामलों के संदर्भ में उचित संस्थागत तंत्र प्रदान करने के लिए **"प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016"** को अधिनियमित किया है।
- परियोजना प्रस्तावक CA हेतु भूमि की पहचान और परिवर्तित वन भूमि के मौजूदा आर्थिक मूल्य अर्थात् **'निवल वर्तमान मूल्य'** का भी भुगतान करता है। इस धन को वन विभाग को हस्तांतरित किया जाता है तथा इसे **प्रतिपूरक वनीकरण कोष** के तहत संग्रहित कर लिया जाता है।
- वन विभाग द्वारा उस भूमि पर उपयुक्त वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है, जो समय के साथ वनीय क्षेत्र (forests) के रूप में विकसित हो जाती है।
- इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित आवश्यकताओं को भी शामिल किया गया है:
  - CA के लिए गैर-वन भूमि की पहचान जहाँ तक संभव हो, आरक्षित वन या संरक्षित वन क्षेत्र से संलग्न या इनके निकट के क्षेत्रों में ही की जानी चाहिए।

- ऐसे मामलों में, जहां CA के लिए गैर-वन भूमि उसी जिले में उपलब्ध नहीं है, तो CA के लिए गैर-वन भूमि की उसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में किसी अन्य स्थान पर पहचान की जानी चाहिए।
- यदि संपूर्ण राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में गैर-वन भूमि उपलब्ध नहीं है, तो राज्य वन विभाग द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर धन संग्रहीत किया जाना चाहिए।

5.7. अफ्रीकी चीता (African Cheetah)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने अफ्रीका महाद्वीप के **नामीबिया** से **अफ्रीकी चीता** को भारत स्थित किसी उपयुक्त पर्यावास में पुनर्स्थापित करने (अर्थात् अफ्रीकी चीते को बसाने) हेतु केंद्र सरकार को अनुमति प्रदान कर दी है।

पृष्ठभूमि

- भारतीय चीता की लगभग विलुप्त (nearly extinct) स्थिति को देखते हुए, प्रथम बार वर्ष 2009 में इस योजना को प्रस्तावित किया गया था।
  - उल्लेखनीय है कि, ईरान में एशियाई चीते की एक उप-प्रजाति पायी जाती है, परंतु ईरान ने इसे भारत को स्थानांतरित करने से अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने अफ्रीकी चीता के विकल्प का चयन किया था।
- वर्ष 2010 में, भारत में चीता की पुनर्स्थापना (reintroducing) को लेकर केंद्र सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया था। इस पैनल द्वारा चीता के पुनर्स्थापना के लिए कूनो-पालपुर (मध्य प्रदेश), वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान (गुजरात) और ताल छापर अभ्यारण्य (राजस्थान) को चयनित करने की सिफारिश की गई थी।
  - हालांकि, चीतों के पुनर्स्थापना हेतु कूनो-पालपुर अभ्यारण्य को वरीयता दी गई है। साथ ही **एशियाई शेरों (Asiatic lions)** के अधिवास हेतु भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस अभ्यारण्य का चयन किया गया था।
- हालांकि, मई 2012 में, उच्चतम न्यायालय ने कूनो-पालपुर अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीतों की पुनर्स्थापना की योजना को स्थगित कर दिया था। इसके लिए विभिन्न कारक उत्तरदायी हैं:
  - शेरों की पुनर्स्थापना हेतु चल रही समानांतर परियोजना के साथ उसी अभ्यारण्य में चीतों की पुनर्स्थापना से दोनों के मध्य संघर्ष उत्पन्न हो सकता है तथा साथ ही, हमारी अपनी प्रजातियों के संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
  - विशेष रूप से पर्याप्त शिकार की उपलब्धता को देखते हुए क्या अफ्रीकी चीतों के लिए यह अभ्यारण्य एक अनुकूल जलवायु या पर्यावास प्रदान कर पाएगा।
  - कूनो-पालपुर में चीतों के पुनर्स्थापना के पश्चात्, मानव-वन्यजीव संघर्ष उत्पन्न होने की संभावना है या नहीं।
- अंततः वर्ष 2013 में, उच्चतम न्यायालय द्वारा कूनो-पालपुर में अफ्रीकी चीतों के पुनर्वास की योजना को रद्द कर दिया गया।
- वर्ष 2017 में चीता की पुनर्स्थापना योजना को केंद्र सरकार द्वारा पुनः प्रारंभ करने हेतु प्रयास किए गए थे।
- हाल ही में, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) का मार्गदर्शन करने हेतु उच्चतम न्यायालय ने एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। अफ्रीकी चीते के पुनर्स्थापना का निर्णय एक उचित सर्वेक्षण के पश्चात् ही लिया जाएगा तथा तदुपरान्त NTCA द्वारा अपने स्तर पर पुनर्स्थापना संबंधी निर्णय किया जाएगा।

पुनर्स्थापना के विपक्ष में तर्क

- **इंडेंजर्ड प्रजातियों के समक्ष जोखिम:** इससे पूर्व ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) के पर्यावास क्षेत्रों में चीते की पुनर्स्थापना हेतु सिफारिश की गई थी। उल्लेखनीय है कि इससे इस पक्षी के विलुप्त होने की संभावना बढ़ जाती, क्योंकि GIB (नियर थ्रेटेंड), चीते का संभावित शिकार होता है।
- **अन्य कीस्टोन प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा:** उदाहरण के लिए भेड़िए, मध्य प्रदेश के नौरादेही की कीस्टोन प्रजातियां हैं और उन्हें चीता के साथ प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ सकता है।
- **अनुपयुक्त पर्यावास:** प्रस्तावित भारतीय वन्यजीव अधिवास का क्षेत्रफल 1,000 वर्ग किमी से कम है तथा साथ ही, इसका शिकार आधार (prey base) भी चीता के अफ्रीकी पर्यावास स्थलों की तुलना में अत्यंत छोटा है।
  - ज्ञातव्य है कि 14,750 वर्ग किमी क्षेत्र के साथ तंज़ानिया के सेरेंगेटी नेशनल पार्क का शिकार आधार (prey base) अत्यधिक विस्तृत है, वहीं दक्षिण अफ्रीका का क्रूगर नेशनल पार्क 19,485 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है।

चीता के बारे में

- चीता शुष्क, झाड़ीनुमा वनों एवं सवाना क्षेत्रों की एक कीस्टोन प्रजाति है।
  - कीस्टोन प्रजातियां वह होती हैं जो अपनी आबादी की तुलना में किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र पर अपेक्षाकृत अत्यधिक उच्च प्रभाव डालती हैं।
  - इसकी प्रचुरता के सापेक्ष प्राकृतिक पर्यावरण पर इसका व्यापक विषम प्रभाव पड़ता है।

- इसे वर्ष 1952 में आधिकारिक तौर पर भारत से विलुप्त (extinct) घोषित कर दिया गया था।
- यह सबसे प्राचीन **बिग कैट प्रजातियों** में से एक है, जिसके पूर्वजों के साक्ष्य पांच मिलियन वर्ष पूर्व मायोसीन युग से साम्यता रखते हैं।
- यह विश्व का सर्वाधिक तीव्र गति से दौड़ने वाला स्थलीय स्तनपायी है।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष, पर्यावास क्षति, शिकार की अनुपलब्धता और अवैध तस्करी जैसी समस्याओं ने उनकी संख्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
    - जलवायु परिवर्तन तथा बढ़ती मानव आबादी ने इन समस्याओं को और अधिक भयावह बना दिया है।

IUCN स्थिति:

- **अफ्रीकी चीता को वल्नरेबल** एवं **एशियाई चीता को क्रिटिकली एंडेंजर्ड** (जो केवल ईरान में पाया जाता है) की सूची में रखा गया है।

अफ्रीकी चीता बनाम एशियाई चीता

- अफ्रीकी चीता की तुलना में एशियाई चीता अत्यधिक शक्तिशाली होता है और तेज दौड़ता है। हालांकि, लोग ऐसा मानते हैं कि अफ्रीकी चीता सबसे तेज दौड़ता है।
- एशियाई चीता (लगभग 50-70 आबादी) केवल ईरान में ही पाए जाते हैं जबकि अफ्रीकी चीता केवल अफ्रीका के जंगलों में ही पाए जाते हैं।

5.8. राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक, 2019 (State Energy Efficiency Preparedness Index, 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency: BEE) ने 'राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक, 2019' जारी किया है।

इस सूचकांक के बारे में

- यह **97** महत्वपूर्ण संकेतकों के आधार पर **36** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित ऊर्जा दक्षता पहल संबंधी प्रगति का मापन करता है।
    - ऊर्जा दक्षता (EE) भारत को निम्नलिखित **सतत विकास लक्ष्यों** को प्राप्त करने में एक स्वच्छ, तीव्र और वहनीय मार्ग उपलब्ध कराता है:
        - **SDG-7** : वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा;
        - **SDG-12** : उचित उपभोग और उत्पादन; एवं
        - **SDG-13** : जलवायु कार्रवाई।
- **इस तरह के प्रथम सूचकांक** की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी।
- इस सूचकांक को **"एलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी" (AEEE)** के सहयोग से **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)** द्वारा विकसित किया गया था।
- इसके अंतर्गत पांच भिन्न-भिन्न क्षेत्रों **(भवन निर्माण, उद्योग, नगर पालिकाओं, परिवहन, कृषि और DISCOM)** में ऊर्जा दक्षता पहल, कार्यक्रमों और परिणामों का आकलन करने हेतु गुणात्मक, मात्रात्मक और परिणाम-आधारित संकेतकों को शामिल किया गया है।
- यह ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन की दिशा में उनके प्रयासों और उपलब्धियों के आधार पर राज्यों को **'फ्रंट रनर (Front Runner)', 'अचीवर (Achiever)', 'कंटेंडर (Contender)' और 'एस्पिरेंट (Aspirant)'** के रूप में वर्गीकृत करता है।
- इस वर्ष के नवीन संकेतकों में **ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ECBC) 2017 का अंगीकरण, MSME क्लस्टरों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना** आदि शामिल हैं।
- यह सूचकांक राज्यों को ऊर्जा सुरक्षा एवं जलवायु कार्रवाई पर राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा, जो निम्नलिखित हैं:
    - राज्य और स्थानीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता नीतियों एवं कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहयोग करना।
    - राज्यों की प्रगति के प्रबंधन और देश के एनर्जी फुटप्रिंट की निगरानी रखना।
    - राज्यों की ऊर्जा दक्षता पर गतिविधियों की डेटा कैप्चरिंग तथा निगरानी को संस्थागत बनाना।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency: BEE) के बारे में

- यह विद्युत मंत्रालय के अधीन एक **सांविधिक निकाय** है, जिसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया है।
- यह भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ नीतियों और रणनीतियों के विकास में सहायता करता है।
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत इसे सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन के क्रम में यह नामित उपभोक्ताओं और नामित एजेंसियों को **मौजूदा संसाधनों एवं अवसंरचना की पहचान और उपयोग हेतु समन्वय स्थापित करता है।**

प्रमुख निष्कर्ष

- **'फ्रंट रनर' श्रेणी में कोई भी राज्य शामिल नहीं** हैं, तथा **'अचीवर' श्रेणी** में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में हरियाणा, कर्नाटक और केरल शामिल हैं।
- तर्कसंगत तुलना हेतु, समग्र **कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति (Total Primary Energy Supply: TPES)** के आधार पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों (बिजली, कोयला, तेल, गैस आदि) की वास्तविक ऊर्जा मांग की पूर्ति करने हेतु आवश्यक है।
    - **TPES ग्रुपिंग** राज्यों को अपने प्रदर्शन की तुलना करने तथा अपने सहकर्मी समूह के भीतर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सहयोग करेगा।

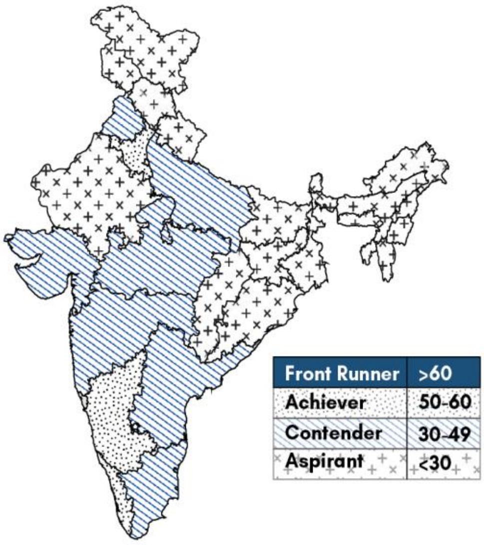

- **भवन:** 6 राज्यों द्वारा क्षेत्रीय और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप **ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (Energy Conservation Building Code: ECBC), 2017** में संशोधन किया गया है तथा राज्य के आधिकारिक राजपत्र में इस कोड को अधिसूचित भी किया गया है।
    - साथ ही, चार राज्यों ने नगरपालिका भवन उपनियमों के तहत ECBC, 2017 को शामिल किया है।
- **औद्योगिक क्षेत्र:** 13 राज्यों में 35 औद्योगिक इकाइयां ऊर्जा दक्षता उपायों की सहायता से अपनी ऊर्जा तीव्रता को कम करने में सफल रही हैं।
- **नगरपालिका ऊर्जा क्षमता:** 11 राज्यों ने राज्य के भीतर कुछ नगर पालिकाओं में स्ट्रीट लाइटिंग के लिए केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली स्थापित की है।
- **परिवहन क्षेत्र:** 6 राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) या ई-मोबिलिटी नीतियां जारी की गई हैं तथा चार शहरों में EV नीतियों का मसौदा प्रकाशित किया गया है।
- सूचकांक यह भी दर्शाता है कि **राज्यों द्वारा की गई अधिकांश पहले, नीतिगत और विनियामकीय स्तर पर ही कार्यान्वित की गई हैं।**

राज्यों के लिए सुझाव

इस वर्ष राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण के आधार पर, राज्य एजेंसियों को **तीन-सूत्रीय एजेंडा** का सुझाव दिया गया है:

- **नीति निर्माण और कार्यान्वयन में राज्यों की अग्रसक्रिय भूमिका,** ताकि "नीति निर्माण" के स्थान पर "नीतियों के सफल कार्यान्वयन" पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके।
- **डेटा संकलन, प्रबंधन और डेटा की सार्वजनिक उपलब्धता संबंधी तंत्र को सुदृढ़ करना:** ऊर्जा डेटा प्रबंधन प्रणाली के लिए एक सुदृढ़ तंत्र को स्थापित करने हेतु राज्य-नामित एजेंसियों (State Designated Agencies: SDAs) को राज्य विभागों एवं निजी क्षेत्र के साथ संलग्नता को और सुदृढ़ करना चाहिए।
- **ऊर्जा दक्ष योजनाओं की विश्वसनीयता को बढ़ाना:** ऊर्जा दक्षता बाजार में पूर्ण परिवर्तन हेतु साधारण उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कार्यक्रमों की प्रमाणिकता को सुनिश्चित करना।

संबंधित तथ्य

- भारत में **"इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान" (ICAP)** और ऊर्जा दक्षता को तीव्रता प्रदान करने हेतु BEE की मसौदा रणनीति अर्थात् **"अनलॉकिंग नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल (UNNATEE)"** को वर्ष 2019 में शुरू किया गया था।
    - ICAP का लक्ष्य वर्ष 2037-38 तक विभिन्न क्षेत्रों में कुलिंग डिमांड को 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक कम करना तथा इस अवधि के दौरान ऊर्जा आवश्यकताओं में भी 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक की कमी करना है।
    - ऊर्जा दक्षता के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए UNNATEE एक रोडमैप प्रदान करता है।
- दोनों योजनाएं, **ऊर्जा दक्षता पहल के कार्यान्वयन को तीव्रता** प्रदान करने हेतु एक आह्वान है, जो भारत में विकास को बढ़ावा देते हुए सभी क्षेत्रों में ऊर्जा मांग एवं ऊर्जा गहनता को कम करने संबंधी प्रयासों पर केन्द्रित है।

5.9. रेत खनन के प्रवर्तन और निगरानी संबंधी दिशा-निर्देश (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने **"रेत खनन के प्रवर्तन और निगरानी संबंधी दिशा-निर्देश" (EMGSM-2020)** जारी किए हैं।

VISION IAS

इन दिशा-निर्देशों की आवश्यकता

- उल्लेखनीय है कि **सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट गाइडलाइंस (SSMG), 2016** (गैर-कानूनी और गैर-संधारणीय खनन पर अंकुश लगाने हेतु) को लागू किए जाने के बावजूद, ऐसी गतिविधियां जारी हैं।
- वर्ष 2016 के बाद से ही, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा कई मामलों में, **रेत खनन को विनियमित करने की आवश्यकता पर बल** दिया गया है और इस हेतु इसने अनेकों आदेश पारित किए हैं। ज्ञातव्य है कि कुछ मामलों में NGT द्वारा, अवैध खनन को रोकने का प्रयास करने वाले अधिकारियों की मृत्यु पर भी चिंता व्यक्त की गई है।
- इसके अतिरिक्त, **NGT द्वारा गठित एक 'उच्च-अधिकार प्राप्त समिति (HPC)'** ने प्रवर्तन संबंधी आवश्यकताओं और निगरानी (अवैध रेत खनन की रोकथाम हेतु) के संदर्भ में कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।
- संधारणीय रेत और बजरी खनन हेतु सभी भौगोलिक क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकताओं की पहचान करने की आवश्यकता है ताकि सभी भौगोलिक क्षेत्रों में **नियामकीय प्रावधान की निगरानी और प्रवर्तन हेतु एक समान प्रोटोकॉल** निर्धारित किया जा सके।
- यह दस्तावेज़, विनियामक प्रावधानों के प्रवर्तन के क्रम में **महत्वपूर्ण सूचनाओं के संग्रहण हेतु एक दिशा-निर्देश** के रूप में कार्य करेगा। यह संधारणीय रेत खनन के लिए प्रभावी निगरानी हेतु आवश्यक अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को भी रेखांकित करता है।
- नवीनतम **सुदूर निगरानी प्रणाली और आईटी सेवाओं का उपयोग,** रेत खनन गतिविधियों की प्रभावी निगरानी करने में सहायता करता है। इस प्रकार, देश में रेत खनन की निगरानी करने हेतु एक ऐसी प्रभावी नीति की आवश्यकता है जिसे निचले स्तर पर लागू किया जाना चाहिए।

- रेत एक **गौण खनिज** है जिसे **"खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957"** (MMDR Act) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।
- **वर्तमान दिशा-निर्देश इसके प्रमुख स्रोतों के रूप में अग्रलिखित को सूचीबद्ध करते हैं:** नदी (नदी तल और बाढ़ का मैदान), झील एवं जलाशय, कृषि क्षेत्र, तटीय/समुद्री रेत, पैलियो-चैनल और निर्मित रेत (Manufactured Sand)।
- **MMDR अधिनियम, 1957 राज्य सरकारों** को खनिजों (प्रमुख खनिज और गौण खनिज दोनों) के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने तथा संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु **नियम बनाने के लिए सशक्त** करता है।
    - इसलिए, **अवैध खनन पर नियंत्रण** राज्य सरकारों के विधायी और प्रशासनिक अधिकारिता के अंतर्गत शामिल हैं।

इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य

- खनिज संसाधनों की पहचान और मात्रा निर्धारण (Quantification) तथा उनके इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करना।
- देश में रेत और बजरी खनन की पहचान से लेकर उपभोक्ताओं एवं सामान्य जन द्वारा किए जाने वाले इसके अंतिम उपयोग तक को विनियमित करना।
- प्रत्येक चरण में रेत खनन की निगरानी के लिए आईटी-सक्षम सेवाओं एवं नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना।
- मांग एवं आपूर्ति अंतराल में कमी करना।
- रेत के पुनःपूर्ति अध्ययन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना।
- पर्यावरणीय अनुमति के पश्चात् निगरानी सुनिश्चित करना।
- पर्यावरण लेखा परीक्षा के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना।
- अवैध खनन की घटनाओं को नियंत्रित करना।

दिशा-निर्देश

- **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR):** विभिन्न पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों पर विचार करते हुए माइनिंग और नो-माइनिंग ज़ोन की पहचान करने तथा उन्हें परिभाषित करने के लिए DSR तैयार की जाएगी।
- **जिला स्तरीय व्यापक खनन योजना:** सभी जिलों को DSR के प्रावधान के अनुसार इसे तैयार करना होगा।
- **परित्यक्त नदी चैनलों को प्राथमिकता:** रेत के खनन के लिए सक्रिय चैनलों, उनके डेल्टा और बाढ़ के मैदानों के स्थान पर परित्यक्त नदी चैनलों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **पुनःपूर्ति अध्ययन:** रेत उत्खनन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए नियमित आधार पर पुनःपूर्ति अध्ययन किया जाना चाहिए।
- 3 मीटर की गहराई तक **खनन** की अनुमति दी जानी चाहिए।
- मानसून अवधि के दौरान किसी भी नदी के तट पर खनन कार्य की अनुमति नहीं प्रदान की जानी चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी का प्रयोग:** ड्रोन, मोबाइल एप्लिकेशन और/या बार कोड स्कैनर आदि तकनीकियों का उपयोग करके अवैध खनन, भंडार क्षमता का आंकलन, मात्रात्मक आंकलन और भूमि उपयोग की निगरानी की जानी चाहिए।
- **प्रत्येक खनन पट्टे की वार्षिक लेखा परीक्षा:** जिला प्रशासन द्वारा नामित, ख्याति-प्राप्त तीन स्वतंत्र सदस्यों द्वारा प्रत्येक खनन पट्टे की वार्षिक लेखा परीक्षा का कार्य किया जाएगा।
- **क्रय-विक्रय के लिए ऑनलाइन पोर्टल:** रेत और नदी तल खनिजों के क्रय-विक्रय के लिए राज्य सरकार को एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करना चाहिए।

VISION IAS

- **जिला स्तरीय टास्क फोर्स (DLTF) का गठन:** राज्य सरकार द्वारा नियमित निगरानी हेतु उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर की अध्यक्षता में इसका गठन किया जाएगा।

निष्कर्ष

- **ये दिशा-निर्देश मौजूदा SSMG-2016 के पूरक हैं** तथा इन दोनों दिशा-निर्देशों अर्थात् EMGSM-2020 और SSMG-2016 को परस्पर अंतर्संबंधित करते हुए पढ़ा जाना चाहिए और कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
- इन दिशा-निर्देशों में, रेत खनन के स्रोतों की पहचान से लेकर परिवहन तथा उपभोक्ताओं एवं सामान्य-जन द्वारा किए जाने वाले इसके अंतिम उपयोग तक की प्रभावी निगरानी को प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त, प्रभावी निगरानी और प्रवर्तन के लिए न केवल सरकारी एजेंसियों बल्कि उपभोक्ताओं एवं सामान्य-जन द्वारा भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

5.10. हाइड्रो-क्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFC)-141 B {Hydrochlorofluorocarbon (HCFC)-141 B}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने **HCFC-141 b** की पूर्ण समाप्ति की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) के बाद दूसरा सर्वाधिक प्रबल ओजोन क्षयकारी पदार्थ है।

HCFC से संबंधित तथ्य

- HCFCs मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन युक्त यौगिक हैं।
- ये CFCs की तुलना में कम स्थिर होते हैं क्योंकि HCFC अणु कार्बन-हाइड्रोजन बंध से निर्मित होते हैं।
- CFCs की तुलना में यह वायुमंडल में कम समय के लिए ही विद्यमान रहता है तथा समतापमंडल में निम्न अभिक्रियाशील क्लोरीन के प्रसार हेतु उत्तरदायी है।
- HCFCs उन रसायनों के एक समूह हैं जिन्हें **वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों** (Volatile organic compounds: VOC) के रूप में जाना जाता है।
- HCFCs सामान्यतः जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन कार्बनिक (कार्बन युक्त) विलायक में ये अतिशीघ्रता से घुल जाते हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- MoEF&CC ने एक अधिसूचना प्रकाशित कर 1 जनवरी 2020 से HCFC-141 b के आयात के लिए लाइसेंस को जारी करने पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया है।
  - इसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 के अधीन विनियमित **"ओजोन क्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2019"** के तहत जारी किया जाता था।
- भारत फोम सेक्टर (foam sector) से इस स्तर पर HCFC-141 b की पूर्ण समाप्ति करने वाली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 5 में शामिल पक्षकारों (विकासशील देशों) में प्रथम देश बन गया है।
  - **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल,** ओजोन क्षयकारी पदार्थों (ODS) के उत्पादन एवं उपयोग की चरणबद्ध समाप्ति करके समतापमंडल में स्थित ओजोन परत के संरक्षण हेतु एक वैश्विक समझौता है। वर्ष 1987 में इस प्रोटोकॉल को अंतिम रूप प्रदान किया गया था।

भारत में HCFC-141 b के उपयोग से संबंधित तथ्य

- इसका उपयोग मुख्य रूप से कठोर **पॉलीयूरेथेन (PU) फोम** के उत्पादन में **एक ब्लोइंग एजेंट** के रूप में किया जाता है। शीत भंडारण और शीत श्रृंखला संबंधी अवसंरचना, ऑटोमोबाइल, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन, रेफ्रीजिरेटर, वाटर गीजर आदि पॉलीयूरेथेन फोम सेक्टर से संबंधित हैं।
- इसका **उत्पादन भारत में नहीं** होता है और सभी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति आयात के माध्यम से की जाती है।
- HCFC-141 b देश के फोम सेक्टर में प्रयुक्त कुल ओजोन क्षयकारी रसायनों का लगभग 50 प्रतिशत भाग है।
- **फोम निर्माण क्षेत्र में विभिन्न क्षमता वाले वृहत, लघु और मध्यम उद्यम** संलग्न हैं।
  - 'हाइड्रो-क्लोरोफ्लोरोकार्बन फेज आउट मैनेजमेंट प्लान' (HPMP) के तहत निम्न वैश्विक तापन संभाव्यता आधारित प्रौद्योगिकियों (Low GWP technologies) और गैर-ओजोन क्षयकारी पदार्थों (non-ODS) को अपनाने हेतु MoEF&CC द्वारा फोम निर्माण में संलग्न उद्यमों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- HCFC-141 b की पूर्ण समाप्ति **पर्यावरण को दोहरा लाभ प्रदान** कर सकती है, यथा-
  - समतापमंडलीय ओजोन परत के पुनर्निर्माण में सहायता कर सकती है, तथा
  - HPMP के तहत निम्न GWP युक्त वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों (Low GWP alternatives technologies) के उपयोग के कारण जलवायु परिवर्तन शमन में सहयोग कर सकती है।

5.11. नई मानसून तिथियां (New Monsoon Dates)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस वर्ष से देश के कुछ हिस्सों में मानसून के आगमन और निवर्तन से संबंधित तिथियों को संशोधित करने का निर्णय लिया है। हालांकि, इन संशोधित तिथियों की घोषणा अप्रैल माह (जब IMD मानसून से संबंधित प्रथम पूर्वानुमान जारी करता है) में किए जाने की संभावना है।

मानसून तिथियों के बारे में

- सामान्यतः दक्षिण-पश्चिम मानसून की अवधि चार माह होती है, जिसका देश के वार्षिक वर्षण में लगभग 70 प्रतिशत योगदान है। यह अवधि आधिकारिक तौर पर प्रत्येक वर्ष 1 जून को केरल में मानसून के प्रवेश होने से 30 सितंबर तक होती है।
- भारत द्वारा मानसून के आगमन और निवर्तन के लिए 1 जून और 1 सितंबर को 'सामान्य' संदर्भ तिथियों के रूप में उपयोग किया जाता रहा है तथा इन संदर्भ तिथियों को **अंतिम बार वर्ष 1941 में निर्धारित** किया गया था।
- केरल तट पर आगमन के पश्चात् मानसून को देश के अन्य सभी क्षेत्रों में पहुचने में लगभग डेढ़ माह का समय लगता है।
- 1 सितंबर को देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से से इसके पूर्ण निवर्तन की प्रक्रिया के प्रारंभ होने के पश्चात् संपूर्ण देश में इसके समाप्त होने में एक माह का समय लगता है।

IMD के बारे में

- IMD को वर्ष 1875 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन है।
- **यह मौसम संबंधी आकलन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान** हेतु एक प्रमुख एजेंसी है।
- IMD, **विश्व मौसम विज्ञान संगठन** के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है।

पूर्ववर्ती तिथियों में संशोधन की आवश्यकता क्यों है?

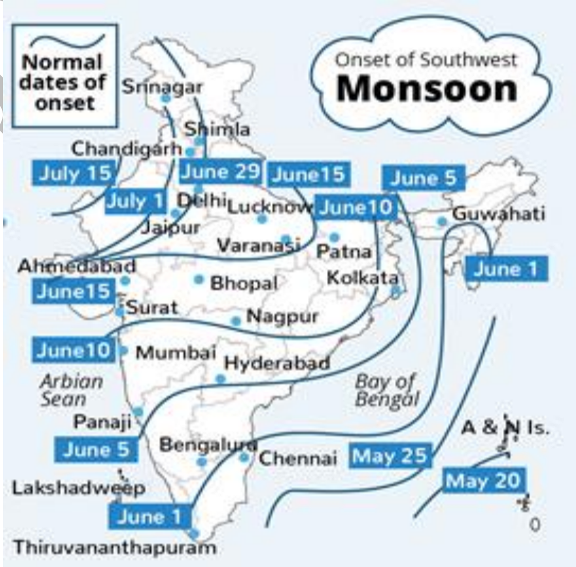

- **वर्षण प्रतिरूप में परिवर्तन:** पूर्वानुमान हेतु इन संदर्भ तिथियों का प्रयोग 1940 के दशक से किया जाता रहा है और जिसे अब संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।
    - उदाहरण के लिए: विगत 13 वर्षों में, मानसून का केरल तट पर 1 जून को आगमन केवल एक बार हुआ है, जबकि वार्षिक परिवर्तनशीलता के साथ मानसून का आगमन सामान्यतः दो या तीन दिन पूर्व अथवा पश्चात् होता रहा है। हालांकि, कुछ वर्षों में इसके आगमन में पांच से सात दिन का विलंब भी देखा गया है।
    - इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान इसके निवर्तन का प्रारंभ सितंबर के प्रथम सप्ताह में केवल दो बार ही हुआ है।
- **सीमित होती वर्षा अवधि:** मानसून के दौरान होने वाली वर्षा की अवधि निरंतर कुछ दिनों तक ही सीमित होती जा रही है। IMD डेटा से ये तथ्य सामने आए हैं कि विगत कई वर्षों में देश के लगभग 22 प्रमुख शहरों में, मानसून के दौरान 95 प्रतिशत वर्षा केवल 3 से 27 दिनों की अवधि में हुई है।
- **वर्षा के क्षेत्रीय प्रतिरूप में परिवर्तन:** परंपरागत रूप से अत्यधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में सूखे की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जबकि ऐसे क्षेत्र जहां मानसूनी वर्षा अपेक्षित नहीं थी, उनमें बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं।
- **मानसून विराम (Break in monsoon):** विराम अवधि के दौरान, मानसून गर्त अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर स्थित हो जाता है जिससे हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्षा होती है, जबकि देश का शेष भाग अधिकांशतः शुष्क रहता है।
    - हालांकि, यह अवधि वर्तमान में अगस्त से जुलाई माह में स्थानांतरित हो गयी है। इससे अगस्त माह के दौरान होने वाली वर्षा की मात्रा में वृद्धि हुई है।
    - उल्लेखनीय है कि मानसून गर्त, इस मौसम के दौरान होने वाली वर्षा हेतु उत्तरदायी पवनों का सम्मिलन क्षेत्र होता है तथा यह सामायतः पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक विस्तृत होता है।

IMD द्वारा तिथियों में संशोधन का प्रभाव

- **मानसून का बेहतर पूर्वानुमान:** इन तिथियों में संशोधन से इसके प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान में सुधार होगा, जिससे राज्य सरकारों को चरम मौसमी घटनाओं के संदर्भ में सूचनाओं को सही समय पर प्रदान कर उन्हें बेहतर तैयारी करने हेतु सहायता प्राप्त होगी।
- **किसानों द्वारा समायोजन:** नई तिथियों से देश के कुछ हिस्सों में किसानों को फसलों की बुवाई और कटाई के समय में समायोजन करने में सहायता प्राप्त होगी।
  - उदाहरण- चावल जैसी रोपण फसलों के लिए वर्षा पूर्वानुमान संबंधी अग्रिम सूचनाओं की आवश्यकता होती है।
- **जल प्रबंधन विधियों पर प्रभाव:** उदाहरण के लिए, मुख्य रूप से मध्य भारत के मैदानी क्षेत्रों में बांध प्रबंधन कार्य में संलग्न जल प्रबंधन एजेंसियों द्वारा अब केवल जून के उत्तरार्ध में ही अधिक वर्षा होने की अपेक्षा की जाएगी।
  - इससे ये उस माह के अंतिम दिनों तक जल को संरक्षित और संगृहीत करने में सहायता प्राप्त होगी।
  - मानसून अवधि के अंत में भी इसी तरह के समायोजन की आवश्यकता होगी।
- **हीट एक्शन प्लान:** मानसून से ठीक पूर्व हीट एक्शन प्लान लागू करने वाले शहर स्वयं को ग्रीष्मकाल की लंबी अवधि के लिए तैयार कर सकेंगे।
- **अन्य गतिविधियों के लिए योजना निर्माण:** उदाहरणार्थ- औद्योगिक संचालन, विद्युत क्षेत्र, या शीतलन प्रणाली का उपयोग करने वाली इकाइयों को भी अपनी पद्धतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी।
  - उदाहरण के लिए, पावर ग्रिड, अत्यधिक विद्युत् उपभोग अवधि वाले कुछ महीनों के संदर्भ में अधिक यथार्थवादी योजना का निर्माण कर सकती हैं।

5.12. ऑस्ट्रेलियाई बुश फायर (Australian Bush Fire)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ऑस्ट्रेलिया में अत्यधिक भीषण दावानल (वनाग्नि) की घटना घटित हुई, जो कई दशकों में अब तक की सर्वाधिक क्षतिकारी घटना थी। इस दावानल के परिणामस्वरूप एक गंभीर मानवीय और पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो गया है।

अन्य सम्बन्धित तथ्य

- समग्र रूप से, ऑस्ट्रेलिया का 7.3 मिलियन हेक्टेयर (17.9 मिलियन एकड़) क्षेत्र इस दावानल से प्रभावित हुआ है।
- इस दावानल से प्रभावित कुल क्षेत्र, वर्ष 2019 की अमेज़न दावानल की घटना की तुलना में लगभग सात गुना तथा कैलिफ़ोर्निया की दावानल की घटना से लगभग तीन गुना अधिक है।

बुश फायर की अवधारणा

- संपूर्ण विश्व में, दावानल या बुश फायर, प्रायः **उष्ण और शुष्क मौसम** के दौरान उत्पन्न होने वाली परिघटना है।
- **सूखी पत्तियों, घास, झाड़ियों, सूखी लकड़ियों** आदि की दहनशीलता अत्यधिक होती है। वनों में यह अग्नि **प्राकृतिक रूप से** जैसे तड़ित द्वारा या **आकस्मिक रूप से** मानव जनित स्रोतों, जैसे- आगजनी आदि द्वारा उत्पन्न होती है।
- **वायु की अनुकूल गति और दिशा** दावानल के प्रसार में सहायता करती है।
- **सामान्यतः इसकी समाप्ति वर्षा होने** या दावानल के प्रसार हेतु **वनस्पति की सतत अनुपलब्धता** के कारण होती है।
- **भारतीय संदर्भ में,** ऐसी घटनाएँ भारतीय वनों में प्राय: **ग्रीष्म ऋतु के महीनों** में घटित होती हैं।

कारण

दावानल हेतु प्रायः प्राकृतिक कारणों, जैसे- **तड़ित या मानव जनित कारणों, यथा- आगजनी** को उत्तरदायी ठहराया जाता है। हालांकि अग्नि की इन घटनाओं की अत्यधिक भयावहता के लिए जलवायु परिवर्तन प्रमुख उत्तरदायी कारण है। कुछ अन्य प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

- **दीर्घकालिक सूखा:** ऑस्ट्रेलिया में दीर्घकालिक सूखे की स्थिति (वर्ष 2017 और 2019 के मध्य के तीन वर्ष न्यू साउथ वेल्स में अब तक के सर्वाधिक शुष्क 36 महीने रहे हैं) विद्यमान रही है तथा वर्ष 2019, औसत से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान के साथ सर्वाधिक उष्ण वर्ष रहा है। उल्लेखनीय है कि अधिक चरम मौसम प्रतिरूप और अत्यधिक उच्च तापमान दावानल के जोखिम को बढ़ा देते हैं तथा इसके तीव्र एवं व्यापक प्रसार हेतु अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करते हैं।
- **धनात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव {Positive Indian Ocean Dipole (IOD)}:** वर्ष 2019 में, प्रबल धनात्मक IOD परिघटना की उपस्थिति से यह समस्या अधिक जटिल हो गई थी। धनात्मक IOD परिघटनाओं को प्रायः दक्षिण-पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्रों में भीषण दावानल की घटनाओं से संबद्ध किया जाता है।
- **अंटार्कटिका पर समताप मंडल का असामान्य तापन:** पृथ्वी की सतह से 10 से 50 कि.मी. की ऊंचाई पर तापमान में सामान्य से लगभग 30°C से 40°C तक की वृद्धि हो गई थी। यह ऑस्ट्रेलिया में असामान्य उष्ण एवं शुष्क मौसम के लिए उत्तरदायी एक अन्य असाधारण मौसमी परिघटना रही थी।

प्रभाव

- **आर्थिक:** न्यू साउथ वेल्स जैसे राज्यों में, संपूर्ण शहर इस दावानल से प्रभावित हुआ है तथा यहां अत्यधिक अवसंरचनात्मक क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त, इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की फसलों और पशुओं की अत्यधिक क्षति हुई है।
- **स्वास्थ्य:** सिडनी और मेलबर्न जैसे प्रमुख शहरों में धुएं की एक मोटी परत अच्छादित हो गई थी जिसके कारण वायु गुणवत्ता में स्वास्थ्य के लिए अनुकूल सीमा (healthy limits) से 20 गुना की गिरावट हुई।
- **पर्यावरण:**
    - विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस दावानल के परिणामस्वरूप वातावरण में अतिरिक्त 350 मिलियन टन CO_2 निर्मुक्त होगी। यह उत्सर्जित CO_2 की मात्रा लगभग एक शताब्दी तक वायुमंडल में ही विद्यमान रह सकती है।
    - ऐसे भीषण दावानल के कारण उत्पन्न ऊष्मा से विशाल, शक्तिशाली मेघों का निर्माण होता है, जिन्हें पाइरोक्युमलोनिंबस (pyrocumulonimbus) या pyroCb कहा जाता है।
        - इन "फायर क्लाउड्स" का निर्माण "वनाग्नि के परिणामतः वायुमंडल में पर्याप्त ऊष्मा और नमी के निर्मुक्त होने के कारण" होता है तथा इसके कारण धूम्र जनित तड़ितझंझा उत्पन्न होती है।
- **वन्यजीव और जैव विविधता:** इस दावानल की आपदा से पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में लगभग एक अरब से अधिक स्तनपायी जंतुओं, पक्षी और सरीसृपों के प्रभावित होने का अनुमान है। धुएं तथा राख के कणों की अत्यधिक उपस्थिति के कारण अनेक जानवरों की दम घुटकर मृत्यु हो गई है तथा अनेक पौधे समाप्त हो गए हैं।

हिन्द महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole: IOD)

- IOD, **पूर्वी और पश्चिमी हिंद महासागर के समुद्री सतह के तापांतर को संदर्भित** करता है। यह ऑस्ट्रेलिया को होने वाली आर्द्रता आपूर्ति में या तो कमी या वृद्धि कर सकता है। यह कमी या वृद्धि हिंद महासागर के पश्चिमी भाग के शीतलन या पूर्वी भाग के शीतलन पर निर्भर करती है।
- इस वर्ष, **पूर्वी हिंद महासागर में असामान्य रूप से शीतलन (अर्थात् धनात्मक IOD)** की स्थिति उत्पन्न हुई थी तथा इसके कारण ऑस्ट्रेलिया में न्यूनतम वर्षा हुई।

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. आय असमानता (Income Inequality)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **ऑक्सफाम** द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत के सर्वाधिक धनी 1% लोगों के पास देश की जनसंख्या के निचले स्तर की 70% आबादी (लगभग 953 मिलियन लोग) की तुलना में लगभग चार गुना अधिक संपत्ति है।

इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि **आर्थिक असमानता** की स्थिति गंभीर बनती जा रही है। जहाँ एक ओर अत्यधिक निर्धनता विद्यमान है, वहीं दूसरी ओर लोगों में धन संबंधी गंभीर विषमताएँ व्याप्त हैं।
- **सर्वाधिक धनी और शेष लोगों के मध्य अंतराल**
    - विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों के पास 6.9 बिलियन लोगों की तुलना में दोगुनी से अधिक संपत्ति विद्यमान है।
    - भारत के सर्वाधिक धनी 1% लोगों के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 42.5% हिस्सा विद्यमान है, जबकि निचले स्तर की 50% बहुसंख्यक जनसंख्या के पास मात्र 2.8% भाग विद्यमान है।
    - आगामी 10 वर्षों में सर्वाधिक धनी 1% लोगों की संपत्ति पर अतिरिक्त 0.5% कर आरोपित करने से शिक्षा, स्वास्थ्य, वृद्धावस्था देखभाल आदि क्षेत्र में 117 मिलियन रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं।
- **पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति**
    - वैश्विक स्तर पर, गंभीर निर्धनता दर पुरुषों की तुलना में महिलाओं के मध्य **4%** अधिक है।
    - मुख्य रूप से शिशु देखभाल के उत्तरदायित्व के कारण महिलाओं के मध्य यह निर्धनता अंतराल उनके उत्पादक और जनन आयु के दौरान बढ़कर **22%** तक पहुँच जाता है।
    - भारत में, निर्धन महिलाओं और लड़कियों द्वारा प्रतिवर्ष **19** ट्रिलियन रूपए के समरूप अवैतनिक देखभाल संबंधी कार्य किए जाते हैं।

आय और संपत्ति के मध्य अंतर

- **आय:** रोजगार (मजदूरी, वेतन, बोनस इत्यादि), निवेश, बचत खातों पर ब्याज आदि से प्राप्त समस्त धन को 'आय' कहते हैं।
- **संपत्ति:** यह किसी व्यक्ति या परिवार के परिसंपत्तियों की कुल मात्रा को संदर्भित करती है। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियां, जैसे- बॉण्ड और शेयर, संपत्ति तथा निजी पेंशन सम्मिलित हो सकते हैं।

असमानता क्या है?

- **संयुक्त राष्ट्र** के अनुसार असमानता वस्तुतः "प्रतिष्ठा, अवसर और अधिकारों के संबंध में लोगों के मध्य समानता के अभाव की एक स्थिति है"।
- **वर्गीकरण:** इसकी दो व्यापक श्रेणियां हैं: **आर्थिक असमानता** और **सामाजिक असमानता**। ये दोनों श्रेणियां एक-दूसरे से अंतर्संबंधित हैं तथा परस्पर एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं।
    - **आर्थिक असमानता:** यह असमानता का सर्वाधिक परिमाणित और परिकलित रूप है। इसके निम्नलिखित दो प्रमुख प्रकार हैं:
        - **आय संबंधी असमानता:** यह जनसंख्या के निचले स्तर के लोगों के प्रतिशत की तुलना में शीर्ष लोगों के प्रतिशत द्वारा धारित आय से संबंधित असमानता/विषमता को दर्शाती है; तथा
        - **संपत्ति संबंधी असमानता:** इसमें आय के बजाए संपत्ति संबंधी असमानता की गणना की जाती है।
    - **सामाजिक असमानता:** सामाजिक असमानता का आशय सत्ता, धर्म, नातेदारी, प्रतिष्ठा, नस्ल, नृजातीयता, लिंग, आयु, यौन अभिमुखता और वर्ग के आधार पर समाज में संसाधनों के वितरण से है। इन्हीं कारणों के चलते समाज में सामाजिक वस्तुओं तक पहुंच संबंधी भेदभाव विद्यमान होता है।
- असमानता का मापन **लॉरेंज वक्र तथा गिनी इंडेक्स, एटकिन्शंस इंडेक्स, रॉबिन हुड इंडेक्स (हूवर इंडेक्स) जैसे सूचकांकों** के माध्यम से किया जा सकता है।

भारत में असमानता: एक अवलोकन

- **आर्थिक असमानता:** भारत विश्व में दूसरा सर्वाधिक असमानता वाला देश है, जहां इसकी संपत्ति के 54% हिस्से पर मिलियनेयर्स का नियंत्रण है।
    - राष्ट्रीय स्तर पर, भारत में वर्ष 1983-2012 के मध्य असमानता में वृद्धि हुई है। यह मुख्य रूप से भारत के राज्यों के मध्य आय अंतराल और बढ़ते शहरी-ग्रामीण विभाजन से प्रेरित थी।
- **सामाजिक असमानता:** भारत में, सामाजिक असमानता का सर्वाधिक विशिष्ट रूप **लिंग** एवं **जाति** आधारित असमानता से संबंधित है, जहां इन सामाजिक श्रेणियों के हाशिए पर स्थित वर्गों के लोग, अवसरों, आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच के संदर्भ में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं।

VISION IAS

सरकारी उपाय

निर्धनता एवं असमानता को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा कई पहलों की शुरुआत की गई है, जैसे-

- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (दुर्घटना बीमा), अटल पेंशन योजना (असंगठित क्षेत्रक) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (जीवन बीमा) के माध्यम से **सामाजिक सुरक्षा जाल का विस्तार करना।**
- मुद्रा (MUDRA) बैंक की सहायता से उद्यमिता के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करना, **ग्रामीण भारत में उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस) प्रदान करना** और SC/ST उद्यमियों के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण किया गया है।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से **वित्तीय समावेशन** को बढ़ावा दिया गया है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बैंक खातों तक पहुंच सुनिश्चित करती है।
- 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में समावेशी और संधारणीय विकास हेतु सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा जैसी **सामाजिक अवसंरचना को अत्यधिक प्राथमिकता प्रदान की जा रही है।**

असमानता के परिणाम

- **निर्धनता में धीमी गति से कमी**, उदाहरण के लिए, यद्यपि भारत का **बहुआयामी गरीबी सूचकांक** वर्ष 2005-06 के 0.283 से घटकर 2015-16 में 0.123 रह गया था, तथापि आय असमानता के कारण 364 मिलियन से अधिक लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और मूलभूत सेवाओं के मामले में निरंतर वंचना का सामना करना पड़ता है।
- **सामाजिक अशांति**, क्योंकि उच्च असमानता के परिणामस्वरूप लोकतंत्र के कमजोर होने, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा मिलने की संभावना होती है। धनी और निर्धनों के मध्य विद्यमान अंतराल सत्तावाद (authoritarianism) को बढ़ावा देने में सहायता कर रहा है।
    - इसके अतिरिक्त, जिन देशों में अधिक असमानता विद्यमान होती है वहां न केवल लोगों के विश्वास में कमी और अपराध दर अधिक होती है, बल्कि ऐसे समाज अधिक तनावग्रस्त, कम खुशहाल और उच्च मानसिक रूग्णता जैसी समस्याओं से ग्रसित होते हैं।
- गंभीर असमानता **सामाजिक गतिशीलता को बाधित करती** है जिससे निर्धन माता-पिता के बच्चे निर्धन ही बने रहते हैं। इसके परिणामस्वरूप उचित शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, संबंधों और परिसंपत्तियों के अभाव के कारण **अवसर से संबंधित असमानता** उत्पन्न होती है।
- **शहरी बहिष्करण**, अर्थात् वर्तमान के प्रत्येक शहर में एक ओर जहाँ पॉश इलाकों में समृद्ध लोग निवास करते हैं, वहीं दूसरी ओर लगभग 17 मिलियन लोग इन मेगाशहरों की स्लम-बस्तियों में निवास करते हैं, जहाँ अपशिष्ट निपटान और मलजल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं का अत्यंत अभाव है तथा यह व्यापक शहरी विभाजन को बढ़ावा भी देता है।

आगे की राह

- **नीतिगत पुनर्विन्यास (Policy reorientation):**
    - संपूर्ण समाज में संसाधनों के पुनर्वितरण के लिए **प्रगतिशील कराधान।**
    - शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं पर **सामाजिक व्यय** को बढ़ावा देना। 150 से अधिक देशों से एकत्रित साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा में समग्र निवेश से असमानता को दूर करने में मदद मिलती है।
- अपने परिवार और घर की देखभाल करने में महिलाओं द्वारा खर्च किए जाने वाले लाखों अवैतनिक घंटों में कमी करके महिलाओं के समय को बचाया जा सकता है। जलापूर्ति, विद्युत और बच्चों की देखभाल सहित सार्वजनिक सेवाओं में निवेश के माध्यम से इस अवैतनिक कार्य के लिए लगने वाले आवश्यक समय में कमी की जा सकती है।
- **कम उत्पादकता वाले श्रमिकों** को अधिक उत्पादक वाले क्षेत्रकों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, इन क्षेत्रकों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित मूलभूत सुधार करने की आवश्यकता है:
    - सुदृढ़ श्रम सुरक्षा।
    - सामूहिक सौदेबाजी, सामाजिक सुरक्षा जाल और व्यापार संरक्षणवाद हेतु संस्थागत और नीतिगत समर्थन प्रदान।
- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** निर्धनता और असमानता को समाप्त करने हेतु प्रौद्योगिकी को एक उपकरण के रूप में अपनाया जाना चाहिए। एक उपकरण के रूप में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए, सरकार को:
    - तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देते हुए तथा एक उत्साहजनक नियामकीय परिवेश के निर्माण के साथ-साथ कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रकों में इसके उचित उपयोग पर कार्य करना चाहिए।
    - विशेषकर स्थानीय भाषाओं में डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट पैठ को बढ़ावा देना चाहिए।
    - पुनर्कौशल पर ध्यान देना चाहिए और उद्योग की आवश्यकताओं के साथ शिक्षा व्यवस्था को संरेखित करना चाहिए।

6.2. वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक (Global Social Mobility Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व आर्थिक मंच** (World Economic Forum: WEF) ने अपनी पहली **वैश्विक सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट** जारी की है।

वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक

- इसे नीति-निर्माताओं को सामाजिक गतिशीलता में सुधार लाने के क्षेत्रों की पहचान करने और उनके विकास से निरपेक्ष, अपनी अर्थव्यवस्थाओं में समान रूप से साझा अवसरों को बढ़ावा देने के लिए साधन उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया गया है।
- WEF का वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, सामाजिक गतिशीलता के निम्नलिखित पांच प्रमुख आयामों में विस्तृत **"10 स्तंभों"** के संबंध में 82 अर्थव्यवस्थाओं का आकलन करता है:
  - स्वास्थ्य;
  - शिक्षा (पहुंच, गुणवत्ता और समता, आजीवन अधिगम);
  - प्रौद्योगिकी;
  - कार्य (अवसर, मजदूरी, परिस्थितियां); तथा
  - संरक्षण और संस्थान (सामाजिक संरक्षण और समावेशी संस्थान)।

सामाजिक गतिशीलता क्या है?

- इसे व्यक्तिगत परिस्थितियों में अपने माता-पिता के संबंध में किसी व्यक्ति के "उर्ध्वगामी" या "अधोगामी" गतिशीलता के रूप में समझा जा सकता है।
  - निरपेक्ष रूप से, यह किसी **बच्चे की अपने माता-पिता की तुलना में बेहतर जीवन यापन करने की क्षमता** को प्रदर्शित करती है।
  - वहीं दूसरी ओर, सापेक्ष सामाजिक गतिशीलता वस्तुतः **जीवन में किसी व्यक्ति के परिणामों पर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के प्रभाव** का आकलन है।
- यह केवल आय असमानता का आकलन करने की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है। **इसे स्वास्थ्य या शैक्षिक उपलब्धि जैसे परिणामों की विस्तृत श्रृंखला** के संदर्भ में मापा जा सकता है।

- **मुख्य निष्कर्ष**
  - **इस सूचंकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है,** इसके पश्चात् नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन का स्थान है।
  - **82 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान 76वां है।** आजीवन शिक्षा के संदर्भ में भारत का **41**वां और कार्य की स्थितियों के संदर्भ में 53वां स्थान है।
  - **सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली पाँच अर्थव्यवस्थाएँ,** यथा- चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, **भारत,** जापान और जर्मनी हैं।
  - **यह सामाजिक गतिशीलता के लिए एक नए वित्त-पोषण मॉडल को प्रस्तावित करता है:** व्यक्तिगत आय पर प्रगतिशील करारोपण को बढ़ावा देना, धन के अति संकेंद्रण को कम करने वाली नीतियां और कराधान के स्रोतों को व्यापक रूप से पुनर्संतुलित करने से सामाजिक गतिशीलता एजेंडे में सहायता प्राप्त हो सकती है।
  - **सामाजिक गतिशीलता में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि के परिणामस्वरूप** सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा और **वर्ष 2030 तक विश्व की अर्थव्यवस्था में लगभग 5 प्रतिशत** तक वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।

6.3. गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020 {Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971** (Medical Termination of Pregnancy Act, 1971) में संशोधन करने के लिए **'गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020'** को स्वीकृति प्रदान की है।

प्रस्तावित संशोधन की प्रमुख विशेषताएं

- यह विधेयक **20 सप्ताह तक** के गर्भावस्था के मामले में गर्भ के समापन के लिए **एक पंजीकृत चिकित्सक (Registered Medical Practitioner: RMP)** की राय और **20-24 सप्ताह तक** के गर्भावस्था के मामले में गर्भ के समापन के लिए **दो पंजीकृत चिकित्सकों** की राय प्राप्त करने को अनिवार्य बनाता है।
- इस विधेयक में दुष्कर्म पीड़िता, सगे-संबंधियों के साथ यौन संपर्क से पीड़ित और अन्य सुभेद्य महिलाओं (जैसे- दिव्यांग महिलाएं, नाबालिग) सहित विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भ के चिकित्सीय समापन हेतु **गर्भावस्था की ऊपरी समय-सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह किया गया है।**
- इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि **मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच में पाई गई भ्रूण संबंधी शारीरिक विषमताओं के मामले में गर्भ के चिकित्सीय समापन हेतु गर्भावस्था की ऊपरी समय-सीमा (अर्थात् 24 सप्ताह की सीमा) लागू नहीं होगी।** मेडिकल बोर्ड की संरचना, कार्य और अन्य विवरण के संबंध में नियम निर्धारित किए जाएंगे।

- जिस महिला का गर्भपात हो चुका है, उसके नाम और अन्य जानकारियों को प्रचलित कानून के तहत निर्दिष्ट विशेष व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट नहीं किया जाएगा।
- यह संशोधन वर्तमान प्रावधान में उपबंधित "केवल विवाहित महिला या उसके पति" के स्थान पर **"किसी भी महिला या उसके साथी"** के लिए गर्भनिरोधक-विफलता की स्थिति में छूट अर्थात् चिकित्सकीय रूप से गर्भ के समापन की अनुमति प्रदान करता है।

गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 {Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act, 1971}

- **यह गर्भपात के लिए निम्नलिखित आधार प्रदान करता है:**
  - जहां यह जोखिम हो कि जन्म लेने वाला बच्चा शारीरिक और मानसिक विषमताओं से पीड़ित होगा।
  - जहां गर्भ को जारी रखने से महिला के जीवन के समक्ष खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो या इससे उसे गंभीर शारीरिक और मानसिक क्षति होगी।
  - जहां दुष्कर्म या गर्भनिरोध साधनों की विफलता के कारण महिला गर्भवती हो जाती है।
- **यह विभिन्न चरणों में अनुमोदन हेतु निम्नलिखित मापदंड प्रदान करता है:**
  - पहले **12 सप्ताह** के दौरान **एक** पंजीकृत चिकित्सक (Registered Medical Practitioner: RMP) के अनुमोदन से गर्भ को समाप्त किया जा सकता है।
  - **12-20 सप्ताह** के मध्य के गर्भ को **2 RMPs** के अनुमोदन से समाप्त किया जा सकता है।
  - **20 सप्ताह के पश्चात्,** केवल न्यायालय की स्वीकृति से ही गर्भ को समाप्त किया जा सकता है।
- किसी नाबालिग के गर्भपात हेतु अभिभावकों की लिखित सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।
- केवल "विवाहित महिलाओं" द्वारा ही गर्भपात की मांग करने के कारण के रूप में गर्भनिरोध साधनों की विफलता को वर्णित किया जा सकता है।

अपेक्षित लाभ

- **चिकित्सा प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति के साथ कानून का अद्यतन:** वर्तमान चिकित्सा तकनीकें गर्भावस्था की अपेक्षाकृत उन्नत अवस्था में भी भ्रूण के सुरक्षित तरीके से समापन को संभव बनाती हैं।
- **अविवाहित महिलाओं का जनन संबंधी अधिकार:** 'MTP अधिनियम, 1971' में गर्भनिरोधक साधनों की विफलता की स्थिति में गर्भपात की मांग करने वाली अविवाहित महिलाओं के लिए प्रावधान शामिल नहीं थे।
- **चिकित्सकीय, सुजनन (eugenic), मानवीय या सामाजिक आधार पर सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करना:** असुरक्षित गर्भपात के परिणामस्वरूप गंभीर संक्रमण, बांझपन, घाव, आंत्र क्षति, आंतरिक चोट और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है।
- **कई भ्रूण संबंधी असामान्यताएं 20 सप्ताह के बाद ही प्रकट होती हैं:** यह संशोधन विधेयक ऐसी स्थितियों में न्यायालय की स्वीकृति बिना गर्भपात की अनुमति प्रदान करता है।
- **न्यायालयों के कार्यभार में कमी:** ज्ञातव्य है कि भ्रूण संबंधी विषमताओं या महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली यौन हिंसा के कारण गर्भ धारण के आधार पर गर्भपात की अनुमति प्राप्त करने हेतु न्यायालयों में कई याचिकाएं दायर की गई हैं।
- **अवांछित गर्भधारण के सामाजिक-आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों को रोकना:** कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें न्यायालयों में विलंब या युवा लड़कियों में जागरूकता के अभाव के कारण 20 सप्ताह की ऊपरी सीमा समाप्त हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप दुष्कर्म पीड़िता सहित कई महिलाओं को अवांछित गर्भधारण करने हेतु विवश होना पड़ता है।
- **गर्भधारण की समाप्ति की मांग करने वाली महिलाओं की गरिमा और गोपनीयता सुनिश्चित करना:** भारत में गर्भपात को एक सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है। यह प्रथा महिलाओं द्वारा करवाए जाने वाले सुरक्षित गर्भपात को बाधित करती है।

6.4. आँगनवाड़ी कर्मचारी (Anganwadi Workers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मध्यप्रदेश सरकार ने आँगनवाड़ी कर्मचारियों को **'एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS)'** से इतर किसी अन्य कार्य हेतु उनके नियोजन पर प्रतिबंध आरोपित किया है।

आँगनवाड़ी कर्मचारियों (Anganwadi workers: AWWs) के बारे में

- आँगनवाड़ी कर्मचारी वस्तुतः ICDS कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु समुदाय आधारित अग्रिम पंक्ति के मानदेय कर्मचारी होते हैं।
- वे छोटे बच्चों, लड़कियों और महिलाओं की बेहतर देखभाल के लिए सामाजिक समर्थन जुटाने हेतु सामाजिक परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में कार्य करती हैं।
- उन्हें मासिक मानदेय का भुगतान किया जाता है, जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कई राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश इन कर्मचारियों को अपने संसाधनों में से आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं।

VISION IAS

ANM, AWW और ASHA के मध्य अंतर

भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के निम्नलिखित तीन संवर्ग हैं:

- **सहायक नर्स-मिडवाइफ़ (Auxiliary Nurse-Midwife: ANM):** ये स्वास्थ्य-उपकेंद्रों पर कार्यरत होती हैं और इनके द्वारा इन केंद्रों पर देखभाल सेवा प्रदान करने के अतिरिक्त गांवों का दौरा भी किया जाता है।
- **आँगनवाड़ी कर्मचारी (AWW):** ये केवल अपने गाँव में कार्य करती हैं और मुख्य रूप से छोटे बच्चों, किशोरियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को खाद्य अनुपूरक सामग्रियाँ प्रदान करने की व्यवस्था करती हैं।
- **मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (Accredited Social Health Activist: ASHA):** इन्हें **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन** के भाग के रूप में संस्थापित किया गया है। ये प्रमुखतः टीकाकरण और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती हैं, जिसके लिए उन्हें प्रदर्शन-आधारित शुल्क प्राप्त होता है।

आँगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएँ

- **अपर्याप्त मानदेय:** अधिकांश AWWs निर्धनता रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित हैं और वे अपने प्राप्त मानदेय से स्वयं के आधारभूत व्ययों को भी पूरा नहीं कर पाती हैं।
- **सामाजिक सुरक्षा लाभों का अभाव:** अन्य सरकारी कर्मचारियों के व्यापक सामाजिक सुरक्षा लाभों वाली स्थायी नौकरी के विपरीत, इन कर्मचारियों की नौकरी अस्थायी प्रकार की होती है।
- **अत्यधिक रिकॉर्ड का रखरखाव:** AWWs को सर्वेक्षण रजिस्टर, टीकाकरण रजिस्टर, ANC रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, डायरी सह आगंतुक पुस्तिका आदि सहित कुल 12 रजिस्टरों को बनाए रखना होता है, जोकि एक कठिन कार्य होता है।
- **कार्यभार:** जिम्मेदारियों की संख्या के दृष्टिकोण से आंगनवाड़ी कर्मचारियों का कार्यभार अधिक है।
- **लॉजिस्टिक आपूर्ति संबंधी मुद्दे:** आंगनवाड़ी कर्मचारियों को लॉजिस्टिक आपूर्ति में विलंब से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसमें दवा, चिकित्सा किट आदि सम्मिलित हैं।
- **खराब अवसंरचना:** निर्माण के स्थान और प्रकृति के संदर्भ में भवन संबंधी सुविधाएं असंतोषजनक हैं और उनमें से अनेक भवनों में पेयजल एवं स्वच्छता जैसी आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं।
- **समुदाय से सहयोग का अभाव:** इनके कार्यों के प्रति समुदायों का व्यवहार उदासीन बना हुआ है, जिसके कारण सामुदायिक भागीदारी या सहायता नगण्य है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण (POSHAN) अभियान, किशोरी बालिका योजना (Scheme for Adolescent girls: SAG), समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) तथा राष्ट्रीय क्रेच योजना के साथ-साथ आंगनवाड़ी सेवाएँ **'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय'** की अम्ब्रेला **ICDS योजना** का एक घटक है।

- इस योजना के लाभार्थीयों में 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ शामिल हैं।
- यह निम्नलिखित छह सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करता है:
  - पूरक पोषण;
  - प्री-स्कूल गैर-अनौपचारिक शिक्षा;
  - पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा;
  - टीकाकरण (प्रतिरक्षा);
  - स्वास्थ्य जाँच; और
  - रेफ़रल सेवाएँ।
- इन छः सेवाओं में से तीन सेवाएँ, यथा- टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच और रेफरल सेवाएँ 'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय' के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

आगे की राह

- AWWs को मानदेय के साथ, कुछ प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन और पेंशन योजनाओं जैसे अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाने चाहिए।
- AWWs के कार्यभार के प्रबंधन हेतु आंगनवाड़ी कर्मचारियों की सहायता हेतु समुदायों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
- अभिलेखों के रखरखाव के लिए **डिजिटल समाधानों** को कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
- आंगनवाड़ी केंद्रों की अवसंरचना को प्राथमिकता के आधार पर उन्नत किया जाना चाहिए।
- AWWs की जिम्मेदारियों को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए और अतिरिक्त जिम्मेदारियों के लिए अतिरिक्त सहायता अवश्य प्रदान की जानी चाहिए।

VISION IAS

6.5. भारत में दत्तक-ग्रहण (Adoption In India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority: CARA) द्वारा विगत पांच वर्षों में दत्तक-ग्रहण से संबंधित व्यवधान (Disruption) के 246 और इसके समापन (Dissolution) के 10 मामले दर्ज किए गए हैं।

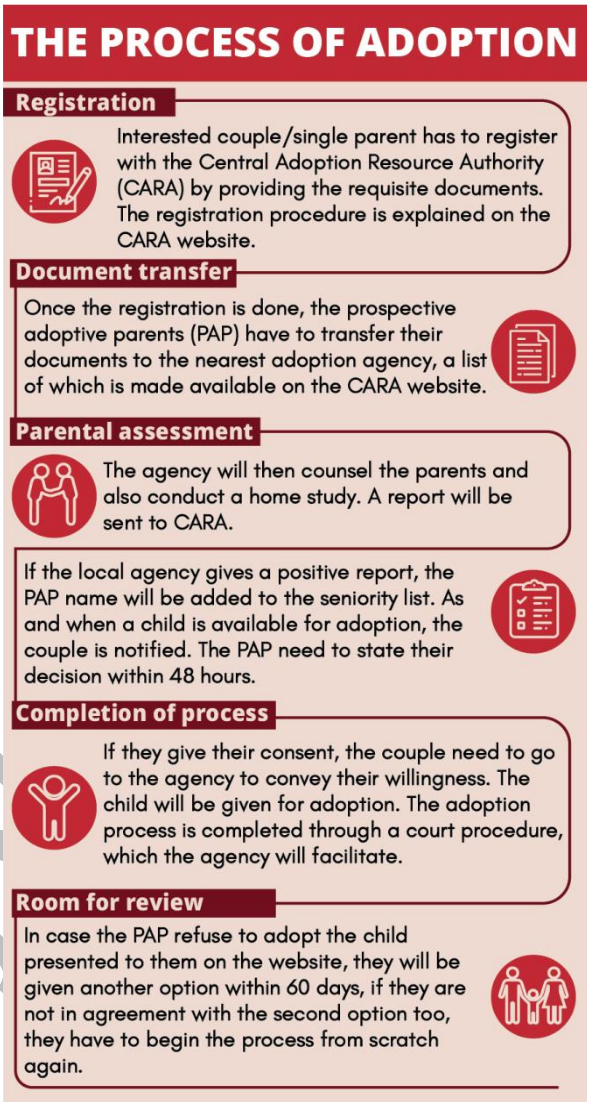

भारत में दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया

- दत्तक-ग्रहण वस्तुतः एक व्यक्ति या दंपति से दूसरे व्यक्ति या दंपति को समस्त अभिभावकीय अधिकारों का स्थायी विधिक हस्तांतरण है।
    - दूसरे शब्दों में, दत्तकग्रहण से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके माध्यम से दत्तक बालक को उसके **जैविक माता-पिता** से स्थाई रूप में अलग कर दिया जाता है और वह अपने **दत्तक माता-पिता** का ऐसे सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और उत्तरदायित्वों सहित, जो किसी जैविक बालक से जुड़े हों, विधिपूर्ण बालक बन जाता है।
    - दत्तक माता-पिता के अधिकार और जिम्मेदारियां जैविक माता-पिता के समान ही होती हैं तथा दत्तक बच्चों को जैविक बच्चों के समान भावनात्मक, सामाजिक, कानूनी और नातेदारी लाभ प्राप्त होते हैं।
- **किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015** और इसके उत्तरवर्ती **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016** के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दत्तक-ग्रहण विनियम, 2017 भारत में दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया को शासित करता है।
- ये प्रावधान **"हेग कन्वेंशन ऑन इंटर-कंट्री एडॉप्शन, 1993"** के अनुरूप हैं। वर्ष 2003 में भारत सरकार ने इसकी अभिपुष्टि की थी।
    - बाल संरक्षण एवं अंतर्देशीय दत्तक-ग्रहण के लिए सहयोग (हेग एडॉप्शन कन्वेंशन) के संबंध में वर्ष 1993 का यह हेग अभिसमय बच्चों और उनके परिवारों को विदेशों में अवैध, अस्थायी, समयपूर्व या बिना तैयारी के दत्तक-ग्रहण के जोखिमों से संरक्षण प्रदान करता है।
    - यह बच्चों के अपहरण, बिक्री या अवैध व्यापार को रोकने का भी प्रयास करता है।

भारत में बच्चों के दत्तक-ग्रहण को शासित करने वाले आधारभूत सिद्धांत

- दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया में बच्चों के सर्वोत्तम हित सर्वोपरि होंगे।
- जहाँ तक संभव हो, बच्चों के दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया में भारतीय नागरिकों को और बच्चे के अपने सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण को वरीयता प्रदान की जाएगी।
- सभी दत्तक-ग्रहण को **"बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली"** (Child Adoption Resource Information and Guidance System: CARINGS) पर पंजीकृत किया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा उसकी गोपनीयता बनाई रखी जाएगी।

दत्तक-ग्रहण में सम्मिलित एजेंसियाँ

- **केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority: CARA):** यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक **सांविधिक निकाय** है तथा इस हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह समय-समय पर दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया का सुचारु संचालन सुनिश्चित करता है। इसका कार्य देश के भीतर और देश के बाहर दत्तक-ग्रहण की निगरानी एवं उसका विनियमन करना।
- **राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन एजेंसी (State Adoption Resource Agency: SARA):** यह राज्यों में एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, जो CARA के समन्वय के साथ, दत्तक-ग्रहण और गैर-संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देने एवं निगरानी करने का कार्य करती है।
- **विशेषीकृत दत्तक-ग्रहण एजेंसी (Specialized Adoption Agency: SAA):** यह बच्चों के दत्तक-ग्रहण के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक बाल देखभाल संस्थान है।

VISION

- **अधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण एजेंसी (Authorized Foreign Adoption Agency: AFAA):** यह CARA द्वारा मान्यता प्राप्त एक विदेशी सामाजिक या बाल कल्याण एजेंसी है। संबंधित देश के केंद्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग की अनुशंसा के आधार पर CARA द्वारा इसे मान्यता प्रदान की जाती है। यह किसी भारतीय बच्चे के उस देश के नागरिक द्वारा दत्तक-ग्रहण से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करती है।
- **जिला बाल संरक्षण इकाई (District Child Protection Unit: DCPU):** यह जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक इकाई है। यह जिले में अनाथ, परित्यक्त और बेसहारा बच्चों की पहचान करती है तथा बाल कल्याण समिति द्वारा उन्हें दत्तक-ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित कराने का कार्य करती है।

भारत में दत्तक-ग्रहण से संबंधित समस्याएँ

- **व्यवधान और समापन के मामले (Cases of Disruption and Dissolution):** CARA द्वारा वर्ष 2014-15 और 2018-19 के मध्य दत्तक-ग्रहण से संबंधित व्यवधान के 246 और इसके समापन के 10 मामले दर्ज किये गए हैं, जिसका अर्थ है कि 100 में से 6 बच्चों को दत्तक-ग्रहण के अंतिम चरण में लौटा दिया जाता है।
- **बच्चे के लिए मनोवैज्ञानिक आघात:** किसी परिवार के साथ रहने के पश्चात् संस्थान में वापस लौटने वाले बच्चों में अस्वीकृति का भाव रहता है तथा वे लंबे समय तक भय के साथ जीवन यापन करते हैं।
- **विशेष आवश्यकताओं वाले (दिव्यांग) एवं अधिक आयु वाले बच्चों हेतु निम्न दत्तक-ग्रहण दर:** विगत एक वर्ष में भारतीय परिवारों द्वारा गोद लिए जाने वाले 3,200 बच्चों में से, केवल 50 बच्चे ही विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की श्रेणी से संबंधित थे और लौटा दिए जाने वाले बच्चों में बड़ी संख्या अधिक आयु वाले बच्चों की ही होती है।
- **समलैंगिक युगलों, ट्रांसजेंडर युगलों और एकल पुरुषों** (इन्हें बालिकाओं के दत्तक-ग्रहण की अनुमति नहीं है) को बच्चों के दत्तक-ग्रहण से प्रतिबंधित किया गया है।
- **अपंजीकृत बाल देखभाल संस्थानों (Child Care Institutions: CCIs) की उपस्थिति:** इन संस्थानों में बच्चों के देखभाल की स्थिति खराब है तथा उनके शारीरिक एवं यौन शोषण और तस्करी के शिकार होने की अधिक संभावना रहती है।

व्यवधान (Disruption)

- व्यवधान का अर्थ है- दत्तक-ग्रहण के पश्चात्, लेकिन दत्तक-ग्रहण की विधिक प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व, दत्तक परिवार के साथ बच्चे का समायोजन न हो पाने के कारण **दत्तक परिवार से बच्चे का पृथक होना।**
    - ऐसे व्यवधान की स्थिति में राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन एजेंसी माता-पिता एवं बच्चे के साथ परामर्श सत्र आयोजित करती हैं। यह एजेंसी अपने निष्कर्षों के आधार पर, बच्चे या दत्तक माता-पिता को अस्थायी रूप से सूची से हटा देती है, जब तक कि वे अपनी तैयारियों को फिर से सिद्ध नहीं कर देते हैं।

समापन (Dissolution)

- समापन का अर्थ है- न्यायालय से दत्तक-ग्रहण की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् दत्तक परिवार के साथ बच्चे का तालमेल न होने के कारण **विधिक रूप से दत्तक-ग्रहण का निरसन।**

हालिया कदम

CARA ने बाल अधिकार कार्यकर्ताओं, उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त बाल कल्याण समितियों के सदस्यों और दत्तक माता-पिता से मिलकर गठित एक **नौ सदस्यीय उप-समिति** का गठन किया है।

- इस पैनल ने एक **प्रशिक्षण पाठ्यक्रम** विकसित किया है और 12 राज्यों में तीन दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया है।
- इसका उद्देश्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारियों, जैसे- टीकाकरण, पर्याप्त पोषण और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने तथा बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के संबंध में शिक्षित करना था।
- इसमें शामिल प्रशिक्षुओं को बच्चों के इच्छुक दत्तक माता-पिता की उपयुक्तता का बेहतर ढंग से मूल्यांकन करने और बच्चों, विशेषकर बड़े बच्चों को परामर्श देने तथा दत्तक-ग्रहण के लिए उन्हें तैयार करने हेतु प्रशिक्षित किया गया।

आगे की राह

- सरल समायोजन के लिए दत्तक-ग्रहण की शुरुआती अवस्थाओं में **संभावित दत्तक-ग्रहण माता-पिता के साथ बच्चों के पारस्परिक संवाद को बढ़ावा देना।**
- **CCIs में मनोवैज्ञानिकों और परामर्शदाताओं की नियुक्ति करना:** संबंधित बच्चे के दत्तक-ग्रहण से पूर्व उसे रिश्तों में स्थायित्व और पारिवारिक बंधन के बारे में सिखाया जाना चाहिए।

VISION IAS

- विशेष आवश्यकताओं, अधिक आयु और कठिनाई से समायोजन करने वाले बच्चों को **अपनाने के लिए भारतीय परिवारों में जागरूकता बढ़ाना** तथा आवश्यक सहायता प्रदान करना।
- सभी अपंजीकृत CCIs के लिए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना और अनुपालन न करने वाले CCIs को बंद किया जाना चाहिए।
- योग्य समलैंगिकों और ट्रांसजेंडर युगलों को दत्तक-ग्रहण का अधिकार प्रदान करना।

6.6. शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, 2019 (Annual Status Of Education Report: ASER)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **NGO प्रथम** द्वारा **'अर्ली इयर्स'** नामक शीर्षक से **ASER रिपोर्ट, 2019** जारी की गयी।

ASER, 2019 सर्वेक्षण के बारे में

- **अर्ली इयर्स (प्रारंभिक वर्षों) पर ध्यान केंद्रित करना:** मानव जीवन चक्र के प्रारंभिक वर्षों को संज्ञानात्मक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है।
    - **ASER के 'अर्ली इयर्स' के तहत 4-8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की स्कूली शिक्षा या स्कूल-पूर्व की स्थिति** से संबंधित डेटा को एकत्रित किया गया है।
- यह निम्नलिखित **चार डोमेन** में वर्गीकृत चयनित दक्षताओं की खोज करता है:
    - आरंभिक भाषा अधिग्रहण;
    - आरंभिक गणितीय कौशल;
    - संज्ञानात्मक क्षमता; तथा
    - सामाजिक और भावनात्मक अधिगम।

प्रमुख निष्कर्ष

- **छोटे बच्चों (4-8 वर्ष की आयु) के मध्य प्री-स्कूल और स्कूल नामांकन पैटर्न की स्थिति:** इस आयु वर्ग के 90% से अधिक बच्चों का किसी न किसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में नामांकन है।
- **पूर्व-प्राथमिक ग्रेड (कक्षा I-III) में बच्चों की स्थिति:** इस संदर्भ में बच्चों के आयु वर्ग में भिन्नता है, जोकि कक्षा **I** में सर्वाधिक है, लेकिन इसके आगे की प्रत्येक कक्षा में यह घटती जाती है। साथ ही, प्रत्येक कार्य को अधिक आयु वाले बच्चे अपेक्षाकृत कम आयु वाले बच्चों की तुलना में बेहतर रूप से निष्पादित करते हैं।
- **सरकारी विद्यालयों की तुलना में निजी विद्यालयों का बेहतर प्रदर्शन:** निजी विद्यालयों के बच्चों को सभी महत्वपूर्ण कारकों, जैसे- कक्षा **I** में आयु भिन्नता, पारिवारिक कारक, यथा- संपन्नता, माता की शिक्षा और कुछ आधारभूत क्षमताएं जिनके साथ बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश करते हैं, के कारण अपेक्षाकृत अधिक सीखने का लाभ प्राप्त होता है।
    - इनके द्वारा बच्चों के स्कूल में प्रवेश करने से पूर्व ही उन्हें स्कूल जैसी पाठ्यचर्या से अवगत करा दिया जाता है।
- **शिक्षा में माता की भूमिका:** प्री-प्राइमरी सेक्शन में, जिन बच्चों की माताओं द्वारा स्कूली शिक्षा के केवल आठ या उससे कम वर्ष ही पूर्ण किए गए हैं, उनके बच्चों की आंगनवाड़ियों या सरकारी प्री-प्राइमरी कक्षाओं में जाने की संभावना अधिक होती है।
    - जबकि जिन बच्चों की माताओं ने प्रारंभिक चरण से अधिक तक अध्ययन किया है, उनके निजी स्कूलों के LKG/UKG कक्षाओं में नामांकित होने की संभावना अधिक होती है।

चिंताएँ

- **लिंग अंतराल (Gender gaps):** यह अंतराल 4-8 वर्ष की आयु के छोटे बच्चों के मध्य दृष्टिगत होता है। जहाँ सरकारी संस्थानों में नामांकित लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या अधिक होती है, वहीं निजी संस्थानों में लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या अधिक होती है।
- **संज्ञानात्मक कौशल:** 5 वर्ष की आयु के अधिकांश बच्चे सभी प्रकार की गतिविधियों को करने में असमर्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त, जिन बच्चों के परिवारों में कम सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वे अपेक्षाकृत असमान रूप से प्रभावित होते हैं।

VISION IAS

- **आयु-वितरण में असमानता:** शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE) यह अधिदेशित करता है कि कक्षा I में बच्चों का नामांकन 6 वर्ष की आयु में होना चाहिए। हालाँकि, कक्षा I में **प्रत्येक 10 में से 4 बच्चे** 5 वर्ष से कम या 6 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं।
    - सरकारी विद्यालयों में कक्षा I के बच्चों की आयु निजी विद्यालयों में उसी कक्षा के बच्चों की आयु की तुलना में कम होती है।
- **पाठ्यक्रम का अपेक्षाओं के अनुरूप न होना:** बच्चों के प्रत्येक अगली कक्षा में प्रवेश करने के साथ ही उनके कौशल और क्षमताओं में सुधार होता जाता है। प्रत्येक कक्षा के पाठ्यचर्या के मध्य अत्यधिक अंतराल विद्यमान होने का तात्पर्य यह है कि कक्षा तीन तक, बच्चों के पूर्व की भाषा और संख्यात्मक **परिणाम पहले से ही पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं से काफी पीछे बने हुए हैं।**
    - **उदाहरण के लिए:** कक्षा एक में 41.1% छात्र 2 अंकों की संख्या को पहचान सकते हैं, जबकि कक्षा तीन में 72.2% छात्र ऐसा करने में सक्षम हैं। लेकिन NCERT के शैक्षणिक परिणामों के विनिर्देश के अनुसार, कक्षा एक के बच्चों से 99 तक की संख्या को पहचानने में सक्षम होने की अपेक्षा की जाती है।
- **आंगनवाड़ियों में खराब स्थिति:** आंगनवाड़ियों में बच्चे संज्ञानात्मक के साथ-साथ प्रारंभिक भाषा संबंधी कार्यों में निजी प्री-स्कूल के बच्चों से पीछे होते हैं।
    - **उदाहरण:** निजी प्री-स्कूलों के 52.9% बच्चों की तुलना में आंगनवाड़ियों के 14% बच्चे ही अक्षर आदि की पहचान करने में समर्थ हैं।

ASER के बारे में

- ASER **नमूना-आधारित एक पारिवारिक सर्वेक्षण है** और भारत में **सबसे बड़ा नागरिक-आधारित सर्वेक्षण** है।
- यह एक वार्षिक सर्वेक्षण है और इसका उद्देश्य **भारत के प्रत्येक राज्य और ग्रामीण जिले के बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति तथा सीखने (अधिगम) के मूलभूत स्तर** के संबंध में विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करना है।
- ASER, वर्ष 2005 से प्रति वर्ष ग्रामीण भारत में **5-16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों** के लिए मूलभूत पठन और अंकगणितीय कार्य करने की क्षमता के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
- वर्ष 2017 की **'बियॉन्ड बेसिक्स'** नामक ASER रिपोर्ट **14-18 वर्ष के आयु वर्ग** के बच्चों की क्षमताओं, अनुभवों और आकांक्षाओं पर केंद्रित थी।

भारत में प्री-स्कूली शिक्षा एवं देखभाल

- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम** में यह प्रस्तावित किया गया है कि राज्य सरकारों द्वारा प्री-स्कूल आयु, अर्थात् 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के लिए **आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा** की आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019** के मसौदा में आरंभिक बाल्यकाल की शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया है और पूर्व-प्राथमिक (प्री-प्राइमरी) शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।
- हालांकि, **भारत में आरंभिक बाल्यकाल पर शिक्षा के प्रभाव के अध्ययन-2017** में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं कि छोटे बच्चे के संबंध में नीति द्वारा निर्धारित नामांकन प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है।

अनुशंसाएँ

- **खेल-आधारित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना:** संज्ञानात्मक कौशल की आवश्यकता वाले कार्यों में बच्चों का प्रदर्शन प्रारंभिक भाषा के कार्यों और आरंभिक संख्यात्मक कार्यों को करने की उनकी क्षमता से गहरा संबंध रखता है।
    - इससे ज्ञात होता है कि प्रारंभ में वस्तुपरक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने की तुलना में स्मृति, तार्किक क्षमता और समस्या निवारण क्षमताओं का निर्माण करने वाली खेल-आधारित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना अधिक उपयोगी सिद्ध होता है।
- **पाठ्यक्रम और गतिविधियों का पुनर्निर्धारण:** इसकी चार या आठ वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए, निजी या सरकार द्वारा संचालित सभी प्रकार के प्री-स्कूल के मामले में तत्काल आवश्यकता है।
- **आंगनवाड़ी केंद्रों के मौजूदा नेटवर्क को सुदृढ़ करना:** ASER 2019 के निष्कर्षों में यह पाया गया है कि इन आरंभिक बाल शिक्षा केंद्रों को सुदृढ़ बनाने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि इनके द्वारा बच्चों के लिए उचित **"स्कूल की तैयारी"** (school-readiness) से संबंधित गतिविधियों को कार्यान्वित किया जा सके।

- **स्कूल में प्रवेश की आयु हेतु राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मानदंडों पर पुनर्विचार करना:** ASER स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि प्रदर्शन का बच्चों की आयु से गहरा संबंध होता है। कम आयु के बच्चों को प्राथमिक कक्षा में प्रवेश की अनुमति प्रदान करना उन्हें अधिगम के मामले में क्षति पहुँचाने के समान है, जिसे दूर करना कठिन होता है।
    - ASER डेटा से ज्ञात होता है कि कक्षा एक के सभी बच्चों में से 27.6% की आयु छह वर्ष से कम है।
- **व्यापक कौशल महत्वपूर्ण है और अल्प आयु में औपचारिक विषयों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है:** ASER 2019 डेटा दर्शाता है कि आरंभिक वर्षों में विषय की शिक्षा पाने के बजाय संज्ञानात्मक कौशल को सुदृढ़ करने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने से बच्चों में भविष्य में सीखने के संदर्भ में पर्याप्त लाभ हो सकते हैं।
    - **प्री-स्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है,** ताकि सभी प्री-स्कूल उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें, जो संज्ञानात्मक और आरंभिक साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल का निर्माण करती हैं।

VISION IAS

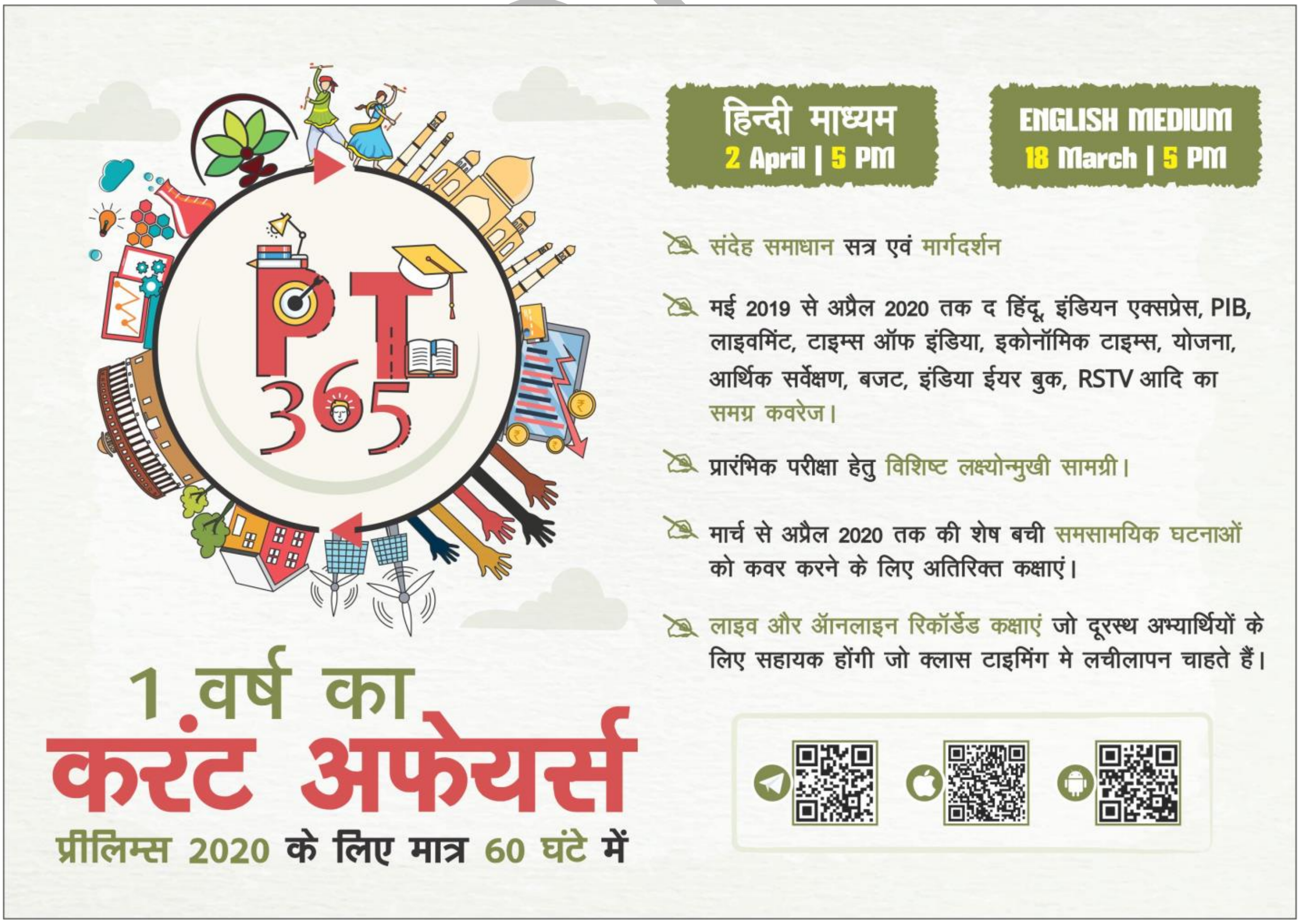

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विनियमन (Regulating Artificial Intelligence)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विभिन्न प्रसिद्ध व्यक्तियों ने **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence: AI)** को विनियमित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- बिल गेट्स, एलन मस्क, सुंदर पिचाई, जेरोन लनियर जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के परिणामस्वरूप आसन्न रोबोटिक विनाश के प्रति सतर्क किया है।
- स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा था कि यदि हम अनियंत्रित AI के जोखिमों से सुरक्षित होने के प्रति अग्रसक्रिय नहीं हुए तो AI मानवता का विनाश कर सकता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence: AI) के बारे में

- यह मशीनों, विशेष रूप से कंप्यूटरों द्वारा मानव आसूचना प्रक्रियाओं का अनुकरण है।
- यह मशीनों द्वारा निरंतर पर्यवेक्षण के बिना वास्तविक समय (रियल टाइम) स्थितियों में सोचने, समझने, सीखने, समस्या समाधान और निर्णय निर्माण प्रक्रिया जैसे संज्ञानात्मक कार्यों की संपादन क्षमता को संदर्भित करता है।
- AI के विशेष अनुप्रयोगों में एक्सपर्ट सिस्टम, स्पीच रिकग्निशन और मशीन विज़न शामिल हैं।
- यह मशीन लर्निंग को शामिल करता है, जहां मशीनें अनुभव से सीख सकती हैं और मानवीय हस्तक्षेप के बिना कौशल प्राप्त कर सकती हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का महत्व

- इसमें पूंजी और श्रम की भौतिक सीमाओं को समाप्त करने तथा मूल्य एवं विकास के नए स्रोतों/आयामों को उपलब्ध कराने की क्षमता है।
- AI में निम्नलिखित कार्यों के माध्यम से विकास को गति प्रदान करने की क्षमता विद्यमान होती है:
  - **इंटेलिजेंट ऑटोमेशन** अर्थात् जटिल भौतिक वैश्विक कार्यों को स्वचालित करने की क्षमता।
  - **नवाचार का प्रसार** अर्थात् अर्थव्यवस्था के माध्यम से नवाचारों को प्रेरित करना।
- **सामाजिक विकास और समावेशी संवृद्धि में भूमिका:** गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना, अवस्थितिजन्य अवरोधों को समाप्त करना, कृषकों को वास्तविक समय परामर्श प्रदान करना एवं उत्पादकता में वृद्धि करना, स्मार्ट और कुशल शहरों के निर्माण आदि में सहायता प्रदान करना।
- **डेटा की चरघातीय (Exponential) वृद्धि** निरंतर AI सुधारों को बढ़ावा प्रदान कर रही है।

भारत में AI उपयोग के उदाहरण-

- आकांक्षी जिलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग द्वारा परिशुद्ध कृषि का विकास करने हेतु NITI आयोग और IBM के मध्य एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा कृषि और स्वास्थ्य सेवा को स्मार्ट बनाने के लिए AI सेंसर का उपयोग किया जा रहा है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को विनियमित करने की आवश्यकता

- **नैतिक चिंताएं:** एक नई तकनीक के लोकप्रिय होने के साथ, इसके गुणों की गारंटी नहीं है। उदाहरण के लिए, इंटरनेट ने किसी के साथ संपर्क स्थापित करना और कहीं से भी सूचना प्राप्त करना संभव बना दिया है, लेकिन इसके द्वारा गलत सूचनाओं को प्रसारित करना भी सुगम हो गया है।
  - AI के संभावित नकारात्मक परिणामों के बारे में वास्तविक चिंताएं हैं, जिनमें **फेसिअल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के जाली और अनुचित उपयोग** शामिल हैं।
- **डेटा प्रबंधन:** चूंकि डेटा प्रवाह और डेटा स्वामित्व पर स्पष्टता का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप **डेटा उपनिवेशीकरण (data colonialism)** को बढ़ावा मिल सकता है (विकासशील देशों द्वारा उत्पन्न डेटा का अभी तक उन्हें लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है)।
- भविष्य में, AI एल्गोरिदम को विकसित करने के लिए डेटा संग्रह से संबंधित **निजता संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं, उदाहरण के लिए- जन निगरानी।**
  - AI विशेषकर दस्तावेजों, चित्रों, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो और ऑनलाइन पहचान की जालसाजी में सहायता प्रदान कर सकता है अर्थात् ये कार्य अत्यधिक सुगमता के साथ संपादित किए जा सकते हैं।

VISION IAS

* **पक्षपात:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिदम पृथक (discrete) हैं और अधिकांश मामलों में उन्हें **ट्रेड सीक्रेट** का दर्जा प्राप्त है। वे पक्षपात पूर्ण हो सकते हैं, उदाहरण के लिए- सेल्फ-लर्निंग की प्रक्रिया में वे समाज में विद्यमान रूढ़िवादिता अथवा डेवलपर्स द्वारा स्थानांतरित गुणों को आत्मसात और अंगीकार कर सकते हैं तथा उनके आधार पर निर्णय ले सकते हैं।
* **जवाबदेही:** यदि कोई AI सिस्टम अपने निर्धारित कार्य करने में विफल रहता है, तो इसके लिए किसी को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए, जैसे- एंटी-टेररिज्म फेसिअल रिकग्निशन प्रोग्राम के तहत किसी अन्य ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मिलान होने की स्थिति में एक निर्दोष व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था।
    * इसी तरह, जब कोई भी AI एल्गोरिदम सामाजिक आयामों से संबंधित निर्णय लेता है, तो इसे पारदर्शी मापदंडों पर आधारित होना आवश्यक है। ये AI एल्गोरिदम ऐसे निर्णयन प्रक्रिया में सलग्न होते हैं जो लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण और गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।
* **सुपर-इंटेलिजेंस:** एक पर्याप्त रूप से इंटेलीजेंट AI सिस्टम स्वयं को रीडिज़ाइन कर सकता है अथवा एक बेहतर सक्सेसर सिस्टम का सृजन कर सकता है तथा यह **आसूचना के अत्यधिक प्रसार (intelligence explosion)** को प्रेरित कर सकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यह सुपर-इंटेलिजेंस मानवता के लिए बेहतर विकल्पों से प्रेरित हो तथा तकनीकी क्षमताओं और नैतिकता आधारित दिशा-निर्देशों से अनुशंसित हो।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को विनियमित करने में चुनौतियां

* **अत्यधिक विनियमन:** चूंकि AI का विकास अभी भी प्रारंभिक चरणों में है, इसलिए कुछ आलोचकों का मानना है कि अत्यधिक कठोर विनियमन की न तो आवश्यकता है और न ही यह वांछनीय होगा।
    * ऐसी प्रवृत्ति, इस क्षेत्र के विकास में आवश्यक अनुसंधान को हतोत्साहित कर सकती है।
* **आम सहमति का अभाव:** AI के विनियमन से संबंधित प्रणालीगत व्यवस्था और रणनीति पर देशों के मध्य आम सहमति का अभाव बना हुआ है।
* **हितों का संघर्ष:** इस बात पर आशंका बनी हुई है कि नियामक, AI का उपयोग किस प्रकार करेंगे, जो विनियमित इकाइयों के लिए अधिक निश्चितता प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए, नियामक स्वयं, अनुमत डेटा के एक विशाल सेट के अतिक्रमण की पहचान करने हेतु AI का उपयोग कर सकते हैं।
* **AI प्रौद्योगिकियों में व्यापक विशेषज्ञता की अनुपस्थिति:** विशेषज्ञता अभाव की स्थिति में नीतिगत निर्णय विचारों के संकीर्ण स्पेक्ट्रम से प्रभावित हो सकते हैं।
    * डेटा संग्रह, तैयारी और बेंचमार्किंग क्षमताओं में व्यापक अंतराल विद्यमान हैं।
* **पूर्वानुमान का अभाव:** सामाजिक कार्यों के संचालन में संलग्न एल्गोरिदम संबंधी पूर्वानुमान (परिणाम आधारित) से विनियमन कर्ताओं को अवगत होना चाहिए। सुरक्षा के अतिरिक्त AI के स्थानीय, विशिष्ट व्यवहार का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है, चाहे प्रोग्रामर सब कुछ सही करें।

AI के विनियमन की दिशा में उठाए गए विभिन्न कदम

* **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर OECD सिद्धांत:** इसे OECD सदस्यों और गैर-सदस्यों सहित 42 देशों द्वारा अपनाया गया है।
* **संयुक्त राज्य अमेरिका की AI रणनीति:** इसे अब तक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे निगमों द्वारा बढ़ावा प्रदान किया गया है, जो स्व-विनियमन और त्वरित तकनीकी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
    * नैतिक विकास और प्रौद्योगिकी के उपयोग को निर्देशित करने हेतु **गूगल** द्वारा स्वयं के **AI सिद्धांतों** को प्रकाशित किया गया है।
    * इसके अतिरिक्त जनवरी 2020 में अमेरिका ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के संदर्भ में संघीय एजेंसियों हेतु व्यापक सिद्धांतों का मसौदा तैयार किया है।
* **यूरोपीय संघ: कम्युनिकेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट**, जो अन्य मुद्दों के मध्य, एक नैतिक और विधिक फ्रेमवर्क की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
* **चीन:** चीन ने भी एक **न्यू जनरेशन AI डेवलपमेंट प्लान** को आरंभ किया है और वर्तमान में स्वयं के शासन सिद्धांतों को विकसित करने के लिए AI विशेषज्ञों से विचार प्रस्तुत करने की मांग की गई है।
* **यूनाइटेड किंगडम:** UK ने सेंटर फॉर डेटा एथिक्स एंड इनोवेशन की स्थापना के साथ AI के लिए एक ऑफिस विकसित किया है।

इस संबंध में भारत की स्थिति

* **कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए राष्ट्रीय रणनीति:** नीति आयोग ने ऐसे पाँच क्षेत्रों की पहचान की है जहाँ AI उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसने

VISION IAS

भारत के लिए AI से संबंधित विनियमन के अभाव को एक बड़ी कमजोरी के रूप में इंगित किया है।

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा स्थापित **सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (CoE in AI),** AI के क्षेत्र में अभिनव समाधानों के लिए एक मंच है। यह केंद्रीय और राज्य स्तर पर NIC के तत्वावधान वाली परियोजनाओं हेतु समाधान को विकसित करने और उनका परीक्षण करने के लिए एक आवश्यक आधार प्रदान करता है।

आगे की राह

- अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को **एसिलोमार AI प्रिंसिपल्स** (एक गैर-लाभकारी संगठन फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत) द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, जो AI क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए निर्धारित 23 दिशा-निर्देशों पर आधारित हैं।

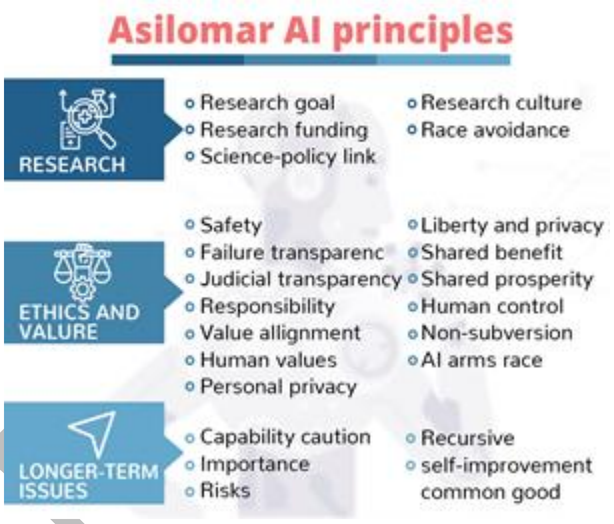

- **AI संबंधी उत्तरदायित्व के लिए आवश्यकता:** रोबोटिक्स को विनियमित करने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है और रोबोटिक इंजीनियरों के लिए नैतिक आचरण संहिता विकसित की जा सकती है, साथ ही अनुसंधान नैतिकता समितियों को भी स्थापित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित **नैतिक सिद्धांतों के समूह** का अनुसरण किया जा सकता है:
  - पूर्वाग्रहों को कम करना और इससे उत्पन्न होने वाली असमानताओं एवं भेदभाव को प्रतिबंधित करना।
  - रोबोट संचालन में मानवीय हित को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
  - रोबोट के साथ मानवीय सहभागिता स्वैच्छिक होनी चाहिए।
  - सभी के लिए न्यायसंगत लाभ सुनिश्चित करना।
- अपने प्रोग्रामर और उपयोगकर्ताओं को जवाबदेह बनाते हुए AI तंत्र एवं संचालन को **विधिक रूप से उत्तरदायी** बनाया जाना चाहिए।
- विनियमन निरंतर किया जाना चाहिए और यह प्रौद्योगिकी के विकास के साथ अनुकूलित होना चाहिए।
- **देश विशिष्ट डेटा,** प्रशिक्षित कार्यबल, उपयुक्त एल्गोरिदम और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल प्रौद्योगिकी विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

7.2. ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी (Blockchain Technology)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र** (NIC) द्वारा बेंगलुरु (कर्नाटक) में **ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र** (Centre of Excellence in Blockchain Technology) की स्थापना की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसका उद्देश्य 'सेवा के रूप में ब्लॉकचेन' उपलब्ध कराना है तथा सभी हितधारकों को साझा अधिगम, अनुभवों और संसाधनों से लाभान्वित करना है।
- यह **सरकारी विभागों** में शासन के विभिन्न आयामों (इस प्रौद्योगिकी के कुछ ऐसे अनुप्रयोगों के बड़े पैमाने पर परिनियोजन के लिए) में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के प्रयोग हेतु प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (Proof of Concept: PoCs) को विकसित करने में सहायता प्रदान करेगा।
- सरकार के स्तर पर ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी के नए और पूर्व के अप्रत्याशित अनुप्रयोगों के माध्यम से ई-शासन प्रणालियों में पारदर्शिता, निगरानी और विश्वास में वृद्धि होना अपेक्षित है।

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में

- ब्लॉकचेन एक विशिष्ट प्रकार की डेटा संरचना होती है, जिसका उपयोग नोड्स या प्रतिभागियों के मध्य लेन-देन को सक्षम बनाने हेतु किया जा सकता है। स्वामित्व अधिकार **क्रिप्टोग्राफिक** रूप से संग्रहीत और **लिंक ब्लॉकों** में दर्ज किए जाते हैं, जिनमें प्रतिभागियों के मध्य संपत्ति के स्वामित्व का रिकॉर्ड होता है जो अनामिक होते हैं।
- ब्लॉकचेन वस्तुतः ओपन व डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर (खाता-बही) होते हैं जो कालानुक्रमिक रूप से वास्तविक समय (रियल टाइम) में दो पक्षों के मध्य लेन-देन को कुशलतापूर्वक रिकॉर्ड कर सकते हैं।
- प्रत्येक उत्तरवर्ती लेन-देन को लेजर में जोड़े जाने की पूर्व शर्त, नेटवर्क प्रतिभागियों (जिन्हें नोड्स कहा जाता है) की क्रमिक आम सहमति पर आधारित होती है, जिससे हेरफेर, त्रुटियों और डेटा गुणवत्ता के संबंध में नियंत्रण का एक सतत तंत्र सृजित होता है।

VISION

- ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सामान्यतः **विकेंद्रीकरण, निरंतरता, अनामिकता और लेखापरीक्षा क्षमता जैसी प्रमुख विशेषताएं** पाई जाती हैं। इन लक्षणों के साथ, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग लागत को कम और दक्षता में सुधार कर सकती है।

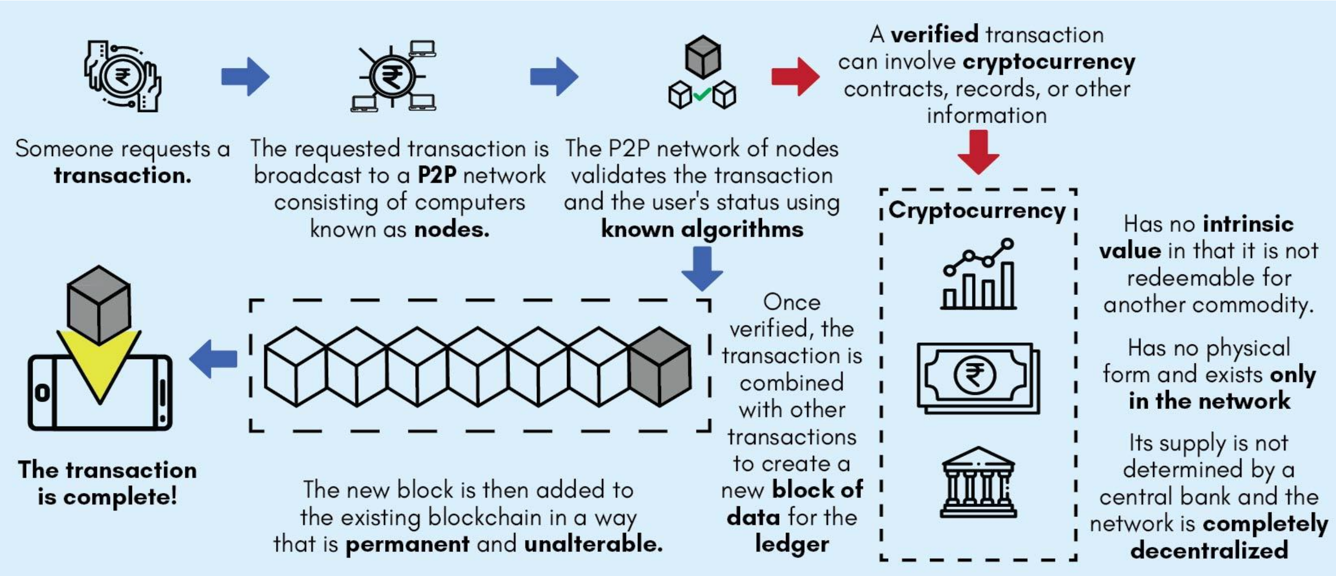

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग

- **बैंकिंग:** कुशल बैंकिंग संचालन और इस तकनीक द्वारा प्रदत्त KYC प्रक्रियाओं का कुशलतापूर्वक उपयोग करना। उदाहरण के लिए-
  - SBI, KYC का उपयोग करने और ब्लॉकचेन आधारित विप्रेषण की सुविधा प्रदान करने वाला प्रथम बैंक है।
  - **यस बैंक** ने अपने ग्राहकों को पूर्णतः डिजिटलीकृत वेंडर वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करने हेतु इस प्रौद्योगिकी को अपनाया, जो वास्तविक समय में लेन-देन की स्थिति को ट्रैक करते हुए भौतिक दस्तावेजों और मैनुअल हस्तक्षेप के बिना, वेंडर भुगतान के समयबद्ध प्रोसेसिंग को सक्षम बनाता है।
  - **सीमा-पार विप्रेषणों** को अधिक त्वरित और कम खर्चीला बनाया जा सकता है।
- **पूंजी बाजार के क्षेत्र में:**
  - **व्यापार निपटान:** प्रतिभूतियों और भुगतानों का त्वरित अंतरण और मध्यस्थों को समाप्त करके व्यापार लागत में कमी करना।
  - **वाणिज्यिक पत्र निर्गमन और व्यापार:** निवेशकों को वाणिज्यिक अनुबंध जारी करना और वाणिज्यिक पत्र के आवंटन, वितरण और भुगतान का निपटान करना।
- **साइबर सुरक्षा:** ब्लॉकचैन में प्रयुक्त संवेदनशील डेटा हैकर्स द्वारा सेंध के जोखिम को कम करके प्रभावी रूप से पहुंच का प्रबंधन कर सकता है। उदाहरण के लिए-
  - ब्लॉक आर्मर सॉल्यूशन वह कंपनी है जो किसी संगठन के महत्वपूर्ण संसाधनों को सुरक्षित रखती है तथा अधिकृत उपयोगकर्ताओं और उपकरणों को सुरक्षित पहुंच उपलब्ध कराती है।
- **हेल्थकेयर और फार्मास्यूटिकल्स:** इसमें अत्यधिक **संवेदनशील नैदानिक डेटा** शामिल होते हैं, जो एक सुरक्षित और विश्वसनीय प्रणाली की मांग करते हैं। उदाहरण के लिए-
  - Kare4u हेल्थकेयर सॉल्यूशंस द्वारा अस्पतालों, बीमा कंपनियों को जोड़ने और रोगियों के मेडिकल रिकॉर्ड को उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अपने ब्लॉकचेन-सक्षम मोबाइल प्लेटफॉर्म **"हेल्थप्रो"** के कार्यान्वयन हेतु अस्पतालों, बीमा कंपनियों और रोगियों के साथ साझेदारी स्थापित करने का प्रयास किया गया है।
- **कृषि:** खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की एक विशेषता यह है कि इसमें सूचनाओं की विषमता विद्यमान होती है। इस जटिल नेटवर्क में कृषक, ब्रोकर, वितरक, प्रोसेसर, खुदरा विक्रेता, नियामक और उपभोक्ता शामिल होते हैं।
  - बेहतर डेटा साझाकरण के परिणामस्वरूप हितधारकों को उनके बकाया (विशेष रूप से छोटे भू-जोत वाले निर्धन कृषक) और उपभोक्ताओं को खाद्य गुणवत्ता पर नियंत्रण प्राप्त होगा।
  - पिछले वर्ष कॉफी बोर्ड ने **कॉफी ब्लॉकचेन इनिशिएटिव** को आरंभ किया था। इसके तहत, भारतीय कॉफी में व्यापार के लिए **देश के प्रथम ब्लॉकचेन-आधारित मार्केट-प्लेस ऐप** को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य मध्यस्थों की समाप्ति द्वारा उत्पादकों को बेहतर प्रतिफल प्रदान करना है।
- **टेलीकॉम:** अपंजीकृत टेलीकॉम मार्केटर्स द्वारा स्पैम कॉल और वित्तीय धोखाधड़ी को समाप्त करने और टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए राजस्व के स्रोत उपलब्ध कराने में यह सहायक है। उदाहरण के लिए-

- टेक महिंद्रा ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की है और उनके ब्लॉकचेन सॉल्यूशन ग्राहक की वरीयता पंजीकरण, सहमतिपूर्ण अधिग्रहण, डायनामिक प्रेफरेंस सेटिंग, स्टेकहोल्डर ऑनबोर्डिंग आदि को सक्षम बनाते हैं।

- **शासन:** डिजिटल पहचान, जन्म से लेकर मृत्यु तक नागरिकों के डिजिटल प्रमाण-पत्र और विभिन्न प्रकार की संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित डिजिटल प्रमाण-पत्र का प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, कल्याणकारी कार्यक्रमों की निगरानी तथा सरकारी विभागों में सभी प्रमुख उत्पादों और सेवाओं की खरीद पर निगरानी रखना, पेटेंट, कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क का संरक्षण करना, गोपनीय पहुंच और सभी नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड की ट्रैकिंग, महत्वपूर्ण अवसंरचना की साइबर सुरक्षा इत्यादि ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के कुछ प्रमुख अनुप्रयोग हैं।
  - उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश ने **भूमि रिकॉर्ड के प्रबंधन और वाहन पंजीकरण** को सुगम बनाने हेतु दो परियोजनाएं आरंभ की हैं। पश्चिम बंगाल ने नवजात शिशुओं को ब्लॉकचेन आधारित जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने वाली परियोजना को लागू किया है।
  - नीति आयोग जन धन योजना, आधार और मोबाइल ट्रिनिटी (त्रयी) का लाभ उठाने के लिए एक साझा व भारत-विशिष्ट ब्लॉकचेन अवसंरचना - **"इंडियचेन" (IndiaChain)** नामक एक प्लेटफॉर्म का विकास कर रहा है।
    - यह सरकारी सब्सिडी के कुशल और पारदर्शी वितरण तथा रिकॉर्ड को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित कर निगरानी और विनियमित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करके सार्वजनिक प्रशासन की कार्यक्षमता को रूपांतरित करेगा।
    - यह परियोजना शिक्षा क्षेत्र में फर्जी डिग्री और प्रमाण-पत्रों पर अंकुश लगाने के लिए कार्य करती है तथा इसके माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य सेवा उद्योग में वृहत स्तर पर डेटा का निर्बाध प्रबंधन किया जाता है।
- **बीमा क्षेत्र:** बीमा उद्योग की दावा प्रबंधन प्रणाली (claim management system) में अन्तर्निहित अक्षमताओं के कारण प्रति वर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। दावा प्रबंधन हेतु ब्लॉकचेन को लागू करना इन मुद्दों को कम करने हेतु अंतिम समाधान है। उदाहरण के लिए-
  - ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर निर्मित एक सुरक्षित डेटा-शेयरिंग सोल्यूशन को विकसित करने हेतु कॉग्निजेंट कम्पनी ने ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ, कोटक लाइफ जैसे बीमा प्रदाताओं के साथ भागीदारी की है।
- **ब्लॉकचेन-संचालित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स** में प्रत्येक सूचना को निगरानी योग्य बनाया जाता है और उन्हें अपरिवर्तनीय तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। यह व्यापार सुगमता को प्रोत्साहित करेगा, एक अनुबंध की विश्वसनीयता, सटीकता और दक्षता में वृद्धि करेगा एवं धोखाधड़ी के जोखिम को काफी हद तक कम करेगा।
- **रियल एस्टेट** में संपत्ति संबंधी समझौते अभी भी कागजी हैं, जिससे उन्हें विवादों का सामना करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि यहाँ ब्लॉकचेन प्रणाली में अंतर्निहित पारदर्शिता, निगरानी क्षमता और दक्षता के माध्यम से लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
  - ब्लॉकचेन भूमि पर मालिकाना हक को डिजिटलीकृत कर इन मुद्दों का समाधान करता है। इसलिए प्रत्येक भूमि का एक डिजिटल एड्रेस होगा, जो अधिग्रहण, स्वामित्व रिकॉर्ड, वित्त, संपत्ति के विनिर्देशों और संबंधित कानूनी विवादों के विवरण के साथ ब्लॉकचेन में संग्रहीत होंगे।

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के अंगीकरण में चुनौतियां

- **इस प्रौद्योगिकी में स्केलेबिलिटी (मापनीयता) की कमी,** मुख्यतः सार्वजनिक ब्लॉकचेन के लिए अंगीकरण की प्रक्रिया पर दबाव डाल सकती है। इसकी प्रसंस्करण गति (processing speed) पारंपरिक लेन-देन नेटवर्क की तुलना में कम होती है, जैसे- वीज़ा प्रति सेकंड 2,000 से अधिक लेन-देन संबंधी प्रक्रियाओं को संपन्न कर सकता है, जबकि इसके विपरीत, बिटकॉइन ब्लॉकचेन प्रति सेकंड 3-7 लेन-देन संबंधी प्रक्रियाओं को संपन्न कर सकता है तथा एथेरियम एक सेकंड में लगभग 20 लेन-देन को संपन्न कर सकता है।
- **अन्तरसंक्रियता (interoperability) का अभाव:** बाजार में विद्यमान अधिकांश ब्लॉकचेन सइलो (silos) में कार्य संपादन करते हैं। कई अलग-अलग नेटवर्कों और दृष्टिकोणों के साथ ब्लॉकचेन स्पेस भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है, इसके साथ ही स्पष्ट दृष्टिकोण के न होने और मानकों के अभाव के कारण यह विभिन्न नेटवर्कों को परस्पर संवाद स्थापित करने की अनुमति नहीं देता है।
- **डेटा पोर्टेबिलिटी:** एक बार डेटा को एक सिस्टम में लॉग-इन करने के पश्चात् उस डेटा को एक नए सिस्टम में स्थानांतरित करना मुश्किल हो सकता है।
- **विनियमन:** पारंपरिक मध्यवर्ती भुगतान नेटवर्क में विद्यमान अक्षमताओं से निपटने हेतु कुछ ब्लॉकचैन तकनीकों (जैसे- परमिशनलेस बिटकॉइन ब्लॉकचैन) द्वारा विनियमन की पूर्णतः उपेक्षा की जाती है। ब्लॉकचेन अवधारणा के समक्ष एक और चुनौती यह है कि यह निरीक्षण में कमी करता है। भारत को ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर स्पष्ट रूप से परिभाषित विनियमों को लागू करना अभी शेष है।
- **ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के विकास में जागरूकता, उच्च लागत और कुशल कर्मचारियों** की सीमित उपलब्धता भी एक प्रमुख बाधा है।
- **51% अटैक:** इसे नेटवर्क की माइनिंग पावर के 50% से अधिक हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले दुर्भावनापूर्ण उपयोगकर्ताओं अथवा उपयोगकर्ताओं के समूह के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह उन्हें ब्लॉकचेन को पुनः निर्मित करने में सक्षम बनाता है, जिससे कारण

VISION IAS

पिछले लेन-देन को परिवर्तित कर ब्लॉकचैन उपयोगकर्ताओं को प्रसारित किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि अटैकर की श्रृंखला वैध है। चूंकि यह सबसे लंबी श्रृंखला होगी एवं अन्य उपयोगकर्ता इसे स्वतः ही स्वीकार कर सकते हैं, भले ही यह अवैध हो।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने C-DAC, IDRBT और VJTI जैसी एजेंसियों के सहयोग से **डिस्ट्रीब्यूटेड सेंटर ऑफ एक्सिलेंस इन ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी** नामक बहु-संस्थागत परियोजना को समर्थन प्रदान किया है। इस पहल के **उद्देश्य** निम्नलिखित **हैं:**
  - ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु अनुसंधान एवं विकास संगठनों, सरकारी विभागों और शिक्षाविदों के निकटवर्ती क्षेत्र में एक पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना।
  - शासन, बैंकिंग, वित्त और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में ब्लॉकचैन आधारित अनुप्रयोगों का डिजाइन एवं उनका विकास करना एवं प्रोटोटाइपिंग करना।
  - निर्धारित एप्लिकेशन डोमेन में ब्लॉकचेन के उपयोग से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने हेतु अनुसंधान को बढ़ावा देना।
  - निर्धारित एप्लिकेशन डोमेन आवश्यकताओं को निर्धारित कर ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क को विकसित करने हेतु ओपन-सोर्स कार्यान्वयन का उपयोग करना।
  - ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण करना।
- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा नैसकॉम की साझेदारी से **फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म** को लॉन्च किया गया है। यह ब्लॉकचैन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि सहित 10 उभरती हुई तकनीकों पर केंद्रित है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भी **बहुविषयक साइबर-फिजिकल प्रणालियों के राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems: NM-ICPS)** का शुभारम्भ किया है। यह ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स आदि को विकसित करने का रोडमैप प्रदान करता है।

निष्कर्ष

हालांकि, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का विकास अभी भी प्रारंभिक चरणों में है, लेकिन भारत इसे अपनाने और समाविष्ट करने की ओर अग्रसर है। व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में इस तकनीक को लागू करना निश्चित रूप से इसके अंगीकरण में आने वाली बाधाओं के बावजूद एक गेम-चेंजर सिद्ध होगा।

7.3. 2019 नोवेल कोरोना वायरस {2019 Novel Coronavirus (2019-NCOV)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कोरोना वायरस के अत्यधिक प्रसार के कारण **विश्व स्वास्थ्य संगठन** (WHO) ने इसे वैश्विक स्वास्थ्य आपात घोषित किया है। इसके साथ ही WHO ने कोरोना वायरस रोग के आधिकारिक नाम - **"COVID-19"** की घोषणा की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- WHO के अनुसार, **नोवेल कोरोना वायरस (2019-nCoV)** के हालिया प्रसार को सर्वप्रथम चीन के **वुहान** शहर में 31 दिसंबर 2019 को दर्ज किया गया।
- WHO की **अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमन आपात समिति (International Health Regulations Emergency Committee)** ने 30 जनवरी 2020 को इस प्रसार के जोखिम को **'अंतर्राष्ट्रीय चिंता संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात' (Public Health Emergencies of International Concern: PHEIC)** घोषित किया है।
  - वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति की घोषणा करने से WHO के महानिदेशक को निम्नलिखित अनुशंसाएं प्रदान करने का प्राधिकार प्राप्त होता है, जो रोग के प्रसार की रोकथाम कर सकता है, जैसे- यात्रा परामर्शिका जारी करना अथवा कोई प्रतिबंध आरोपित करना तथा प्रभावित देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा करना।
  - इस घोषणा से देशों को रोग के मामलों को अधिकाधिक दर्ज करना आवश्यक हो जाता है।
- विगत एक दशक में यह वैश्विक स्वास्थ्य आपात की **छठी घोषणा** है। अन्य पांच घोषणाएं इस प्रकार हैं- H1 वायरस, जो एक इन्फ्लूएंजा महामारी (2009) का कारण था; पश्चिम अफ्रीका में इबोला का अत्यधिक प्रसार (2013-2016); पोलियो (2014); जीका वायरस (2016) और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो में इबोला का अत्यधिक प्रसार (2019)।

नोवेल कोरोना वायरस के बारे में

- कोरोना वायरस (CoV), वायरस के एक वृहद् परिवार से संबंधित है जो सामान्य खांसी-जुखाम से लेकर अत्यधिक गंभीर रोगों, जैसे-मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (MERS-CoV) और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (SARS-CoV) का कारक है।
  - यह नोवेल कोरोना वायरस (nCoV) एक नया स्ट्रेन है जिसकी अभी तक मनुष्यों में पहचान नहीं की गयी थी।

VISION IAS

- चीन में प्रसारित होने वाले **इस वायरस के जीनोम की संरचना सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (SARC) की संरचना के लगभग 70 प्रतिशत के समान है।**

- इन वायरस में आनुवांशिक पदार्थ का एक कोर, प्रोटीन स्पाइक्स से आवरित होता है, जो इसे एक क्राउन (लैटिन: कोरोना) स्वरूप प्रदान करता है।
- **कोरोनावायरस ज़ूनोटिक होते हैं**, जिसका तात्पर्य यह है कि ये पशुओं और मनुष्यों के मध्य संचारित होते हैं।
- **लक्षण:** इस रोग के संक्रमण के सामान्य लक्षणों में श्वसन संबंधी लक्षण, बुखार, खांसी और श्वसन में कठिनाई शामिल हैं। अधिक गंभीर मामलों में, इस रोग के संक्रमण से निमोनिया, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, किडनी फेलियर और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है।
- **संचरण की विधि:** ऐसा माना जाता है कि ये वायरस, श्वसन तंत्र से स्रावित होने वाले द्रव के माध्यम से संचारित होते हैं। कोरोना वायरस मुख को ढके बिना खांसने और छींकने, हाथ छूने या मिलाने, वायरस युक्त किसी सतह या वस्तु से संपर्क में आने आदि से प्रसारित हो सकता है।
  - दुर्लभ मामलों में, कोरोनो वायरस मल के संपर्क में आने से भी प्रसारित हो सकता है।
- **निदान:** इस संक्रमण का निदान PCR (पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन) टेस्ट द्वारा किया जा सकता है। यह परीक्षण वायरस की उसके आनुवंशिक फिंगरप्रिंट के आधार पर पहचान करता है।
- **उपचार:** वर्तमान में, इस नए वायरस के लिए **कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है** और इसकी रोकथाम हेतु **कोई टीका भी उपलब्ध नहीं है।**

कोरोना वायरस के अत्यधिक प्रसार का प्रभाव

- **आर्थिक प्रभाव:** कोरोना वायरस के अत्यधिक प्रसार के परिणामस्वरूप **अनेक हवाई, रेल और सड़क मार्ग बंद** हो गए हैं, साथ ही **उत्पादन में कमी** और **विनिर्माण संयंत्र अस्थायी रूप से बंद** हो गए हैं, जिसके कारण चीन के सकल घरेलू उत्पाद में अरबों डॉलर का नुकसान संभावित है।
- **आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव:** यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है जो बाजारों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर कोरोनावायरस से प्रभावित होने वाले अत्यधिक सुभेद्य क्षेत्रक हैं।
- **विमानन उद्योग:** अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, मालदीव और जापान आदि कई देशों द्वारा चीनी पर्यटकों और आगंतुकों पर प्रतिबंध आरोपित कर दिए गए हैं तथा चीन के साथ प्रत्यक्ष परिवहन संपर्क को सीमित कर दिया गया है।

कोरोना वायरस और भारत

- भारत में नोवेल कोरोना वायरस (nCoV) के प्रथम संक्रमण की पुष्टि केरल राज्य में की गई। केरल सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के तीन मामलों की पुष्टि किए जाने के पश्चात् इसे **'राज्य आपदा' (State Calamity)** घोषित कर दिया गया था, परन्तु बाद में इस घोषणा को वापस ले लिया गया।
- प्रधानमंत्री के निर्देश पर नोवेल कोरोनावायरस के प्रबंधन की समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया गया है।
- कोरोना वायरस से प्रभावित हुबेई प्रांत और उसकी राजधानी वुहान से भारत द्वारा अपने नागरिकों को सफलता पूर्वक वापस बुला लिया गया है।
- यात्रा परामर्शिका में लोगों को चीन की यात्रा न करने की हिदायत दी गई है और कहा गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति ने 15 जनवरी 2020 के पश्चात् चीन की यात्रा की है तो उसके यात्रा से वापसी पर क्वारंटाइन (कुछ विशिष्ट अवधि के लिए रोगों की जांच हेतु) किया जाएगा।

केरल द्वारा कोरोना वायरस से निपटने हेतु किए जाने वाले उपाय

इस चुनौती से निपटने हेतु, राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपने विगत अनुभवों (निपाह वायरस के अत्यधिक प्रसार को रोकने हेतु किए गए प्रयास) का उपयोग किया गया। केरल सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

- स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 14 जिला चिकित्सा कार्यालयों से संबद्ध एक राज्य-स्तरीय नियंत्रण कक्ष और त्वरित प्रतिक्रिया दलों की स्थापना की गई है।
- सभी छह मेडिकल कॉलेजों और 14 जिला सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन यूनिट्स को तैयार किया गया है।
- केरल के स्वास्थ्य अधिकारियों को इस घातक वायरस के लक्षणों वाले यात्रियों की पहचान (स्क्रीन) करने के लिए हवाई अड्डों पर तैनात किया गया है।
- राज्य में कोरोना वायरस के खतरे के संबंध में लोगों में जागरूकता का प्रसार करने के लिए सरकार मुख्यधारा वाले मीडिया और सोशल मीडिया का उपयोग कर रही है।

VISION IAS

7.4. दुर्लभ रोग (Rare Diseases)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने **दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा (draft National Policy for Rare Diseases)** जारी किया है।

पृष्ठभूमि

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जुलाई 2017 में **दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए एक राष्ट्रीय नीति (National Policy for Treatment of Rare Diseases: NPTRD)** तैयार की थी।
    - इसमें दुर्लभ आनुवांशिक रोगों के उपचार के वित्त-पोषण हेतु 100 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि को स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी, किन्तु बजट बाध्यताओं के कारण इसकी स्थापना नहीं की जा सकी।
- हालांकि, इस नीति के कार्यान्वयन में **कुछ चुनौतियां** (जैसे- राज्यों को बोर्ड में शामिल करने और सरकार द्वारा तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में सहायता उपलब्ध कराने में स्पष्टता का अभाव) मौजूद रही हैं।
- इसका समाधान करने हेतु व्यापक परामर्श और अनुशंसाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए **दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु राष्ट्रीय नीति** को पुनः तैयार करने का निर्णय लिया गया है।
- NPTRD, 2017 की समीक्षा करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नवंबर 2018 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।
- उक्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर, **दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति** का मसौदा जारी किया गया है।

दुर्लभ रोग क्या हैं?

- दुर्लभ रोग का आशय **'अल्प प्रसार वाली एक ऐसी स्वास्थ्य स्थिति'** से है, जो 'सामान्य जनसंख्या में प्रसारित अन्य रोगों की तुलना में निम्न संख्या में लोगों को प्रभावित करती है'।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO),** दुर्लभ रोगों को प्रति 1,000 जनसंख्या पर 1 या उससे कम व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले दुर्लभ आजीवन रोग या विकार के तौर पर परिभाषित करता है। हालांकि, विभिन्न देशों में दुर्लभ रोग की परिभाषाएँ भिन्न-भिन्न हैं।
- इसमें **आनुवंशिक रोग, दुर्लभ कैंसर, उष्णकटिबंधीय संक्रामक रोग और अपक्षयी रोग (degenerative diseases)** शामिल हैं। लगभग 80% दुर्लभ रोग आनुवंशिक होते हैं और इसलिए ये **बच्चों को असाधारण रूप से प्रभावित** करते हैं।
- इन रोगों के अल्प प्रसार और दुर्लभ प्रकृति के बावजूद, सामूहिक रूप से ये रोग किसी देश में **कुल जनसंख्या के 6% - 8% भाग** को प्रभावित करते हैं।

ये रोग सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा क्यों हैं?

- **इन रोगों से संबद्ध आंकड़ों का अभाव:** यह दुर्लभ रोगों से ग्रसित लोगों और उनके मध्य मृत्यु दर के बोझ से संबंधित समझ को काफी हद तक बाधित करता है। अधिकांश दुर्लभ रोगों के पड़ने वाले आर्थिक बोझ संबंधी जानकारियां/सूचनाएं भी अनुपलब्ध हैं।
- **विभिन्न परिभाषाएं और प्रसार की सीमाओं की भिन्नता:** विभिन्न देशों में अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुरूप अलग-अलग परिभाषाएं निर्धारित की गई हैं। असंगत परिभाषाओं और विविध शब्दावलियों के परिणामस्वरूप भ्रांति उत्पन्न होती है।
    - कई अन्य विकासशील देशों की तरह, भारत में दुर्लभ रोगों की कोई मानक परिभाषा (वर्तमान में) उपलब्ध नहीं है।
- **दुर्लभ रोगों का निदान:** नैदानिक साधनों की कमी और सामान्य लोगों के साथ-साथ चिकित्सकों में जागरूकता के अभाव के कारण इसके निदान में कई वर्षों का समय लग जाता है।
    - अनेक दुर्लभ रोगों के लिए, नैदानिक सुविधाएं अथवा कोई नैदानिक पद्धति उपलब्ध नहीं है।
    - निदान में विलंब या गलत निदान रोग के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं।
- **रोग का प्रभाव:** अधिकांश मामलों में, दुर्लभ रोग गंभीर, दीर्घकालिक दुर्बलता और जीवन के समक्ष खतरा उत्पन्न करते हैं, जिन्हें प्रायः दीर्घकालिक एवं विशेष उपचार की आवश्यकता होती है।
    - ये रोगियों और उनके परिवारों के समक्ष एक विशाल शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक-आर्थिक बोझ उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त, ये प्रायः किसी न किसी रूप में निःशक्तता उत्पन्न करते हैं अथवा कभी-कभी अत्यधिक घातक हो जाते हैं।
- **अनुसंधान और विकास में चुनौतियां:** रोगियों की संख्या अत्यधिक कम होने और इन रोगों की पैथोफिजियोलॉजी, प्राकृतिक विकास के बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी होने के कारण इनका नैदानिक विवरण अपर्याप्त या सीमित बने रह सकते हैं।
    - दुर्लभ रोगों की प्रकृति दीर्घकालिक होती है, जहां इस हेतु दीर्घकालिक अनुवर्ती कार्रवाई विशेष रूप से आवश्यक होती है। परिणामतः दुर्लभ रोगों में लंबे समय तक उपचार के परिणामों से संबंधित प्रकाशित आंकड़ों का अभाव होता है और प्रायः इनका विवरण अपूर्ण होता है।

 ©Vision IAS

- **उपचार में चुनौतियां:** उपचार की अनुपलब्धता एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि लगभग 95% दुर्लभ रोगों का कोई स्वीकृत उपचार नहीं है। इनके उपचार हेतु केवल 300 थैरेपी उपलब्ध हैं।
    - **उपचार में निषेधात्मक लागत:** दवा निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार की उपलब्धता के अभाव के कारण, उनके लिए दवाओं का निर्माण करने हेतु कोई प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं होता है। इस कारण से, दुर्लभ रोगों को 'ऑर्फन डिज़ीज़' भी कहा जाता है तथा इनका उपचार करने वाली दवाओं को **'ऑर्फन ड्रग्स'** कहते हैं।

भारतीय परिदृश्य

- भारत में, **लगभग 95% दुर्लभ रोगों का कोई स्वीकृत उपचार** उपलब्ध नहीं है और प्रत्येक 10 में से 1 रोगी को ही रोग-विशिष्ट उपचार प्राप्त होता है।
- बहुत कम दवा कंपनियां दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु दवाओं का विनिर्माण करती हैं और **भारत में कोई घरेलू विनिर्माता मौजूद नहीं है।**
- **सबसे सामान्य दुर्लभ रोगों** में हेमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल-सेल एनीमिया और बच्चों में प्राथमिक प्रतिरक्षा की कमी, ऑटो-इम्युन रोग आदि शामिल हैं।

इस मसौदा नीति की प्रमुख विशेषताएं

- इसमें **450 रोगों को दुर्लभ रोग के तौर पर** सूचीबद्ध किया गया है, किन्तु यह उपचार हेतु कोई विशिष्ट रोडमैप प्रदान नहीं करता है।
- इस नीति के तहत, **दुर्लभ रोगों की निम्नलिखित तीन श्रेणियाँ सृजित की गयी हैं:**
    - एक बार उपचारात्मक चिकित्सा की आवश्यकता वाले दुर्लभ रोग;
    - दीर्घकालिक उपचार की आवश्यकता वाले रोग, जिनके उपचार की लागत अपेक्षाकृत कम है; तथा
    - आजीवन उपचार की आवश्यकता वाले रोग, जिनके उपचार की लागत अपेक्षाकृत अधिक है।
- **मानकीकरण और निगरानी:** भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के तहत दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी, जो भारत को दुर्लभ रोगों की सबसे उपयुक्त परिभाषा प्रदान करने में सहायता करेगी।
- **उपचार के लिए वित्तीय सहायता: राष्ट्रीय आरोग्य निधि की अम्ब्रेला योजना** के तहत निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दुर्लभ रोगों से ग्रस्त रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    - **स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत / प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना** (ये योजनाएं लगभग 40% जनसंख्या को कवर करती हैं) के तहत कवर रोगियों को कुछ उपचार योग्य दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु 15 लाख रुपए तक की एकमुश्त उपचार लागत वाली वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    - **श्रेणी III** के रोगियों के साथ-साथ, केंद्र और राज्यों के उत्तरदायित्व के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है।
- **संस्थागत ढांचा:** इस नीति के लक्ष्यों में, कुछ निश्चित सरकारी चिकित्सा संस्थानों को **दुर्लभ रोगों के लिए उत्कृष्टता केंद्र** के रूप में अधिसूचित करना शामिल है।
    - दुर्लभ रोगों पर गतिविधियों की निगरानी और समन्वय हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक **अंतर-मंत्रालयी परामर्श समिति** का गठन करना।
    - रसायन और उर्वरक मंत्रालय में औषध विभाग (DoP), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के भीतर एक **दुर्लभ रोग सेल** का गठन करना।
- **वित्त-पोषण फ्रेमवर्क:** दुर्लभ रोगों के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर एक **कार्पस निधि** सृजित करना।
    - यह **दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु एक स्रोत के रूप में क्राउड फंडिंग** की अनुशंसा करता है और अस्पतालों को फंड एकत्रित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने की सलाह देता है।
- **जागरूकता सृजन:** आम जनता, रोगियों और उनके परिवारों के मध्य जागरूकता सृजित करना तथा स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के प्रशिक्षण हेतु सामग्रियों का विकास करना।

निष्कर्ष

- आम जनता, रोगियों एवं उनके परिवारों और चिकित्सकों के मध्य **जागरूकता** सृजित करने की तत्काल आवश्यकता है। दुर्लभ रोगों के उपचार की किसी भी नीति में उपचार तक पहुंच और स्वास्थ्य प्रणाली की स्थिरता के मध्य **संतुलन** स्थापित किया जाना चाहिए।
- अमेरिका में, ऑर्फन ड्रग्स जैसे अधिनियम के माध्यम से दवा विनिर्माताओं को दुर्लभ रोगों के लिए दवाओं के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जाता है तथा इसी प्रकार के प्रोत्साहन यूनाइटेड किंगडम और कुछ अन्य विकसित देशों में भी प्रदान किए जाते हैं। भारत में भी इसी तरह के कदम उठाए जा सकते हैं।

7.5. ड्रोन संबंधी विनियमन (Drone Regulation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नागर विमानन मंत्रालय ने सभी ड्रोनों और उनके संचालकों के लिए स्वैच्छिक पंजीकरण कराने हेतु 31 जनवरी 2020 तक की समय-सीमा निर्धारित करने के संबंध में एक योजना की घोषणा की है।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- ड्रोन संचालकों द्वारा ड्रोन के स्वामित्व के बारे में स्वैच्छिक घोषणा के सफल प्रस्तुतीकरण के पश्चात्, उन्हें ऑनलाइन आधार पर **ड्रोन पावती संख्या (Drone Acknowledgement Number: DAN)** और **स्वामित्व मान्यता संख्या (Ownership Acknowledgement Number: OAN)** प्रदान की जाएगी, जिससे भारत में ड्रोन संचालन को वैधानिकता प्रदान करने में सहायता मिलेगी।
- हालांकि, **भारत में DAN या OAN से ड्रोन के संचालन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा**, जब तक कि DGCA द्वारा निर्धारित ड्रोन विनियमनों के प्रावधानों को पूरा नहीं किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, भारत में वैधानिक DAN अथवा OAN की अनुपलब्धता या प्राप्त न होने की स्थिति में ड्रोन के स्वामित्व के विरुद्ध **प्रयोज्य कानूनों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।**

भारत में ड्रोन

- **नागर विमानन मंत्रालय** के अनुसार, ड्रोन को एक तकनीकी मंच के रूप में **परिभाषित** किया गया है, जिसके अंतर्गत फ़ोटोग्राफ़ी से लेकर कृषि तक, अवसंरचनात्मक परिसंपत्ति प्रबंधन से लेकर बीमा तक व्यापक अनुप्रयोग शामिल हैं।
- ड्रोन विभिन्न आकार के हो सकते हैं जिसमें छोटे आकार से लेकर कई किलोग्राम तक के पेलोड को ले जा सकने वाले बड़े ड्रोन शामिल हैं। DGCA ने ड्रोन की निम्नलिखित पांच विभिन्न श्रेणियों को परिभाषित किया है:
  - **नैनो:** 250 ग्राम से कम या इसके बराबर;
  - **माइक्रो:** 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक;
  - **मिनी:** 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक;
  - **मीडियम:** 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक; एवं
  - **लार्ज:** 150 किलोग्राम से अधिक वजन वाले।
- वर्ष 2021 तक भारत में मानव रहित विमान प्रणालियों (Unmanned Aircraft Systems: UAS) का **औद्योगिक मूल्य** 885.7 मिलियन डॉलर तथा वैश्विक बाजार का आकार 21.47 बिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंचना अनुमानित है।
- हालांकि, भारत में अक्टूबर 2019 तक **अवैध ड्रोन** की संख्या 50,000 से 60,000 के मध्य होने की संभावना थी, इस कारण भारत में ड्रोन विनियमन की आवश्यकता है।

भारत में ड्रोन विनियमन

- अगस्त 2018 में, केंद्र सरकार द्वारा **ड्रोन विनियमन 1.0** के मानदंडों की प्रथम सूची जारी की गई थी, जिसका उद्देश्य केवल दिन के समय में **विजुअल लाइन-ऑफ-साइट में और अधिकतम 400 फुट ऊंचाई तक** ड्रोनों के संचालन की अनुमति प्रदान करना है।
- इन दिशा-निर्देशों के तहत, हवाई क्षेत्र को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:
  - **रेड ज़ोन** जो कि **"नो फ़्लाई ज़ोन"** को संदर्भित करता है (इसमें हवाई अड्डों के निकटवर्ती हवाई क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकटवर्ती क्षेत्र, दिल्ली में विजय चौक, राज्य की राजधानियों में राज्य सचिवालय परिसर, रणनीतिक स्थानों / महत्वपूर्ण और सैन्य प्रतिष्ठान आदि शामिल हैं)।
  - **येलो ज़ोन** को **नियंत्रित हवाई क्षेत्र** की संज्ञा दी गयी है। इस हवाई क्षेत्र में ड्रोन संचालन हेतु एयर डिफेंस क्लीयरेंस या एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल क्लीयरेंस की आवश्यकता होती है।
  - **ग्रीन ज़ोन, अनियंत्रित हवाई क्षेत्र** को संदर्भित करता है। हालांकि, ग्रीन ज़ोन के लिए भी डिजिटल स्काई प्लेटफ़ॉर्म से स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- इन नियमों के तहत, ड्रोन ऑपरेटरों के लिए **विशिष्ट पहचान संख्या (Unique Identification Number: UIN), मानव रहित एयरक्राफ्ट संचालन परमिट (Unmanned Aircraft Operator Permit: UAOP)** और अन्य संचालन आवश्यकताएं संबंधी अनुमति प्राप्त करने हेतु एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
- वर्तमान में, भारत में **'नो परमिशन-नो टेक ऑफ' (NPNT) क्लॉज लागू** है, जिसके तहत **डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म** से नियामक अनुमति प्राप्त न होने तक ड्रोन को भारतीय अंतरिक्ष में संचालित नहीं किया जा सकता है।
  - उपयोगकर्ताओं को अपने ड्रोन, पायलट और स्वामियों का **एक बार पंजीकरण** करना होगा। **प्रत्येक उड़ान** (नैनो श्रेणी के लिए छूट) से पूर्व, उपयोगकर्ताओं को **मोबाइल ऐप** के माध्यम से उड़ान भरने के लिए अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है तथा यह ऐप एक स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से अनुरोध की जांच कर शीघ्र ही अनुमति प्रदान करेगा अथवा अनुरोध को अस्वीकृत करेगा।
- पायलट को ड्रोन संचालित करने से पूर्व **रिमोट पायलट लाइसेंस** और **प्रमाणन** की आवश्यकता होती है।
- जनवरी 2019 में, **ड्रोन नीति 2.0** पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया था, जो ड्रोन के व्यापक अनुप्रयोग के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। इसके तहत ड्रोन के माध्यम से **वस्तुओं की डिलीवरी और बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ़ साइट (BVLOS)** को भी शामिल किया गया है।

- वर्तमान में विदेशियों को भारत में ड्रोन उड़ाने की अनुमति प्राप्त नहीं है। वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए, उन्हें ड्रोन को एक भारतीय इकाई को पट्टे पर देने की आवश्यकता होती है जो इसके बदले में DGCA से UIN और UAOP प्राप्त करेंगे।

डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के बारे में

- यह एक सॉफ्टवेयर आधारित स्व-प्रवर्तनीय **मानव रहित यातायात प्रबंधन (Unmanned Traffic Management: UTM) प्रणाली** है, जो संचालकों को प्रत्येक उड़ान के लिए तत्काल (ऑनलाइन) स्वीकृति प्रदान करने के अतिरिक्त ड्रोन एवं संचालकों के पंजीकरण और लाइसेंसिंग की सुविधा प्रदान करती है।
- यह प्लेटफ़ॉर्म माइक्रो और उच्च श्रेणियों में **सभी ड्रोनों को विनियमित** करता है।
- यह संचालकों को एक **UIN हेतु आवेदन करने** की अनुमति प्रदान करता है, जिसे नागर विमानन नियामक द्वारा अनुमोदन हेतु सभी ड्रोन और मानव रहित एयरक्राफ्ट संचालन परमिट ऑनलाइन जारी किए जाने की आवश्यकता होती है।

मानव रहित एयरक्राफ्ट संचालन परमिट (UAOP) के बारे में

- UAOP एक परमिट है जो संचालक (ड्रोन पर स्वामित्व अधिकार रखने वाले) को ड्रोन संचालन हेतु अधिकार प्रदान करता है, जिसे **नागर विमानन महानिदेशक** से प्राप्त किया जा सकता है।
- ये UAOPs हस्तांतरणीय नहीं होते हैं तथा पांच वर्ष से अधिक समय के लिए प्रयोज्य नहीं होंगे।

भारत की ड्राफ्ट ड्रोन नीति 2.0 (वर्ष 2019 में जारी)

- **एयर फ्रेट के नए रूपों की अनुमति:** यह VLOS से परे और 400 फीट की वर्तमान सीमा से अधिक के लिए परिचालन विस्तार की अनुशंसा करता है।
- **ड्रोन कॉरिडोर:** यह नीति गैर-पृथक हवाई क्षेत्र (जिसमें मानवयुक्त विमान संचालित होते हैं) से वाणिज्यिक UAS संचालन को बाहर रखने हेतु ड्रोन कॉरिडोर की परिकल्पना करती है।
- इसके साथ ही, ड्रोन की लैंडिंग और टेक-ऑफ की सुविधा हेतु **'ड्रोनपोर्ट्स'** नामक निर्दिष्ट क्षेत्र का भी प्रावधान करती है।
- **ड्रोन की संचालन अवधि:** ड्रोन के लिए अधिकतम संचालन अवधि को प्रस्तावित किया गया है ताकि संचालकों को ड्रोन की उड़ान क्षमता (airworthiness) और ड्रोन की संचालन अवधि (life cycle) की समाप्ति पर पुन: प्रमाणन के लिए आवेदन करना होगा।
- **ड्रोन निदेशालय:** यह नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के अधीन एक ड्रोन निदेशालय स्थापित करने की अनुशंसा करती है।
- **डिजिटल स्काई सेवा प्रदाता (DigitalSky Service Providers: DSPs):** यह भारत में पंजीकृत सार्वजनिक या निजी एजेंसियों को नए अभिकर्ताओं के रूप में DSPs में शामिल करता है।
- **रात्रि के समय ड्रोन संचालन की अनुमति:** रात्रि के समय ड्रोन उड़ानों को सक्षम बनाने हेतु अनुमोदन और अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताएं।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** यह अमेरिका और RPAS-आधारित वाणिज्यिक नागर विमानन सेवाओं में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI को प्रस्तावित करती है। ड्रोन नीति 1.0 के अंतर्गत, FDI का कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

ड्रोन विनियमन की आवश्यकता

- **वाणिज्यिक संचालन हेतु ड्रोन की क्षमता का लाभ उठाना:** यह एयर फ्रेट क्षमताओं के विभिन्न नए स्वरूपों को बढ़ावा प्रदान करेगा, जिससे **तापमान और समय के प्रति संवेदनशील वस्तुओं,** जैसे- शारीरिक अंगों, जीवन रक्षक दवाओं आदि का परिवहन संभव होगा।
    - इनका उपयोग **कृषि सिंचाई,** भूदृश्यों का सर्वेक्षण, सक्रिय रूप से रेल/सड़क यातायात की निगरानी करने अथवा कृषि भूमि का सर्वेक्षण/निरीक्षण करने के लिए पूरक सामग्रियों की उपलब्धता हेतु भी किया जा सकता है।
- **सुरक्षा अनिवार्यता:** नए खतरे और संभावित क्षमता को देखते हुए इसमें **समग्र सुरक्षा परिवेश** (जिसमें विमानन क्षेत्र भी शामिल है) **के समक्ष जोखिम को उत्पन्न** करने की क्षमता विद्यमान है, इस कारण एक सुसंगत ड्रोन नीति (well-articulated drone policy) की आवश्यकता है।
    - **ड्रोन का हथियार के रूप में प्रयोग (Drone Weaponization):** वाणिज्यिक ड्रोन बाजार के उचित विनियमन के बिना, ड्रोन का हथियार के रूप में प्रयोग से साइबर खतरों को बढ़ावा मिल सकता है तथा यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन सकता है।
    - **हालिया वैश्विक हमले,** जैसे- सऊदी अरब की रिफाइनरियों पर ड्रोन हमला और ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर की हत्या इसके कुछ उदाहरण हैं।

- **निजता संबंधी चिंताएँ:** वर्तमान सोशल मीडिया और डिजिटल संचार के युग में, **ड्रोन की इमेजिंग क्षमताएं** एक वृहद् खतरा उत्पन्न करती हैं, क्योंकि इनका उपयोग लोगों को ब्लैकमेल करके अथवा अवांछित निगरानी पर नियंत्रण स्थापित करके **निजता का उल्लंघन** करने हेतु किया जा सकता है।
- **ड्रोन स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा प्रदान करना:** ड्रोन / UAVs को अभी भी एक उभरती हुई तकनीक के रूप में संदर्भित किया जाता है तथा वर्तमान में, भारत में लगभग 40 ड्रोन स्टार्ट-अप्स सक्रिय हैं।
  - स्टार्ट-अप्स और विनिर्माताओं द्वारा संचालित एक सुदृढ़ ड्रोन उद्योग में भारत के विमानन क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा प्रदान करने की क्षमता विद्यमान है।

निष्कर्ष

यद्यपि भारत ने विश्व में एक अग्रणी ड्रोन नीति फ्रेमवर्क तैयार किया है, किन्तु फिर भी ड्रोन के उपयोग को औपचारिक रूप प्रदान करने के लिए देश भर में व्यावहारिक और सुरक्षित कार्यान्वयन हेतु नीति निर्माताओं एवं उद्योग के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होगी।

8. संस्कृति (Culture)

8.1. गणतंत्र दिवस परेड 2020 (Republic Day Parade 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

26 जनवरी 2020 को भारत ने अपना 71वां गणतंत्र दिवस मनाया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस वर्ष के समारोह के लिए मुख्य अतिथि **ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो (Jair Bolsonaro)** थे।
- इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और 6 मंत्रालयों/विभागों की कुल 22 झांकियां शामिल थीं।
- प्रधानमंत्री ने पहली बार **राष्ट्रीय युद्ध स्मारक** (नेशनल वॉर म्यूजियम) जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसा पहली बार हुआ जब गणतंत्र दिवस परेड में सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंग एक साथ **'ट्राई सर्विस' फॉर्मेशन** में दिखे।

इस परेड में सांस्कृतिक थीम (विषय-वस्तु)

- **ककसार लोक नृत्य:** यह छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में अभुजमारिया जनजाति के मध्य प्रचलित नृत्य है। इस नृत्य के माध्यम से बेहतर फसल के लिए **'ककसार'** देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। यह नृतक/नर्तकियों को अपनी नृत्य मंडली में से ही जीवन साथी चुनने की अवसर प्रदान करता है।
- **ग्रामिया कलाई (एक लोक कला):** तमिलनाडु की झांकी में लोक देवता **अय्यनार** की प्रतिमा एवं इन लोक कलाओं का प्रदर्शन किया गया।
- **बतुकम्मा महोत्सव:** यह पुष्प त्योहार दुर्गा नवरात्रि के दौरान तेलंगाना में मनाया जाता है। इसमें विभिन्न मौसम के सुंदरतम फूलों की सात सघन परतों से मंदिर गोपुरम की आकृति बनाई जाती है। देवी गौरी को बतुकम्मा के रूप में पूजा जाता है।
- **भोरताल नृत्य:** यह असम के बरपेटा क्षेत्र से संबंधित है। इसे सत्रिय कलाकार नरहरि बुरहा भगत द्वारा विकसित किया गया था। झांझ से सुसज्जित नृत्यांगनाएं **'झीया नोम' (Zhiya Nom)** के नाम से प्रसिद्ध तीव्र ताल पर प्रस्तुति देती हैं।
- **भोपाल का जनजातीय संग्रहालय:** मध्य प्रदेश की झांकी भोपाल के जनजातीय संग्रहालय पर आधारित थी, जिसमें गोंड, बैगा, कोरकू, राजवार, सहरिया, भील, भारिया जनजातियों को प्रदर्शित किया गया था।
- **भगवान लिंगराज की रुकुना रथ यात्रा:** ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर में भगवान लिंगराज की पूजा **भगवान शिव और भगवान विष्णु (हरिहर)** दोनों के रूप में की जाती है।
- **ब्रह्मोत्सवम:** यह त्योहार तिरुमाला तिरुपति मंदिर में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश की झांकी में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हुए शास्त्रीय कुचिपुड़ी नृत्य, कोंडापल्ली हस्तशिल्प और कलमकारी चित्रों का प्रदर्शन किया गया।
- **अनुभव मंतपा:** यह बसवेश्वर या बसवन्ना द्वारा स्थापित अनुभव का एक अधिष्ठान केंद्र है, जिसमें 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के कल्याण शहर में स्थापित प्रथम सामाजिक धार्मिक केंद्र को प्रदर्शित किया गया।
- **लिविंग रूट ब्रिज:** मेघालय के चेरापूंजी में स्थित नोंगरीट रबर के वृक्षों की जड़ों से निर्मित डबल डेकर लिविंग रुट ब्रिज या जीवित जड़ सेतु का प्रदर्शन किया गया। यह एक अनूठी प्राकृतिक घटना है जिसे मानवीय कौशल द्वारा आकार दिया जाता है।
- **गुरु नानक देव की 550वीं वर्षगांठ:** पंजाब की झांकी में किरत करो, नाम जपो और बंड छको के सिद्धांतों को दर्शाया गया, जो कि सिख धर्म की आधारशिला है।
- गोवा सरकार के **'सेव द फ्रॉग' अभियान** और जम्मू-कश्मीर के **'बैक टू विलेज' कार्यक्रम** को भी झांकी में प्रदर्शित किया गया।
- **रानी की वाव - जल मंदिर:** गुजरात राज्य द्वारा पाटण शहर में स्थित रानी की वाव - जलमंदिर की अनूठी थीम पर आधारित झांकी प्रस्तुत की गई। इसे एक अद्वितीय वास्तुशिल्पीय आश्चर्य माना जाता है, जो प्राचीन निर्माण कला एवं शिल्प कौशल का साक्ष्य प्रस्तुत करता है।
    - सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज के पुत्र राजा भीमदेव-प्रथम की स्मृति में रानी उदयमति द्वारा वर्ष 1083 में निर्मित **रानी की वाव यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल है।**

8.2. अशफ़ाक़ुउल्ला ख़ाँ (Ashfaqullah Khan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने गोरखपुर में एक प्राणि उद्यान की स्थापना के लिए 234 करोड़ रुपये के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है, जिसका नामकरण स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी शहीद अशफ़ाक़ुउल्ला ख़ाँ के नाम पर किया जाएगा।

अशफ़ाक़ुउल्ला ख़ाँ के बारे में

- अशफ़ाक़ुउल्ला ख़ाँ को राम प्रसाद बिस्मिल के साथ वर्ष 1925 के काकोरी षड्यंत्र के आरोप में मृत्युदंड की सजा दी गई थी।
- इनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में हुआ था।
- ये उन युवाओं में शामिल थे, जो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने से असंतुष्ट थे।
- उन्होंने "अहिंसक रणनीतियों में घटते विश्वास" को महसूस किया तथा यह माना कि उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता के लिए अधिक "उग्रपंथी तरीकों" को अपनाए जाने की आवश्यकता है।
- अशफाक ने उर्दू (अधिकांशतः) और हिंदी में, **वारसी एवं हसरत** उपनाम से कविताओं की रचना की।
- 1920 के दशक के मध्य में, अशफाकउल्ला ख़ाँ और राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) की स्थापना में भागीदारी की।
  - HSRA ने वर्ष 1925 में "द रिवोल्यूशनरी" नामक शीर्षक से अपना घोषणा-पत्र प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया था कि "राजनीति के क्षेत्र में इस क्रांतिकारी दल का तात्कालिक उद्देश्य एक संगठित और सशस्त्र क्रांति के द्वारा फ़ेडरल रिपब्लिक ऑफ़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ इंडिया की स्थापना करना है"।

काकोरी षड्यंत्र से संबंधित तथ्य

- अगस्त 1925 में, धन लेकर जा रही काकोरी एक्सप्रेस में एक सशस्त्र डकैती की गयी थी।
- इस डकैती को HSRA (हिंदुस्तान सोशलिस्ट एंड रिपब्लिकन आर्मी) की गतिविधियों के संचालन हेतु आयोजित किया गया था, जिसमें बिस्मिल, अशफाकउल्ला ख़ाँ और 10 से अधिक अन्य क्रांतिकारियों ने ट्रेन को रोककर उसमें रखी गयी नकदी को लूट लिया।
- लगभग 18 माह तक चली कार्यवाई के पश्चात् वर्ष 1927 में निर्णय दिया गया। इस निर्णय में बिस्मिल, अशफ़ाक़ुउल्ला ख़ाँ, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को मृत्युदंड की तथा अन्य को उम्रकैद की सजा दी गई।

8.3. सुर्ख़ियों में रहे सांस्कृतिक उत्सव (Cultural Festivals in News)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, मणिपुर के मेईती समुदाय द्वारा पांच दिवसीय आनुष्ठानिक महोत्सव **लाई हरोबा** (Lai Haraoba) मनाया गया।
- मिजोरम सरकार ने भारत के कम से कम 10 राज्यों तथा सयुंक्त राज्य अमेरिका, म्यांमार और बांग्लादेश में **ज़ो कुटपुई (Zo Kutpui)** महोत्सव का आयोजन करने की घोषणा की है।

लाई हरोबा के बारे में

- लाई हरोबा का आशय है 'देवताओं की उत्सवधर्मिता' या देवताओं का उत्सवकाल।
- यह त्योहार ब्रह्मांड के सृजन, पादप, जंतु और मनुष्यों के विकास के उत्सव को मनाने के लिए आयोजित किया जाता है।
- यह उत्सव मणिपुर के **उमंग लाई** देवता को समर्पित है।
- इस त्योहार के दौरान, पुरुष और महिलाएं देवी-देवताओं की मूर्तियों के समक्ष नृत्य करते हैं तथा एक लोकप्रिय लोक कथा के नायक और नायिका क्रमशः **खम्बा व थोईबी** के लोक नाट्य को भी प्रस्तुत करते हैं।
- इसे मौखिक साहित्य, संगीत, नृत्य और अनुष्ठानों के माध्यम से मनाया जाता है।
- **मेईती समुदाय से संबंधित तथ्य:**
  - मेईती मणिपुर राज्य का बहुसंख्यक नृजातीय समूह है।
  - मेइती की एक बड़ी आबादी पड़ोसी राज्यों, जैसे- असम, मेघालय और त्रिपुरा तथा बांग्लादेश और म्यांमार के समीपवर्ती क्षेत्रों में भी निवास करती है।
  - ये **मेईतीलों** (मणिपुरी) भाषा बोलते हैं, जो एक तिब्बती-बर्मी भाषा है। यह भारत की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक है। इसे वर्ष 1992 में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।

ज़ो कुटपुई (Zo Kutpui) से संबंधित तथ्य

- इस महोत्सव में विभिन्न मिज़ो जनजातियों द्वारा कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया जाएगा।
- यह आयोजन विश्व के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले विभिन्न मिजो जनजाति के लोगों को एकजुट करने और उनके मध्य बंधुत्व को बढ़ाने का एक प्रयास है।

VISION IAS

- **मिजोरम के अन्य महत्वपूर्ण त्योहार: मिम कुट** (अगस्त और सितंबर माह में मनाया जाता है, जब मक्का की फसल कटाई के लिए तैयार होती है), **चपचार कुट** (मार्च के महीने में मनाया जाता है), **थालफवांग कुट** आदि।
- **मिज़ो समुदाय से संबंधित तथ्य:**
    - मिज़ो पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी बर्मा और पूर्वी बांग्लादेश के मूल निवासियों का एक नृजातीय समूह है।
    - मिज़ो शब्द में **कुकी-चिन (Kuki-Chin) भाषा** बोलने वाले कई नृजातीय समूहों के लोगों को शामिल किया गया है।
    - मिज़ो समुदाय में पारंपरिक रूप से स्थानांतरित कृषि प्रणाली प्रचलित है, जिसके कारण प्रायः ये अपने स्थान (गांवों) परिवर्तित करते रहते हैं।
    - मिज़ो समूहों में सबसे प्रमुख लुशाई, पवी (लाई) {Pawi (Lai)}, लखेर (मारा) एवं मार (Hmar) हैं।

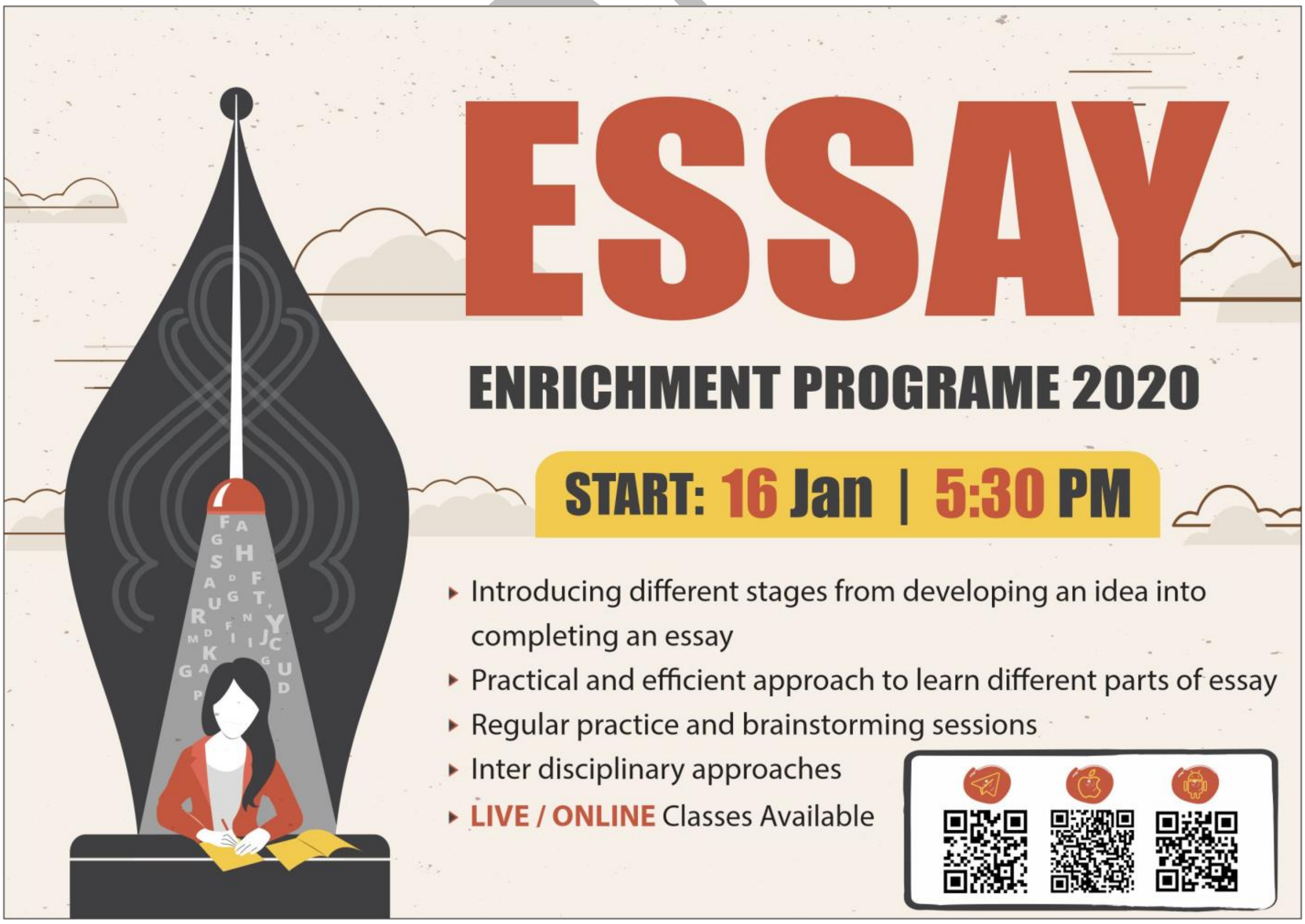

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. मृत्युदंड (Death Penalty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **'भारत में मृत्युदंड: वार्षिक सांख्यिकी 2018'** (Death Penalty in India: Annual Statistics 2018) नामक शीर्षक से प्रकाशित एक रिपोर्ट से यह उजागर हुआ है कि भारत में न्यायालयों द्वारा दिए जाने वाले मृत्युदंड की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट हुई है।

मृत्युदंड के विषय में

- मृत्युदंड, कानून द्वारा स्वीकृत वह प्रथा है जिसके अंतर्गत किसी अपराध के लिए एक व्यक्ति को राज्य द्वारा दंड के रूप में मृत्यु की सजा दी जाती है।
- यह विभिन्न देशों और राज्यों में सक्रिय विवाद का एक विषय है और साथ ही, एक ही राजनीतिक विचारधारा या सांस्कृतिक क्षेत्र में इसके संबंध में भिन्न-भिन्न स्थितियां देखने को मिलती हैं।
- भारत में कई गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा अभी भी प्रचलित है।
    - हालांकि, संविधान के **अनुच्छेद 21** के अनुसार, किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित करना असंवैधानिक है। लेकिन, संविधान में यह भी प्रावधान है कि यदि **'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया'** का अनुसरण किया गया है तो राज्य किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित कर सकता है।
    - इसे अब केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रकृति वाले गंभीर अपराधों के मामलों में ही दिया जाता है।

मृत्यदंड के पक्ष में तर्क

- **दंड का निवारक सिद्धांत:** मृत्यु दंड एक निवारक के रूप में कार्य करता है। यदि मृत्युदंड के सजा को समाप्त कर दिया जाता है, तो जघन्य अपराध करने वाले लोगों के मन में उत्पन्न होने वाला भय समाप्त हो जाएगा।
    - इसके अतिरिक्त, कई वर्षों तक मृत्युदंड के भय के साथ जीवन यापन करने वाले अपराधी की प्रत्याशित पीड़ा, मृत्युदंड के द्वारा अपराधी को जीवन से वंचित करने की तुलना में अधिक गंभीर होती है।
- **अपराधियों का उन्मूलन:** जब आतंकवाद जैसे खतरनाक अपराध से सार्वजनिक शांति के समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो मृत्युदंड अपराधी का उन्मूलन करने का एकमात्र साधन बन जाता है।
    - उल्लेखनीय है कि यदि किसी अपराधी को मृत्यु दंड दिए बिना ही रिहा कर दिया जाता है और उसके बाद भी यह संभावना बनी रहती है कि वह पुन: किसी की हत्या कर सकता है तो ऐसे अपराधी द्वारा किए जाने वाले दूसरे अपराध के जोखिम से समाज की रक्षा के प्रयोजन से यह दंड आवश्यक हो जाता है।
- **अपराध की गंभीरता:** न्याय की यह मांग है कि हत्या जैसे जघन्य अपराधों के दोषियों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए।
    - जो जानबूझकर दूसरों की हत्या करते है उन्हें मृत्युदंड की सजा देकर, मृत्युदंड सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है।
- **जहाँ सुधार की कोई संभावना न हो:** कुछ चरम स्थितियों में, जहां किसी व्यक्ति को जीवित रखने से किसी उद्देश्य का समाधान नहीं होता है।
    - कुछ मामलों में, जिनके द्वारा संपूर्ण समाज की नैतिकता प्रभावित होती है, तो उस स्थिति में मृत्युदंड ही एकमात्र दंड है जो दिया जा सकता है, जैसे- क्रूरतम बलात्कार के कुछ हालिया मामले, 26/11 का आतंकवादी हमला आदि।
- **कुछ अपराधियों को उनके जीवन का कोई अधिकार नहीं:** अन्य व्यक्तियों की हत्या करने वाला व्यक्ति, अपना जीवन का अधिकार खो देता है।
- **राज्य के संसाधनों की बचत करता है:** जैसा कि कुछ प्रस्तावकों का कहना है कि कर दाताओं के धन को जघन्य अपराधियों की **'दशकों तक चलने वाली अपील'** में व्यय नहीं किया जाना चाहिए।
- **जॉन स्टुअर्ट मिल** के अनुसार, सभी मनुष्यों को उचित और अनुचित का ज्ञान होता है और कानून का उल्लंघन करना मानव के स्वभाव में होता है। जिन अपराधियों के सुधरने की संभावना कम होती है और जिनमें सद्गुण का अभाव होता है, ऐसे में उनके लिए मृत्युदंड समाज की व्यापक उपयोगिता के संदर्भ में उचित है।

VISION IAS

मृत्युदंड के विपक्ष में तर्क

- मृत्युदंड आजीवन कारावास की तुलना में किसी भी अधिक **निवारक दंडात्मक लक्ष्य** की पूर्ति नहीं करता है। पुनश्च, भारतीय कानून के अंतर्गत आजीवन कारावास का आशय न्यायोचित परिहारों (just remissions) के अधीन दोषी की जिंदगी समाप्त होने तक जेल में रहने से है, जिसे कई राज्यों में गंभीर अपराधों के मामलों में कई वर्षों (30-60 वर्ष तक) के कारावास की सजा के तौर पर प्रदान किया जाता है।
- यह सही है कि दंड में **प्रतिशोध** की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हालाँकि, **इसका अर्थ बदला लेना नहीं हो सकता है।** "आँख के बदले आँख, दाँत के बदले दाँत" की धारणा का हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में कोई स्थान नहीं है। मृत्युदंड किसी भी **संवैधानिक रूप से मान्य दंडात्मक लक्ष्यों** की प्राप्ति में विफल रहता है।
    - पीड़ितों को न्याय दिलाने के अंतिम उपाय के रूप में मृत्युदंड पर ध्यान केंद्रित करने से, **न्याय के पुनर्स्थापनात्मक (restorative) और पुनरुद्धार (rehabilitative) संबंधी पहलुओं की उपेक्षा हो जाती है।**
- उन मामलों में अंतर करना कठिन है जहाँ आजीवन कारावास का विकल्प विद्यमान है, लेकिन मृत्युदंड आरोपित किया गया है। मृत्युदंड को इस प्रकार मनमाने तरीके से आरोपित करने को रोकने हेतु कोई **सिद्धांत पर आधारित विधि** विद्यमान नहीं है।
    - उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया है कि **बचन सिंह वाद के दिशा-निर्देशों** (इस वाद में मृत्युदंड को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों तक सीमित किया गया) **के अत्यधिक असमान अनुप्रयोग** ने मृत्युदंड के संबंध में अनिश्चितता की स्थिति को उत्पन्न किया है, जो स्पष्ट रूप से संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया और समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है।
- **प्रतिकूल आपराधिक न्याय प्रणाली:** संसाधनों की कमी, जांच के पुराने तरीके, पुलिस बल द्वारा प्रयुक्त दबाव, अप्रभावी अभियोजन, लचर विधिक सहायता आदि इस प्रणाली के समक्ष कुछ समस्याएं हैं। इस तथ्यों के बावजूद मृत्युदंड की सजा दी जाती है और इसलिए यह प्रथा ऐसी संरचनात्मक एवं प्रणालीगत बाधाओं से ग्रस्त है। इस प्रकार जहाँ एक ओर यह अमान्य प्रतीत होता है, वहीं दूसरी ओर इसके दुरुपयोग होने की संभावना भी बनी रहती है।
    - इस व्यवस्था की अनिश्चितताएं **सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर स्थित लोगों के विरूद्ध भी प्रतिकूल रूप से कार्य करती हैं** जिनके पास इस प्रतिकूल आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर प्रभावी रूप से अपने अधिकारों के पक्षसमर्थन हेतु संसाधनों की कमी होती है।
- अनुच्छेद 72 और 161 के अंतर्गत **क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग** मृत्युदंड की सजा के मामले में न्यायिक विफलता के विरुद्ध अंतिम सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करने में **विफल** रहा है।
- कानूनी रक्षोपाय, इस **अपरिवर्तनीय दंड** के प्रशासन के लिए संवैधानिक रूप से सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में विफल रहे हैं। मृत्युदंड की सजा प्राप्त कैदियों को मुकदमें, अपील और उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षमादान में विलंब जैसी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। इस अवधि के दौरान, मृत्युदंड की सजा प्राप्त कैदी मृत्युदंड की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होने वाली अत्यधिक पीड़ा, चिंता और भय से ग्रस्त होते हैं। इस प्रकार की विशिष्ट परिस्थितियां, मृत्युदंड की सजा प्राप्त दोषियों के लिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक यातना की स्थितियां उत्पन्न करती हैं। मृत्युदंड की सजा प्राप्त कैदियों को अतिरिक्त, अनुचित एवं न्यायिक रूप से अननुमोदित पीड़ा पहुंचाना अपमानजनक है और यह अत्यधिक दंड के विरूद्ध प्रदत्त अनुच्छेद 21 जैसे सुरक्षोपायों का स्पष्ट उल्लंघन है।
- अरस्तू का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में सद्गुणी होने की क्षमता होती है। अरस्तू का मानना था कि जिसने अपराध किया है, उसका भी समाज के मूल्यों के प्रति सरोकार हो सकता है और उसे मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है।

निष्कर्ष

- इस संबंध में यह प्रश्न सदियों से बहस का विषय बना हुआ है कि राज्य के लिए लोगों को मृत्युदंड देना नैतिक रूप से स्वीकार्य है या नहीं और यदि स्वीकार्य है तो किन परिस्थितियों में मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। इसमें सम्मिलित नीतिशास्त्रीय समस्या में इस बात की अतिरिक्त समस्या के साथ मृत्युदंड से संबंधित सामान्य नैतिक मुद्दे भी सम्मिलित हैं, कि क्या किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित करना नैतिक रूप से उचित है या नहीं।
- भारत के विधि आयोग ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें राष्ट्र के विरूद्ध युद्ध छेड़ने या आतंकवाद से संबंधित अपराधों को छोड़कर, भारत में सभी अपराधों के संबंध में मृत्युदंड को समाप्त करने की अनुशंसा की गई थी।

10. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Short)

10.1. पद्म पुरस्कार (Padma Awards)

- हाल ही में, गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई।
- पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं, जिन्हें निम्नलिखित तीन श्रेणियों में प्रदान किया जाता है:
  - **पद्म विभूषण:** असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है;
  - **पद्म भूषण:** उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए और
  - **पद्म श्री:** किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए।
- इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में विभिन्न गतिविधियों या विषयों के सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान करने हेतु की गई थी, जिनमें सार्वजनिक सेवा एक प्रमुख घटक है।
  - ये पुरस्कार विभिन्न विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों, यथा- कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि में प्रदान किए जाते हैं।
- पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर इन पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है। समिति का गठन प्रति वर्ष प्रधान मंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में किया जाता है।
  - नामांकन प्रक्रिया में कोई भी भाग ले सकता है तथा इसके लिए स्व-नामांकन भी किया जा सकता है।
- जाति, व्यवसाय, पद या लिंग विभेद के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं।
  - हालांकि, डाक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों सहित सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।
- एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। {व्यक्तियों को मरणोपरान्त प्रदत्त पुरस्कारों तथा विदेशी/NRI (अनिवासी भारतीय)/OCI (प्रवासी भारतीय नागरिक) को प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों को छोड़कर}
- ये पुरस्कार **किसी प्रकार की उपाधि नहीं है तथा इनका प्रयोग पुरस्कार प्राप्तकर्ता के नाम के साथ प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में नहीं किया जा सकता** है।
- पुरस्कार प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक **सनद** (प्रमाण-पत्र) और एक पदक प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों के साथ कोई **नकद पुरस्कार प्रदान नहीं** किया जाता है।

10.2. पुलिस कमिश्नरी प्रणाली (Police Commissionerate System)

- हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के दो शहरों **लखनऊ और नोएडा** के लिए पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति प्रदान की है जिसके अंतर्गत शीर्ष पुलिस अधिकारियों को दांडिक शक्तियाँ (Magisterial Powers) प्रदान की जाएंगी।
- राज्य सरकार राज्य पुलिस बलों पर नियंत्रण और अधीक्षण का कार्य करती है। सामान्यतः जिला स्तर पर पुलिस बल की व्यवस्था में, नियंत्रण की एक 'दोहरी प्रणाली' विद्यमान है। महानगरीय स्तर पर, कई राज्यों ने इस दोहरी प्रणाली को कमीश्नरी प्रणाली के साथ प्रतिस्थापित कर दिया है।

दोहरी प्रणाली	कमिश्नरी (आयुक्त) प्रणाली
जिला पुलिस में दोहरी कमान संरचना से तात्पर्य यह है कि, जिले में पुलिस पर नियंत्रण और निर्देशन का अधिकार **पुलिस अधीक्षक** (जिला पुलिस के प्रमुख) और जिलाधिकारी (कार्यकारी) में निहित होता है।	शहर में पुलिस बल के एकमात्र प्रमुख के रूप में **पुलिस आयुक्त** {जो कि उप महानिरीक्षक (DIG) या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी होता है} के नेतृत्व में एकीकृत कमान संरचना।
इस व्यवस्था में जिलाधिकारी की शक्तियों (उदाहरणार्थ, गिरफ्तारी वारंट और लाइसेंस जारी करना) और पुलिस की शक्तियों (उदाहरणार्थ, अपराधों की जांच करना और गिरफ्तारी करना) का पृथक्करण होता है। अतः, **जिला स्तर पर पुलिस के पास शक्तियों का संकेद्रण कम होता हैं तथा DM के प्रति जवाबदेही में कमी होती है।**	इस प्रणाली में पुलिस विभाग (policing) और दाण्डिक शक्तियां आयुक्त में निहित होती हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख के प्रति जवाबदेह होता है। पुलिस की स्थानीय प्रशासन के प्रति जवाबदेही कम होती है। • यह प्रणाली एक एकीकृत कमांड संरचना प्रदान करती है जो त्वरित निर्णय निर्माण में सहायक होती है। यह आयुक्त के उत्तरदायित्व को निर्धारित करने में सहायता करती है और कुछ अनुचित होने पर नागरिक प्रशासन और पुलिस के मध्य दोषारोपण की संभावना में कमी करती है। • **यह जिलाधिकारी के कार्यभार को कम करता है।**

VISION IAS

पुलिस अधीक्षक (SP) को अतिरिक्त / सहायक / पुलिस उपाधीक्षक (SP), इंस्पेक्टर और पुलिस दल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।	आयुक्त को विशेष / संयुक्त / अतिरिक्त / उपायुक्तों आदि द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक के बाद संरचना समान होती है।

10.3. डाक मतपत्र (Postal Ballot)

- हाल ही में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिव्यांग व्यक्तियों (PWDs) और 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी गई थी।
- डाक मतपत्र, चुनाव में मतदान का एक प्रकार है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली (ETPB) को मतदाताओं को वितरित किया जाता है तथा डाक द्वारा ही इसे पुनः प्राप्त किया जाता है।
- सेवारत मतदाताओं (Service voters) के लिए डाक मतपत्र या प्रॉक्सी मतदान के माध्यम से मतदान करने का विकल्प होता है। इसमे निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
  - केंद्रीय सशस्त्र बलों के सदस्य।
  - उन बलों के सदस्य, जिन पर सेना अधिनियम, 1950 के प्रावधान लागू हैं।
  - किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्यों और उस राज्य के बाहर सेवारत सदस्य।
  - वे व्यक्ति जो भारत से बाहर किसी अन्य क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा नियोजित हैं।
- **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 के अंतर्गत, कैदियों को मतदान करने की अनुमति नहीं है,** लेकिन निवारक निरोध के तहत गिरफ़्तार व्यक्ति डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।

10.4. आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा (INI Status to the Institute of Teaching and Research in Ayurveda)

- हाल ही में, मंत्रिमंडल ने जामनगर (गुजरात) स्थित **आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (ITRA), को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान** का दर्जा देने को स्वीकृति प्रदान की है।
- प्रस्तावित संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान करने से इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुरूप **आयुर्वेद शिक्षा के मानक को अद्यतित करने, आयुर्वेद में विभिन्न पाठ्यक्रमों को संरचित करने**, उन्नत मूल्यांकन पद्धति को अपनाने आदि के लिए स्वायत्तता प्राप्त होगी।
- यह दर्जा संस्थान को **आयुर्वेद में तृतीयक देखभाल विकसित करने एवं अंतर-अनुशासनात्मक सहयोग को सुनिश्चित करने** में सहायता प्रदान करेगा, ताकि आयुर्वेद को वर्तमान समय में अत्यधिक बढ़ावा दिया जा सके।

राष्ट्रीय महत्व के संस्थान
- राष्ट्रीय महत्व के संस्थान **संसद के अधिनियमों** द्वारा स्थापित किए जाते हैं।
- ये देश/राज्य के निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर अत्यधिक कुशल कर्मियों को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं।
- सामान्यतः इन्हें अनुसंधान एवं अकादमिक क्षेत्र में उत्कृष्टता के केंद्र विकसित करने और शिक्षा के अन्य सर्वोत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना हेतु भारत सरकार या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

10.5. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स-2019 (Corruption Perception Index 2019)

हाल ही में, **करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI)-2019** का नवीनतम संस्करण जारी किया गया।

इस सूचकांक के बारे में
- इसे प्रतिवर्ष **ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल** द्वारा (वर्ष 1995 से) जारी किया जाता है।
- यह सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के अपने अनुभवों के आधार पर **180 देशों को रैंक प्रदान करता है।**
- इसमें 0 से 100 तक के पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जहां शून्य अत्यधिक भ्रष्ट और 100 अत्यधिक स्वच्छ छवि वाले देश को इंगित करता है। इस वर्ष जारी CPI में औसत स्कोर 43 तथा दो तिहाई से अधिक देशों का स्कोर 50 से कम रहा है।

प्रमुख निष्कर्ष
- इस वर्ष जारी सूचकांक में **डेनमार्क** और **न्यूजीलैंड** ने सयुंक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है तथा फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्जरलैंड शीर्ष दस स्थानों में शामिल हैं। दक्षिण सूडान और सीरिया की रैंकिंग के बाद सोमालिया को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है।
- भारत की रैंकिंग घटकर 80वीं हो गई है, जबकि इसका स्कोर 41 अंक के साथ स्थिर बना रहा। पाकिस्तान को 120वां स्थान प्रदान किया गया है।

VISION IAS

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल

- वर्ष 1993 में स्थापित ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बर्लिन (जर्मनी) स्थित एक **अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन** है।
- यह भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्रभावी उपाय करने हेतु राष्ट्रीय सरकारों, व्यवसायों और नागरिक समाज के मध्य भागीदारी के साथ कार्य करता है।
- यह **ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर** और **ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट** को भी प्रकाशित करता है।

10.6. वूमन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट, 2020 (Women, Business & The Law Report 2020)

- **विश्व बैंक** द्वारा जारी की जाने वाली इस रिपोर्ट का यह छठा संस्करण है, जिसमें 190 अर्थव्यवस्थाओं में **महिलाओं के आर्थिक अवसर** (उद्यमिता और रोजगार) पर **विधियों और विनियमों** (विधिक लैंगिक समानता) के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है।
- यह आर्थिक अवसरों तक पुरुषों एवं महिलाओं की पहुंच के संबंध में विद्यमान विधि और विनियम अंतरालों की दिशा में **लैंगिक समानता हेतु किए जा रहे वैश्विक प्रयासों की प्रगति का मापन** करता है।
- **वूमन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स:** इस सूचकांक में निम्नलिखित का अध्ययन किया जाता है- निवर्तमान विधियों के साथ महिलाओं का अनुभव, महिलाओं द्वारा अपने जीवन के विभिन्न चरणों में लिए गए विभिन्न आर्थिक निर्णयों को ये विधियां किस प्रकार प्रभावित करती हैं आदि। यह सूचकांक इन्हीं विषयों पर आधारित आठ संकेतकों का मापन करता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **गतिशीलता, कार्यस्थल, वेतन, विवाह, पितृत्व, उद्यमिता, संपत्ति** और **पेंशन।**
  - इन क्षेत्रों में बेहतर निष्पादन का आशय, श्रम बल में महिलाओं की अधिक भागीदारी और अधिकतम आय तथा बेहतर विकास परिणामों से है।
- पैतृक अवकाश संबंधी हालिया सुधार के साथ, कनाडा **वूमन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स** में 100 स्कोर प्राप्त करने वाला आठवां देश बन गया है। बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस आदि अन्य आठ देशों में शामिल हैं।
- वर्ष 2017 में जारी विगत सूचकांक के वैश्विक औसत (73.9) में अल्प वृद्धि हुई है तथा वर्तमान में **वैश्विक औसत** 75.2 है। औसतन, पुरुषों को प्रदान किए गए विधिक अधिकारों की तुलना में महिलाओं को केवल तीन-चौथाई विधिक अधिकार प्राप्त हैं।
- भारत को 117वीं रैंक प्रदान की गई है तथा इसे 100 में से 74.4 स्कोर प्राप्त हुआ।
  - महिलाओं के लिए जोखिमपूर्ण रोजगारों में उनके कार्य करने की योग्यता पर प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए इस रिपोर्ट ने महाराष्ट्र की प्रशंसा की है।

10.7. रायसीना संवाद 2020 (Raisina Dialogue 2020)

- हाल ही में, रायसीना संवाद का पांचवा संस्करण (2020) नई दिल्ली में आयोजित हुआ।
- यह एक **बहुपक्षीय सम्मेलन** है, जिसे वर्ष 2016 से नई दिल्ली में वार्षिक रूप से आयोजित किया जा रहा है। यह संवाद वैश्विक समुदाय के समक्ष विद्यमान सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसे सिंगापुर के **शांगरी-ला डायलॉग** के अनुरूप अभिकल्पित किया गया है।
- इस संवाद को राष्ट्राध्यक्षों, कैबिनेट मंत्रियों और स्थानीय सरकारी अधिकारियों के साथ प्रमुख निजी क्षेत्रक के कार्यकारी अधिकारियों, मीडिया और शिक्षाविदों सहित एक बहु-हितधारक एवं विभिन्न क्षेत्रकों के मध्य (क्रॉस-सेक्टोरल) संवाद के रूप में आयोजित किया जाता है।
- यह भू-राजनीति और भू-अर्थव्यवस्था के संबंध में भारत के एक प्रमुख सम्मेलन के रूप में विकसित हुआ है।
- इस सम्मेलन को भारत सरकार के **विदेश मंत्रालय** के सहयोग से **ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन** द्वारा आयोजित किया जाता है।

10.8. ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019 (Global Risk Report 2020)

हाल ही में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) द्वारा स्विट्जरलैंड के दावोस में अपनी वार्षिक बैठक से पूर्व **ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट** जारी की गयी।

इस रिपोर्ट के बारे में

- यह **ग्लोबल रिस्क इनिसिएटिव** का एक भाग है, जो विश्व के सर्वाधिक जोखिमपूर्ण चुनौतियों के लिए संधारणीय व एकीकृत समाधान विकसित करने हेतु हितधारकों के मध्य समन्वय स्थापित करता है।
- **"वैश्विक जोखिम"** को एक ऐसी अनिश्चित घटना या परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो यदि घटित होती है, तो अगले 10 वर्षों के भीतर कई देशों या उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है।
- संभाव्यता की दृष्टि से शीर्ष पांच वैश्विक जोखिम विशेषकर पर्यावरणीय क्षेत्रों से संबद्ध हैं और इसमें सम्मिलित हैं:
  - संपत्ति, अवसंरचना एवं मानव जीवन को व्यापक क्षति पहुँचाने वाली **चरम मौसमी घटनाएं।**

VISION IAS

- सरकारों और व्यवसायों द्वारा **जलवायु-परिवर्तन शमन एवं अनुकूलन संबंधी विफलता।**
- ऑयल स्पिल्स (oil spills) और रेडियोधर्मी संदूषण जैसे पर्यावरणीय अपराध सहित **मानव जनित पर्यावरणीय क्षति और आपदाएँ।**
- पर्यावरण के लिए अपरिवर्तनीय परिणामों के साथ **प्रमुख जैव विविधता हानि और पारिस्थितिकी तंत्र (स्थलीय या समुद्री) का ह्रास,** जिसके परिणामस्वरूप मानव जाति के साथ-साथ उद्योगों के लिए संसाधनों की गंभीर रूप से कमी हो जाएगी।
- भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट और जिओ-मैग्नेटिक स्टॉर्म जैसी **प्रमुख प्राकृतिक आपदाएँ।**

10.9. ब्लू कॉर्नर नोटिस (Blue Corner Notice)

- हाल ही में, इंटरपोल द्वारा भगोड़े नित्यानंद का पता लगाने हेतु ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। ज्ञातव्य है कि नित्यानंद विगत वर्ष दुष्कर्म और यौन शोषण के आरोपों के पश्चात् भारत से फरार हो गया था।
- 'ब्लू कॉर्नर' नोटिस के बारे में:
  - **इंटरपोल** द्वारा जारी यह नोटिस सहयोग स्थापित करने या चेतावनी देने के लिए एक प्रकार अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध होता है, जो सदस्य देशों में पुलिस को अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की अनुमति प्रदान करता है।
  - "किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, अवस्थिति या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने हेतु" **ब्लू कॉर्नर नोटिस** जारी किया जाता है।

इंटरपोल के बारे में

- इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन (ICPO) एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसमें 194 सदस्य देश सम्मिलित हैं।
- यह विश्व भर में पुलिस के मध्य सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में स्थित है तथा इसे वर्ष 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग (ICPC) के रूप में गठित किया गया था।
- यह तीन प्रमुख क्षेत्रों - आतंकवाद, साइबर अपराध और संगठित अपराध से निपटने हेतु विश्व भर में विधि प्रवर्तन एजेंसियों को अन्वेषणात्मक सहायता, विशेषज्ञता और प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) इसका एक नोडल प्राधिकरण है, जो भारत में इंटरपोल द्वारा जारी सभी नोटिसों का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण का कार्य करता है। साथ ही, प्रत्येक राज्य के पुलिस बल में भी इसके संपर्क अधिकारी होते हैं।

10.10. लीबिया समिट (Libya Summit)

- हाल ही में, लीबिया के भविष्य पर चर्चा करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में रूस, अल्जीरिया, तुर्की, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, चीन और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष और विधि निर्माणकर्ता बर्लिन में एकत्रित हुए।
- इस सत्र का मुख्य लक्ष्य विदेशी शक्तियों के प्रभाव (यह हथियारों, सैनिकों या वित्तपोषण के माध्यम से हो सकता है) के माध्यम से इस क्षेत्र में चल रहे युद्ध को रोकने हेतु प्रयास करना है।
- **प्रमुख समझौते:**
  - प्रतिभागियों ने **सशस्त्र संघर्ष या लीबिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त** की तथा सभी अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं से "ऐसा ही करने" का आग्रह किया।
  - भागीदारों ने **शत्रुता के स्थायी निलंबन,** युद्ध की तीव्रता में कमी और संबंधित सभी पक्षकारों से एक स्थायी युद्धविराम की मांग की। भागीदारों ने संयुक्त राष्ट्र को युद्धविराम के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु "तकनीकी समितियों" की स्थापना हेतु आमंत्रित किया।
  - इसके अंतर्गत लीबिया के सभी पक्षकारों से यह आग्रह किया गया कि वे लीबिया की आंतरिक समस्या के समाधान हेतु **यूनाइटेड नेशन सपोर्ट मिशन इन लीबिया (UNSMIL)** के तत्वावधान में चल रही लीबिया के समावेशी नेतृत्व और स्वामित्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करें।

10.11. ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स (Global Talent Competitiveness Index)

हाल ही में, एडिको और गूगल के सहयोग से इनसीड (INSEAD) द्वारा संकलित **ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स (GTCI), 2020** जारी किया गया।

GTCI के बारे में

- GTCI एक **वार्षिक बेंचमार्किंग रिपोर्ट है जिसे वर्ष 2013 में पहली बार जारी किया गया था, जो प्रतिभाओं के लिए देशों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का आकलन** करता है। प्रतिभाओं को विकसित एवं आकर्षित करने तथा उसे बनाए रखने की क्षमता के आधार पर यह राष्ट्रों को रैंकिंग प्रदान करता है।
- इस रिपोर्ट में 132 अर्थव्यवस्थाओं और 155 शहरों को सम्मिलित किया गया है, जो INSEAD द्वारा किए गए शोध पर आधारित हैं।
- इस वर्ष रिपोर्ट की थीम **"ग्लोबल टैलेंट इन द एज ऑफ़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" (कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में वैश्विक प्रतिभा)** है।

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं

- **वर्ष 2020 में भारत को आठ स्थान की वृद्धि के साथ 72वां स्थान** प्राप्त हुआ है। ब्रिक्स समूह में चीन 42वें स्थान, रूस 48वें स्थान, दक्षिण अफ्रीका 70वें स्थान तथा ब्राजील 80वें स्थान पर है।
- इस वर्ष जारी रिपोर्ट में **स्विट्ज़रलैंड शीर्ष स्थान** पर रहा है, जिसके पश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर का स्थान है।
- इसमें शीर्ष स्थान उच्च आय वाले देशों के प्रभुत्व को रेखांकित करता है। इस सूची में सम्मिलित शीर्ष 25 देश उच्च आय वाले देश हैं, जिनमें से 18 देश यूरोप से हैं।

10.12. वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट {World Economic Situation and Prospects (WESP) Report}

हाल ही में, **यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ़ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स (UN/DESA), संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन (UNCTAD) और संयुक्त राष्ट्र के पांच क्षेत्रीय आयोगों द्वारा** संयुक्त रूप से वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट (WESP) जारी की गई।

इस रिपोर्ट के बारे में

- यह **वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति** पर संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख वार्षिक प्रकाशन है, जिसे '2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' के प्रावधानों के माध्यम से अवलोकित किया गया है।
- **वर्ष 2019 में वैश्विक वृद्धि 2.3 प्रतिशत के साथ 10 वर्ष के सबसे निचले स्तर पर रही है,** जिसमें वर्ष 2020 में 2.5 प्रतिशत और वर्ष 2021 में 2.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि अनुमानित है।
- यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि **राजनीतिक ध्रुवीकरण के प्रगाढ़ होने** तथा **बहुपक्षवाद** के लाभों के प्रति **संशय की स्थिति में वृद्धि** होने के कारण आर्थिक जोखिम सुदृढ़ बने हुए हैं।

भारत से संबंधित प्रमुख तथ्य

- निवेश में कमी, उपभोक्ता मांग में कमी और विनिर्माण एवं सेवाओं में सीमित वृद्धि के कारण भारत में आर्थिक वृद्धि की दर वर्ष 2018 के 6.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019 में 5.7 प्रतिशत हो गई।
- भारत में, 40 प्रतिशत से अधिक युवाओं को शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं हैं।

10.13. HSN कोड के बिना 'अन्य' श्रेणी में किसी भी आयात की अनुमति नहीं (No Imports in 'Others' Category Without HSN Code)

- प्रत्येक व्यापारिक उत्पाद को **हार्मोनाईज्ड सिस्टम ऑफ़ नॉमेनक्लेचर (HSN)** कोड के तहत वर्गीकृत किया जाता है। जिन आयातित वस्तुओं पर HSN कोड नहीं होते, उन्हें 'अन्य' (others) के रूप में संदर्भित किया जाता है तथा प्रायः इन्हें वर्गीकृत वस्तुओं के पार्ट्स और एक्सेसरीज़ के साथ चिन्हित किया जाता है।
- **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** 'अन्य' के रूप में वर्गीकृत सभी उत्पादों पर उच्च शुल्क आरोपित करता है, क्योंकि उनके पास वैश्विक रूप से स्वीकृत HSN कोड उपलब्ध नहीं होते हैं।
- **HSN विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा विकसित** एक पहचान कोड है।
    - यह सीमा शुल्क उद्देश्य के लिए व्यापारिक वस्तुओं को एक सामान्य आधार पर वर्गीकृत करने हेतु भागीदार देशों को अनुमति प्रदान करता है।
    - किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश करने या उसे पार करने वाली प्रत्येक वस्तु को स्वीकृति प्रदान करने हेतु सीमा शुल्क संगठन द्वारा इस कोड का उपयोग किया जाता है।
    - भारत के पास हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ़ कोडिंग पर आधारित **8 अंकीय भारतीय व्यापार वर्गीकरण (HS) कोड** उपलब्ध है।
- अब **आयातकों** को विदेश व्यापार महानिदेशालय से 30 दिनों के भीतर HSN कोड प्राप्त करने हेतु मंत्रालय से संपर्क करना होगा।
- **इस उपाय से सरकार को यह आकलित करने में सहायता मिलेगी** कि क्या आयात किया जा रहा है तथा इससे अवमानक उत्पादों एवं सेवाओं के प्रति शून्य सहिष्णुता भी सुनिश्चित हो सकेगी।

10.14. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिस्किलिंग रिवोल्यूशन (WEF's Reskilling Revolution)

- हाल ही में, भारत एक **संस्थापक सरकारी सदस्य** के रूप में **वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिस्किलिंग रिवोल्यूशन** में सम्मिलित हुआ।
  - इसके संस्थापक सरकारों में ब्राजील, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, रूस, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका सम्मिलित हैं।
- रिस्किलिंग रिवोल्यूशन वस्तुतः WEF की एक पहल है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक एक बिलियन लोगों को बेहतर शिक्षा, कौशल और रोजगार प्रदान करना है।
- इसका उद्देश्य रिस्किलिंग की आवश्यकता को चिन्हित करना है, जिनके पीछे निम्नलिखित परिस्थितियां उत्तरदायी रही हैं:
  - **चतुर्थ औद्योगिक क्रांति** की प्रौद्योगिकियों के कारण रोजगारों में होने वाले परिवर्तन,
  - मौजूदा रोजगार के प्रदर्शन हेतु मुख्य कौशलों में परिवर्तन की आवश्यकता,
  - उच्च तकनीकी एवं विशेषीकृत अंतर्वैयक्तिक कौशल की **उच्च मांग** (जिसमें बिक्री, मानव संसाधन, देखभाल और शिक्षा से संबंधित कौशल शामिल हैं)।
- रिस्किलिंग की आवश्यकता वाले रोजगार की पहचान करने हेतु WEF द्वारा **'जॉब्स ऑफ़ टुमारो: मैपिंग अपॉर्चुनिटी इन द न्यू इकॉनोमी'** नामक एक रिपोर्ट भी जारी की गई है।

10.15. ग्लोबल कंसोर्टियम फॉर गवर्नेंस ऑफ़ डिजिटल करेंसी (Global consortium for Governance of Digital Currency)

- हाल ही में, **विश्व आर्थिक मंच (WEF)** द्वारा दावोस में आयोजित अपनी वार्षिक बैठक में **ग्लोबल कंसोर्टियम फॉर गवर्नेंस ऑफ़ डिजिटल करेंसी** का शुभारंभ किया गया।
- इस पहल का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अग्रणी कंपनियों, वित्तीय संस्थानों, सरकारी प्रतिनिधियों, तकनीकी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों और फोरम समुदायों के सदस्यों को एक साथ लाना है।
- इसका उद्देश्य **नवाचारी नीतिगत समाधानों (जो समावेशी और अंतर-संचालनीय हैं) के माध्यम से वित्तीय प्रणाली तक पहुंच को बढ़ावा देना** है।
- केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा के विकल्पों तथा बिटकॉइन से लेकर फेसबुक की लिब्रा तक विभिन्न रूपों की असंख्य डिजिटल मुद्राओं के उद्भव ने एक उपयुक्त, एकीकृत नियामक प्रणाली के निर्माण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष चुनौती उत्पन्न की है।
  - डिजिटल मुद्राओं को वित्तीय समावेशन हेतु एक उपकरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। हालाँकि, सुशासन के अभाव के कारण ये वृहत स्तर पर अंगीकृत नहीं हो पाए हैं।
  - उचित रूप से विनियमित डिजिटल मुद्रा का उपयोग सस्ती और तीव्रतम सीमा पारीय भुगतान, वित्तीय समावेशन और अवैध वित्तपोषण को पूर्णतः प्रतिबंधित करने हेतु किया जा सकता है।

10.16. NSE नॉलेज हब (NSE knowledge Hub)

- हाल ही में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त लर्निंग प्लेटफॉर्म 'NSE नॉलेज हब' लॉन्च किया है।
- इसे NSE अकादमी द्वारा विकसित किया गया है, जो NSE की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है।
- यह मंच **बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा** क्षेत्रक को सहायता प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य वित्तीय सेवा उद्योग हेतु भावी प्रतिभाओं को तैयार करने तथा अपने कर्मचारियों और अकादमिक संस्थानों के कौशल क्षमता में वृद्धि करने हेतु BFSI उद्योग में संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना है।

10.17. ट्रैक एंड ट्रेस प्लेटफॉर्म फॉर बिजनस (Track and Trace Platform for businesses)

- हाल ही में, **विश्व आर्थिक मंच (WEF)** ने प्रथम **न्यूट्रल एंड पब्लिक ट्रेसबिलिटी प्लेटफ़ॉर्म** का शुभारंभ किया है, जो विभिन्न संगठनों और स्रोतों से प्राप्त डेटा आपूर्ति श्रृंखला को प्रदर्शित करने में सक्षम है।
- यह प्लेटफ़ॉर्म ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित है तथा इसे विभिन्न उद्योगों में व्यवसायियों की सहायता करने हेतु विकसित किया गया है जो नैतिक और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के संबंध उपभोक्ता की मांग को पूरा करते हैं।
- डेटा आपूर्ति श्रृंखला उपयोगकर्ताओं को वस्तुओं के प्रवाह और अन्य प्रमुख पर्यावरण एवं सामाजिक संकेतकों तथा आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के प्रमाणपत्रों का एक व्यापक विवरण प्रदान करेगा, साथ ही क्रय किए जाने वाले उत्पादों के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में भी जागरूक बनाएगा।
- इसे एवरलेजर, लेनजिंग ग्रुप, टेक्सटाइल जेनेसिस और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर आदि के एक समर्पित समूह के सहयोग से सृजित किया गया है।

10.18. राष्ट्रीय स्टार्ट-अप सलाहकार परिषद (National Startup Advisory Council)

हाल ही में, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्ट-अप सलाहकार परिषद (NSAC) की संरचना को अधिसूचित किया है।

- **NSAC की संरचना**
  - **अध्यक्ष:** वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री।

VISION IAS

- **पदेन सदस्य:** संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा नामित व्यक्ति, जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव से नीचे के पद धारण न करता हो।
  - **गैर-अधिकारिक सदस्य:** विभिन्न श्रेणियों से (जैसे- सफल स्टार्ट-अप्स के संस्थापक) केंद्र सरकार द्वारा 2 वर्षों के लिए मनोनीत।
  - **परिषद का संयोजक:** उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के संयुक्त सचिव।
- NSAC का लक्ष्य सरकार को निम्नलिखित उपायों पर परामर्श प्रदान करना है:
  - **देश में नवाचार और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने हेतु एक सुदृढ़ परिवेश का निर्माण करना।**
  - संधारणीय आर्थिक विकास को संचालित करना और वृहत पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करना।
  - स्टार्ट-अप के लिए पूंजी की पहुंच में सुगमता को बढ़ावा देना, स्टार्ट-अप में निवेश के लिए घरेलू पूंजी को प्रोत्साहित करना तथा भारतीय स्टार्ट-अप्स में निवेश के लिए वैश्विक पूंजी संगृहित करना।
  - **नागरिकों और छात्रों के मध्य नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना**, विशेष रूप से देश भर में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करना।
- यह सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार, सृजन एवं संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यावसायीकरण के उद्देश्य से सार्वजनिक संगठनों में नवाचार के अंगीकरण संबंधी उपायों पर भी परामर्श प्रदान करेगा।

10.19. पूर्वोदय योजना (Purvodaya Scheme)

- हाल ही में, इस्पात मंत्रालय द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और जॉइंट प्लांट कमिटी (JPC) के साथ साझेदारी में **कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में एकीकृत स्टील हब के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास के लिए पूर्वोदय योजना का शुभारंभ किया गया।**
- इसका उद्देश्य लागत और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में **क्षमता वृद्धि तथा स्टील उत्पादकों को समग्र प्रतिस्पर्धा में सुधार करने में सक्षम बनाना है।**
- इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स और उपयोगी संरचना को रूपांतरित करना है, जो पूर्वी भारत में सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को विकसित करने में सहायक होगा।
  - यह इस्पात समूहों को विकसित करने के साथ महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स तथा उपयोगी संरचना को रूपांतरित करेगा।
- इसके अंतर्गत ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश को सम्मिलित किया जाएगा, जहाँ पूर्वी क्षेत्र का कुल इस्पात उत्पादन प्रतिशत 70 से बढ़कर 87 प्रतिशत हो जाएगा।
- राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के अनुसार, सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक कुल 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन की क्षमता विकसित करना है, **जहाँ पाँच पूर्वी राज्यों से लगभग 200 मिलियन टन इस्पात उत्पादन अपेक्षित है।**

10.20. आरोग्य संजीवनी पॉलिसी (Arogya Sanjeevani Policy)

- हाल ही में, **बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA)** ने सभी सामान्य एवं स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को **आरोग्य संजीवनी** नामक एक **स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉडक्ट (SHIP)** उपलब्ध कराने हेतु अधिदेशित किया है।
- स्वास्थ्य बीमा बाजार में वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा उत्पाद उपलब्ध हैं। परन्तु ग्राहकों के लिए उपयुक्त उत्पाद का चयन करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
  - आरोग्य संजीवनी पॉलिसी का उद्देश्य इस चुनौती का समाधान करना है।
- SHIP का उद्देश्य आधारभूत स्वास्थ्य आवश्यकताओं को कवर करना तथा बीमाकर्ताओं के मध्य अबाधित सुवाह्यता (Portability) को स्थापित करना है।
- **महत्वपूर्ण विशेषताएं:**
  - न्यूनतम और अधिकतम बीमित राशि क्रमशः 1 लाख रुपये और 5 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।
  - आजीवन नवीनीकृत सुविधा के साथ पॉलिसी खरीदने की न्यूनतम और अधिकतम उम्र क्रमशः 18 और 65 वर्ष होगी तथा पॉलिसी छोड़ने की कोई आयु निर्धारित नहीं है, जबकि फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के अंतर्गत बच्चों के लिए यह आयु 3 माह से 25 वर्ष तक निर्धारित की गई है।
  - यह पॉलिसी केवल एक 'इन्डेम्निटी पॉलिसी' (indemnity policy) होगी। इसका तात्पर्य है कि यह प्रतिपूर्ति के आधार पर कार्य करेगी।
  - पॉलिसी में हॉस्पिटलाइजेशन (अस्पताल में भर्ती होने) व्यय, प्री-पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, आयुष उपचार जैसे आधारभूत मानक उत्पाद अनिवार्य रूप से कवर किए जायेंगे।
  - इस पालिसी के अंतर्गत प्रीमियम/राशि देश भर में एक समान होगी तथा इसके लिए कोई भौगोलिक अवस्थिति या जोन प्राइसिंग करने की अनुमति नहीं होगी।

VISION IAS

10.21. केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (Central Equipment Identity Register: CEIR)

- हाल ही में, सरकार द्वारा दिल्ली में CEIR पोर्टल का शुभारंभ किया गया, जो चोरी किए गए या खोए हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक करने एवं उनका पता लगाने की सुविधा प्रदान करता है।
- यह **दूरसंचार विभाग (DoT)** द्वारा आरंभ की गई पहल है तथा इसे सर्वप्रथम **मुंबई** में आरंभ किया गया था।
- CEIR एक केंद्रीय प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो ब्लैकलिस्ट किए गए मोबाइल उपकरणों को साझा करने के लिए **सभी नेटवर्क ऑपरेटरों के IMEI डेटाबेस** को कनेक्ट करता है।
- उल्लेखनीय है कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल (SIM) कार्ड को परिवर्तित किए जाने पर भी ब्लैकलिस्ट किए गए मोबाइल अन्य किसी नेटवर्क पर कार्य नहीं करेंगे।
- राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 द्वारा "मोबाइल हैंडसेट की रिप्रोग्रामिंग सहित" सुरक्षा, चोरी और अन्य समस्याओं का समाधान करने के लिए एक **नेशनल मोबाइल प्रॉपर्टी रजिस्ट्री** के स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था।

10.22. यूथ को: लैब (Youth Co: LAB)

- यह वर्तमान की सर्वाधिक प्रमुख समस्याओं का समाधान खोजने और युवाओं के समक्ष मौजूद चुनौतियों से निपटने हेतु एक बहु-आयामी और बहु-स्तरीय प्रतिक्रिया है।
- वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और सिटी फाउंडेशन, द्वारा संयुक्त रूप से सृजित किए गए **'यूथ को: लैब'** का उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के युवाओं को सशक्त बनाने तथा उनके चहुमुखी विकास हेतु निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक साझा एजेंडा स्थापित करना है, जिससे कि वे नेतृत्व, सामाजिक नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से **सतत विकास लक्ष्यों (SDG) का** तीव्र कार्यान्वयन में सहायक हो सके।
- भारत में, **UNDP इंडिया** और **नीति आयोग** के **अटल नवाचार मिशन** (AIM) के संयुक्त प्रयासों से यूथ को: लैब पहल का शुभारंभ किया गया है।
    - इसका उद्देश्य भारत में तकनीक, युवा नेतृत्व और सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
    - इसके माध्यम से युवा उद्यमियों और नवोन्मेषको को सरकारों, मेन्टरों, इन्क्यूबेटरों और निवेशकों से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा, जो उन्हें उद्यमी कौशल से युक्त करने में सहायता प्रदान करेगा।
    - यह राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक चुनौतियों से संबंधित नवाचार प्रतियोगिता आयोजित करेगा, जिसमे 18-29 आयु वर्ग के युवाओं और स्टॉर्ट-अप को उनके प्रस्तावित विचारों को प्रदर्शित करने तथा इस क्षेत्र की वृहद् सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

10.23. ऑपरेशन टर्टशील्ड (Operation Turtshield)

- हाल ही में, पश्चिम बंगाल वन विभाग के सहयोग से वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा राज्य के एक बाजार से 983 भारतीय फ्लैपशेल टर्टल और दो इंडियन पीकॉक सॉफ्टसेल टर्टल जब्त किए गये।
    - ऑपरेशन टर्टशील्ड **लुप्तप्राय कछुओं की रक्षा** के लिए एक नया केंद्रीय कार्यक्रम है।
- फ्लैपशेल टर्टल आकार में छोटे होते है तथा इनका शिकार इनके मांस के लिए किया जाता है। इसका मांस, स्वाद के लिए बंगाल और बांग्लादेश दोनों में लोकप्रिय है। इसे IUCN की **रेड लिस्ट** के तहत **लिस्ट कंसर्न** के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- इंडियन पीकॉक सॉफ्टसेल टर्टल को IUCN की रेड लिस्ट में **वल्नरबल (Vulnerable)** के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की **अनुसूची-1** और CITES की अनुसूची-I में भी सूचीबद्ध है।
    - यह नदियों, धाराओं, झीलों और तालाबों के दलदली या रेतीले तल पर पाया जाता है। ये **सर्वाहारी** होते है तथा छोटे टर्टल मच्छरों के लार्वा और मछलियों का भक्षण करते हैं। जबकि वयस्क टर्टल घोंघे, केंचुए, झींगे, मछली, मेंढक, कैरी और वनस्पति का उपभोग करते हैं।
    - **प्रमुख खतरे:**
        - इस प्रजाति का मांस और कैलिपी (शेल का बाहरी कार्टिलेजीनस रिम) हेतु अत्याधिक दोहन किया गया है।
        - अति-मत्स्यन, प्रदूषण, नदी परिवहन में वृद्धि और रेत-खनन आदि के परिणामस्वरूप गंगा नदी में मछली के स्टॉक में कमी सहित उन प्रजातियों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है जो सभी बड़े नदी कछुओं के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध हैं।

10.24. वन ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव (One Trillion Trees Initiative)

- हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum: WEF) ने अपनी दावोस बैठक में जैव विविधता के पुनरुद्धार और जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सहायता करने के उद्देश्य से वैश्विक स्तर पर एक ट्रिलियन पेड़ों को उगाने, पुनर्स्थापित करने और संरक्षित करने के लिए एक वैश्विक पहल प्रारम्भ की है।

VISION IAS

- **1t.org प्लेटफॉर्म** वैश्विक ट्रिलियन ट्री समुदाय की सेवा के लिए प्रतिबद्ध प्रमुख सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाजों और उद्यमियों के लिए एक मंच प्रदान करता है।
    - 1t.org **WEF की एक पहल** है, जिसे **UNEP और FAO के नेतृत्व में UN डीकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन 2021-2030** की सहायता हेतु अभिकल्पित किया गया है।
- 1t.org प्लेटफॉर्म, वर्तमान दशक के भीतर एक ट्रिलियन पेड़ों के संरक्षण और पुनर्स्थापन को सुनिश्चित करने तथा साथ ही, वृहत स्तर और गति पर कार्य करने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने हेतु, लाखों लोगों के वैश्विक पुनर्विकास में संलग्न समुदाय को जोड़ने, सशक्त बनाने और एकीकृत करने के लिए उपलब्ध है।

10.25. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एलायंस 2020 (Tropical Forest Alliance 2020)

- हाल ही में, **विश्व आर्थिक मंच** द्वारा वैश्विक पुनर्वनीकरण प्रयासों के बारे में परिचर्चा की गई। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एलायंस (TFA) इस प्रयास का एक भाग रहा है।
- **ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एलायंस 2020** का गठन वर्ष 2012 में रियो+20 के दौरान किया गया था।
- यह एक वैश्विक **सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहल** है जो उष्णकटिबंधीय वन वाले देशों में वनों की कटाई को कम करने और संधारणीय भूमि उपयोग प्रबंधन के आधार पर संधारणीय ग्रामीण विकास और बेहतर विकास के अवसरों को ध्यान में रखते हुए सहयोगात्मक कार्रवाई के लिए समर्पित है।
- इस गठबंधन में **150 से अधिक** सदस्य सम्मिलित हैं, जो पाम ऑयल, सोया, मांस (बीफ) और लुगदी एवं कागज के उत्पादन से संबंधित उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- इन प्रतिबद्धताओं को क्रियान्वयित करने के लिए लैटिन अमेरिका, पश्चिम और मध्य अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया में कार्य करने हेतु TFA संलग्न है।
- TFA को नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड की सरकारों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। इसके सचिवालय की मेजबानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा की जाती है।
    - वर्ष 2019 के लिए इसके कार्य क्षेत्र में वैश्विक कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं से उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई को कम करने के लिए 10 प्राथमिकता आधारित कार्यों को सम्मिलित किया गया है, जैसा कि कमोडिटीज एंड फॉरेस्ट एजेंडा 2020 में परिभाषित किया गया था।
- **"कमोडिटीज एंड फॉरेस्ट्स एजेंडा 2020"** बीफ, सोया और पाम ऑयल के उत्पादन से उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई को रोकने से संबंधित प्राथमिकता आधारित रणनीतियों का संक्षिप्त रूप है। यह एजेंडा WEF के तत्वाधान में स्थापित किया गया है।

10.26. हरगिला (Hargila)

- हाल ही में, **असम राज्य चिड़ियाघर-सह-वानस्पतिक उद्यान और आरण्यक** (एक वन्यजीव संरक्षण संगठन) द्वारा चिड़ियाघर की परिधि के भीतर एक कृत्रिम प्लेटफॉर्म पर **ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क (हरगिला) पक्षी** के एक जोड़े की सफलतापूर्वक हैचिंग (अंडे सेना) कराई गई है।
- **ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क (लेप्टॉपटिलोस डूबियस):** यह विश्व में स्टॉर्क की बीस प्रजातियों की सबसे दुर्लभ प्रजातियों में से एक है।
- भारत में, हरगिला सहित रेजिडेंशियल स्टार्कों की 8 प्रजातियां पाई जाती हैं।
- किसी समय पर यह स्टार्क दक्षिण पूर्व एशिया में बहुतायत में पाया जाता था, लेकिन अब यह **भारत के असम और बिहार एवं कंबोडिया के प्रेक टोल** के कुछ ही स्थानों तक सीमित रहा गया है।
- **इनके समक्ष उत्पन्न खतरा:** पर्यावास क्षति, अवैध शिकार और विषाक्तता
- **IUCN संरक्षण का दर्जा:** एंडेंजर्ड (EN)
- ये **ऊँचाई वाले वृक्षों पर प्रजनन** करते हैं। घोंसले वाले पेड़ों की कटाई और अवसंरचना निर्माण के परिणामस्वरूप इन प्रजातियों की प्रजनन प्रक्रिया बाधित हुई है और कई ऐतिहासिक प्रजनन कालोनियां इनके ऐतिहासिक वितरण रेंज से विलुप्त हो चुकी हैं।

10.27. पलाऊ प्रवाल भित्तियों के लिए विषाक्त सनस्क्रीम पर प्रतिबंध आरोपित करने वाला प्रथम राष्ट्र (PALAU Is First Country To Ban 'Reef Toxic' Sun Cream)

- हाल ही में, **पलाऊ** (पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित) सनस्क्रीम पर प्रतिबंध आरोपित करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। उल्लेखनीय है कि कुछ सनस्क्रीम प्रवाल एवं समुद्री जीवों के लिए हानिकारक होती हैं।
- यह प्रतिबंध 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी हुआ।
- सनस्क्रीन उत्पादों में एक घटक **ऑक्सीबेनजोन** (oxybenzone) पाया जाता है जिसे विशेष रूप से हानिकारक माना गया है।

VISION IAS

- इंटरनेशनल कोरल रीफ फाउंडेशन के अनुसार, प्रतिबंधित रसायन निम्नलिखित हेतु उत्तरदायी हो सकते हैं:
  - प्रवाल विरंजन के प्रति प्रवाल अधिक सुभेद्य हो जाते हैं,
  - प्रवाल के DNA को क्षति,
  - नव विकसित प्रवाल या तो विरूपित हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है।
- इस प्रकार के प्रतिबंधों की घोषणा करने वाले अन्य स्थानों में अमेरिका का **वर्जिन द्वीप** (जहां इस कानून को मार्च में लागू किया गया था) अमेरिकी राज्य हवाई (प्रतिबंध को वर्ष 2021 में लागू किया जाएगा) और **डच कैरेबियन आइलैंड ऑफ़ बोनेयर** सम्मिलित है।

10.28. आर्किया (ARCHAEA)

- हाल ही में, राजस्थान की लवणीय झील सांभर में एक नए आर्किया (एक प्रकार का सूक्ष्मजीव) की खोज की गई।
- इसकी खोज पुणे स्थित **राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव संपदा केंद्र- राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र (NCMR-NCCS)** द्वारा की गई है।
- इसे **"नैट्रियलबा स्वारूपे (Natrialba swarupiae)"** नाम दिया गया है।
- आर्किया, **जीवाणु के समान संरचना वाले एकल-कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव** होते हैं, किन्तु ये यूकैरियोट्स से अधिक समानता रखते हैं।
- आर्किया, **मंद गति से विकसित होने वाले** सूक्ष्मजीव होते हैं और अपनी विशिष्ट उपापचय के कारण ये **अत्यधिक प्रतिकूल पर्यावासों** जैसे, उष्ण जल स्रोत, शीत मरुस्थल और अत्यधिक लवणीय झीलों में भी विकसित हो सकते हैं।
- ये रोगाणुरोधी अणुओं को उत्पन्न करते हैं और पर्यावरणीय अनुकूल अपशिष्ट जल के उपचार में अनुप्रयोगों सहित एंटी-ऑक्सीडेंट गतिविधियों के रूप में भी उपयोगी होते हैं। ये जीव DNA प्रतिकृति, पुनर्संयोजन और मरम्मत के लिए विशिष्ट रूप से उपयोगी हैं।
- ये मानव आंत्र, मुख और त्वचा में भी पाए जाते हैं, परंतु आर्किया की मानव शरीर में प्रतिक्रिया के संबंध में अत्यल्प जानकारी प्राप्त है क्योंकि **इनका संवर्धन (मानव के साथ) अत्यधिक कठिन होता है, इसीलिए सापेक्षिक रूप से इनका कम अध्ययन हुआ** है।

10.29. भुवन पंचायत V 3.0 (Bhuvan Panchayat V 3.0)

- इसे इसरो (ISRO) के **राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र** (National Remote Sensing Centre) द्वारा विकसित किया गया है।
- यह सरकारी परियोजनाओं की बेहतर नियोजन और निगरानी के लिए इसरो की SISDP (विकेंद्रीकृत नियोजन के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना सहायता) परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ताओं के अनुकूल वेब आधारित एक जियो पोर्टल है।
  - **SISDP परियोजना:** इसका उद्देश्य विकास योजनाओं के निर्माण, उनके क्रियान्वन और गतिविधियों की निगरानी हेतु उपग्रह आधारित डेटा से प्राप्त मूलभूत नियोजन आगतों के साथ **जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायतों** की सहायता करना है।
- यह पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय की **ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)** प्रक्रिया में **सहायता के लिए भू-स्थानिक सेवाएं** प्रदान करेगा।
- यह **ग्राम पंचायत सदस्यों** और अन्य हितधारकों जैसे PRI एवं लोगों के लाभ के लिए **डेटाबेस विज़ुअलाइज़ेशन, डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमैटिक रिपोर्ट के निर्माण,** मॉडल आधारित उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से सहायता करता है।
- इस पोर्टल के माध्यम से देश भर में नियोजन हेतु पहली बार एकीकृत उच्च रिज़ॉल्यूशन उपग्रह डेटा के साथ **उच्च स्तर पर एक थिमेटिक डेटाबेस** उपलब्ध होगा।
- जियो स्पेसियल डाटा, सेवाओं और विश्लेषण के लिए उपकरणों के साथ भुवन, **ISRO द्वारा विकसित एवं संचालित एक राष्ट्रीय जियो-पोर्टल** है।

10.30. DRDO की युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला (DRDO Young Scientists Laboratories)

- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की पांच युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को राष्ट्र को समर्पित किया।
- **DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं (DYSLs)** पांच शहरों अर्थात बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में अवस्थित हैं।
- प्रत्येक प्रयोगशाला भविष्य की रक्षा प्रणालियों को विकसित करने हेतु **महत्वपूर्ण उन्नत प्रौद्योगिकियों** अर्थात कृत्रिम बुद्धिमता, क्वांटम प्रौद्योगिकी, संज्ञानात्मक प्रौद्योगिकी, असममित प्रौद्योगिकी और स्मार्ट मेटेरियल पर कार्य करेगी।
- DYSLs द्वारा केवल 35 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को सैन्य हथियारों के लिए अत्याधुनिक और भविष्य में उपयोग होने वाली तकनीक को विकसित करने हेतु नियोजित किया जाएगा।
- यह रक्षा अनुसंधान से संबंधित गतिविधियों में युवाओं को सम्मिलित करके **रक्षा क्षेत्रक में स्वदेशी अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा देगा।**

VISION IAS

10.31. स्वर्ण जयंती फैलोशिप (Swaran Jayanti Fellowships)

- हाल ही में, नवीन विचारों से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं में संलग्न तथा अपने संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर अपने महत्वपूर्ण योगदान हेतु 14 वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फैलोशिप प्रदान की गई है।
- स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना भारत सरकार द्वारा देश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रारम्भ की गई थी।
- इस योजना के अंतर्गत अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन करने वाले कुछ युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधारभूत अनुसंधान को आगे बढ़ाने हेतु विशेष सहायता प्रदान की जाती है।
- फेलोशिप और शोध के लिए चयनित वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शोध कार्यों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

10.32. मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (Human Space Flight Centre: HSFC)

- हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अंतर्गत भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम (Human Space flight Programme: HSP) के समन्वय हेतु जनवरी 2019 में इसका उद्घाटन किया गया था तथा यह गगनयान परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा।
- HSFC के अंतर्गत, मिशन की आद्योपांत योजना बनाना, अंतरिक्ष में कर्मीदल के रहने हेतु इंजीनियरी प्रणाली का विकास, कर्मीदल चयन एवं प्रशिक्षण तथा दीर्घकालीन समानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन से संबंधित गतिविधियों को आयोजित करना शामिल है।
- गगनयान की प्रथम विकासात्मक उड़ान के क्रियान्वयन हेतु HSFC मौजूदा ISRO केंद्रों की सहायता प्राप्त करेगा।
- वर्तमान में HSP के कार्य विभिन्न केंद्रों जैसे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (तिरुवनंतपुरम) और यूआर राव उपग्रह केंद्र (बंगलुरू) में विभाजित हैं।
- हाल ही में, इसरो ने एक समेकित HSFC को प्रस्तावित किया है, जिसे **कर्नाटक के चैलकेरे** (Challakere) में स्थापित किया जाएगा। यह दीर्घकाल में भारत को सहायता प्रदान करेगा क्योंकि वर्तमान में भारत को विदेशों में इस प्रकार की सुविधाओं के प्रशिक्षण और उपयोग हेतु अत्यधिक राशि का भुगतान करना पड़ता है।

10.33. इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम (Indian Data Relay Satellite System: IDRSS)

भारत इस वर्ष अंतरिक्ष में इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम (IDRSS) नामक एक नई उपग्रह श्रृंखला स्थापित करने की योजना बना रहा है। जिसका उद्देश्य भारत द्वारा स्वयं के स्पेस-टू-स्पेस ट्रैकिंग और अपनी अंतरिक्ष परिसम्पत्तियों के मध्य संचार स्थापित करना है।

IDRSS के बारे में

- IDRSS प्रणाली में दो उपग्रहों को भू-स्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो उपग्रह से उपग्रह संचार स्थापित करने और डेटा स्थानांतरण को सक्षम बनाएँगे।
- यह अन्य भारतीय उपग्रहों {विशेषतया जो निम्न भू कक्षा (LEO) में स्थित हैं, जो पृथ्वी को सीमित रूप में कवर करते हैं} से वास्तविक समय में सूचना का पता लगाएगा तथा उसे प्रेषित और प्राप्त करने का कार्य भी करेगा।
- यह गगनयान मिशन के प्रक्षेपण की निगरानी और उनकी यात्रा के दौरान मिशन नियंत्रण को सुनिश्चित करते हुए कर्मीदल सदस्यों को लाभान्वित करने में भी उपयोगी सिद्ध होगा।
- यह **स्पेस डॉकिंग** (विशेष रूप से दो पृथक स्वतंत्र रूप से प्रक्षेपित अंतरिक्ष यानों को कनेक्ट करना), अंतरिक्ष स्टेशन के साथ-साथ चंद्रमा, मंगल और शुक्र के दूरस्थ अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- यह उपग्रहों की निगरानी करने में **भूमि पर स्थित स्टेशनों पर निर्भरता को भी कम करेगा।**
- प्रथम उपग्रह को वर्ष 2020 के अंत तक तथा दूसरे उपग्रह को वर्ष 2021 तक प्रक्षेपित किया जाएगा।
- इसी के साथ भारत अमेरिका, चीन, जापान और यूरोप जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, जिनके पास पहले से ही ऐसी DRS प्रणाली विद्यमान है।

10.34. गवर्नमेंट ओन्ड कांट्रेक्टर ऑपरेटेड मॉडल {Government Owned Contractor Operated (GOCO) Model}

- वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे **आर्मी बेस वर्कशॉप** (ABW) के परिचालन दक्षता में सुधार हेतु सेना ने GOCO मॉडल के अनुरूप उन्हें हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है।
- GOCO मॉडल के अंतर्गत, सरकार द्वारा भूमि, अवसंरचना, संयंत्र और मशीनरी, उपकरण प्रणाली सहायता तथा निरीक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा ठेकेदार को भी सुविधा प्रदान की जाएगी।
- ठेकेदार उपलब्ध सुविधाओं का संचालन और अनुप्रयोग करता है, सभी प्रकार के कार्यों का प्रबंधन करता है तथा पारस्परिक रूप से सहमत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक लाइसेंस, प्रमाणपत्र एवं मान्यता प्राप्त करने के लिए भी उत्तरदायी होता है तथा इस उद्यम से संबंधित संयंत्र मशीनरी और सेवाओं को बनाए रखता है।
- इसे **निजी उद्योग द्वारा** पारस्परिक निर्धारित शर्तों के आधार पर संचालित किया जाएगा तथा यह **रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने में सहायक होगा।**

- यह मॉडल "युद्धक क्षमता को बढ़ाने तथा रक्षा व्यय को पुनः संतुलित करने" के संबंध में **लेफ्टिनेंट जनरल डी. बी. शेकटकर (सेवानिवृत्त) समिति** की अनुसंशाओं पर आधारित है।

10.35. सुखोई जेट्स (Sukhoi Jets)

- हाल ही में, भारतीय वायु सेना (IAF) द्वारा तमिलनाडु के **तंजावुर वायु सेना स्टेशन** पर 18 रूसी सुखोई-30 MKI लड़ाकू विमानों में से कुल 6 विमानों के प्रथम बैच को शामिल किया गया है।
- यह हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के विरुद्ध भारत की आक्रामक क्षमताओं में वृद्धि करेगा क्योंकि ये अंतरिक्ष में बिना पुनः ईंधन भरे हुए 1,500 कि.मी. तक उड़ान भर सकते हैं। इस प्रकार ये **द्वीपीय क्षेत्रों और समुद्री संचार लाइनों (sea lines of communication)** को सुरक्षा कवर प्रदान करने में सहायता करेंगे।
- ये लड़ाकू विमान ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल (जिसकी रेंज 290 कि.मी. है) के वायु संस्करण से सुसज्जित होंगे।
    - ब्रह्मोस एक मध्यम रेंज वाली रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी, जहाज, विमान या स्थल से प्रक्षेपित किया जा सकता है। यह भारत एवं रूस का एक संयुक्त उद्यम है।
- भारतीय नौसेना के पास **पहले से ही बोइंग निर्मित लंबी दूरी का P-8I** नामक बहुउद्देशीय समुद्री गश्ती विमान है जो इस क्षेत्र में कार्यरत है। यह हार्पून एंटी-शिप मिसाइलों से सुसज्जित है एवं यह पनडुब्बी-रोधी युद्धक क्षमता से परिपूर्ण है।

10.36. सक्षम 2020 (Saksham 2020)

- हाल ही में, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (PCRA) द्वारा सक्षम (SAKSHAM) 2020 (**संरक्षण क्षमता महोत्सव**) नामक ईंधन संरक्षण अभियान का शुभारंभ किया गया है।
- स्कूली बच्चों, युवाओं, गृहिणियों, ड्राइवरों, मैकेनिकों, जहाज संचालकों, उद्योगों, कृषकों आदि सभी को विभिन्न ईंधन संरक्षण गतिविधियों में सम्मिलित किया जाएगा, जैसे:
    - वाहन सुरक्षा सहित पेट्रोल और डीजल के उपयोग में संरक्षण उपायों के बारे में शिक्षित करने हेतु रिटेल आउटलेटों पर कारों, बसों तथा ट्रकों के **चालकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम।**
    - पेट्रोलियम संरक्षण के संबंध में सुझावों/ध्वनि संदेशों (Jingles) के रूप में किसान कॉल सेंटर के माध्यम से जन जागरूकता।
    - ग्रामीणों को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) के उपयोग, इसकी सुरक्षा एवं संरक्षण के सुझावों के बारे में शिक्षित करने हेतु **LPG पंचायत** का आयोजन।
    - ईंधन दक्ष ड्राइविंग को बढ़ावा देने हेतु कार मालिकों के लिए **ईंधन कुशल ड्राइविंग प्रतियोगिता।**

पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (PCRA)

- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में स्थापित PCRA, एक पंजीकृत सोसायटी है। यह एक गैर-लाभकारी संगठन है।
- PCRA, **एक राष्ट्रीय सरकारी एजेंसी है जिसका कार्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है।**
- यह तेल आवश्यकताओं पर देश की अत्यधिक निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से **पेट्रोलियम संरक्षण हेतु नीतियों और रणनीतियों के बारे में सरकार को परामर्श देता है।**

10.37. स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 (Swachh Survekshan League 2020: SS League 2020)

हाल ही में, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 (प्रथम और द्वितीय तिमाही) के परिणामों की घोषणा की।

स्वच्छ सर्वेक्षण (SS) लीग 2020 के बारे में

- इसकी शुरुआत स्वच्छता के स्तर के आधार पर **शहरों की निरंतर निगरानी के साथ जमीनी स्तर पर उनके प्रदर्शन को बनाए रखने में सहायता के उद्देश्य से** की गई थी।
- यह भारत के शहरों और कस्बों का एक तिमाही स्वच्छता आकलन है और इसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के 5वें संस्करण के साथ एकीकृत किया गया है।
- वार्षिक सर्वेक्षण में सम्मिलित किए जाने वाले तिमाही आकलन के 25 प्रतिशत भारांश के कारण **स्वच्छ सर्वेक्षण (SS) लीग** 2020 में शहरों के प्रदर्शन **स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उनकी रैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं।**

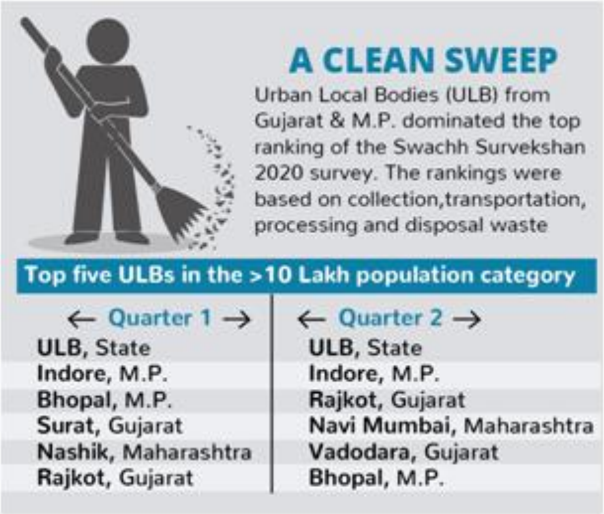

- **इसे 3 तिमाहियों में संचालित किया गया है:**
    - अप्रैल- जून,
    - जुलाई - सितंबर
    - अक्टूबर- दिसंबर 2019
- इसमें प्रत्येक तिमाही के लिए 2000 अंकों के आधार पर आकलन किया जाता है। यह आकलन SBM-U की ऑनलाइन मासिक नवीनतम जानकारी तथा 12 सेवा स्तर प्रगति संकेतकों के नागरिक सत्यापन के आधार पर किया गया था।
- **जनसंख्या सहित शहरों में रैंक की दो श्रेणियां निर्दिष्ट की गई है:**
    - 1 लाख एवं इससे अधिक (दो उप-श्रेणियों अर्थात् 1-10 लाख और 10 लाख एवं इससे अधिक)
    - 1 लाख से कम (इस श्रेणी के तहत, जोन और जनसंख्या के आधार पर रैंकिंग की जाती है)।
        - इसमें **पांच जोन** अर्थात् उत्तर, पूर्व, उत्तर-पूर्व, दक्षिण और पश्चिम शामिल हैं।

स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्वच्छता स्तर का आकलन करने तथा स्वछता मिशन की पहल के सक्रिय क्रियान्वयन हेतु यह भारत सरकार द्वारा किया गया एक रैंकिंग अभ्यास है।
- इस सर्वेक्षण का उद्देश्य **वृहत पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और समाज के सभी वर्गों के मध्य इस** दिशा में एक साथ कार्य करने के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है।

10.38. नारी शक्ति पुरस्कार (Nari Shakti Puraskar)

- हाल ही में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2019 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं।
- पूर्व में इन्हें **'स्त्री शक्ति पुरस्कार'** के नाम से जाना जाता था।
- ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष **8 मार्च** को **अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस** के अवसर पर भारत के **राष्ट्रपति** द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इनके माध्यम से महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण हेतु असाधारण एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं या गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों को मान्यता दी जाती है।
- ऐसे व्यक्तियों, समूहों, संस्थानों या गैर-सरकारी संगठनों को इससे सम्मानित किया जा सकता है जिन्होंने:
    - निर्णय निर्माणकारी भूमिकाओं में भागीदारी हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित किया हो।
    - पारंपरिक और गैर-पारंपरिक क्षेत्रकों में महिलाओं के कौशल विकास को प्रोत्साहित किया हो।
    - ग्रामीण महिलाओं के लिए मूलभूत सुविधाएँ प्रदान की हो।
    - विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, कला, संस्कृति आदि क्षेत्रों में महिलाओं को प्रोत्साहित किया हो।
    - महिलाओं के लिए सुरक्षा और संरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण आदि के लिए महत्वपूर्ण रूप से कार्य किया हो।

10.39. सुर्ख़ियों में रहे बौद्ध मठ (Buddhist Monastries in News)

- **बोज्जनकोंडा और लिंगलामेट्टा मठ:** ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के शंकरम गाँव स्थित दो **शैलकृत** बौद्ध मठ हैं। इनका निर्माण तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व किया गया था।
    - **इन स्थलों पर बौद्ध धर्म को तीन रूपों में देखा गया है: थेरवाद** अवधि - जब भगवान बुद्ध को एक उपदेशक के रूप में माना गया था, **महायान** - जब बौद्ध धर्म अधिक भक्तिमय हो गया था तथा **वज्रयान** - जब बौद्ध परंपरा को तंत्र और अंतर्भूत रूप में अधिक अभ्यास किया जाता था।
    - विशाखापत्तनम, थोटलकोंडा, एप्पिकोंडा और बाविकोंडा बौद्ध स्थलों के लिए प्रसिद्ध है।
- **मोघलमारी मठ**
    - यह **पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में सुबर्णरिखा नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है।**
    - पश्चिम बंगाल में इसे वृहत्तम और प्राचीनत्तम पुरातात्विक स्थल माना जाता है।

VISION IAS

- इसे दांतापुर बौद्ध मठ के रूप में भी जाना जाता है तथा इसे चीनी बौद्ध भिक्षु एवं विद्वान ह्वेनत्सांग (जिसने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी) के यात्रा वृतांतों (journal) में प्रलेखित किया गया था।
- हाल ही में पश्चिम बंगाल के मोघलमारी में बौद्ध मठ स्थल से प्राप्त किए गए मृतिका पटलिका पर अभिलेखों के एक अध्ययन ने दो मठों यथा **मुगलयिकाविहारिका** और **यज्ञपींडिकामहाविहार** की उपस्थिति की पुष्टि की।
- इन मठों का निर्माण 6वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था तथा ये 12वीं शताब्दी ईस्वी तक ही कार्यात्मक बने रहे थे।
- पूर्वोत्तर भारत में एक ही परिसर में एक ही अवधि के दौरान निर्मित दो मठों की उपस्थिति अद्वितीय है।

10.40. ईरान की सांस्कृतिक धरोहर (Iran's Cultural Heritage)

- हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को चेतावनी दी थी कि यदि वह प्रतिशोधक कार्रवाई में किसी अमेरिकी संपत्ति पर हमला करता है, तो अमेरिका द्वारा **ईरान और ईरानी संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण** ईरान के 52 स्थलों को लक्षित किया जाएगा।
- ईरान, **10,000 ईसा पूर्व की विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है।**
- **ईरान के 24 स्थलों** (22 सांस्कृतिक स्थल हैं) **को यूनेस्को की "विश्व विरासत स्थल" सूची में सम्मिलित किया गया है।**
- ईरान के कुछ **महत्वपूर्ण विश्व विरासत स्थल अग्रलिखित हैं:** इस्फ़हान में **मीदन इमाम** और **मस्जिद-ए-ज़मीं**, तेहरान में **गोलेस्तान पैलेस**, **पसारागडे और पर्सेपोलिस** (छठी ईसा पूर्व में स्थापित अचमेनिद साम्राज्य की राजधानियाँ) और **तख्त-ए-सोलेमन** (पारसियों का प्राचीन पवित्र स्थल)।

सशस्त्र संघर्ष की दशा में सांस्कृतिक सम्पत्ति के संरक्षण के लिए अभिसमय, 1954 {Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1954)}

- यह एक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के दौरान सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा पर विशेष रूप से केंद्रित है।
- यह अभिसमय सांस्कृतिक संपत्ति को "प्रत्येक व्यक्ति की सांस्कृतिक धरोहर के लिए चल अथवा अचल संपति के रूप में परिभाषित करता है, जैसे- स्थापत्य स्मारक, कला या इतिहास (या तो ये धार्मिक हो सकते है अथवा धर्मनिरपेक्ष); पुरातात्विक स्थल।
- वर्तमान में 133 देशों ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के साथ-साथ **भारत** ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं।

रोम संविधि, 1998

- यह अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की संस्थापक संधि है जो किसी ऐतिहासिक स्मारक या धर्म, शिक्षा, कला अथवा विज्ञान के लिए समर्पित इमारत पर किसी अंतर्राष्ट्रीय हमले को एक "युद्ध अपराध" के रूप में घोषित करती है।
- 122 देशों ने रोम संविधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका इस संविधि का एक हस्ताक्षरकर्ता है किंतु इसने अभी तक इसकी अभीपुष्टि नहीं की है। **भारत द्वारा न तो इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं और न ही इसकी अभीपुष्टि की गयी है।**

10.41. शास्त्रीय भाषा (Classical Language)

- हाल ही में, आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मराठी भाषा को 'शास्त्रीय भाषा' के रूप में घोषित करने की मांग की गई।
    - यह सम्मेलन, मराठी लेखकों का एक वार्षिक सम्मेलन है और इसकी शुरुआत वर्ष 1878 में की गयी थी।
    - कई प्रमुख मराठी बुद्धिजीवियों ने इसकी अध्यक्षता की है, जिनमें जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III और प्रहलाद केशव "आचार्य" अत्रे शामिल हैं।
- वर्तमान में **छह भाषाओं, यथा- तमिल (वर्ष 2004 में घोषित), संस्कृत (वर्ष 2005 में घोषित), कन्नड़ (वर्ष 2008 में घोषित), तेलुगु (वर्ष 2008 में घोषित), मलयालम (वर्ष 2013 में घोषित) और ओडिया (वर्ष 2014 में घोषित) को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त** है।
- संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:

VISION IAS

- ○ संबंधित भाषा के **प्रारंभिक ग्रंथ/अभिलिखित इतिहास**, 1,500-2,000 वर्षों की अवधि से **अधिक प्राचीन** होने चाहिए;
- ○ **प्राचीन साहित्य / ग्रंथों का एक निकाय,** जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान धरोहर माना गया हो;
- ○ **साहित्यिक परंपरा मूलभूत होनी चाहिए न कि** अन्य वक्ता समुदाय **से गृहीत की गई हो;**
- ○ शास्त्रीय भाषा और साहित्य **आधुनिक साहित्य से विशिष्ट हो, शास्त्रीय भाषा और इसके उत्तरवर्ती रूपों या इसकी उप-शाखाओं के मध्य एक असातत्य** भी हो सकता है।

- शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त होने के निम्नलिखित लाभ हैं:
  - ○ भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में प्रख्यात विद्वानों को प्रति वर्ष **दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।**
  - ○ शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिए एक **उत्कृष्टता केंद्र** स्थापित किया गया है।
  - ○ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा इन भाषाओं को बढ़ावा देने हेतु शोध परियोजनाओं को पुरस्कृत किया जाता है तथा **केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं के लिए एक निश्चित संख्या में संव्यावसायिक पद (प्रोफेशनल चेयर) सृजित किए जाते हैं।**

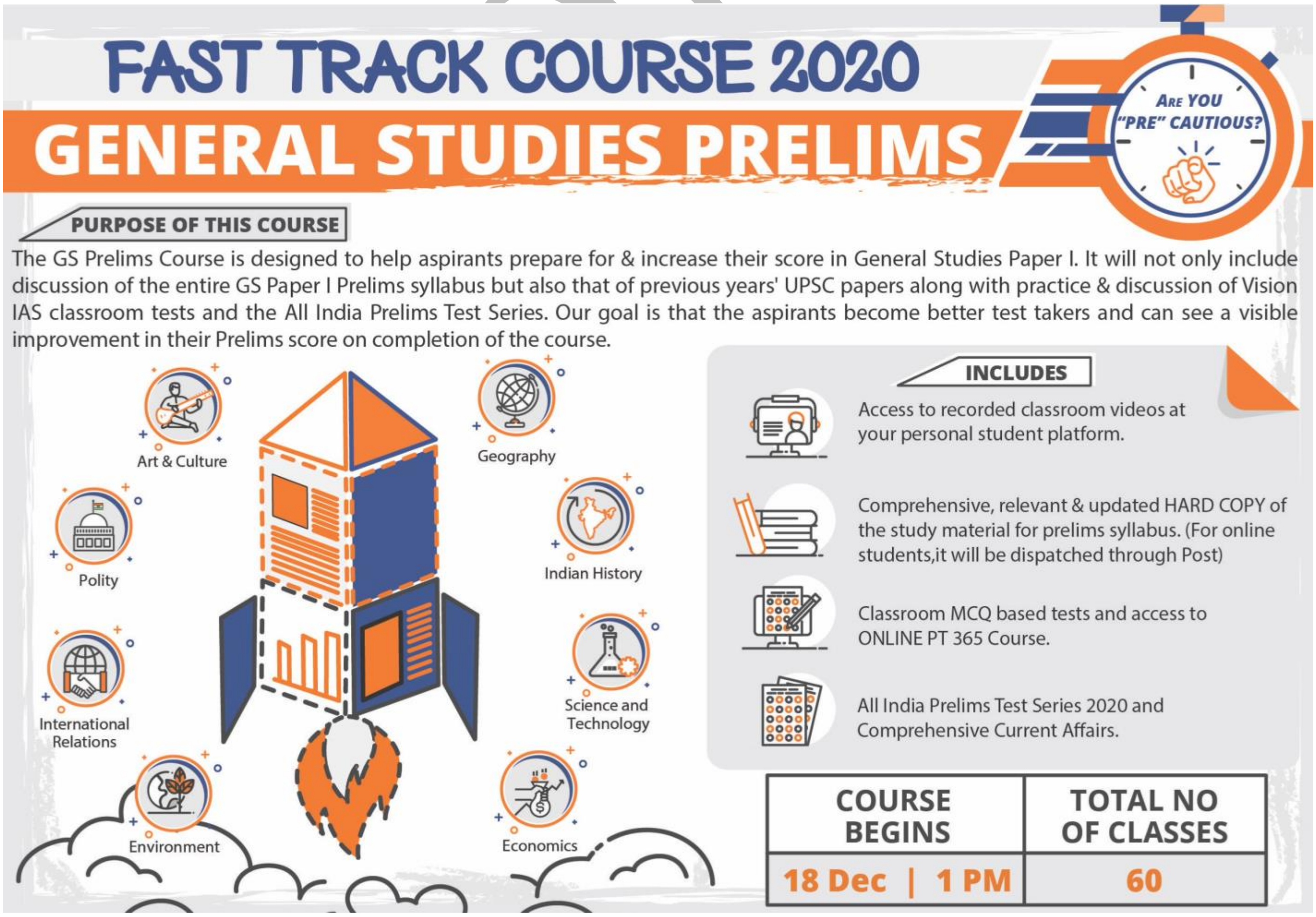

11. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes in News)

11.1. एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (Scheme for Integrated Textile Park: SITP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र क्षेत्रक में उच्च विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क्स की स्थापना कर **एकीकृत वस्त्र पार्क योजना** (SITP) के कायाकल्प की योजना बना रहा है।

उद्देश्य	**प्रमुख विशेषताएं**

• वस्त्र उद्योग को **वस्त्र इकाइयों की स्थापना हेतु** अत्याधुनिक अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना।
• अंतर्राष्ट्रीय परिवेश और सामाजिक मानकों को पूरा करने हेतु **वस्त्र इकाइयों को सहायता प्रदान करना।**
• **वस्त्र क्षेत्रक** में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना तथा रोजगार के नवीन **अवसर सृजित** करना।
	• वर्ष 2005 में अपैरल पार्क फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (APES) और द सेन्ट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (TCIDS) नामक **दो योजनाओं का विलय** करके इसे प्रारंभ किया गया था।
	• **वस्त्र क्षेत्रक में निजी निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु इसे आरंभ** किया गया था।
	• यह योजना **उच्च विकास क्षमता युक्त औद्योगिक समूहों और स्थानों को लक्षित** करती है, जहाँ विश्व स्तरीय अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
	• **एकीकृत वस्त्र पार्कों (ITPs)** को स्थापित करने हेतु **सार्वजनिक निजी भागीदारी** प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। उद्योग संघ, उद्यमियों के समूह और राज्य सरकारों की एजेंसियां इसके मुख्य प्रोमोटर्स हैं।
	• यह एक **मांग आधारित योजना** है जिसमें दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर, निवेश इच्छुक उद्यमी अपने प्रस्ताव को सरकार के पास भेज सकते हैं।
	• एक ITP में निम्नलिखित घटक सम्मिलित होंगे:
	  ○ **भूमि:** स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के तहत 20 एकड़ से अधिक भूमि होनी चाहिए;
	  ○ **सामान्य अवसंरचना:** सड़क, जल और विद्युत की आपूर्ति, आदि;
	  ○ **सामान्य सुविधाओं के लिए भवन:** प्रशिक्षण केंद्र, परीक्षण प्रयोगशाला, आदि;
	  ○ **कारखाने:** उत्पादन प्रयोजनों हेतु।
	• ITP को संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS), समर्थ (SAMARTH) इत्यादि से भी लाभ प्राप्त हो सकता है।
	• **वित्तपोषण: परियोजना लागत का 40%** (प्रत्येक विशेष श्रेणी राज्य में प्रथम दो परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 90%) वित्तपोषण **भारत सरकार** द्वारा किया जाएगा, जिसकी **अधिकतम सीमा 40 करोड़ रुपये** होगी जिसका वहन तीन किश्तों के माध्यम से किया जाएगा।
	  ○ इस परियोजना की लागत का वहन वस्त्र मंत्रालय, राज्य औद्योगिक विकास निगम (SIDC) और औद्योगिक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (IPMC) की अनुदान/इक्विटी तथा बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण द्वारा किया जाता है।
	  ○ परियोजना लागत में ITP की आवश्यकताओं पर निर्भर टेक्सटाइल मशीनरी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, सहायक उपकरण, पैकेजिंग आदि जैसी समर्थन गतिविधियों को भी शामिल किया जाएगा।
	वर्तमान स्थिति:
	• वर्ष 2005 में इसके शुभारंभ के पश्चात् से अब तक SITP के तहत **59 वस्त्र पार्क** स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से **22 वस्त्र पार्क** को स्थापित किया जा चुका है तथा शेष निर्माणाधीन हैं।
	• राज्य सरकारों की तरफ से भूमि प्राप्त करने और अन्य सांविधिक स्वीकृति देने में विलंब तथा टेक्सटाइल पार्कों द्वारा मंद गति से धन संग्रहण को, इसकी **मंद प्रगति** हेतु उत्तरदायी माना गया

VISION IAS

	है। • अप्रैल 2000 से सितंबर 2019 तक भारत के वस्त्र क्षेत्रक को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के रूप में 19,398.71 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जोकि कुल अंतर्प्रवाह का मात्र 0.74% है। • अधिक FDI को आकर्षित करने के क्रम में, वस्त्र मंत्रालय **1,000 एकड़ के मेगा वस्त्र पार्कों** को स्थापित करने की योजना बना रहा है, जो रणनीतिक औद्योगिक गलियारों के निकट अवस्थित होंगे।

11.2. आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Program)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत **डेल्टा रैंकिंग** में **छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।**

उद्देश्य	**प्रमुख विशेषताएं**

• **देश के चयनित पिछड़े जिलों का त्वरित और प्रभावी रूपांतरण।**
• **प्रत्येक जिले के सामर्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना, तत्काल सुधार हेतु समाधान प्रदान करने वाली समस्याओं की पहचान करना, प्रगति का मापन करना तथा जिलों को रैंक प्रदान करना।**
	• नीति आयोग के तत्वावधान में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए 28 राज्यों के **115 जिलों** को चिन्हित किया गया है।
	• इस कार्यक्रम के 3 प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं:
	  ○ **अभिसरण (Convergence)** (केंद्र और राज्य योजनाओं का);
	  ○ **सहयोग** (केंद्र और राज्य स्तर के प्रभारी अधिकारियों और जिलाधीश के मध्य) जो सहकारी संघवाद को बढ़ाता है; तथा
	  ○ **प्रतिस्पर्धी संघवाद-** एक जन आंदोलन द्वारा संचालित जिलों के मध्य प्रतिस्पर्धा, जो प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता हो।
	• नीति आयोग, **केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोग** से इस कार्यक्रम को संचालित कर रहा है।
	  ○ 50 जिलों को 12 मंत्रालयों के अधीन रखा गया है। वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित क्षेत्रों में स्थित 35 जिलों को गृह मंत्रालय के अधीन रखा गया है, और 30 जिलों को नीति आयोग के अधीन रखा गया है।
	• इस कार्यक्रम को सतत विकास लक्ष्यों (2030) के **5 प्रमुख आयामों** (यथा- स्वास्थ्य एवं पोषण; शिक्षा; वित्तीय समावेशन; कृषि और जल संसाधन; कौशल विकास; तथा आधारभूत अवसंरचना) **में शामिल 49 संकेतकों** द्वारा ट्रैक किया जा रहा है।
	• **मूल गतिविधियां:**
	  ○ LWE निधियों के साथ कार्यान्वित योजना संसाधनों का अभिसरण।
	  ○ जिला योजनाओं की रियल टाइम प्रगति की निगरानी करना।
	  ○ टाटा ट्रस्ट इकोसिस्टम से सर्वोत्तम प्रथाओं को ग्रहण करना।
	  ○ CSO (सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन) प्रयासों, सामुदायिक कार्रवाई और अन्य विकास हस्तक्षेपों के समन्वित प्रयासों को विस्तारित करना।
	  ○ केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और जिला प्रशासन से एकीकृत सहायता प्रदान करना।
	• **डेल्टा रैंकिंग:** यह आकांक्षी जिलों द्वारा प्राप्त की गई **वृद्धिशील प्रगति** (incremental progress) का मापन करता है।
	  ○ समग्र स्कोर स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय

VISION IAS

	समावेशन एवं कौशल विकास तथा अवसंरचना सहित छह विकास क्षेत्रकों में 49 प्रमुख मापदंडों के रियल टाइम आंकड़ों पर आधारित है। ○ आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से विकसित चैंपियंस ऑफ चेंज' **डैशबोर्ड** द्वारा इसे सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया गया है।

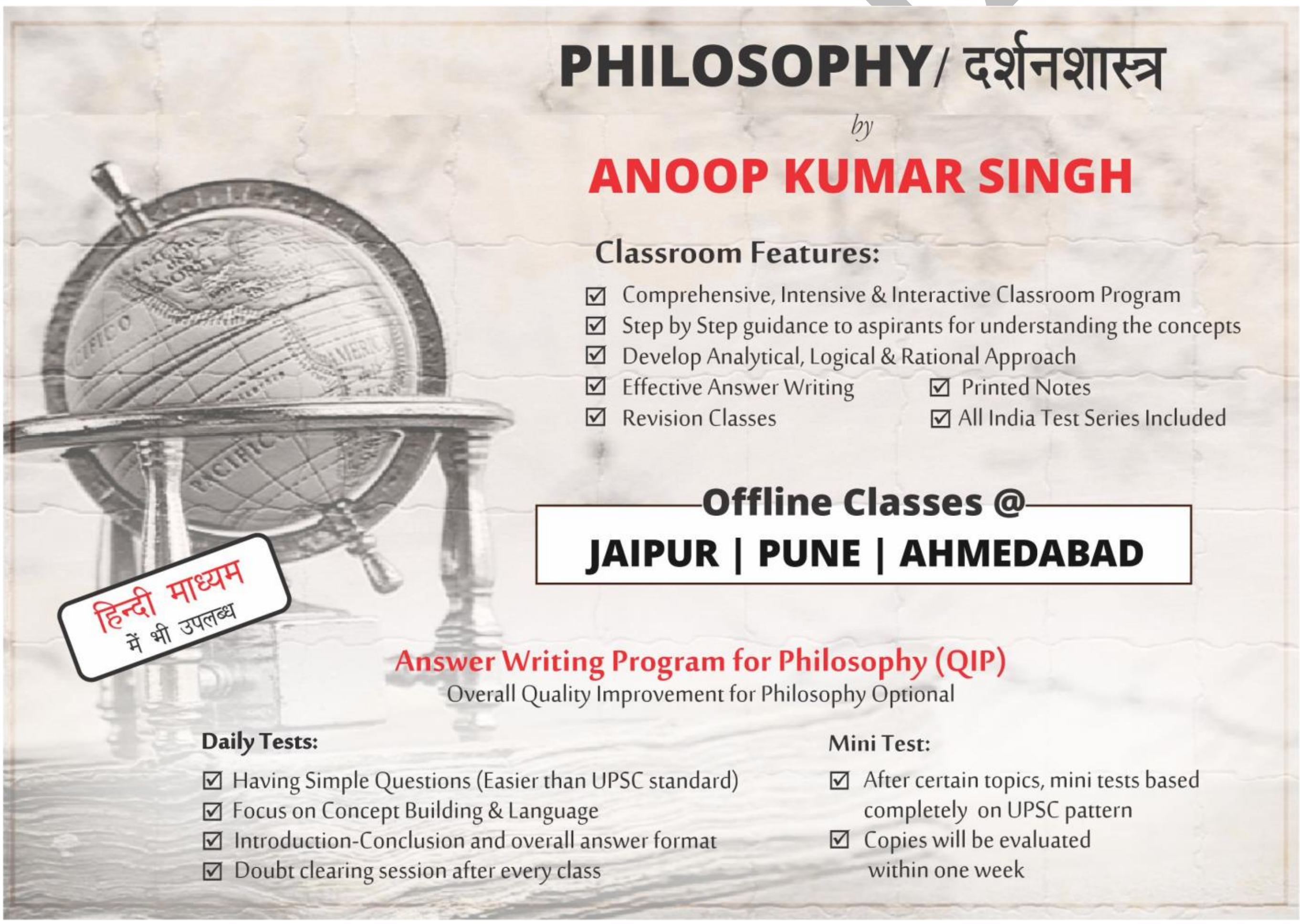

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS